किताबुत तौहीद

(ग़ायतुल मुरीद खुलासा)

तालीफः

फजीलतुश्शैख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम आले शैख़

मंत्री इस्लामिक विषय, औक़ाफ़ एवं दावत-व-इरशाद, सऊदी अरब

हिन्दी अनुवाद

ऐजाज़ ख़ान

गायतुल मुरीद

खुलासा

किताबुत तौहीद

तालीफ़:

फजीलतुश्शैख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम आले शैख़

मंत्री इस्लामिक विषय और औकाफ़
दावत व इरशाद सऊदी अरब

हिन्दी तर्जुमा:

ऐजाज खान

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा०) लि०

गायतुल मुरीद खुलासा

किताबुत तौहीद

तालीफ़:
फ़ज़ीलतुश्शैख सालेह बिन अब्दुल अज़ीज़ बिन मुहम्मद बिन इब्राहीम आले शैख़
मंत्री इस्लामिक विषय और औकाफ़ दावत व इरशाद सऊदी अरब

हिन्दी तर्जुमा:
ऐजाज खान

ISBN 81-7231-439-6

प्रथम संस्करण : 2013

प्रकाशक :

इस्लामिक बुक सर्विस (प्रा०) लि०

1511-12, पटौदी हाउस, दरिया गंज, नई दिल्ली - 110002 (भारत)
फ़ोन : 011-23253514, 23269050, 23286551 | फैक्स : 011-23277913
ई-मेल : info@ibsbookstore.com | वेब-साइट : www.ibsbookstore.com

Our Associates

- Al-Munna Book Shop Ltd., **U.A.E.**
  (Sharjah) Tel. 06-561-5483, 06-561-4650 | **(Dubai)** Tel. 04-352-9294
- Azhar Academy Ltd., **London (United Kingdom)**
  Tel. 020-8911-9797
- Lautan Lestari (Lestari Books), **Jakarta (Indonesia)**
  Tel. 0062-21-35-23456
- Husami Book Depot, **Hyderabad (India)**
  Tel. 040-6680-6285

Printed in India

फहरिस्त

नाम बाब		पेज नम्बर

❖❖❖

किताबुत्तौहीद

मुकदमा और कुछ जरूरी इस्तलाहात (परिभाषायें)

तौहीद के आलिमों का इस बात पर इत्तेकाफ (सहमती) है कि इस्लाम में तौहीद के मौजूअ (विषय) पर किताबुत्तौहीद जैसी कोई किताब नहीं लिखी गयी। यह किताब तौहीद (एक अल्लाह को मानने) की तरफ दावत देने वाली है। शैख मुहम्मद रह.ने इस किताब में तौहीद का मायना, दलाईले तौहीद के उसूल और बड़ाई बयान की है। इसके अलावा तौहीद के खिलाफ चीजों और उनसे बचाव के तरीके भी बयान किये हैं। और थोड़े खुलासे के साथ तौहीद इबादत (उलूहियत) और तौहीद असमा व सिफात के अरकान भी बयान किये गये हैं। इसी तरह बड़ा शिर्क और उसकी चन्द शकलें, छोटा शिर्क और उसकी चन्द शकलें और हर एक के वसाईल व साधन भी बयान किये गये हैं। तौहीद की हिफाजत और उसके जराये (साधनों), निज तौहीदे रूबूबियत के कुछ हिस्से भी बयान किये गये हैं। तौहीद की हिफाजत और उसके साधनों, निज तौहीदे रबुबियत के कुछ हिस्सों का भी खुलासा किया गया है। चूंकि यह एक बहुत बड़ी किताब है। इसलिए इसे पढ़ने, याद करने और इसके पाठों में गौरो फिक्र करके इसकी इज्जत करनी चाहिए। इस तरह आप जहां कहीं भी रहेंगे, इस किताब की जरूरत महसूस करेंगे।

किताबुत तौहीदः

तौहीद से मुराद किसी चीज को इक्ट्ठा करना है। अल्लाह तआला को एक मानना यानी अकेले अल्लाह तआला को ही माबूद मानना। अल्लाह तआला की किताब कुरआन मजीद में तौहीद की तीन किस्में बयान की गयी हैं:

1. तौहीदे रबूबियत, 2 तौहीदे उलूहियत, 3, तौहीदे असमा व सिफात।

तौहीदे रबूबियत:

इसका मायना यह है कि अल्लाह तआला को उसके कामों में एक और अकेला जानना। अल्लाह तआला के बहुत से काम हैं जिसमें से कुछ एक यह हैं:

पैदा करना, रिज्क देना, जिन्दा करना और मौत व दुनिया वगैरह। पस इन चीजो में कमाल तरीके पर एक और अकेला सिर्फ अल्लाह तआला की जात है।

तौहीदे उलूहियत या तौहीदे इलाहीयत:

यह दोनों अलाहा यअलहु से बने हैं, जिनका मायना यह है कि वो माबूद जिसकी इज्जत व मुहब्बत के साथ इबादत की जाये और तौहीदे उलूहियत का मायना यह है कि इबादत के तमाम कामों को अल्लाह तआला के लिए खास किया जाये।

तौहीदे असमा सिफात:

इसका मतलब यह है कि बन्दा यह अकीदा रखे कि अल्लाह तआला अपने असमा व सिफात (नामों और गुणों) में अकेला है। और इनमें उसका कोई बराबर नहीं।

लेखक ईमाम मुहम्मद रहमतुल्लाह ने इस किताब में तौहीद के बयान में तीनों किस्मों का तफसील के साथ जिक्र किया है। इन किस्मों को समझने की बहुत जरूरत है। लेकिन इस मौजूअ पर किताबें ज्यादा उपलब्ध नहीं हैं। लेखक ने तौहीदे इलाहियत और अबूदियत और उसके अरकान मसलन: भरोसा, डर और मुहब्बत का खुलासा किया है। निज इसके मुकाबिल शिर्क का भी खुलासा किया है।

रबूबियत या इबादत या असमा व सिफात में अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक किया जाये तो यह शिर्क है। इस किताब का

लिखने का मकसद इबादत में अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक करने से रोकना और उसकी तौहीद का हुक्म देना है।

किताब व सुन्नत की दलीलें इस बात पर दलालत करती है कि एक एतबार से शिर्क की दो किस्में हैं:

बड़ा शिर्क और छोटा शिर्क। और एक दूसरे ऐतबार से इसकी तीन किस्में हैं।

बड़ा शिर्क, छोटा शिर्क और छुपा हुआ शिर्क

बड़ा शिर्क: वो है जिसको करने से बन्दे को दीन से बाहर कर देता है और बड़े शिर्क का मतलब यह है कि अल्लाह तआला के साथ किसी और की भी इबादत करना या इबादत में से किसी एक चीज को गैर अल्लाह की तरफ भेजना या इबादत में अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक बनाना।

छोटा शिर्क : वो है जिस पर रसुलूल्लाह सल्ल. ने शिर्क का हुक्म लगाया है फिर भी उसमें किसी को पूरा मुश्रिक नहीं समझा जाता जो उसको बडे शिर्क के साथ मिला दे। याद रहे कि बड़ा शिर्क जाहिरी भी है। मसलन बूतों, कब्रों और मुर्दों के पुजारियों का शिर्क और अन्दरूनी भी, मसलन मुनाफिकों का शिर्क या पीरों, फकीरों, मुर्दो और झूटे माबूदों पर भरोसा करने वालों का शिर्क। इनका शिर्क छुपा हुआ है। अलबत्ता यह अन्दरूनी तौर पर बड़ा है, गरचे सामने नहीं।

इसके अलावा कड़े, धागे और तावीज पहनना और गैर अल्लाह की कसम खाना भी छोटे शिर्क में शामिल है।

छुपा शिर्क : इससे मुराद मामूली किस्म की दिखावट और इस तरह की दूसरी कमजोरियां हैं।

तौहीद तमाम इबादतों की बुनियाद है

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾﴾ (الذاريات٥١/٥٦)

तर्जुमाः और मैंने जिन्नों और इन्सानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो सिर्फ मेरी बन्दगी करें।''(सूरह जारियात पारा 26, आ.56)

{मैंने जिन्नों और इन्सानों को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। असलाफ (सहाबा-ए-किराम) ने ''इल्ला लियाबुदुन'' की तफसीर ''इल्ला लियुवहिहदुन'' की है।.... कि मैंने जिन्नों और इन्सानों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि वो मेरी तौहीद का इकरार व ऐलान करें। इससे यह भी मालूम हुआ कि तमाम रसूल तौहीद और इबादत समझाने के लिए भेजे गये थे।

इबादत की ग्रामर और इस्लामी मतलबः इबादत के मतलब में लाचारी और हद दर्जा बेबसी पाई जाती है। और जब उसके साथ मुहब्बत और इताअत भी शामिल हो तो वो इस्लामी इबादत बन जाती है।

शरई तौर पर किसी की मुहब्बत, रहमत व मेहरबानी की उम्मीद और उसके अजाब के डर से उसके हुक्मों और मना की हुई चीजों से रूकने पर अमल करना इबादत कहलाता है।

शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह. फरमाते हैंः इन्सान के ऐसे तमाम जाहिरी और अन्दरूनी काम व अफआल जो अल्लाह तआला को प्यारे और पसन्द हों, उन तमाम को इबादत कहते हैं। इससे साबित होता है कि हर किस्म की इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए जाईज़ है।}

अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ﴾ (النحل١٦/٣٦)

तर्जुमाः और हमने हर उम्मत में रसूल भेजा कि (लोगों) सिर्फ अल्लाह की बन्दगी करो और तागूत (गैर अल्लाह) की बन्दगी से बचो।"(सूरह नहल पारा 14, आ.36)

{यह आयत इबादत और तौहीद के मतलब का खुलासा है। निज इस आयत से मालूम हुआ है कि अल्लाह के तमाम रसूल इन दो बातों की तालीम के लिए भेजे गये कि लोगों! तुम सिर्फ अल्लाह तआला की बन्दगी करो और तागूत की बन्दगी से बचो। इसी को तौहीद कहते हैं। इस आयत के पहले हिस्से"उबुदुल्लाह" में तौहीद का इकरार, जबकि "वजतनीबुत्तागुत" में शिर्क का इनकार है।

तागूतः यह "फअलूत" के वजन पर मसदर "अत्तुगयान" से बना है।

हर वो माबूद, मतबूअ या मुताअ चीज जिसे इन्सान उसकी हद से बढ़ा दे उसे "तागूत" कहते हैं।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद हैः

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا﴾ (الإسراء١٧/٢٣)

"और तेरे रब ने फैसला कर दिया है कि तुम सिर्फ उसी (अल्लाह) की बन्दगी करो और मां-बाप के साथ अच्छा सलूक करो।" (सूरह बनी इस्राइल पारा 15, आ.23)

{इस आयत में फैसले के मायने हुक्म और वसीयत हैं यानी उसने तुम्हें इस बात का हुक्म दिया और वसीयत की है कि तुम उसके अलावा किसी की इबादत ना करो। कलमा-ए-तौहीद "ला इलाहा इल्ललाहु" (कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं) का भी बिलकुल यही मतलब है। यह आयत तौहीद के मतलब को पूरी तरह साफ कर रही है कि सिर्फ

अल्लाह तआला की इबादत करना और कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाहु" को अच्छी तरह समझकर मानना ही असल तौहीद है।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (النساء٤/٣٦)

तर्जुमाः और तुम सब अल्लाह की बन्दगी करो और उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराओ।" (सूरह निसा पा.5, आ.36)

{यह आयत शिर्क की तमाम किस्मों से बचने पर दलालत करती है, चाहे वो बड़ा शिर्क हो, छोटा शिर्क हो या छुपा शिर्क।

निज इस आयत से मालूम होता है कि किसी फरिश्ते, नबी, नेक आदमी, पत्थर, दरख्त या जिन्न वगैरह को अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराने की बिलकुल इजाजत नहीं, क्योंकि यह सब चीजें हैं।}

एक और मुकाम पर अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ﴾ (الأنعام٦/١٥١)

"(ऐ मुहम्मद सल्ल.) कह दीजिए कि आवों मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊं जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। (वो) यह कि तुम उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराओ। "(सूरह अनआम पारा 8, आ.151)

{आयते मुबारका में "अल्ला तुशरीकु बिहि शयअन" से पहले "वस्साकुम" छुपा हुआ है। जिसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला ने तुम्हें वसीयत की यानी हुक्म दिया है कि तुम उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराओ। यहां वसीअत से शरई वसीअत मुराद है। अल्लाह तआला

की शरई वसीयत का मतलब यह होता है कि वो हुक्म वाजिब और जरूरी है। यह आयत भी पहले गुजर चुकी आयतों की तरह तौहीद के मतलब पर दलालत करती है।}

अब्दुल्लाह बिन मसउद रजि. कहते हैं जो शख्स मुहम्मद सल्ल. की सरे बमुहर (बन्द करके मुहर लगायी हुई) वसीयत देखना चाहता हो, वो अल्लाह तआला का यह फरमान पढ़ ले:

﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٥٣﴾ ﴾ (الأنعام٦/ ١٥١-١٥٣، جامع الترمذي، التفسير، تفسير سورة الأنعام، ح: ٣٠٧٠)

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) कह दीजिए कि आओ मैं तुम्हें वो चीजें पढ़कर सुनाऊँ जो तुम्हारे रब ने तुम पर हराम की हैं। वो यह कि:

1. तुम उसके साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराओ।
2. अपने मां-बाप के साथ अच्छा सलूक करो।
3. अपनी औलाद को गरीबी के डर से कत्ल ना करो, क्योंकि तुम्हें

भी और उनको भी रिज्क हम ही देते हैं

4. बेहयाई के काम सामने हो या छुपे, तुम उनके करीब भी ना भटको।
5. और जिसे कत्ल करना अल्लाह तआला ने हराम ठहराया है, उसे कत्ल ना करो मगर हक और जाइज तरीके से। उस (अल्लाह) ने तुम्हें इन बातों की वसीयत (हिदायत) की है ताकि तुम अकल से काम लो।
6. और तुम यतीमों के माल के करीब भी ना जाओ। मगर ऐसे तरीके से जो बहुत अच्छा और पसन्दीदा हो, यहां तक कि वो (यतीम) अपनी जवानी की उम्र को पहुंच जाये।
7. और इन्साफ के साथ नाप-तौल पूरा करो, हम किसी जान को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ नहीं देते।
8. और जब बात करो तो इन्साफ की कहो, चाहे वो मामला अपने रिश्तेदारी का हो (यानी किसी एक की तरफ झुकाव से काम ना लो)
9. और अल्लाह तआला के वादे को पूरा करो। उस अल्लाह ने तुम्हें इन बातों की वसीअत की है ताकि तुम याद रखो।
10. और बेशक यह मेरा सीधा रास्ता है। तुम इसी पर चलो। इसे छोड़कर दूसरी राहों पर मत चलो, वो तुम्हें अल्लाह की राह से दूर कर देंगी। उस (अल्लाह) ने तुम्हें इन बातों की वसीयत (हिदायत) की है ताकि तुम अल्लाह से डरने वाले बन जाओ।

{इब्ने मसऊद रजि. के फरमान का मतलब यह है कि अगर फर्ज कर लिया जाये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई वसीयत लिख कर उस पर अपनी मुहर लगायी जिसे आपकी वफात और अल्लाह के पास चले जाने के बाद खोला गया तो आपकी वसीयत यही आयतें होंगी जिनमें यह 10 वसीयते हैं।

इब्ने मसऊद रजि. की यह हदीस उन आयतों की बड़ाई और

ऊँची शान पर दलालत करती है, जिसकी शुरूआत शिर्क की मनाही से हुई है। इससे साबित हुआ कि तौहीद का मानना और शिर्क से इन्कार तमाम कामों से पहले और जरूरी है।}

हजरत मुआज बिन जबल रजि. फरमाते हैं:

«كُنْتُ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى حِمَارٍ فَقَالَ لِي: يَا مُعَاذُ! أَتَدْرِي مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ؟ قُلْتُ: اَللهُ

وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَفَلاَ أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ: لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا»(صحيح البخاري، الجهاد والسير، باب اسم الفرس والحمار، ح:٢٨٥٦، ٥٩٦٧، ٦٢٦٧ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، ح: ٣٠)

एक बार मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे गधे पर सवार था कि आपने मुझ से फरमायाः ऐ मुआज (रजि.)! क्या तुम जानते हो अल्लाह का बन्दों पर और बन्दों का अल्लाह पर क्या हक है? मैंने कहा, "अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमायाः "अल्लाह का बन्दों पर यह हक है कि वो सिर्फ उसी की इबादत (बन्दगी) करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहरायें, और बन्दों का भी अल्लाह के जिम्मे यह हक है कि जो बन्दा शिर्क का करने वाला ना हो वो उसे अजाब ना दे।" (मुआज रजि. कहते हैं) मैंने कहाः या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम! (इजाजत हो तो) लोगों को यह खुशखबरी सुना दूं? आपने फरमायाः नहीं ऐसा ना हो कि वो इसी पर भरोसा करके बैठ जायें (और अमल करना छोड़ दें)।"

{सिर्फ अल्लाह तआला की इबादत (बन्दगी) करना और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराना, अल्लाह तआला का हक है जो बन्दों पर जरूरी है, क्योंकि किताबो सुन्नत ही नहीं बल्कि तमाम रसूलों ने अल्लाह तआला के इस हक को बयान और खूब वाजेह किया है कि अल्लाह तआला के तमाम हकों में से यह हक बन्दों पर सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके बाद आप ने फरमाया "अल्लाह तआला के जिम्मे बन्दों का यह हक है कि जो बन्दा उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराये तो वो उसे अजाब ना दे।"

अहले इल्म इस बात पर इक्ट्ठे हैं कि बन्दों के लिए अल्लाह तआला ने यह हक अपने ऊपर खुद-ब-खुद जरूरी किया है वरना कोई हस्ती या शख्सीयत ऐसी नहीं जो अल्लाह तआला पर किसी चीज को जरूरी कर सके।

अल्लाह तआला हिकमत के ऐतबार से जिस चीज को चाहे अपने ऊपर वाजिब या हराम कर लेता है। जैसा कि एक हदीसे कुदसी में है कि "मैं (अल्लाह तआला) ने जुल्म को अपने ऊपर हराम कर रखा है।" यानी मैं किसी पर जुल्म नहीं करता।}

मसाईल

1. जिन्न और इन्सान की पैदाईश में अल्लाह तआला की हिकमत (मकसद) कार फरमा है।
2. दरअसल इबादत से मुराद तौहीद है, क्योंकि सारे अम्बिया और उनकी उम्मतों के बीच यही बात झगड़े का सबब थी।
3. जिसने तौहीद को नहीं अपनाया, उसने अल्लाह तआला की इबादत (बन्दगी) की ही नहीं।

   "सूरह काफिरून" की आयत

   वला अनतुम आबिदुना माअबुद (3) अलकाफिरून

   तर्जुमाः "और जिनकी तुम इबादत करते हो, मैं उनकी

इबादत करने वाला नहीं हूँ" का भी यही मतलब है।

4. अम्बिया और रसूलों को भेजने की हिकमत का भी पता चलता है।
5. अल्लाह तआला की तरफ से हर उम्मत की हिदायत के लिए रसूल भेजे गये।
6. तमाम अम्बिया का दीन यानी उनकी दावत का असल और खास नुकता सिर्फ तौहीद था।
7. इससे यह एक अहम मसला भी मालूम हुआ कि तागूत का कुफ्र और उसका इनकार किये बगैर अल्लाह की बन्दगी मुमकिन ही नहीं।

   फमय्यकफुर बित्तागुति वयुमिम बिल्लाह (अलबकरा 2/256) का यही मतलब है।
8. "तागूत" हर उस चीज को कहते हैं, जिसकी अल्लाह तआला के सिवा इबादत की जाये।
9. यह भी मालूम हुआ कि सहाबा-ए-इकराम के नजदीक सूरह अनआम की मजकूरा तीन मोहकम आयात की किस कद्र अहमियत और अजमत थी। इनमें अल्लाह तआला की तरफ से बन्दों को दस हुक्म और हिदायात दिये गये हैं। इनमें सबसे पहली हिदायत "शिर्क से मनाही" की है।
10. सूरह बनी इस्राईल की मुहक्कम आयात में अट्ठारह मसाईल बयान हुए हैं जिनकी शुरूआत इन अलफाज में हुआ है:

    ला तजअल मअल्लाहे इलाहन आखरा फतकउदा मजमुमम मखजूला (इसरा 17/22)

    तर्जुमा: "कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ वरना जलील और बेयारो मददगार होकर बैठे रहोगे।"

    यानी इन मसाईल में सबसे पहले तौहीद का बयान है और सबसे आखिर में भी तौहीद का ही जिक्र है।

    वला तजअल मअल्लाहे इलाहन आखरा फ-तुलका फी-जहन्न-म

मलूमम मदहूरा (इसरा 17/39)

तर्जुमाः "और अल्लाह के साथ किसी दूसरे को माबूद ना बना लेना वरना तू मलामतजदा और रान्द-ए- दरगाह हो कर जहन्नम में डाल दिया जायेगा।"

अल्लाह तआला ने इन मसाईल की अहमियत पर खबरदार करते हुए आखिर में फरमायाः

जालिका मिम्मा अवहा इलैका रब्बुका मिनलहिकमा (इसरा 17/39)

तर्जुमाः यह समझदारी की उन बातों में से हैं जो आपके रब ने आपकी तरफ वह्य की हैं।

11. सूरह निसा की वो आयत जो हकूके अशरा वाली आयत कहलाती है, इसमें अल्लाह ने फरमायाः
    वअबुदुल्लाह वलातुशरिकु बिहि शयआ" (निसा 4/36)
    तर्जुमाः "और अल्लाह तआला की बन्दगी करो और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ।"
12. इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वसीयत की तरफ भी ध्यान दिलाया गया है जो आपने मौत के वक्त फरमायी थी।
13. बन्दों के जिम्मे अल्लाह तआला का क्या हक़ है?
14. जब बन्दे अल्लाह तआला का हक़ अदा करें तो अल्लाह तआला पर उनका क्या हक़ है?
15. हदीस से यह भी पता चलता है कि इस (हदीस मुआज रजि) में मजकूरा मसले का बहुत से सहाबा को इल्म न था।
16. किसी वजह को सामने रखते हुए कितमाने इल्म (इल्म को छुपाना) जाइज है।
17. किसी मुसलमान को खुशखबरी देना जाइज है।
18. अल्लाह तआला की रहमत पर भरोसा करके अमल छोड़ना

जाइज नहीं।

19. यह भी मालूम हुआ कि जिससे कोई बात पूछी जाये और वो ना जानता हो तो यूं कह देना चाहिए "अल्लाहु वर्रसूलहु आलमु" कि "अल्लाह तआला अैर उसका रसूल ही बेहतर जानते है।"
20. किसी को इल्म सिखाना और किसी को न सिखाना जाइज़ है।
21. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हद से ज्यादा सादगी पसन्द करने वाले थे कि आप जलीलुल कद्र होने के बावजूद गधे पर ना सिर्फ सवार हुए बल्कि दूसरे आदमी को भी अपने साथ सवार कर लिया।
22. सवारी पर अपने पीछे दूसरे को सवार कर लेना जाइज है।
23. हजरत मुआज बिन जबल रजि. की बड़ाई भी वाजेह (साफ) होती है।
24. मसला-ए-तौहीद की जरूरत और बड़ाई पर भी खूब रोशनी पड़ती है।

बाब-1

तौहीद की बड़ाई और उससे गुनाहों के मिटने का बयान

{यानी जो बन्दा तौहीद के इकरार व ऐतराफ में जिस कद्र मजबूत हो वो उसी कद्र जन्नत में दाखिल होने का हकदार होता है। उसके आमाल चाहे कैसे ही हों। इसलिए इमाम मुहम्मद रह. ने सूरह अनआम की यह आयात बयान की है।}

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَلَمْ يَلْبِسُوٓا۟ إِيمَـٰنَهُم بِظُلْمٍ أُو۟لَـٰٓئِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ ﴿٨٢﴾﴾ (الأنعام٦/ ٨٢)

तर्जुमाः "जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अपने ईमान को जुल्म (शिर्क) से नहीं मिलाया, उन ही के लिए अमन है और वही सीधे रास्ते पर हैं।"

{जुल्म का मायनाः इस आयत में 'जुल्म' से मुराद शिर्क है। जैसा कि अब्दुल्लाह बिन मसउद रजि. से मरवी है कि सहाबा किराम रजि. ने इस आयत को अपने लिए अजीम (बोझ और मुश्किल) समझा तो उन्होंने अर्ज कियाः ऐ अल्लाह के रसूल! हममें से कौन है जिसने अपने ऊपर जुल्म ना किया हो? आपने फरमायाः "इसका वो मतलब नहीं जो तुम समझते हो बल्कि यहां 'जुल्म' से मुराद 'शिर्क' है। क्या तुम ने अल्लाह के नेक बन्दे (हजरत लुकमान) का यह कौल नहीं सुना। "बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म यानी गुनाह है" (लुकमान 13/31) (हदीस बुखारी 'अत्तफसीर' बाबो लातुशरीक बिल्लाह इन्नशिरका... हदीसः 4776)

लिहाजा इस बाब की मुनासिबत से आयत का तर्जुमा यूं हुआ कि: "जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अपने ईमान को शिर्क से खलत-मलत नहीं किया, उन ही के लिए पूरा अमन है और वही सीधे रास्ते पर हैं।"

पस जो शख्स ईमान लाया यानी उसने तौहीद इख्तेयार की और उसने अपने ईमान को जुल्म से यानी अकीदा-ए-तौहीद को शिर्क से नहीं मिलाया। उसके लिए पूरा अमन और पूरी हिदायत है। लिंहाजा बन्दा जिस कद्र जुल्म यानी शिर्क का करने वाला होकर तौहीद में कमी पैदा कर लेगा, उससे उसी कद्र अमन और हिदायत खत्म हो जायेगी। }

उबादा बिन सामित रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسٰى عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلٰى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ»(صحيح البخاري، أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم﴾ ح:٣٤٣٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا، ح:٢٨)

जो शख्स इस बात की गवाही दे कि:

- अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं
- और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बन्दे और रसूल हैं।
- और ईसा अलैहि. भी अल्लाह के बन्दे, उसके रसूल और उसका कलमा हैं जो उसने सैयदा मरयम अलैहि. की तरफ डाला था और उसी की तरफ से भेजी हुई रूह हैं।
- और यह कि जन्नत बरहक है और जहन्नम (भी) बरहक है।

तो ऐसे शख्स को अल्लाह तआला (बहरहाल) जन्नत में दाखिल करेगा चाहे उसके काम कैसे ही हों।"

{यानी वो शख्स अमली तौर पर कितना ही कमतर क्यों ना हो और उसके नामा-ए-आमाल में कितने ही गुनाह क्यों ना हों। अल्लाह तआला उसे आखिरकार जन्नत में जरूर दाखिल करेगा। यह तौहीद वालों के लिए तौहीद के नतीजों में से एक नतीजा है।}

और बुखारी और मुस्लिम ही में इतबान रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذٰلِكَ وَجْهَ اللهِ»(صحيح البخاري، الصلاة، باب المساجد في البيوت، ح:٤٢٥، الرقاق، باب العمل الذي يبتغي به وجه الله، ح:٦٤٢٣ وصحيح مسلم، المساجد، الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر، ح:٢٦٣/٣٣)

तर्जुमा: " जो शख्स महज अल्लाह की खुशी हासिल करने की नियत से "ला इलाहा इल्लल्लाहु" का इकरार करे, अल्लाह तआला उस पर दोजख हराम कर देता है।

{यही अल्फाज "ला इलाहा इल्लल्लाहु" कलमा-ए-तौहीद है। इस कलमा को अल्लाह तआला की खुशनुदी के लिए जुबान से अदा करने और इसका दिली तौर पर इकरार करने वाला शख्स जब इसकी शर्तो और कामों को सही तौर पर अपना लें तो अल्लाह तआला वादे के मुताबिक उस बन्दे पर जहन्नम को हराम कर देता है। यह उसका बहुत बड़ा अहसान है। अलबत्ता जो शख्स तौहीद का इकरार करे, और शिर्क से बच कर रहे मगर इन्सान होने के नाते उससे कुछ गुनाह भी सरजद हो गये हों और वो तौबा किये बगैर मर जाये तो उसका मामला अल्लाह तआला के हवाले है। वो चाहे तो गुनाहों के बदले में अजाब देने के बाद

उसे जहन्नम से रिहाई दे या माफ कर दे और उस पर शुरू ही से जहन्नम को हराम कर दे।}

अबू सईद खुदरी रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«قَالَ مُوسٰى عَلَيْهِ السَّلاَمُ: يَارَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَذْكُرُكَ وَأَدْعُوكَ بِهِ، قَالَ: قُلْ يَامُوسٰى! لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ: كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُونَ هٰذَا، قَالَ: يَامُوسٰى! لَوْ أَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرَهُنَّ غَيْرِي وَالأَرَضِينَ السَّبْعَ فِي كِفَّةٍ، وَلاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فِي كِفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ»(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح:٢٣٢٤ والمستدرك للحاكم: ١/٥٢٨ ومسند أبي يعلى الموصلي، ح:١٣٩٣)

''मूसा अलैहि. ने अल्लाह तआला से अर्ज किया ऐ मेरे परवरदीगार! मुझे कोई ऐसी चीज बतायें जिसके जरीये मैं तेरा जिक्र किया करूं और तुझे पुकारा करूं। अल्लाह तआला ने फरमाया: ऐ मूसा! ''ला इलाहा इल्लल्लाहु'' पढ़ा करो। मूसा अलैहि. ने अर्ज किया' ऐ मेरे रब! यह कलमा तो तेरे सब बन्दे पढ़ते और कहते हैं। (मुझे कोई खसूसी वजीफा बताया जाये) तो अल्लाह तआला ने फरमाया: ऐ मूसा! अगर सातों आसमान और उनकी मख्लूक मेरे अलावा और सातों जमीनें तराजू के एक पलड़े में हों और ''ला इलाहा इल्लल्लाहु'' दूसरे पलड़े में हो तो यह कलमा इन सबसे वजनी होगा।'' (इमाम हाकिम ने इसे सही कहा है।)

{वजह दलील: इस हदीस से वजह दलील यह है कि बिलफर्ज किसी बन्दे के गुनाह सात आसमानों, सात जमीनों और उनके बीच मौजूद तमाम इन्सानों और फरिश्तों के वजन से भी बढ़कर हों तो कलमा-ए-तौहीद ''ला इलाहा इल्लल्लाहु'' इन तमाम गुनाहों से ज्यादा वजनी और

बोझिल होगा। वो हदीस जिसमें "ला इलाहा इल्लल्लाहु" वाले परचे का पहाड़ों जैसे गुनाहों के मुकाबले में झूक जाने का बयान है और पैशे नजर बाब में मजकूरा हदीस अनस रजि. भी इसी मतलब पर दलालत करती है। कलमा-ए-तौहीद की यह बहुत बड़ी बड़ाई उसी के लिए है। जिसके दिल में यह कलमा खूब जम चुका हो और वो सच्चे दिल से इसका इकरार और ऐतराफ भी करता हो, इस कलमे के तकाजों को अच्छी तरह जानने, समझने और उनकी तसदीक के साथ साथ उनका दिली तौर पर ऐतकाद भी रखता हो, और उसके कामों से उसे दिली मुहब्बत भी हो क्रि उसका हकीकी असर और उसका नूर उसके दिल पर खूब असर अन्दाज भी हो। पस जिस शख्स का कलमा-ए-तौहीद इस मअयार (कसौटी) का होगा तो उसकी बरकत से उसके तमाम गुनाह "जल" (मिट) जायेंगे।}

जामेअ तिरमजी में हसन सन्द के साथ अनस रजि. से रिवायत है, कहते हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुनाः

«قَالَ اللهُ تَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ! لَوْ أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا، ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا، لأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً»(جامع الترمذي، الدعوات، باب ياابن آدم إنك ما دعوتني، ح: ٣٥٤٠)

"अल्लाह तआला फरमाते हैं: ऐ आदम के बेटे! अगर तू मेरे पास जमीन भर गुनाह करके आये, फिर तू इस हाल में मुझसे मिले कि तू मेरे साथ किसी भी चीज को शरीक ना ठहराता हो तो मैं उसी कद्र मगफिरत व बख्शीश लेकर तेरे पास आऊंगा।"

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. इन अहादीस से मालम हुआ कि अल्लाह तआला का फजल बहुत बड़ा है।

2. अल्लाह तआला के यहां तौहीद का सवाब बहुत ज्यादा है।
3. तौहीद का अकीदा सवाब के साथ साथ गुनाहों के मिटाने का सबब भी है।
4. सूरह अनआम की आयत 82 की तफसीर भी वाजेह हुई है कि इसमें "जुल्म" से मुराद "शिर्क" है।
5. हदीस उबादा में जो पांच बातें हैं उन पर गौर किया जाये कि इनमें सबसे पहले शिर्क न करना है।
6. हदीस उबादा, हदीस इतबान और उसके बाद वाली बयान की हुई हदीसों को जमा किया जाये तो कलमा-ए-तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाहु" का मतलब खुलकर सामने आता है। और जो लोग इस धोके में हैं कि सिर्फ जुबान से कलमा-ए-तौहीद का इकरार बचाव के लिए काफी है, उनकी गलती भी साफ होती है।
7. हदीस इतबान में बयान की हुई शर्त भी ध्यान देने के काबिल है कि कलमा पढ़ने वाले ने अल्लाह तआला की खुशी के लिए कलमा पढ़ा हो।
8. अम्बिया किराम भी इस कलमें की जरूरत व बड़ाई को जानने के मोहताज थे।
9. यह बात भी काबिले गौर है कि अगरचे "ला इलाहा इल्लल्लाहु" तमाम आसमानों और जमीनों से वजनी है, उसके बावजूद बहुत से कलमा पढ़ने वाले लोगों के पलड़े हल्के होंगे।
10. यह भी खुलासा है कि आसमानों की तरह जमीनें भी सात हैं।
11. आसमानों और जमीनों में अल्लाह तआला की मख्लूक आबाद है।
12. अल्लाह तआला की बहुत सी खूबियाँ हैं जबकि फिरका-ए-अशअरी अल्लाह तआला की बाज खूबियों का इन्कार करते हैं।
13. हदीस अनस पर गौर करें तो समझ में आता है कि हदीस

इतबान "जो शख्स अल्लाह की खुशी की खातिर कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाहु" का इकरार करे तो अल्लाह तआला उस पर जहन्नम हराम कर देता है।" से मुराद शिर्क को बिलकुल छोड़ देना है। सिर्फ जुबान से कलमा पढ़ लेना बचाव के लिए काफी नहीं।

14. जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब ईसा अलैहि. दोनों अल्लाह तआला के बन्दे और रसूल हैं।
15. हर चीज अल्लाह तआला के हुक्म से पैदा होने की बिना पर इसका कलमा है, ताहम यहां खसूसी तौर पर ईसा अलैहि. को अल्लाह तआला का कलमा कहा गया है।
16. ईसा अलैहि. को खसूसी तौर पर अल्लाह की रूह कहा गया है।
17. इन अहादीस से जन्नत और जहन्नम पर ईमान लाने की जरूरत और बड़ाई भी मालूम हुई।
18. इस तफसील से हदीस उबादा में "आ माकाना मिनल अमल" (चाहे उसके आमाल कैसे ही हों) का मतलब भी फिक्स हो जाता है कि जन्नत में जाने के लिए तौहीद वाला यानी एक अल्लाह का मानने वाला होना शर्त है।
19. कयामत के दिन कामों का वजन करने के लिए जो तराजू रखी जायेगी, उसके भी दो पलड़ें होंगे।
20. हदीस में अल्लाह तआला के लिए "वजहुन" का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जिसका मायना "चेहरा" है। यानी अल्लाह तआला की इस सिफ्त (चेहरा) पर ईमान लाना भी जरूरी है। अलबत्ता "लइसा कमिसलिही शईउन" (उस जैसी कोई चीज नहीं) की रूह से हम इसकी हालत समझने और बयान करने से बेबस हैं।

बाब: 2

तौहीद के तमाम तकाजों (नियमों) को पूरा करने वाला शख्स बिना हिसाब जन्नत में जायेगा।

{पिछले बाब में तौहीद की बड़ाई बयान हुई थी। यह बाब उससे भी बढ़कर है। क्योंकि तौहीद की बड़ाई में तो तमाम मुसलमान शरीक हैं। लेकिन मुसलमानों में से पसन्दीदा लोग वही हैं जिन्होंने तौहीद के कामों को पूरा किया। और तौहीद के कामों का पूरा करना ही इस बाब का मकसद है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ إِنَّ إِبْرَٰهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٢٠﴾ ﴾

(النحل١٦/ ١٢٠)

"बेशक इब्राहिम (अलैहि.) लोगों के पैशवा, अल्लाह के ताबेअ फरमान और यकसू थे और वो मुश्रिकीन में से ना थे।"(सूरह नहल पारा 14, आ.120)

{इस आयत से साबित हो रहा है कि सैयदना इब्राहिम अलैहि. तौहीद के कामों को पूरा करने वाले थे।

वजह दलील: इस आयत से यह है कि अल्लाह तआला ने सैयदना इब्राहिम अलैहि. की अलग अलग खुबियाँ बयान की है।

(अ) यह कि अल्लाह तआला ने उन्हें "उम्मत" करार दिया है। जब किसी अकेले आदमी को "उम्मत" कहा जाये तो उससे ऐसा ईमाम और लीडर मुराद होता है, जो तमाम इन्सानी खूबियों व कमालात और सारी अच्छी खूबियों का मालिक हों इसका मतलब

है कि कोई ऐसी अच्छी खूबी नहीं जो इब्राहिम अलैहि. में ना थी। तौहीद के तकाजों को पूरा करने का भी यही मतलब है।

(ब) इस आयत में अल्लाह तआला ने इब्राहिम अलैहि. को ''कानेतल लिल्लाह'' यानी अपना पूरा फरमांदार करार दिया है। इससे साबित होता है कि वो अल्लाह तआला की हमेशा इबादत करने वाले और अकीदा-ए-तौहीद के एक एक काम को पूरा करने वाले थे।

(स) निज अल्लाह तआला ने इब्राहिम अलैहि. की एक खूबी ''हनीफ'' भी बयान की है। यानी वो मुश्रिकीन के गलत अकाईद व नजरियात और उनके तौर तरीक़े से पूरे तौर पर अलग और अल्लाह तआला की तरफ यकसू थे। क्योंकि मुश्रिकीन के नजरियात शिर्क व बिदअत और नाफरमानी से भरे हुए थे और उनमें अल्लाह तआला की तरफ पलटना, ध्यान देना और तौबा करने के नाम को भी ना थे।

(द) निज अल्लाह तआला ने फरमाया कि इब्राहिम अलैहि. मुश्रिकीन में से ना थे। यानी वो किसी भी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। बल्कि वो इससे दूर रहते थे और उनका मुश्रिकीन से कोई ताल्लुक ना था। मुसन्निफ (शैख़ मुहम्मद रह.) के दिमाग में यह तमाम मायने मौजूद थे, इसलिए उन्होंने पैशे नजर बाब में इस आयत का जिक्र किया है।}

निज अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾ ﴾ (المؤمنون٢٣/٥٩)

''(और अहले ईमान वो हैं) जो अपने रब के साथ (किसी को) शरीक नहीं ठहराते थे।'' (सूरह मौमिनून पारा 18, आ.59)

{इस आयत में भी शिर्क की मनाही और इनकार है। क्योंकि कायदा है कि जब फअल मुजारेअ (युशरिकून) पर हरफे नफी (ला) आये तो इससे

उस फअल के मसदर की आम तौर पर नफी करना मुराद होती है। गौया अल्लाह तआला ने फरमाया, यह वो लोग हैं जो अपने रब के साथ बड़ा शिर्क करते हैं, ना छोटा शिर्क और ना छुपा शिर्क। यानी यह अल्लाह तआला के साथ किसी किस्म का शिर्क नहीं करते। जो शख्स शिर्क ना करे वो मौहिद (तौहीदपरस्त) होता है। अहले इल्म फरमाते हैं कि इस आयत में "बि रब्बिहिम" को पहले इसलिए जिक्र किया गया है कि रूबूबियत (रब होना) उबूदियत (बन्दगी) को लाजिम है और उन्हीं लोगों की खूबी है जिन्होंने तौहीद के तमाम कामों को पुरा किया है। शिर्क ना करने का एक मतलब यह भी है कि इन्सान अपनी ख्वाहिशात को भी अल्लाह का शरीक ना बनाये। क्योंकि जो शख्स ख्वाहिशाते नफ्स को अल्लाह तआला का शरीक बना लेता है, वो बिदआत पर अमल करने लगता है, या कम से कम गुनाह का करने वाला जरूरी होता है। लिहाजा शिर्क की मनाही से शिर्क की तमाम किस्में निज बिदअत और गुनाह की भी मनाही हो जाती है। अल्लाह तआला की तौहीद के कामों को पूरा करने का यही मतलब है।}

हुसैन बिन अब्दुर्रहमान रह. कहते हैं कि मैं एक बार सईद बिन जुबैर रह. की खिदमत में हाजिर था कि उन्होंने कहाः तुम में से किसी ने रात को टूटता हुआ तारा देखा था? मैंने कहा, जी हाँ! मैंने देखा था। फिर साथ ही यह भी कह दिया कि मैं उस वक्त नमाज नहीं पढ़ रहा था, बल्कि मुझे किसी जहरीली चीज ने डस लिया था।

सईद बिन जुबैर रह. ने पूछा तो फिर तुमने क्या कहा? मैंने बताया कि मैंने दम कर लिया था।

उन्होंने फिर पूछाः तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा कि हमें शअबी ने एक हदीस बयान की है, उसकी बिना पर मैंने दम कर लिया। उन्होंने फिर पूछाः शअबी ने तुम्हें कौनसी हदीस सुनाई है? मैंने जवाब दिया कि उन्होंने बरीदा बिन हसीब रजि. से मरवी एक हदीस बयान की है।

«لاَ رُقْيَةَ إِلاَّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ»(مسند أحمد: ١/ ٢٧١)

''नजरबद और किसी जहरीली चीज के डसने के सिवा किसी और सूरत में दम (जाईज) नहीं।''(मुसनद अहमद, जिल्द 1, सफा 271)

यह सुनकर सईद बिन जुबैर रह. ने फरमाया: जिसने जो सुना और फिर उस पर अमल किया, उसने बहुत ही अच्छा किया, अलबत्ता हमें इब्ने अब्बास रजि. ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाई है, आप ने फरमाया:

«عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمَمُ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ، وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمَّتِي، فَقِيلَ لِي: هٰذَا مُوسٰى وَقَوْمُهُ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ عَظِيمٌ، فَقِيلَ لِي: هٰذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَّلاَ عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِي أُولٰئِكَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِاللهِ شَيْئًا، وَذَكَرُوا أَشْيَاءَ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: هُمُ الَّذِينَ لاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَكْتَوُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: أَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: اُدْعُ اللهَ أَنْ يَّجْعَلَنِي مِنْهُمْ، فَقَالَ: سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ»(صحيح البخاري، الطب، باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ح:٥٧٠٥، ٥٧٥٢ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة، ح:٢٢٠، واللفظ له)

''मेरे सामने बहुत सी उम्मते पैश की गयीं। मैंने देखा कि किसी नबी

के साथ तो बहुत बड़ी जमाअत है और किसी के साथ एक दो आदमी हैं। और मैंने एक नबी ऐसा भी देखा जिसके साथ एक भी उम्मती ना था, इसी असना में मेरे सामने एक बहुत बड़ी जमाअत पैश हुई। मैंने समझा कि यह मेरी उम्मत है। लेकिन मुझे बताया गया कि यह मूसा अलैहि. और उनकी उम्मत है। फिर मैंने एक और बहुत बड़ी जमाअत देखी। मुझे बताया गया कि यह आप की उम्मत है। इनमें से सत्तर हजार आदमी बगैर हिसाब और अजाब के जन्नत में जायेंगे। इतना फरमाने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर घर तशरीफ ले गये और सहाबा किराम रजि. उन खुश नसीब सत्तर हजार आदमियों के बारे में अटकलें लगाने लगे। बाज ने कहा शायद यह वो लोग हों जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत से फायदामन्द हुए और बाज ने कहा, शायद यह वो लोग हों जो इस्लाम के ज़माने में पैदा हुए और उन्होंने अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक ना ठहराया। इसके अलावा भी उन्होंने कुछ बातें कहीं। इतने में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आये तो सहाबा किराम रजि. ने आपको अपनी बातचीत और अटकलों से खबरदार किया तो आप ने फरमाया: यह वो लोग हैं जो न दम कराते हैं ना इलाज की गर्ज से अपने जिस्म को दागते हैं और ना फाल निकालते हैं। बल्कि वो सिर्फ अपने परवरदीगार ही पर भरोसा करते हैं।'' यह सुनकर उक्काशा बिन मेहसन रजि. खड़े हुए और अर्ज की, ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! दुआ फरमाइये कि अल्लाह तआला मुझे उन लोगों में से बनाये। आपने फरमाया ''तू उनमें से है।'' इसके बाद एक और शख्स खड़ा हुआ। उसने भी दरख्वास्त की: ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! मेरे लिए भी दुआ फरमाइए कि अल्लाह तआला मुझे भी उनमें से बनाये। आपने फरमाया ''इस दुआ में उक्काशा तुम पर बाजी ले गया।''

{इस हदीस का यह मतलब बिलकुल नहीं है कि तौहीदपरस्त असबाब इख्तेयार करने से इनकार करने वाले हैं या वो असबाब को बिलकुल इख्तेयार नहीं करते। जैसाकि बाज लोगों को गलतफहमी हुई और उन्होंने इस हदीस से यह मतलब निकाला कि तौहीद का आला दर्जा यह है कि इन्सान कोई जरीया या सबब इख्तेयार ही ना करे और बीमार होने की सूरत में कोई दवा भी इस्तेमाल ना करे। यह मतलब सरासर गलत है। क्योंकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दम किया गया, और आप खुद भी दम किया करते थे, आपने खुद भी इलाज मुआलजा किया और उम्मत को इलाज करवाने और दवा इस्तअमाल करने की इजाजत दी। निज आपने एक सहाबी को जख्म दागने का भी हुक्म दिया। लिहाजा इस हदीस का यह मतलब बिलकुल नहीं है कि बगैर हिसाब जन्नत में जाने वाले लोग असबाब इख्तेयार नहीं करते या वो इलाज मुआलजा नहीं करते। बल्कि इस हदीस में इन तीन उमूर (दम कराने, दागने और फाल निकालने का खास तौर से इसलिए जिक्र किया गया है कि आम तौर पर इन्सान का दिल दम करने वाले या दागने वाले की तरफ या फाल निकालने की तरफ मुतवज्जा रहता है। जिससे अल्लाह तआला पर भरोसे में कमी आ जाती है। वाजेह रहे कि इलाज मुआलजा करना जाइज है। इसकी अलग अलग सूरतें हो सकती हैं, यह कभी तो वाजिब होता है और कभी महज मुस्तहब और बसा औकात इलाज मुआलजा करना जाइज ही होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है:

'' अल्लाह के बन्दो। इलाज मुआलजा किया करो, अलबत्ता हराम चीजों को दवा के तौर पर इस्तेमाल ना करो।''}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. तौहीद के बारे में लोगों के दर्जे व मरतबे अलग अलग हैं।
2. तौहीद के काम पूरे करने का मतलब भी साफ हुआ।
3. अल्लाह तआला ने सैयदना इब्राहिम की बड़ाई में फरमायाः वो मुश्रिकीन में से ना थे।''

4. अल्लाह तआला ने इस बात पर औलिया किराम की भी बड़ाई फरमायी है कि वो शिर्क से नाखुश होते हैं।
5. दम और जिस्म दागने के तरीके इलाज को तर्क करना, तौहीद के तकाजों को पूरा करना है।
6. इन खुबियों का इहाता करना ही दरहकीकत भरोसा है।
7. सहाबा किराम रजि. के इल्म की गहराई और उनकी हकीकत पसन्दी का भी पता चलता है। वो यह समझते थे कि बिना हिसाब जन्नत में जाने वालों को यह बुलन्द मकाम और मर्तबा महज कामों की बदौलत हासिल होगा।
8. यह भी वाजेह हुआ कि सहाबा किराम रजि. भलाई और नेकी के कामों पर किस कद्र लालची थे।
9. उम्मते मुहम्मदिया दरजात की बुलन्दी और तादाद की ज्यादती के लिहाज से तमाम उम्मतों से अच्छी और बरतर है।
10. मूसा अलैहि. और उनकी उम्मत की फजीलत भी वाजेह हो रही है।
11. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तमाम उम्मते पैश की गयीं।
12. हर उम्मत को अपने नबी के साथ अलग उठाया जायेगा।
13. अम्बिया की दावत को आम तौर पर बहुत थोड़े लोगों ने कबूल किया।
14. जिस नबी पर एक भी शख्स ईमान ना लाया वो कयामत के दिन अकेला ही आयेगा।
15. ज्यादा तादाद पर घमण्ड और कम तादाद पर परेशान नहीं होना चाहिए। क्योंकि कम या ज्यादा हक की कसौटी नहीं।
16. नजरबद और जहरीली चीज के डसने से दम करना जाइज है।
17. सईद बिन जुबैर रजि. के कौल ''कद अहसना मनिनताहा इला मा समिआ'' (जिसने अपने सुनने के मुताबिक अमल

किया उसने अच्छा किया) से सल्फ सालेहिन के इल्म की गहराई का पता चलता है। निज यह भी मालूम हुआ कि पहली हदीस दूसरी हदीस के खिलाफ नहीं।

18. सहाबा, बहुत ज्यादा तारीफ व सताईश से बचते थे।
19. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उक्काशा रजि. से फरमाया "तू उनमें से है"। आपका यह कौल आपकी सच्चाई और नबूवत के दलाईल में से एक दलील है।
20. उक्काशा रजि. की बड़ाई भी साबित होती है।
21. बवक्त जरूरत खुलासे के बजाये इशारा व कनाया में बातचीत करना जाइज है। आपने उक्काशा के बाद दूसरे आदमी से साफ नहीं फरमाया कि तू उनमें से नहीं बल्कि यह फरमाया कि "तुम पर उक्काशा सबकत ले गया। (तुमसे आगे बढ़ गया)"
22. उक्काशा रजि. के बाद दुआ की दरख्वास्त करने वाले दूसरे आदमी को बड़े अच्छे अन्दाज के साथ बैठा देने और खामोश करा देने से यह भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्तेहाई आला और अच्छे अखलाक के मालिक थे।

बाब : 3

शिर्क से डरने का बयान

{तौहीद वाले, तौहीद के काम पूरे करने के साथ साथ शिर्क से डरते रहते हैं और जो आदमी शिर्क से डरता हो, वो उसके मतलब और उसकी किस्मों को पहचान कर उससे बचने की हर मुमकिन कोशिश करता है। ताकि वो छोटे या बड़े किसी किस्म के शिर्क में दाखिल ना हो जाये।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾

(النساء٤/٤٨)

"बेशक अल्लाह उस (गुनाह) को नहीं बख्शेगा कि (किसी को) उसका शरीक ठहराया जाये और उसके अलावा वो दूसरे गुनाह जैसे चाहे माफ कर देगा।"(सूरह निसा पारा 5, आ.48)

{बाज अहले इल्म ने फरमाया है कि इस आयत में बड़ा शिर्क, छोटा शिर्क और छुपा शिर्क यानी तमाम शिर्क की किस्मों की मनाही की गयी है। शिर्क कोई सा भी हो, अल्लाह तआला उसे तौबा के बगैर माफ नहीं करेगा। इसलिए यह सबसे बड़ा गुनाह है। और इसकी वजह यह है कि अल्लाह तआला ही इस दुनिया का पैदा करने, रोजी देने वाला, सब कुछ अता फरमाने वाला और हर किस्म के ईनाम से नवाजने वाला है। तो इन्सान का दिल उसकी तरफ से हट करके गैरों की तरफ क्यों ध्यान दें? शैखुल इस्लाम इब्ने तेमिया, इब्ने कैय्यम, इमाम मुहम्मद रह. और अकसर औलमा-ए-दावते तौहीद का यही ख्याल है। चूंकि शिर्क अपनी तमाम अकसाम समेत माफी के काबिल नहीं है। इसलिए इस से बहुत ज्यादा डरना चाहिए।

दिखावा, गैर अल्लाह की कसम उठाना, गले में कोई चीज बतौर तावीज डालना, छल्ले पहनना, धागे बांधना या अल्लाह तआला की नैमतों को गैर अल्लाह की तरफ मनसूब करना यह सारे काम शिर्क होने की बिना पर नाकाबिले माफी हैं। लिहाजा इन तमाम कामों से और खास तौर पर बड़े शिर्क से डरते और बचकर रहना चाहिए। और चूंकि शिर्क इन्सान के दिल में पैदा होता है। इसलिए इन्सान को चाहिए कि वो शिर्क की तमाम किस्मों की खूब जानकारी रखे। ताकि शिर्क में दाखिल होने से बच सके।

इसके बाद शैख मुहम्मद रह. ने वो आयत बयान कि है जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहि. की दुआ बयान है।}

इब्राहिम अलैहि. ने फरमाया:

﴿ وَٱجْنُبْنِى وَبَنِىَّ أَن نَّعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ﴾ (इब्राहीम १४/३५)

''ऐ मेरे रब! मुझे और मेरी औलाद को बूतो की इबादत से बचाना।''
(सूरह इब्राहिम पारा 13, आ.35)

{जो लोग अकीदा-ए-तौहीद और उसकी जरूरत को खूब समझते हैं, वो शिर्क और उसके असबाब व जरियों से डरते रहते हैं।
असनामः सनम की जमा है। अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत और पूजा की जा रही हो, उसकी तस्वीर और मूर्ति को सनम कहते हैं, चाहे उसकी शक्ल किसी इन्सान के चहरे जैसी हो या किसी जानवर के जिस्म या सर या सूरज और चांद जैसी।
वसनः अल्लाह तआला को छोड़कर जिस चीज की इबादत की जाये वो वसन है, चाहे किसी तस्वीर या मूर्ति की शक्ल में हो जैसे सनम या तस्वीर की शक्ल में नहीं बल्कि कोई और चीज हो जैसे कब्र वगैरह।}

हदीस शरीफ में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«أَخْوَفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ»(مسند أحمد:٥/٤٢٨،٤٢٩ ومجمع الزوائد:١/١٠٢ ومعجم كبير للطبرانى، ح:٤٣٠١ بزيادة إنَّ في أوله)

''मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा डर ''छोटे शिर्क'' का है। पूछा गया कि शिर्के असगर क्या है? आपने फरमायाः दिखलावा (रियाकारी)।''

{नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा खौफ और डर, दिखावे से क्यों था? इसके बुरे असर और नतीजे की बिना पर कि यह नाकाबिले माफी गुनाह है और इसलिए भी कि इससे ज्यादातर लोग बेखबर रहते हैं। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी उम्मत के बारे में इस गुनाह का ज्यादा खतरा था।

दिखावे की दो किस्में हैं:-

(1) एक तो मुनाफिक की रिया और दिखावा है जिसका ताल्लुक असल दीन के साथ है, यानी वो लोगों को दिखाने के लिए इस्लाम का दिखावा करता है, जबकि दिल में कुफ्र छिपाये हुए होता है। जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है:

''युराउ न्नासा वलायजकुरून्नलाहा इल्ला कलिला..'' (सूरह निसा, पारा 4 आयत 142)

यह मुनाफिकीन लोगों के लिए दिखलावा करते हैं और अल्लाह तआला को तो बहुत थोड़ा याद करते हैं।

(2) दूसरी, मुसलमान तौहीद परस्त का दिखलावा है। जैसा कि कोई लोगों को दिखाने या उनमें बड़ाई हासिल करने के लिए बन-संवर कर नमाज अदा करे और यह छोटा शिर्क है।}

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«مَنْ مَّاتَ وَهُوَ يَدْعُو مِنْ دُوْنِ اللهِ نِـدًّا دَخَلَ النَّارَ»(صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى ﴿ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا﴾ ح:٤٤٩٧)

''जिस आदमी को इस हाल में मौत आये कि वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को अल्लाह का शरीक ठहराकर पुकारता हो तो वो जहन्नम में जायेगा''

{किसी को अल्लाह तआला का शरीक ठहराना और फिर उसे पुकारना, बड़ा शिर्क'' है। क्योंकि दुआ यानी पुकारना महज एक आम सी इबादत नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी इबादत है। जैसा कि एक सही हदीस में आया है ''अद्दुआउ हुवल इबादा'' दुआ यानी पुकारना ही असल इबादत है।''

अगर कोई इस हाल में मरा कि वो अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे को पुकारता और किसी को अल्लाह तआला का शरीक ठहराता था तो जहन्नम का हकदार होगा। और वो काफिरों की तरह हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। क्योंकि बड़ा शिर्क करने वाला अगर मुसलमान हो तो उसके तमाम आमाल बरबाद और नेकियां खत्म हो जाती हैं। जैसाकि अल्लाह तआला ने फरमायाः
''वलकद उहिया इलैका वइल्ललजिना मिनकबलिका लइन अशरकता लयह बतन्ना अमलुका वलतकुनन्ना मिनल खासिरीन'' (जुमर, आयत 65) तर्जुमाः- ''(ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आपकी तरफ और आपसे पहले अम्बियाअ की तरफ यह वह्य की गयी है कि अगर आपने शिर्क किया तो आपके (नेक) आमाल बर्बाद हो जायेंगे और आप नुकसान पाने वालों में से होंगे।''

औलमा-ए-तफसीर और मुहकेकिन अहले इल्म के नजदीक लफ्ज ''मिन दुनिल्लाहि'' में दोनों तरह के शख्स शामिल हैं। एक वो जो अल्लाह तआला को पुकारने के साथ साथ गैर अल्लाह को भी पुकारता है और दूसरा वो शख्स जो गैर अल्लाह को पुकारता और हमेशा उसी की तरफ ध्यान और ख्याल रखता है}

सही मुस्लिम में जाबिर रजि. से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ لَقِيَ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا دَخَلَ النَّارِ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب الدليل على من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة وأن من مات مشركًا دخل النار، ح:٩٣)

''जो कोई इस हाल में अल्लाह तआला से जा मिले (यानी फौत हो) कि वो उसके साथ किसी को शरीक ना करता हो तो वो जन्नत में जायेगा और जो इस हाल में उससे जा मिले (यानी फौत हो जाये) कि वो उसके साथ किसी को शरीक ठहराता हो तो वो जहन्नम में जायेगा।''

{यानी जो शख्स अल्लाह तआला के साथ किसी किस्म का शिर्क ना करे और अल्लाह तआला को छोड़कर किसी फरिश्ते, नबी, किसी नेक बुजुर्ग या जिन्न वगैरह को न पुकारे, उसके लिए अल्लाह तआला का वादा और जमानत है कि वो उसे अपनी रहमत और फजल से जन्नत में दाखिल फरमायेगा और जो शख्स किसी भी किस्म के शिर्क का करने वाला हो, बड़ा शिर्क हो या छोटा या छुपा शिर्क, वो जहन्नम में जायेगा। यहां एक सवाल पैदा होता है कि मुश्रिक को जहन्नम में हमेशा के लिए भेजा जायेगा या कुछ वक्त के लिए?

इसका जवाब यह है कि उसका ताल्लुक शिर्क की किस्म से है। जो शख्स बड़े शिर्क का करने वाला और तौबा किए बगैर मर जाये तो वो हमेशा के लिए जहन्नम में जायेगा और उसे कभी भी जहन्नम से निकाला नहीं जायेगा। और अगर बड़ा शिर्क ना बल्कि छोटा शिर्क या छुपा शिर्क हो तो ऐसे शख्स के लिए जहन्नम का अजाब है। जब तक अल्लाह तआला को मन्जूर होगा वो जहन्नम में रहेगा। इसके बाद जब अल्लाह तआला चाहेगा तो उसे जहन्नम से रिहाई मिल जायेगी, क्योंकि ऐसा शख्स बुनियादी तौर पर एक अल्लाह को मानने वाला है।}

मसाईल (इसमें कुछ बातें हैं)

1. इनसान को हर वक्त शिर्क से डरते और बचकर रहना चाहिए।
2. दिखावा भी शिर्क की एक किस्म है।
3. दिखावा "छोटा शिर्क" है।
4. नेक लोगों पर बाकी गुनाहों के अलावा "दिखावे" का खतरा ज्यादा है।
5. जन्नत और जहन्नम (इन्सान के) करीब है।
6. इस एक ही हदीस में जन्नत और जहन्नम के करीब होने का इक्ट्ठे जिक्र किया गया है।
7. शिर्क ना करने वाला आदमी जन्नत में जरूर जायेगा और जिसे शिर्क की हालत में मौत आयी वो जन्नत में नहीं जा सकता। बल्कि वो जहन्नम में जायेगा, अगरचे वो बहुत बड़ा इबादत करने वाला और जाहिद ही क्यों ना हो। (मौलाना या मुफ्ती ही क्यों ना हो)।
8. इब्राहिम खलील अलैहि. ने अपने लिए और अपनी औलाद के लिए बूतों की इबादत से बचकर रहने की दुआ की। हमें भी शिर्क से बचने की दुआ करनी चाहिए।
9. सैयदना इब्राहिम अलैहि. ने "रब्बि इन्ना हुन्ना अजलल्लना कसीरम मिनन्नास (सूरह इब्राहिम) आयत 36) "ऐ मेरे परवरदीगार! इन बूतों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर दिया है।" कहकर ज्यादातर की हालत से नसीहत हासिल की और दुआ की कि ऐ मेरे परवरदीगार! मुझे और मेरी औलाद को बुत परस्ती से बचाना।
10. इमाम बुखारी रह. के बयान के मुताबिक इन अहादीस से कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की तफसीर भी हो रही है।
11. शिर्क से बचकर रहने वालों की बड़ाई और शिर्क करने वालों की बर्बादी साबित होती है।

❖❖❖

बाब: 4

"ला इलाहा इल्लल्लाह" की तरफ दावत देना

{शैख (मुहम्मद रह.) ने यह बाब इस बात को साबित करने के लिए कायम किया है कि तौहीद को पूरा करने और शिर्क से बचने का एक काम यह भी है कि दूसरों को तौहीद की दावत दी जाये। अल्लाह की तौहीद की गवाही का भी यही मतलब है। क्योंकि किसी बात का दिल में अकीदा रखना, जबान से उसका इकरार करना और उससे दूसरों को खबरदार करना, यह सब काम गवाही में शामिल होते हैं। तौहीद की तरफ दावत देने से मकसूद, इसकी तमाम तफसीलात और किस्मों की तरफ बुलाना, समझाना और शिर्क का खुलासा करके उसकी तमाम किस्मों से दूर रहने की दावत देना है। और यह एक बहुत जरूरी काम है। इमाम मुहम्मद रह. ने यह सब बातें अपनी इस किताब में बड़ी वजाहत और खुलासे से बयान की हैं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ قُلْ هَٰذِهِۦ سَبِيلِىٓ أَدْعُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ ۚ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا۠ وَمَنِ ٱتَّبَعَنِى ۖ وَسُبْحَٰنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾ (يوسف١٢/١٠٨)

"ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप कह दें कि मेरा और मेरे मानने वालों का रास्ता तो यह है कि हम सब पूरे भरोसे और यकीन के साथ अल्लाह की तरफ बुलाते हैं और अल्लाह हर ऐब से पाक है और मेरा मुश्रिकीन से कुछ वास्ता नहीं।"(सूरह युसूफ पारा 13, आ.108)

{इस आयत से दो बातें हमारे इल्म में आती हैं: 1. तौहीद की तरफ लोगों को बुलाना और उन्हें इसकी दावत देना। 2. सच्चे दिल से

खबरदार करना और उसकी नसीहत करना।

क्योंकि देखा गया है कि बहुत से लोग अगरचे देखने में हक की दावत देते हैं मगर दरहकीकत वो लोगो को अपनी तरफ बुला रहे होते हैं। तौहीद की तरफ आला वज्हील बसीरत दावत देने का मफहूम यह है कि इन्सान दूसरों को अल्लाह तआला की तरफ बेइल्मी, बेयकीनी और जिहालत की बुनियाद पर नहीं बल्कि इल्म, यकीन और पूरी जानकारी की बिना पर दावत दे।

''अना वमनित त-ब-अनी'' का मतलब यह है कि मैं लोगों को अल्लाह तआला की तरफ अला वज्हील बसीरत यानी इल्म, यकीन और पूरी जानकारी की बुनियाद पर दावत देता हूँ। इसी तरह मेरी बात मानने वाले और मेरी दावत पर लब्बेक कहने वाले सहाबा भी इल्म, यकीन और पूरी जानकारी की बुनियाद पर लोगों को अल्लाह तआला की तरफ बुलाते हैं।

अन्बिया किराम के मानने वालों का यही तरीका रहा कि वो ना सिर्फ खुद शिर्क से डरते, तौहीद की हकीकत को जानते और तौहीद के कामों को पूरा करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ वो दूसरों को भी इस चीज की तरफ बुलाते और इसकी दावत देते हैं। और यह तौहीद का एक जरूरी काम है।}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रजि. को यमन की तरफ रवाना करते हुए फरमायाः

«إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَنْ لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ - وَفِي رِوَايَةٍ: إِلٰى أَنْ يُّوَحِّدُوا اللهَ - فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَّلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذٰلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، وَاتَّقِ

دَعْوَةَ الْمَظْلَومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللهِ حِجَابٌ» (صحيح البخاري، الزكاة، باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة، ح:١٤٥٨، ١٤٩٦، ٢٤٤٨، ٤٣٤٧، ٧٣٧٢ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، ح:١٩)

''तुम अहले किताब की एक कौम (यहूद या इसाईयों) के पास जा रहे हो। तुम उन्हें सबसे पहले इस बात की गवाही की तरफ दावत देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद (बरहक) नहीं। दूसरी रिवायत में है कि तुम उन्हें सबसे पहले इस बात की दावत देना कि वो अल्लाह तआला की तौहीद का इकरार कर लें। अगर वो तुम्हारी यह बात मान लें तो उन्हें बतलाना कि अल्लाह तआला ने उन पर दिन और रात में पांच नमाजें फर्ज की हैं। पस अगर वो तुम्हारी यह बात भी मान जायें तो फिर उन्हें बताना कि अल्लाह तआला ने उन पर जकात फर्ज की है। जो मालदारों से वसूल करके गरीबों और फकीरों में बांटी जायेगी। पस अगर वो तुम्हारी यह बात भी मान जायें तो उनके अच्छे और कीमती माल लेने से अहतयात करना और बेबस, लाचार की बददुआ से बचना। क्योंकि उसके और अल्लाह तआला के बीच कोई पर्दा नहीं।''

{दलील का तरीका: इस हदीस में दलील का तरीका यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज रजि. को रवाना फरमाया तो आपने उन्हें हिदायत फरमायी कि वो लोगों को सबसे पहले इस बात की गवाही की तरफ दावत दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई (सच्चा) माबूद नहीं। इसका और ज्यादा खुलासा सही बुखारी ''किताबुत्तौहीद'' की एक रिवायत में यूं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ''तुम सबसे पहले लोगों को दावत देना कि वो अल्लाह की तौहीद को माने।'' (सही बुखारी, अत्तौहीद, बाब माजा फि दुआइननबीयी...हदीस 72-73)}

सहल बिन साद रजि. से रिवायत है कि खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا أَصْبَحُوا غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، كُلُّهُمْ يَرْجُو

أَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ: أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟ فَقِيلَ: هُوَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ، فَأَرْسَلُوا إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ كَأَنْ لَّمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ: انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلَامِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِّنْ حَقِّ اللهِ تَعَالَى فِيهِ، فَوَاللهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلًا وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ»(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ح: ٣٧٠١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ح: ٢٤٠٦)

"कल मैं यह झण्डा एक ऐसे शख्स को दूंगा जिसे अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत है और अल्लाह तआला और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उससे मुहब्बत रखते हैं, उसके हाथों अल्लाह तआला जीत व मदद अता फरमायेगा। चूनांचे सहाबा किराम रात भर अटकलें लगाते रहे कि झण्डा किसको दिया जा सकता है। सुबह हुई तो तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंच गये। हर एक की यही ख्वाहिश और उम्मीद थी कि झण्डा उसे ही मिलेगा। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अली बिन अबी तालिब कहां हैं? बताया गया कि उनकी तो आंखे दुखती हैं। सहाबा किराम रजि. ने हजरत अली रजि. को बुलवा भेजा तो

रसूलुल्लाह ने उनकी आंखों में अपना लआब (थूक) मुबारक डाला और दुआ फरमायी।

चूनांचे अली रजि. पूरे तौर पर यूं ठीक हो गये जैसे उन्हें कुछ भी तकलीफ ना थी। आपने झण्डा हजरत अली रजि. को थमा दिया और फरमाया, तैयारी करके अभी रवाना हो जाओ और सीधे उनके मैदान में जा उतरो। फिर सबसे पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने की दावत देना और अल्लाह तआला के जो हुकूक, इस्लाम में, उन पर लागू होते हैं, वो उन्हें बतलाना। अल्लाह की कसम! अगर अल्लाह तआला तुम्हारी बदौलत एक आदमी को भी हिदायत दे दे तो (यह खुशनसीबी) तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों से कही बेहतर (इन्तेहाई कीमती) है।''

{सबूत का तरीका :- इस हदीस में सबूत का तरीका यह जुमला है ''सुम्मद उहुम इल्ल इस्लाम'' की इसके बाद तुम उन्हें इस्लाम की दावत देना।

इस्लाम की दावत से तौहीद की दावत मुराद है। क्योंकि अल्लाह तआला की तौहीद और जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार व ऐतराफ इस्लाम का जरूरी और बहुत बड़ा हिस्सा है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलासा किया कि उन्हें तौहीद की दावत देने के साथ साथ उन पर अल्लाह तआला के जो हुकूक लागू होते हैं, वो भी बतलाना, चाहे उन हकूक का ताल्लुक तौहीद के साथ हो या फराईज व वाजिबात और गुनाह से बचने के साथ। लिहाजा जब कोई शख्स किसी दूसरे को इस्लाम की दावत दे तो सबसे पहले उसे तौहीद की दावत दे और ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' और ''मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह'' का मायना व मतलब बयान करे। फिर इसके बाद उसे हराम और फराईज व वाजिबात से भी खबरदार करे, क्योंकि बुनियादी चीज सबसे पहले और सबसे पहले वाजिब (जरूरी) होती है।}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का अन्दाज़े तब्लीग यह है कि वो दूसरों को भी अल्लाह के दीन की दावत देते हैं।
2. इख्लासे नियत की भी तरगीब है क्योंकि अकसर लोगों का हाल यह है कि वो "दावते इल्लहक" लेकर उठें भी तो इसमें सच्चे नहीं होते, बल्कि वो लोगों को आम तौर पर अपनी जात की तरफ बुलाते हैं।
3. दावत के कामों में इल्म से काम लेना जरूरी है।
4. तौहीद का एक काम यह भी है कि अल्लाह तआला को हर ऐब और कमी से पाक माना जाये।
5. शिर्क की एक बुराई यह भी है कि यह अल्लाह तआला के बारे में गाली है।
6. इस बाब का एक जरूरी मसला यह भी है कि मुसलमान को मुश्रिकीन से अलग थलग और दूर रहना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो शिर्क ना करने के बावजूद उनके साथ मैल-जोल की बिना पर उनका साथी बन जाये।
7. दीन की वाजिबात में तौहीद सबसे पहले वाजिब मसला है।
8. नमाज और दीन के दूसरे कामों से पहले तौहीद की तब्लीग की जाये।
9. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान "अय्युवहिदुल्लाह" और कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही दोनों का एक ही मायना व मतलब है।
10. कुछ लोग अहले किताब होने के बावजूद अकीदा-ए-तौहीद से अच्छी तरह जानकार नहीं होते या जानने के बावजूद इस पर अमल नहीं करते।
11. यह जानकारी भी हुई कि दीन की तालीम एक के बाद एक देनी चाहिए।

12. तब्लीग के मरहले में जरूरत के मुताबिक मसाईल बयान किये जाये।
13. जकात के खर्च करने की जगह का भी बयान है।
14. आलिम का फर्ज है कि वो अपने शागिरदों (चेलों) के शक-शुबों को भी दूर करे।
15. जकात वसूल करते वक्त अच्छा और कीमती माल लेना मना है।
16. मजलूम (बेबस-लाचार) की बद-दुआ से बचना चाहिए।
17. मजलूम की आह व बद-दुआ और अल्लाह तआला के बीच कोई पर्दा नहीं।
18. सय्यदुल मुरसलिन मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम रजि. और औलिया-ए-किराम पर भूक और तकलिफात का गुजरना भी तौहीद की एक बहुत बड़ी दलील है।
19. रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद कि "मैं कल यह झण्डा ऐसे शख्स को दूंगा, जिसे अल्लाह तआला और उसके रसूल से मुहब्बत है और अल्लाह तआला और उसका रसूल भी उससे मुहब्बत करते हैं।" आपकी नबूवत की निशानियों में से है।
20. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली रजि. की आंख में लुआब डालना और उनका फौरन ठीक हो जाना भी आप की नबूवत की निशानियों में से है।
21. अली रजि. की बड़ाई भी जाहिर है।
22. सहाबा किराम रजि. की अजमत और बड़ाई भी वाजेह है कि वो सारी रात यह सोचते रहे कि सुबह यह झण्डा किस खुशनसीब को मिलने वाला है। और इस सोच में वो जीत की खुशखबरी भी भूल गये। (गोया उनके नजदीक अल्लाह तआला

और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास मुहब्बत का ईनाम, फतह की खुशखबरी से ज्यादा प्यारा था।)

23. "ईमान बिलकद्र (तकदीर)" भी साबित होता है कि झण्डा ऐसे आदमी को मिला जिसने उसके मिलने की ख्वाहिश या कोशिश नहीं की। बल्कि कोशिश करने वाले और ख्वाहिश रखने वाले उसे हासिल ना कर सके।

24. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अली रजि. से फरमाना "अला रिसलिका" (कि सीधे जाओ) इसमें आदाबे जंग की तालीम है।

25. जंग से पहले कुफ्फार को इस्लाम की दावत देनी चाहिए।

26. लोगों से पहली बात हो या इससे पहले जंग हो चुकी हो या दावत दी जा चुकी हो, हर सूरत में जंग से पहले इस्लाम की दावत देना जाइज है।

27. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि उन पर अल्लाह तआला के जो हुकूक लागू हैं, वो उन्हें बतलाना, इससे मालूम हुआ कि इस्लाम की दावत हिकमत और समझदारी के साथ पैश करनी चाहिए।

28. एक मुसलमान को इस्लाम में तय कर्दा अल्लाह तआला के हुकूक से जानकार होना चाहिए ताकि वो दूसरों को भी तालीम दे सके।

29. मालूम हुआ कि जिस किसी के हाथों एक भी आदमी हिदायत पा जाये, उसके लिए बड़ा सवाब और बड़ी अजमत है।

30. फतवे पर कसम उठाना जाइज़ है।

बाब : 5

तौहीद का खुलासा और कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही का मतलब

{किसी बात की गवाही का मतलब यह है कि:

1. इन्सान अपनी जबान से जो कुछ कहे, दिली तौर पर उसका यकीन भी रखता हो। यकीन उसी सूरत में यकीन होता है, जबकि उसका इल्म और उसकी सच्चाई का यकीन हो।
2. गवाही को जबान से अदा करना भी जरूरी है।
3. इस बात से दूसरों को खबरदार करना भी गवाही का हिस्सा है और जुबान से उसका नुत्क (बोलना) भी जरूरी है। गवाह भी उस वक्त तक गवाह नहीं होता जब तक कि वो मुतअल्लका बात से दूसरों को आगाह ना करे। तो मालूम हुआ कि अश्हदु (मैं गवाही देता हूँ) का मायना आतकिदू (मैं यकीन रखता हूं) अतकल्लमू (मैं जबान से इसका इकरार करता हूँ) और उखबिर (मैं इससे दूसरों को खबरदार करता हूँ) होगा। और इन तीन मायनों का एक वक्त जमा होना लाजिम और जरूरी है। "ला इलाहा इल्लल्लाह" में ला नफी जिन्स के लिए है।

इसका मतलब यह है कि अल्लाह तआला के सिवा कोई भी शख्स या चीज इबादत का हक नहीं रखती। नफी के बाद "इल्ला" (हरफे इस्तिसना) हस्र का फायदा देता है। इसका मतलब यह है कि हकीकी इला और माबूद बरहक सिर्फ अल्लाह तआला है। उसके सिवा कोई माबूद बरहक नहीं।

"इलाह" माबूदः कुछ लोग ला नफी जिन्स की खबर "मौजूद" बताते हैं। ऐसी सूरत में मायना यूं होगा कि "अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद मौजूद नहीं।" मगर यह मायना और मतलब सही नहीं, इसलिए कि अल्लाह तआला के अलावा दूसरे माबूदों की इबादत होती है जो कि मौजूद हैं। लिहाजा नफी जिन्स की खबर "मौजूद" की बजाये

"बिहक्की" या "हक्क" होनी चाहिए। इस सूरत में मायना यूं होगा कि : अल्लाह के सिवा कोई माबूद "बरहक" नहीं है। क्योंकि उसके सिवा जिसकी भी इबादत की जाये वो माबूद ही है। अगरचे उसे माबूद समझना या बनाना गलत, जुल्म, सरकशी और नाजाईज है। अरबी जुबान से जानकार आदमी कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" सुनते ही यही मतलब समझेगा।}

अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلۡوَسِيلَةَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥٓۚ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحۡذُورٗا ٥٧ ﴾

(الإسراء١٧/ ٥٧)

"यह लोग, जिन्हें वो (मुश्रिकीन) पुकारते हैं वो तो खुद अपने रब की नजदीकी हासिल करने के लिए वसीला (जरीया) ढूंढते हैं कि कौन उसके करीब तर है। और वो उसकी रहमत के उम्मीदवार और उसके अजाब से डरते रहते हैं। बेशक तेरे रब का अजाब डरने की चीज़ है।" (सूरह बनी इस्राईल पारा 15, आ.57)

{इस आयत में "यद उना" का मायना "याबुदुना" है।
वसीलाः इरादा और जरूरत को कहते हैं। मतलब यह है किः यह लोग अपनी चाहत और जरूरियात को अल्लाह तआला से चाहते हैं। यह मकसूद अल्लाह तआला ही से हासिल हो सकता है। लिहाजा वो लोग अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की तरफ झुकते नहीं । उनका ध्यान सिर्फ अल्लाह तआला की तरफ होता है। इस आयत में अल्लाह तआला ने मौके की मुनासिबत से "इला रब्बिहीम" कह कर रबूबियत का जिक्र किया है। क्योंकि दुआ को कबूल करना और उसका बदला देना रबूबियत की खासियत है।

यूं इस आयत से तौहीद का खुलासा खुलकर सामने आता है कि तमाम चाहतें व जरूरियात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला से पूरी होती

है। "वयरजुना रहमतहु वयाखाफुना अजाबहु" "वो उसकी रहमत के उम्मीदवार उसके अजाब से डरते रहते हैं।" यह अल्लाह तआला के महबूब बन्दों की खूबी है जो मुहब्बत, डर और उम्मीद के मिले जुले जज्बात के साथ अल्लाह तआला की इबादत करते हैं। यह भी तौहीद ही की तफसीर है।}

निज अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَٰهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦٓ إِنَّنِى بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿٢٦﴾ إِلَّا ٱلَّذِى فَطَرَنِى فَإِنَّهُۥ سَيَهْدِينِ ﴿٢٧﴾ وَجَعَلَهَا كَلِمَةًۢ بَاقِيَةً فِى عَقِبِهِۦ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ ﴾ (الزخرف٤٣/٢٦ـ٢٨)

"और जब इब्राहिम (अलैहि.) ने अपने बाप और अपनी क़ौम से (साफ साफ) कह दिया था कि तुम अल्लाह के सिवा जिनकी बन्दगी करते हो, मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं, मैं उनसे बेताल्लुक हूँ। हां! (मैं सिर्फ उसे मानता हूँ) जिसने मुझे पैदा किया है, वही मेरी रहनुमाई करेगा। और वो यही बात (दावत) अपनी औलाद में पीछे छोड़ गये ताकि वो भी अल्लाह ही की तरफ पलटे।"(सूरह जुखरूफ पारा 25, आ.26-27)

{इस आयते मुबारका में नफी और इसबात (मनाही और इजाज़त पहलु) दोनों मौजूद हैं इन दोनों से तौहीद साबित होती हैं पस "ला इलाहा.. ..." की जगह "इन्ननी बराअुम मिम्मा तअबुदुन" "और "इल्लल्लाह. ..." की जगह "इल्लल्लजी फतरनी" है। बराअतः का मफहूम यह है कि अल्लाह तआला के सिवा जिनकी इबादत की जाती है, उनसे नफरत और दुश्मनी रखते हुए उनका (इनकार) करना। जब तक दिल में यह चीज ना हो, इस्लाम मजबूत और पुख्ता नहीं हो सकता।}

अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾

(التوبة٩/ ٣١)

"उन (इसाई) लोगों ने अल्लाह को छोड़कर अपने औलमा (मौलवियों) और बुजुर्गो को रब बना लिया है।" (सूरह तौबा पारा 10, आ.31)

{अरबाबः रब की जमा हैः यहां रबूबियत, इबादत के मायने में हैं। आयत का मतलब यह हुवा कि उन (ईसाई) लोगो ने अल्लाह तआला के साथ साथ अपने उलमा और बुजुर्गो को भी इस हद तक अपना माबूद बना लिया कि वो हराम को हलाल या हलाल को हराम कह देते तो वो लोग इसी तरह मान लेते। किसी की बात को मान लेना भी तौहीद से ताल्लुक रखता है। और गैर अल्लाह की नाजाइज बात मानना, तौहीद के खिलाफ है।}

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ﴾ (البقرة٢/ ١٦٥)

"कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गैरों को अल्लाह के शरीक ठहराते हैं और उनसे अल्लाह की सी मुहब्बत करते हैं और ईमान वाले सबसे बढ़कर अल्लाह से मुहब्बत करते हैं। (सूरह बकरा पारा 2, आ.165)

{यानी उन लोगों ने झूठे खुदाओं की मुहब्बत को अल्लाह तआला की मुहब्बत के बराबर कर दिया। वो लोग अल्लाह तआला से बहुत ज्यादा मुहब्बत रखते हैं और उसके साथ साथ अपने माबूदों के साथ भी उसी तरह की सख्त मुहब्बत रखते हैं, जिन पर उन्हें नाज (गर्व) है और मुहब्बत में यह बराबरी करना शिर्क है। उन लोगों की इसी मुहब्बत ने उन्हें जहन्नम में पहुंचा दिया। जैसा कि अल्लाह तआला ने सूरह शुअरा में जहन्नमियों की यह बात बयान फरमायी हैः "तल्लाहि इनकुन्ना लफि जलालिम मुबिन इज नुसव्वीकुम बिरब्बील आलमीन (सूरह शुअरा

98)" अल्लाह की कसम! हम तुम्हें रब्बुल आलमीन के बराबर करार देकर साफ गुमराही में थे। "

मुहब्बत भी इबादत की किस्मों में से एक किस्म है। जिन्होंने गैर अल्लाह के साथ, अल्लाह तआला की सी मुहब्बत जाइज (मुबाह) रखी तो गौया उन्होंने अपने प्यारों को अल्लाह तआला के शरीक बना डाला। तौहीद और कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही देने का यही मतलब है कि जैसा ताल्लुक और मुहब्बत अल्लाह के साथ हो, वैसा मजबूत ताल्लुक और सख्त मुहब्बत किसी दूसरे के साथ बिलकुल ना हो।}

नबी सल्लल्लाहु अंलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله...، ح:٢٣)

"जिस शख्स ने कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार कर लिया और झूठे खुदाओं का इनकार और कुफ्र किया तो उसका माल और खून महफूज हो गया। अब उसका बाकी मामला अल्लाह तआला के हवाले है।"

{इस हदीस में कलमा तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" के इकरार के अलावा झूठे खुदाओं का इनकार करने की बात भी बयान हुई है। गौया कलमा तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" के इकरार और झूठे खुदाओं में माबूदाने बातिला (झूठे खुदाओं) का कुफ्र, इनकार और उनसे बेताल्लुक होना भी शामिल है।

"हरुमा मालुहु वदमुहु वहिसाबुहु अल्लल्लाहि" का मायना यह है कि जिसने कलमा-ए-तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार व ऐतराफ और झूठे खुदाओं का इनकार किया, वो मुसलमान हो जाता है।

जिसका माल और खून सिर्फ तीन सूरतों (जिना, कत्ल, और इस्लाम से फिरने) ही में रवा (जाईज) है।

इस तफसील से यह खुब मालूम हो चुका है कि तौहीद की तफसीर और कलमा तौहीद "ला इलाहा इल्ल्लाह" की गवाही आप से बहुत ज्यादा ध्यान, गौरो फिक्र और सोच विचार की मांग करती है। ताकि आप उसे अच्छी तरह समझ लें।}

आइन्दा आने वाले अबवाब इसी उनवान "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही का मतलब शरह और वजाहत पेश करते हैं।

{गौया सारी किताब, तौहीद और कलाम तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का खुलासा है और उन कामों का तफसीली बयान है जो उसके खिलाफ और तौहीद की असल और कमाल के भी खिलाफ है।

निज इसमें बड़ा शिर्क, छोटा शिर्क, छुपा शिर्क और शिर्किया अल्फाज की वजाहत के साथ साथ तौहीद फिल इबादत , अल्लाह तआला के नामों व खुबियों का इकरार और तौहीदे उलूहियत में तौहीदे रबूबियत का इकरार शामिल होने का तफसीली बयान है।}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. इसमें सबसे खास मसला, तौहीद और कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" की गवाही देने की तफसीर है जिसे अलग-अलग आयत व अहादीस से वाजेह (साफ) किया गया है।
2. उनमें से एक, सूरह अलइसराअ (बनी इस्राईल) की आयत 57 है, जिसमें उन मुश्रिक का रद्द है जो नेक लोगों और बुजुर्गान को पुकारते हैं, इस आयत में साफ साफ बयान है कि यही बड़ा शिर्क है।
3. इस बाब में दलाईले तौहीद बयान करते हुए एक दलील सूरह बराह (तौबा) की आयत 31 भी है, जिसमें अल्लाह तआला ने

साफ तौर पर फरमाया कि अहले किताब ने अल्लाह तआला के साथ साथ अपने उलमा और बुजुर्गों को भी रब बना रखा था। हालांकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक इलाह की इबादत का हुक्म दिया गया था। इसके बावजूद इस आयत की वो तफसीर जिसमें कोई शक-शुबा नहीं, यह है कि अहले किताब अपने उलमा और बुजुर्गों को मुसीबत या मुश्किल के वक्त पुकारते नहीं थे, बल्कि नाफरमानी के कामों में उनकी बात माना करते थे। (और इसी को माबूद और रब बनाना कहा गया है)

4. और सैयदना इब्राहिम अलैहि. की उस बात का भी बयान है जो उन्होंने कुफ्फार से कही थीः

''इननी-बरा-उम मिम्मा तअबुदून० इल्लल्जी फ-त-रनी'' (अलजुखरफ 43/26-27)

'' मैं तुम्हारे माबूदों से बेजार और बेताल्लुक हूं। मेरा ताल्लुक सिर्फ उस जात से है जिसने मुझे पैदा किया है।''

यूं इब्राहिम अलैहि. ने कुफ्फार के माबूदों से अपने हकीकी रब को अलग किया। अल्लाह तआला ने बयान फरमाया कि कुफ्फार से इस तरह की बराअत व बेताल्लुकी और अल्लाह तआला की मुहब्बत का इजहार ही कलमा ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' की गवाही देना है। चूनांचे फरमायाः

'व-ज-अ-लहा कलिमतम-बा-कियमता फी अकिबिहि- ल- अल्लकुम यर-जिऊन'' (अलजुखरफ 43/28)

''और इब्राहिम अलैहि. यही पैगाम अपने पीछे अपनी औलाद और कौम को दे गये ताकि वो उसकी तरफ पलटे।''

5. निज एक दलील, सूरह बकरा की वो आयत भी है, जिसमें अल्लाह तआला ने काफिरों के मुताल्लिक फरमायाः

(वमाहुम बिखरिजिना मिनन्नारि) बकरा 167/20

''वो जहन्नम की आग से निकलने वाले नहीं।

और उनके बारे में फरमाया कि वो अपने बनाये माबूदों,

अल्लाह के शरीकों से यूं मुहब्बत करते हैं, जैसी मुहब्बत अल्लाह तआला के साथ होनी चाहिए। निज वाजेह फरमाया कि वो अल्लाह तआला से भी सख्त मुहब्बत रखते हैं। लेकिन उनकी यह मुहब्बत उन्हें इस्लाम में दाखिल नहीं कर सकती। जरा गौर करें कि जब अल्लाह तआला और उसके साथ साथ गैर अल्लाह से मुहब्बत करने वाले मुसलमान नहीं तो अल्लाह तआला से बढ़कर शरीकों से मुहब्बत करने वालों या अल्लाह तआला को छोड़कर सिर्फ गैर अल्लाह से मुहब्बत करने वालों का क्या हाल होगा?

6. और एक दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमान भी है "जिस आदमी ने कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार किया और झूठे खुदाओं का इनकार किया उसका माल और खून (जान) महफूज हो गया। और उसका हिसाब यानी बाकी मामला अल्लाह तआला के हवाले है।" यह फरमान मुबारक उन अजीम दलाईल में से एक है जो कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" के मायने व मतलब को सही तौर पर वाजेह करते हैं कि महज कलमा को जबान से अदा कर लेने और उसके मायने की जानकारी हासिल कर लेने, इकरार कर लेने और अकेले अल्लाह को बगैर शरीक ठहराये पुकार लेने से माल व जान को हिफाजत नहीं मिल जाती। बल्कि माल व जान को हिफाजत उसी वक्त ही मिल सकती है, जब उसके साथ साथ झूठे खुदाओं का इनकार भी किया जाये याद रहे कि अगर किसी ने इन बातों में से किसी एक में भी जरा सा शक या झिझक किया तो उसकी जान और माल को हिफाजत व अमान हासिल न हो सकेगा। गौर करें यह मसला किस कद्र अहम, अजीम और किस कद्र साफ है और मुखालिफीन (मुश्रिकीन) के खिलाफ कितनी बड़ी वाजेह दलील है।

बाबः 6

रफ्अे बला (मुसीबत दूर करने के लिए) और दफ्अे मसाईब (मुसीबत से छुटकारा हासिल करने) के लिए छल्ले पहनना और धागे वगैरह बांधना शिर्क है

{शिर्क की परिभाषा करते हुए यहां से तौहीद का बयान शुरू हो रहा है। और यह बात तय शुदा है कि किसी चीज की जानकारी और पहचान दो तरह से हासिल होती है। अपनी हकीकत की जानकारी और उसकी जिद (उल्टे, विपरित) की जानकारी।

यहां से ईमाम (मुहम्मद रह.) अपनी बातचीत की शुरूआत, तौहीद के उल्टा यानी शिर्के अकबर के बयान से कर रहे हैं। क्योंकि बड़ा शिर्क करने से तौहीद पूरे तौर पर खत्म होकर रह जाती है। और इसका करने वाला इस्लाम से बिलकुल बाहर हो जाता है। शिर्क की बाज किस्में ऐसी हैं जो तौहीद के आला दर्जा के खिलाफ है। और वो किस्में छोटे शिर्क के कबील से है। उनके करने से तौहीद की आला दर्जा में कमी आ जाती है। इसलिए तौहीद का आला तरीन दर्जा यह है कि इन्सान हर तरह के शिर्क से बचकर रहे।

शैख (मुहम्मद रह.) ने शिर्क की तफसील बयान करते हुए शुरू में छोटे शिर्क की बाज ऐसी किस्मों का जिक्र किया है जो लोगों से आम तौर पर सरजद होती रहती है। निज उन्होंने छोटे से बड़े की तरफ जाने के उसूल पर अमल करते हुए सबसे पहले छोटे शिर्क का और इसके बाद बड़े शिर्के का जिक्र किया है।

इस बाब के उनवान से वाजेह होता है कि छल्ले पहनने ओर धागे

बांधने के अलावा मनके, तआवीजात, लोहा, चांदी वगैरअ और दीगर अलग अलग चीजें जो गले में बांधी या लटकायी जाती हैं, या धागों में, गाड़ियों पर या छोटे बच्चों के गले में किसी खास मकसद, नजर या अकिदा के तहत पहनी, बांधी या लटकायी जाती है, यह सब शिर्क है।

छल्ले और धागे और इसी तरह तावीज वगैरह के बारे में अरबों का अकीदा था कि यह चीजें आई हुई मुसीबत को खत्म कर देती या आने वाली मुसीबत को रोक देती है। ऐसी कमतर चीजों के बारे में यह अकीदा रखना कि यह चीजें अल्लाह तआला की तकदीर को रोक सकती हैं, यह छोटा शिर्क कैसे हो सकता है? (बल्कि यह तो बड़ा शिर्क है) क्योंकि ऐसा करने वाले के दिल में इन चीजों की मुहब्बत मौजूद होती है और वो इन चीजों को मुसीबतों को रोकने और इनसे बचाने का जरीया समझता है। यही शिर्क है। असल उसूल यह है सिर्फ उन्हीं चीजों और असबाब के असर पैदा करने का अकीदा रखना जाइज है, जिनकी शरीअत (इस्लाम) ने इजाजत दी है या तजुर्बे से साबित हुआ कि यह असबाब वाकई जाहिरी तौर पर असर पैदा करने वाले हैं। मसलन डॉक्टर का दवा देना, या जैसे वो जरिया जिनसे नफा हासिल होता है, जैसे आग से गर्मी और पानी से ठण्डक का हासिल होना वगैरह। यह ऐसे असबाब हैं जिनकी तासिर जाहिर और वाजेह है।

छोटे शिर्क की सब किस्में किसी वक्त नियतों की बुनियाद पर बड़ा शिर्क बन जाती हैं। मसलन कोई शख्स छल्ले और धागे वगैरह को सबब समझने की बजाये यह अकीदा रखे कि यह बजात खुद असर पैदा करने वाली है तो उसका यह अमल बड़ा शिर्क होगा, क्योंकि उसने यह अकीदा रखा कि इस कायनात में अल्लाह तआला के अलावा भी कोई चीज मुसीबत दूर करने की कुदरत रखती है। गोया इस मसले का असल ताल्लुक दिल के साथ है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَـٰشِفَـٰتُ ضُرِّهِۦٓ أَوْ أَرَادَنِى بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَـٰتُ رَحْمَتِهِۦ ۚ قُلْ حَسْبِىَ ٱللَّهُ ۖ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿٣٨﴾ ﴾ (الزمر ٣٩/ ٣٨)

''(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप उनसे कह दीजिए, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, क्या वो इस तकलीफ को हटा सकते हैं? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या यह उसकी रहमत को रोक सकते हैं। आप कह दीजिए: मुझे तो अल्लाह ही काफी है। भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। (सूरह जुमर पारा 24, आ.38)

{इस आयत में अल्लाह तआला ने अपने नबी से फरमाया कि आप उन लोगों से कह दीजिए कि इस बात का इकरार कर लेने के बावजूद कि सिर्फ अल्लाह तआला ही आसमानों और जमीनों का पैदा करने वाला है, तुम उसके साथ साथ गैर अल्लाह की भी इबादत करते हो? कुरआन मजीद का यही अन्दाज है कि मुश्रिकीन जिस तौहीदे रबूबियत को मानते हैं, वो उनके उसी इकरार को उनके खिलाफ पेश करके उससे तौहीदे अलूहियत को सच कहलवाता है, जिससे वो इनकार करते हैं।

''तदउना'' तुम पुकारते हो। यह पुकारना बतौरे सवाल और मांगना हो या सिर्फ बतौरे इबादत। मुश्रिकीन में गैर अल्लाह को पुकारने की यह दोनों सूरतें पायी जाती हैं। और अल्लाह के अलावा, जिन्हें पुकारा जाता है, उनकी कई किस्में हैं। मसलन बाज मुश्रिक तो मुसीबत, दुख या परेशानी के मौके पर, बाज अम्बिया, रसूल और नेक लोगों को पुकारते है, बाज अल्लाह तआला के फरिश्तों को पुकार के लायक समझते हैं। और बाज सितारों की तरफ, बाज दरख्तों और पत्थरों की तरफ और बाज बूतों और मिट्टी की ढ़ेरों की तरफ लपकते और झुकते हैं। यह सब शिर्क की सूरतें हैं। ऊपर वाली आयत में अल्लाह तआला ने साबित किया है कि यह तमाम झूठे खुदा किसी को

नफा या नुकसान पहुंचाने पर कादिर नहीं। अब इन चीजों और शख्सियात के बारे में मुश्रिकीन का यह अकीदा कि अल्लाह तआला के यहां इनके बुलन्द दर्जे हैं, जिनकी वजह से यह उसके यहां शिफारिश कर सकेंगे, गलत और बेबुनियाद हुआ। कुरआन मजीद में जो आयात बड़े शिर्क के रद्द में आयी हैं, अहले इल्म इन्हीं आयात को छोटे शिर्क के गलत होने और रद्द होने में भी पैश करते हैं क्योकि दोनों किस्म के शिर्क (बड़ा और छोटा) में इन्सान अल्लाह तआला को छोड़ कर गैर अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लेता है। लिहाजा जब बड़ी सूरत (शिर्के अकबर) में गैर अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ना गलत और बेहकीकत है तो छोटी सूरत (शिर्क असगर) में तो और पहले गलत हुआ।

निज इस आयत में यह भी बयान है कि अल्लाह तआला के अलावा किसी को यह कुदरत हासिल नहीं कि वो किसी को कुछ तकलीफ या नुकसान पहुंचा सके। इसी तरह यह भी कि जब अल्लाह तआला किसी को कोई तकलीफ पहुंचाये तो उसके हुक्म के बगैर कोई भी शख्स या चीज उस तकलीफ को हटाने पर कादिर नहीं। अल्लाह के अलावा किसी को नफा देने या तकलीफ पहुंचाने के लायक समझने का यही वो मतलब है, जिसके पैशे नजर मुश्रिक लोग छल्ले पहनते या ध ागे बांधते हैं, इसीलिए इन कामों को शिर्क कहा गया है।}

इमरान बिन हुसैन रजि. से रिवायत है:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ حَلْقَةٌ مِّنْ صُفْرٍ فَقَالَ: مَا هٰذِهِ؟ قَالَ: مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ: انْزِعْهَا فَإِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، فَإِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا» (مسند أحمد: ٤/ ٤٤٥ وسنن ابن ماجه، الطب، باب تعليق التمائم، ح: ٣٥٣١)

"नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी के हाथ में पीतल का छल्ला देखा तो पूछा: "यह क्या है?" उसने कहा यह वाहना

(एक बीमारी) की वजह से पहना हुआ है। आपने फरमायाः "इसे उतार दो। (इसलिए कि यह तुम्हें कोई फायदा नहीं पहुंचा सकता) तुम्हारी बीमारी को ज्यादा ही बढ़ाएगा। अगर तुम्हें यह छल्ला पहने हुए मौत आ गयी तो कभी कामयाब न होगा। (मुसनद अहमद 445/4, सुनन इब्ने माजा)

{आपका "मा हाजेही"? कह कर उस छल्ले के बारे में पूछने का यह अन्दाज उसके इस काम पर सख्त नाराजी, नापसन्दगी और इनकार के लिए था।

वाहनाः एक बीमारी है जो जिस्म को कमजोर कर डालती है।

(इमाम इब्ने अशीर जजरी फरमाते हैं कि "वाहना" एक ऐसी बीमारी है जिससे कन्धे या पूरे हाथ की रग फूल जाती है। इस तकलीफ से बचाव के लिए दम भी करते हैं। बाज अहले इल्म का कौल है कि कोहनी और कन्धे के बीच हिस्से में कभी तकलीफ हो जाया करती है। यह तकलीफ मर्दों को होती है। ओरतों को नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को वो छल्ला पहनने से इसलिए मना फरमाया था कि उसने इस ख्याल से पहना था कि वो उसे बीमारी से बचाए रखेगा। हालांकि छल्ले का बीमारी से बचाव का कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं। (मुतरजिम)

"इनजिअहा" इसे उतार दो। यह हुक्म था और जिस शख्स को कोई हुक्म दिया जाये, अगर इन्सान जानता हो तो वो हुक्म को मानने से इनकार नहीं करेगा तो उसे हाथ से मना करने की बजाये जुबान से कह देना ही काफी होता है।

"फइन्नहा ला तजियुदुका इल्ला वहनन" यह तुम्हारी बीमारी को ज्यादा बढ़ाएगा।"

यानी अगर तुम्हारे यकीन के मुताबिक इसकी कोई तासीर है तो यह ना सिर्फ तुम्हारे जिस्म को नुकसान पहुंचायेगा बल्कि इसके साथ साथ यह तुम्हारी रूह (आत्मा) और नफ्स को भी नुकसान पहुंचायेगा और वो यह कि तुम्हारी रूह और नफ्स कमजोर हो जायेंगे।

मुश्रिक की अकल काम नहीं करती। वो छोटे नुकसान से बचने की खातिर कोई ऐसा काम कर बैठता है जो पहले से भी बड़े नुकसान

वाला होता है। मगर वो अकल की कमी की वजह से नुकसान को फायदा समझता रहता है।

"फइन्नका लवमुत्ता वहीया अलैका माअफलहता अबदन"। अगर तुम्हें यह छल्ला पहने हुए मौत आ गयी तो कभी बचाव ना पा सकोगे।"

इस मनाही से दो मायने लिए जा सकते हैं। एक तो यह कि ऐसा करने वाले को बड़ा शिर्क करने वाले की तरह कभी जन्नत में दाखिला और जहन्नम से निजात (छुटकारा) ना मिल सकेगी। क्योंकि उसने यह अकीदा रखा कि यह छल्ला खुद नफा बख्श और फायदेमन्द है और दूसरा मायना है कि ऐसा करने वाले को पूरी तरह बचाव न मिल सकेगा। क्योंकि अल्लाह तआला ने शरई या कुदरती तौर पर जिस चीज को बीमारी से फायदे का सबब करार नहीं दिया, उसने उसी को शिफा देने वाला समझ लिया। इसलिए मतलब के लिहाज से उसका शिर्क, छोटा शिर्क होगा।}

उकबा बिन आमिर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللهُ لَهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللهُ لَهُ»(مسند أحمد: ٤/ ١٥٤)

"जिसने (बीमारी से बचने के लिए) कोई तमिमा (तावीज, मनका वगैरह) लटकाया, अल्लाह तआला उसकी मुराद पुरी ना करे। और जिसने सिप बांधी अल्लाह तआला उसे भी आराम और सकून ना दे।" (मुसनद अहमद 154/4)

{"मन तअल्लका तमिमतन फला अतमअल्लाहु लहु" (जिसने लटकाया अल्लाह तआला उसकी मुराद पूरी ना करे।) "तअल्लका" का मायना जहां लटकाने का है, वहां इसका मायना दिली लगाव और दिली झुकाव का भी है। गौया कोई चीज (बीमारी से बचने के लिए) लटकाने वाले का दिली लगाव और दिली झुकाव उसकी तरफ होता है।

"तमिमः" बुरी नजर से बचाव, नुकसान से बचाव और किसी की जलन से बचने की खातिर, मनके या कोई दूसरी चीज जो गले में पहनी और सीने पर लटकायी जाये, उसे तमिमा कहा जाता है। ऐसा करने वाले पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद दुआ फरमायी है कि अल्लाह तआला उसकी मुराद पूरी ना करे। तमिमा को तमिमा कहने की वजह भी है कि उसके बारे में इन्सान का यह अकीदा होता है कि मेरा काम यही (मनके वगैरह) पूरे और तमाम करेंगे। तो आपने इसी गलत यकीन की बिना पर बद दुआ फरमायी कि अल्लाह तआला उसका काम पूरा ही ना करे।

"व मन तअल्लका वदअतन फला वदअल्लाहु लहु" (और जिसने सिप (गले में) लटकायी अल्लाह तआला उसे आराम और सुकून ना दे।)

"वदआ" सिपों या मनको की एक किस्म है, जिसे लोग (गले में पहनकर) सीने पर रखते हैं या फिर बुरी नजर से बचने के लिए हाथ पर बांधते हैं। ऐसा करने वाले के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद दुआ फरमायी कि अल्लाह तआला ऐसे शख्स को आराम व सकून और राहत में ना रहने दे। क्योंकि उसने अल्लाह तआला के साथ शिर्क किया}

एक दूसरी रिवायत में यह अल्फाज हैं:

«مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ»(مسند أحمد: ٤/١٥٦)

"जिसने (बीमारी से हिफाजत की नियत से) तमीमा (तावीज, मनका वगैरह) लटकाया उसने शिर्क किया।"

इब्ने अबी हातिम ने हुजैफा रजि. के बारे में बयान किया है:

«أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً فِي يَدِهِ خَيْطٌ مِّنَ الْحُمَّى فَقَطَعَهُ»(ذكره ابن كثير في التفسير: ٤/ ٣٤٢)

"उन्होंने एक शख्स के हाथ में बुखार से बचाव के लिए धागा बंधा

हुआ देखा तो उन्होंने उसे काट डाला और यह आयत पढ़ी:

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ (يوسف١٢/١٠٦)

''और उनमें से अकसर लोग अल्लाह तआला पर ईमान लाने के बावजूद मुश्रिक हैं।'' (तफसीर इब्ने अबी हातिम, : 7/12040)

{''मिनल हुम्मा'' में लफ्ज ''मिन'' तअलील (वजह) का है। यानी उसने वो धागा बुखार को दूर करने और उससे बचने के लिए बांधा था। ''फकतअहु'' तो उन्होने उसे काट डाला'' इससे साबित हुआ कि किसी बीमारी से बचाव और शिफा के लिए धागे वगैरह बांधना ऐसा बड़ा गुनाह है, जिस पर नापसन्दगी का इजहार करना जरूरी और उसे काट डालना जरूरी है।

निज साबित हुआ कि जहन्नम से बचाव के लिए सिर्फ तौहीदे रबूबियत पर ईमान रखना कि हमारा परवरदीगार, राजिक, और हमारी जिन्दगी और मौत का मालिक अल्लाह है। यही बात काफी नहीं बल्कि इसके साथ साथ तौहीद फिल इबादत भी निजात (बचाव) के लिए शर्त है। इस आयत में शिर्क से मुराद बड़ा शिर्क है। मुसन्निफ (इमाम मुहम्मद रह.) यही बताना चाहते हैं कि सहाबा किराम रजि. बड़े शिर्क के बारे में नाजिल शुदा आयात से छाटा शिर्क भी मुराद लिया करते थे।}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. (बीमारी से बचाव की नियत से) छल्ला पहनना और धागे वगैरह बांधना सख्त मना है।
2. अगर सहाबी भी इस नियत से कोई चीज पहने, बांधे या लटकाये और उसी हालत में मर जायें तो वो भी कभी कामयाबी नहीं पा सकता। हदीस में सहाबा की इस ठोस बात के लिए गवाह भी मौजूद है कि छोटा शिर्क, बड़े गुनाहों में से है।

3. ला-इल्मी के कारण भी इन कामों के करने वाले को मजबूर नहीं समझा जायेगा।
4. यह चीजें दुनिया में भी फायदेमन्द नहीं बल्कि नुकसानदेह हैं क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ''यह तेरी बीमारी को और ज्यादा बढ़ायेगी।''
5. ऐसी चीजें इस्तेमाल करने वाले को सख्ती से रोकना चाहिए।
6. जो शख्स कोई चीज बांधे या लटकाएगा तो उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है।
7. तमीमा (तावीज, मनका वगैरह) लटकाना भी शिर्क है।
8. बुखार की वजह से धागा वगैरह बांधना भी शिर्क है।
9. हुजैफा रजि. का इस मौके पर सूरह युसूफ की आयत पढ़ना यह दलील है कि सहाबा किराम रजि. बड़े शिर्क की आयत को छोटे शिर्क के रद्द में पैश किया करते थे, जैसा कि सूरह बकरा की आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रजि. ने जिक्र किया है।
10. बुरी नजर से बचाव के लिए सीप बांधना भी शिर्क है।
11. (बीमारी से बचाव के लिए) तमीमा (तावीज, मनका वगैरह) लटकाने वाले और सीप वगैरह बांधने वाले के लिए बद दुआ की जा सकती है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ''अल्लाह तआला उसकी मुराद पूरी ना करे और उसे आराम ना दे।''

बाब: 7

दम (झाड़-फूँक) और तावीज़ात का बयान

{इस बाब में दम करने और करवाने का हुक्म हुआ है। ऐसे अजकार, दुआयें और बाबरकत अल्फाज जिन्हें पढ़कर फूंक मारी जाये, उन्हें दम कहते हैं।

उनमें से कुछ का बदन के हिस्सों पर और कुछ का रूहानी तौर पर असर होता है। कुछ उनमें से शरअन जाइज हैं और कुछ नाजाइज, हराम बल्कि शिर्क हैं। जिन दमों में शिर्किया अल्फाज ना हों, इस्लाम ने उनकी इजाजज दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

''ला बासा बिर्रुका मालमतकुन शिर्कन'' दम में अगर शिर्किया अलफाज ना हों तो वो जाइज हैं, उनमें कोई हर्ज नहीं।''

शिर्किया दम: वो हैं जिनमें गैर अल्लाह से मदद मांगी जाये या उनमें शैतान के नाम आते हों या दम कराने वाला यह अकीदा रखे कि यह अल्फाज खुद-ब-खुद असर पैदा करने वाले या नफा बख्श हैं। ऐसी सूरत हो तो दम नाजाइज और शिर्किया होगा।

और तमीमा यानी तावीजात से मुराद, चमड़े के टुकड़े, मनके, लिखे हुए बाज अल्फाज व कलिमात या अलग-अलग शक्लों की चीजें मसलन रीछ या हिरन का सर, खच्चर की गर्दन, स्याह कपड़ा, आंख की शक्ल की कोई चीज या मनकों की माला वगैरह कोई भी चीज गले में डालना, बांधना और लटकाना है। यह तमाम चीजें तमीमा यानी तावीज कहलाती हैं।

अलगर्ज हर वो चीज जिसके बारे में यह अकीदा हो कि यह खैर और भलाई का कारण और नुकसान से बचाव और उसके खत्म की वजह है, उसे तमीमा (तावीज) कहा जाता है। इस चीज की शरअन और तकदीरन बिलकुल इजाजत नहीं दी गयी। बाज लोग कहा करते हैं कि हम इन चीजों को किसी उम्मीद या लालच के नजरीये से या नुकसान

से बचने की खातिर नहीं बल्कि महज गाड़ी या घर की खुबसूरती के लिए लटकाते हैं।

याद रखना चाहिए कि इन चीजों को अगर किसी फायदा के लालच या नुकसान से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाये तो यह छोटा शिर्क होगा। फिर भी चूंकि इन्हें इस्तेमाल करने में मुश्रिकीन के साथ बराबरी है। इसलिए इन चीजों को सिर्फ खुबसूरती के लिए लटकाना भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गरामी है "मन तशबत्ताह बि कवमिन फहुव मिनहुम" जो शख्स जिन लोगों की देखा-देखी इख्तेयार करे, वो उन्हीं में से होगा।"}

हजरत अबू बशीर अन्सारी रजि. से रिवायत है:

«أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ، فَأَرْسَلَ رَسُولاً أَنْ لاَ يُبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيرٍ قِلاَدَةٌ مِّنْ وَتَرٍ، أَوْ قِلاَدَةٌ إِلاَّ قُطِعَتْ»

(صحيح البخارى، الجهاد، باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل، ح:٣٠٠٥ وصحيح مسلم، اللباس، باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير، ح:٢١١٥)

"वो एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी सफर में थे कि आपने एक आदमी को यह ऐलान करने के लिए भेजा कि किसी ऊंट की गर्दन में तांत का हार या कोई और हार ना रहने दिया जाये, बल्कि उसे काट दिया जाये।" (बुखारी 3005, मुस्लिम 2115)

{ऊंट के गलों से कलादा (हार) काटने का हुक्म इसलिए दिया था कि अरब समझते थे कि यह चीज ऊंटों और बकरियों से नजरबद को दूर करती है। ऐसा अकीदा रखना खिलाफे इस्लाम और शिर्क है।

(दौरे जाहिलीयत में रस्म थी कि कमान की तांत पुरानी हो जाती तो उसे बदल देते और पुरानी तांत को चौपायों के गले में डाल देते। उनका

ख्याल था कि इससे जानवर बूरी नजर से बचाकर रहता है। (मुतरजिम))}

इब्ने मसऊद रजि. बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना:

«إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ» (مسند أحمد: ١/ ٣٨١ وسنن أبي داود، الطب، باب تعليق التمائم، ح: ٣٨٨٣)

"बिलाशुबा झाड़ फूंक (दम), तावीज गण्डे और आपसी इश्को व मुहब्बत पैदा करने के लिए तैयार की जाने वाली चीजें, यह सब शिर्क हैं।" (मुसनद अहमद 381/1, सुनन अबू दाउद 3883)

{इस हदीस में यह बात हुक्म के साथ बयान हुई है कि बिलाशुबा तमाम के तमाम मंत्र, दम, हर किस्म के तावीज गण्डे और आपसी इश्को मुहब्बत पैदा करने के लिए तैयार की जाने वाली सब चीजें, शिर्क हैं। इन तमाम (शिर्किया) चीजों में से सिर्फ उस दम की रूख्सत और इजाजत है जिसकी वजाहत इस फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है।

(ला बाअसाबिरूक्का मालम तकुन शिरकन)

(सही मुस्लिम अस्सलाम बाबुल ला बासा बिर्रूका मालम यकुन फिहि शिर्कुन, 2200, सुनन अबू दाउद अत्तिब बाबो फिर्रूका हदीस नं. 3886)

"जिस दम में शिर्किया अलफाज शामिल ना हों, उसमें कोई हर्ज नहीं। यानी ऐसा दम जाइज है।"

और खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दम किया और करवाया है। इससे मालूम हुआ कि तमाम के तमाम दम शिर्क नहीं, बल्कि कुछ किस्म के दम शिर्क हैं और वो वही हैं, जिनमें शिर्किया अलफाज शामिल हों।

बाकी रहे "तमाईम" यानी तावीज गण्डे। तो उनके बारे में कुछ खास नहीं कि उनके जाइज होने की भी कोई सूरत हो। लिहाजा तावीज

गण्डों की तमाम किस्में शिर्क हैं।

"तिवालाहा" की वजाहत, शैख (मुहम्मद रह.) ने इस तरह बयान फरमायी है कि यह वो चीज हैं जिसे मुश्रिकीन एक खास अमल से तैयार करते और यह यकीन रखते थे कि यह मियां बीवी को एक दूसरे का महबूब बनाने का जरीया और सबब है।

यह जादू की एक किस्म है। आम लोग इसे सर्फ और अत्फ, यानी दिल को फैर देने और नरम कर देने का जरीया करार दिया करते थे।

दर हकीकत यह तावीज गण्डों ही की एक किस्म है, क्योंकि इसे एक खास अमल से तैयार किया जाता और जादूगर ही शिर्किया अलफ़ाज के जरीये उसे दम करता और अपने झूठे ख्याल में उसे मियां बीवी को एक दूसरे का महबूब बनाने का जरीया और सबब बताता। इस (जादू के अमल की) बिना पर यह जादू की किस्म भी हुई। और जादू अल्लाह तआला के साथ शिर्क और कुफ्र है।}

«مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ»(مسند أحمد:٤/ ٣١٠، ٣١١ وجامع الترمذي، الطب، بابٍ ما جاء في كراهية التعليق، ح:٢٠٧٢)

इस हदीस में तीन अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। "अत्तमाइम अर्रूक्का, अत्तिवलह"

"अत्तमाइम" से मुराद हर वो चीज है जो बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए उनके गले में या जिस्म के किसी और हिस्से पर लटकायी या बांधी जाती है। (यह शिर्क है) लेकिन जब वो चीज कुरआनी आयात पर मुस्तमिल हो (यानी कुरआनी तावीज हो) तो बाज सहाबा ने उसे जाइज करार दिया है और बाज ने नाजाइज। उन्हीं (नाजाइज करार देने वालों) में से एक अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. भी हैं।

{जो भी चीज, बुरी नजर दूर करने, नुकसान से बचाव या जान की बेहतरी व भलाई के लिए लटकायी या बांधी जाये, चाहे उसकी शक्लो

सूरत किसी भी किस्म की हो, वो "तमाईम" में शामिल है। किसी चीज पर कुरआनी आयात लिखकर उसे लटकाने या बांधने को बाज सहाबा ने जाइज करार दिया है, इसकी वजह यह है कि ऊपर वाली हदीस में अगरचे "तमाईम" को शिर्क कहा गया है। लेकिन जब कोई आदमी कुरआनी आयात लटका ले या बांध ले तो वो शिर्क का करने वाला नहीं होगा, क्योंकि उसने अल्लाह तआला की एक सिफत्त, कलामुल्लाह का कुछ हिस्सा लटकाया है, और अपने नुकसान को दूर करने के लिए किसी मख्लूक को अल्लाह का शरीक नहीं ठहराया।}

"अर्रूका" से मुराद वे काम हैं जिन्हें मंत्र, झाड़ फूंक और दम कहा जाता है (यह भी शिर्क है) लेकिन शरई दलील ने वज़ाहत कर दी कि जिस दम में शिर्किया अल्फाज ना हों वो जाइज हैं। चूनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरी नजर और जहरीले जानवर के डसने पर दम की रूख्सत और इजाजत फरमायी है।

"अत्तिवालह" से मुराद वो चीज हैं जिसे मुश्रिकीन इस नजरीये और यकीन से बनाते हैं और तैयार करते थे कि यह मियां बीवी को एक दूसरे का महबूब बनाने का जरीया और सबब है।

अब्दुल्लाह बिन उकैम रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ إِلَيْهِ»(مسند أحمد: ٤/ ٣١٠، ٣١١ وجامع الترمذي، الطب، باب ما جاء في كراهية التعليق، ح: ٢٠٧٢)

"जो शख्स कोई चीज (गले वगैरह में) लटकाये तो उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है।"

{इस हदीस में लफ्ज "शय्यन" जुम्ला शर्तिया में नकेरा इस्तमाल है, जिसमें तमाम चीजें शामिल हैं। यानी जो भी शख्स कोई भी चीज लटकायेगा वो उसी के हवाले कर दिया जायेगा। यह दलील चूंकि आम है और किसी चीज को अलग नहीं कहा गया तो जो शख्स इस इरादे से,

लटकाने की किसी चीज को जाइज करने की कोशिश करे, उसकी दलील उसी पर पड़ेगी और उसकी बात रद्द कर दी जायेगी।

जब किसी बन्दे को गैर अल्लाह के हवाले कर दिया जाये तो ख्सारा और नुकसान उसे हर तरफ से घेर लेता है। इनसान की इज्जत व फलाह कामयाबी और उसके इरादा व अमल की बेहतरी इसी में है कि वो अपने काम व बातों में और नुकसान को दूर करने के सिलसिले में अपना ताल्लुक और ध्यान सिर्फ एक अल्लाह की तरफ रखे। उसका लगाव, खुशी और उसका ताल्लुक सिर्फ अल्लाह तआला के साथ हो, अपने मामलात अल्लाह तआला ही के हवाले करे, भरोसा हो तो अल्लाह ही पर। अब जो शख्स अपने मामलात अल्लाह के हवाले कर दे और मख्लूक को अपने दिल से निकाल बाहर करे तो फिर चाहे आसमान और जमीन की तमाम मखलूकात उसके साथ धोका धड़ी और उसकी मुखालफत करे, अल्लाह तआला उसका साथ नहीं छोड़ता और उसके लिए बचाव की राह निकाल देता है। क्योंकि उसने भरोसा उस पर किया और अपना मामला उसके हवाले किया है जो बहुत ही अजमत व शान का मालिक है।}

रूवैफे रजि. फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझ से फरमाया:

«يَا رُوَيْفِعُ! لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُولُ بِكَ، فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ، أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا، أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِّنْهُ» (مسند أحمد: ١٠٨/٤، ١٠٩ وسنن أبي داود، الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به ح:٣٦)

"ऐ रूवैफे! शायद तुम देर तक जिन्दा रहो। तुम लोगों को बता देना कि जिस शख्स ने दाढ़ी को गिरह लगायी या (जानवर के) गले में तांत डाली या जानवर के गोबर या हड्डी के साथ इस्तंजा (पैशाब साफ) किया तो बिलाशुबा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)

उससे बरी और अलग है। ''

{तकल्लदा वतरन'', तकल्लदा के साथ ''वतरन'' का लफ्ज बोलने से एक खास मतलब मुराद है। वो यह कि गले में पहनी और डाली जाने वाली कोई चीज बजात खुद मना नहीं है, बल्कि मना उस सूरत में है, जब उसके बारे में यह यकीन रखा जाये कि यह बुराई से हिफाजत का जरीया है। जैसा कि तांत वगैरह के बारे में यही यकीन होता था

''फइन्ना मुहम्मदन बरिउम मिनहु'' बिलाशुबा मुहम्मद उससे अलग है।'' यह ऐसा अल्फाज है जिससे यह साबित होता है कि यह काम बड़े गुनाहों में से हैं। और यह अल्लाह और उसके रसूल की बहुत बड़ी नाफरमानी है। निज जिस तरह बड़ा शिर्क बड़े गुनाहों में से है, ऐसे ही छोटा शिर्क भी बड़े गुनाहों में शामिल है।}

सईद बिन जुबैर रजि. से मनकूल है, वो कहते हैं:

«مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِّنْ إِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ»(المصنف لابن أبي شيبة، ح:٣٥٢٤)

''जिस शख्स ने किसी की गर्दन से तमिमा (तावीज) काट फैंका, उसे एक गर्दन (गुलाम) आजाद करने के बराबर सवाब होगा।''

{इसमें तमाईम (तावीज) को काट फैंकने की बड़ाई बयान हुई है क्योंकि इन्हें लटकाना या बांधना अल्लाह के साथ शिर्क (छोटा) है और छोटे शिर्क के बारे में यह अजाब है कि यह जहन्नम को जरूरी करने वाला है।

जब किसी ने किसी की गर्दन से तमीमा (तावीज) काट फैंका तो जैसे उसकी गर्दन को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया, क्योंकि वो इस बुरे काम की वजह से जहन्नम की आग का हकदार हो रहा था। जब उसने तमीमा काट कर उसकी गर्दन को जहन्नम से आजाद कर दिया तो उसे भी इसी तरह का बदला मिलेगा।

उसकी गर्दन भी जहन्नम की आग से आजाद कर दी जायेगी। }
और वकीअ रह. के शागिर्द इब्राहिम नखई रह. से रिवायत करते हैं कि उन्होंने फरमाया:

«كَانُوا يَكْرَهُونَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْآنِ وَغَيْرِ الْقُرْآنِ»(المصنف لابن أبي شيبة، ح:٣٥١٨)

"इब्ने मसउद रजि. के शागिर्द, कुरआनी और गैर कुरआनी हर किस्म के तमाईम (तावीजात) को नापसन्द समझते थे।"

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. इस तफसील से दम और तावीजात का खुलासा होता है।
2. "तिवला" का मतलब भी साफ हुआ।
3. गैर इस्लामी दम, तावीज, और तिवला तीनों शिर्क है।
4. बुरी नजर और जहरीले कीड़ों के काटे का गैर शिर्किया दम मना नहीं।
5. कुरआनी तावीजात के बारे में अहले इल्म के अलग अलग ख्याल हैं। कुछ ने इन्हें जाइज और कुछ ने नाजाइज करार दिया है।
6. बुरी नजर से बचाव की खातिर जानवरों के गले में तांत बांधना शिर्क है।
7. तांत बांधने वाले के लिए सख्ती और फटकार आयी हुई है।
8. किसी के गले में बांधे हुए तावीज को काट फैंकने का सवाब और उसकी बड़ाई भी वाजेह हो रही है।
9. इब्राहिम नखई रह. का कौल अहले इल्म के मजकूरा बाला राय के मनाफी नहीं, क्योंकि उनके कलाम से अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. के असहाब यानी शागिर्द मुराद हैं।

❖❖❖

बाब : 8

जो शख्स किसी दरख्त या पत्थर वगैरह को मुतबर्रक (बरकत वाला) समझे

{ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है जो किसी दरख्त या पत्थर वगैरह को मुतबर्रक समझे? इसका जवाब यह है कि वो मुश्रिक है।

तबर्रुक का मायना, बरकत हासिल करना है। यानी खैर और भलाई की ज्यादती और उसके हमेशा हमेशा रहने की तमन्ना और ख्वाहिश रखना। कुरआन व सुन्नत के दलाईल से यह बात साबित होती है कि बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है। मख्लूक में से कोई, किसी को बरकत नहीं दे सकता। अल्लाह तआला का इरशाद है ''तबारकल्लजि नज्जलफुरकाना अला अब्दीही'' (सूरह फुरकान पारा 18 आ. 1)

''बाबरकत है वो जात जिसने अपने बन्दे पर फुरकान (कुरआन) नाजिल किया।'' यानी उसकी जात खैर व भलाई बहुत अजीम, बहुत ज्यादा और हमेशा रहने वाली है, जिसने अपने बन्दे पर कुरआन नाजिल किया और फरमायाः

''वबारकाना अलैहि वअला इसहाक'' (सूरह साफ्फात, पारा 23 आ.113)

''हमने इब्राहिम (अलैहि.) और इसहाक (अलैहि.) पर बरकतें नाजिल कीं।''

निज फरमायाः ''वज अलनि मुबारका'' (सूरह मरयम पारा 16 आ. 31)''(ईसा अलैहि. ने मां की गोद में कहा था) और अल्लाह ने मुझे बाबकरत बनाया है।''

तो बरकत देने वाला सिर्फ अल्लाह तआला है। मख्लूक में से किसी के लिए यह जाइज नहीं कि वो यह कहे कि मैंने फलां चीज में बरकत डाली या मैं तुम्हारे काम को बाबरकत बनाउंगा या तुम्हारा आना मुबारक है। चूंकि खैर, उसकी ज्यादती और उसका लाजिम होना और

हमेशगी सिर्फ उसी जात की तरफ से होता है जिसके हाथ में तमाम तर मामलात का इख्तेयार है, इसलिए लफ्ज "बरकत" की असल जगह व चश्मा सिर्फ अल्लाह तआला की जात है।

किताब व सुन्नत के दलाईल से वाजेह होता है कि जिन चीजों को अल्लाह तआला ने बरकत से नवाजा है, वो या तो कुछ जगह या वक्त हैं या बड़े मर्तबे वाले आदमी।

पहली किस्मः जगह या वक़्त

जाहिर है कि जब अल्लाह तआला ने बाज जगहों को बाबरकत बनाया है, जैसे बैतुल्लाह (कअबा) शरीफ और बैतुल मुकद्दस का आसपास वगैरह। तो इसका मतलब यह है कि उन जगहों में बहुत ज्यादा खैर और भलाई है जो हमेशा उनके साथ मिली हुई है और यह खैरो बरकत उनमें इसलिए रखी गयी है ताकि जिन लोगों को उनके देखने की दावत दी गयी है, उनमें यह चाहत और शौक पैदा हो कि वो हमेशा अपना ताल्लुक और दिली लगाव उनके साथ रखे।

उन जगहों के बाबरकत होने का यह मतलब बिलकुल नहीं कि वहां की सरजमीन या दीवारों को छुआ जाये क्योंकि यह बरकत उनके साथ इस तरह से लाजिम है कि किसी दूसरी चीज में नहीं जा सकती। यानी जमीन को छूने, वहां दफन होने और उसे बरकत वाला समझने से उसकी बरकत दूसरी जगह नहीं चली जाती।

किसी जगह के बाबरकत होने का मतलब यह है कि लोगों का दिली ताल्लुक उस जगह के साथ हो जैसे बेतुल्लाह अल-हराम है कि इसका कसद व इरादा करने वाला वहां जाकर उसका तवाफ करने वाला और इबादत करने वाला बहुत ही खैर का हकदार ठहरता है, यहां तक कि हजरे असवद भी एक बाबरकत पत्थर है। लेकिन उसकी बरकत भी इबादत ही की बिना पर है। यानी जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबाअ व इताअत करते हुए बतौरे इबादत उसे छूए और चुम्मा देगा वो उसकी इत्तेबाअ की बरकत भी पा लेगा। सैयदना उमर रजि. ने हजरे असवद को बोसा (चुम्मा) देते हुए फरमाया थाः

"इन्नी आलमु अन्नका हजर लातनफउ वलातजुर " (सही बुखारी हज्ज बाबो माजुकिरा फिलहजरिल असवद, हदीस 1597)

"मैं जानता हूं कि तू सिर्फ एक पत्थर है, तू कोई नफा दे सकता है ना कोई नुकसान।" यानी किसी में कोई नफा मुन्तकिल कर सकता है ना कोई तकलीफ करने की ताकत रखता है।

रहे टाईम, वक्त! तो किसी वक्त, माहे रमजान या इसके अलावा बड़ाई के हकदार और दूसरे दिनों के बाबरकत होने का मतलब यह है कि उनमें इबादात कर लेना और भलाई का इरादा करना जिस कद्र ज्यादती अज्रो सवाब का सबब है, इनके अलावा दूसरे दिनों में इस कद्र अज्रो सवाब नहीं।

दूसरी किस्मः जिस बरकत का ताल्लुक शख्सीयात के साथ है।

अल्लाह तआला ने अम्बिया रसूल की जात में बरकत रखी थी, यानी उनके जिस्म बाबरकत थे कि उनका कोई उम्मती अगर उनके अजसाब (जिस्मों) को हाथ लगाकर या उनका पसीना हासिल करके या उनके बालों से बरकत हासिल करना चाहता हो तो यह उसके लिए जाइज होता था, क्योंकि अल्लाह तआला ने उनके जिस्मों में बरकत रखी थी। इसी तरह सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक बदन भी बेहद मुबारक था।

अहादीस में आता है कि सहाबा किराम रजि. आपके पसीने, बालों और दीगर चीजों से बरकत हासिल किया करते थे। अम्बिया-ए-रसूल की बरकत जाति (पर्सनल) होती थी। इस बरकत और फजल व खैर का उनके जिस्मों से दूसरों तक मुन्तकिल होना मुमकिन था। और यह सिर्फ अम्बिया का खासा था।

रहे अम्बिया के अलावा दूसरे लोग तो अम्बिया के उम्मतीयों में से किसी के बारे में कोई दलील नहीं कि उसकी जात भी बाबरकत हो, यहां तक कि इस उम्मत की अफजल तरीन शख्सीयात, अबू बकर रजि. से भी बरकत लेने की कोई दलील नहीं।

यही वजह है कि सहाबा किराम रजि., ताबेईन और मुखजरेमिन (वो लोग जो अहदे नबवी में इस्लाम कबूल कर चुके थे लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात नहीं हुई थी) अबू बकर व उमर व उसमान व अली रजि. से इस तरह बरकत नहीं लिया करते थे जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों या वजू के पानी

से बरकत लेते थे। इन बुजुर्ग शख्सीयात की बरकत तो महज उनके अमलों की बरकत होती थी, ना कि जात की, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाति बरकत की तरह उनकी बरकत भी दूसरों तक मुन्तकिल (जा सके) हो सके।

लिहाजा यह कह सकते हैं कि हर मुसलमान में बकरत है और यह बरकत उसकी जात में नहीं बल्कि उसके अमल यानी इस्लाम, ईमान, अल्लाह पर यकीन और दिल में उसकी अजमत व जलालत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबाह की बकरत है और यह इल्म, अमल और नेकी की बरकत दूसरों तक मुन्तकिल नहीं हो सकती। इसका नतीजा यह निकला कि नेक लोगों से बरकत लेने का मतलब यह है कि नेकी में उनका साथ और पैरवी की जाये और अहले इल्म से बरकत लेने का मतलब यह है कि उनसे इल्म हासिल किया जाये और उनके उलूम से फायदा उठाया जाये। उनके जिस्मों को छूकर या उनके थूक से बरकत लेने का नजरीया व ऐतकाद रखना हरगिज जाइज नहीं। क्योंकि इस उम्मत के अफजल तरीन लोगों (सहाबा किराम रजि.) ने अपने से बेहतर सहाबा, अबू बकर व उमर व उसमान व अली रजि. के साथ कभी इस किस्म का मामला नहीं किया था।

मुश्रिकीन, झूठे खुदाओं से ताल्लुक कायम करके खैर और भलाई और उसके हमेशा हमेशा रहने की उम्मीद से बरकत लेते थे और यह बरकतें अलग अलग तरह की होती हैं जो कि सरासर शिर्किया हैं।

कोई शख्स, किसी दरख्त, पत्थर, जमीन के टुकड़े, गार, कब्र, पानी के चश्में या दीगर चीजों को, जिनके बारे में जाहिल लोग गलत यकीन रखते हैं, बरकत वाला समझे वो शिर्क है।

याद रहे! किसी दरख्त, पत्थर, कब्र या किसी जमीन के टुकड़े को बरकत वाला समझना उस वक्त बड़ा शिर्क बन जाता है जब कोई आदमी उनकी बरकत को पाने की उम्मीद में यह यकीन रखे कि उस दरख्त, पत्थर या कब्र वगैरह को जब वो छूयेगा, उसकी खाक में लतपत होगा या उसके साथ चिमटेगा तो यह उसके लिए अल्लाह की नजदीकी का वास्ता और जरीया होगा और जब उसके बारे में यह यकीन कायम कर लेगा कि यह अल्लाह की नजदीकी पाने का वसीला और वास्ता है

तो यह गैर अल्लाह को माबूद बना लेने की तरह होगा जो कि बड़ा शिर्क है।

जाहिलियत वाले लोग जिन दरख्तों और पत्थरों को पूजते या जिन कब्रों से बरकत लेते थे, उनके बारे में उनका यही ख्याल और यकीन होता था कि जब वो उनके पास मुजाविर बन कर ठहरेंगे, उनको छूयेंगे या अपने ऊपर कब्र की मिट्टी डालेंगे तो वो चीज, जमीन का टुकड़ा या उस जमीन के टुकड़े वाला या उसकी खिदमत गुजार रूह उनके लिए अल्लाह की नजदीकी मिलने का वास्ता और जरीया होगी, जैसा कि इरशाद बारी तआला है:

(वल-लजि-नत तखजु मिनदुनिहि औलियाआ मानाबुदुहु इल्ला लियुकर्रिबुना इलल्लाहि जुलफा) (सूरह जुमर पारा 23 आ. 3)

"जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा गैरों को अपना मददगार बना रखा है, वो कहते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह हमें अल्लाह के करीब तरीन कर दें।"

और बरकत , छोटा शिर्क उस वक्त होता है जब कोई आदमी कब्र की मिट्टी लेकर अपने ऊपर महज इस नजरीये से डाले कि यह मिट्टी बाबरकत है या अपना जिस्म किसी चीज के साथ इसलिए मले (रगड़े) कि उसके सबब से मेरा जिस्म बाबरकत हो जायेगा तो छोटा शिर्क है। क्योंकि उसने इबादत का हकदार गैर अल्लाह को नहीं ठहराया बल्कि उसने एक ऐसी चीज को (बरकत के पाने का) सबब ख्याल किया है जिसकी शरअन इजाजत नहीं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ﴿٢٠﴾ ﴾ (النجم ٥٣/١٩-٢٠)

"भला तुमने कभी लात, उज्जा और तीसरी घटिया और हकीर देवी मनात के बारे में भी गौर किया है।"(सूरह नज्म पारा 27 आ. 19-20)

{लातः यह सफेद रंग का एक पत्थर था जो ताईफ वालों का माबूद था। उस पर एक इमारत खड़ी की गयी थी। और उसके बहुत से खुद्दाम

(मुजाविर) भी थे। कबीला सकीफ मुसलमान हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बूत को तोड़ने और ढ़ाने के लिए सैयदना मुगैरा बिन शोअबा रजि. को रवाना फरमाया। उन्होंने जाकर उसे गिराया और तोड़ डाला।

उज्जाः यह मक्का और ताइफ के बीच एक दरख्त था। बाद में बबूल के तीन दरख्तों के ऊपर एक इमारत खड़ी कर दी गयी। उसके भी मुजाविर थे। वहां एक काहिना औरत थी जो इस शिर्क का अहतमाम किया करती थी। जब मक्का फतह हुआ तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद रजि. को उधर रवाना फरमाया। उन्होंने जाकर तीनों दरख्त काट डाले और उस काहिना औरत को जो लोगों को गुमराह करने के लिए जिन्नात को हाजिर किया करती थी, कत्ल कर डाला। दरअसल लोगों को उस दरख्त और शिर्क का अहतमाम करने वाली उस काहिन औरत के साथ खसूसी अकीदत व मुहब्बत थी।

मनातः यह मुश्रिकीन की एक तीसरी देवी थी जिसे अल्लाह तआला ने घटिया और हकीर कहा है। उसकी इज्जत के नजरीये से लोग उसके करीब जानवर जिब्ह करते और उस पर खून बहाया करते थे। वहां जानवर जिब्ह किये जाने और खून बहाये जाने की वजह से उसे (अरबी लुग्त के लिहाज से) ''मनात'' कहा जाता था।

मुनासिबतः इस आयत की इस बाब से वजह मुनासिबत यह है कि लात और मनात दोनों पत्थर थे जबकि ''उज्जा'' एक दरख्त था। इन पत्थरों और दरख्तों के साथ उस जमाने के मुश्रिकीन वही मामला किया करते थे जो बाद के जमानों के मुश्रिकीन पत्थरों, दरख्तों और गारों के साथ जाइज रखते आ रहे हैं जबकि कब्रों को माबूद बनाकर उनके करीब इबादत करना और उन्हें अपनी तवज्जुह व फरीयाद का मरकज बना लेना तो इससे भी खतरनाक जुर्म है।}

अबू वाकिदलैसी रजि. का बयान है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुनैन की तरफ जा रहे थे।

अभी हम नये नये मुसलमान हुए थे। (रास्ते में) मुश्रिकीन की एक बेरी थी। वो (अजमत और बरकत के ख्याल से) उसके पास आकर ठहरते और (बरकत के लिए) अपने हथियार भी उस पर लटकाया करते थे। उसका नाम "जाते अनवात" था। चलते चलते एक बेरी के पास से हमारा गुजर हुआ तो हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! जैसे उन मुश्रिकीन का "जाते अनवात" है, आप हमारे लिए भी एक "जाते अनवात" मुकर्रर फरमा दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اللهُ أَكْبَرُ! إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسٰى: ﴿ٱجْعَل لَّنَآ إِلَـٰهًا كَمَا لَهُمْ ءَالِهَةٌ﴾ لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ»(جامع الترمذي، الفتن، باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم، ح: ٢١٨٠ ومسند أحمد: ٥/٢١٨)

"अल्लाहु अकबर! यही तो (गुमराही और पहली कौमों के) रास्ते हैं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुमने तो वही बात की जो बनू इस्राईल ने मूसा अलैहि. से कही थी कि (ऐ मूसा) जैसे इन (बूत परस्तों) के माबूद हैं, आप हमारे लिए भी एक माबूद मुकर्रर कर दें। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:तुम भी पहली उम्मतों के तरीकों पर चलोगे।"

{यह हदीस सन्दन सही और अजीमुश्शान है। गौर कीजिए! मुश्रिकीन का उस बेरी के दरख्त के बारे में एक खास यकीन था और उस यकीन में तीन चीजें शामिल थीं।

(1) वो उसकी इज्जत व तकरीम करते थे।

(2) वो इज्जत और बरकत की नियत से उसके पास ठहरते और ऐतकाफ करते थे।

(3) वो अपने हथियार उस पर इस नियत से लटकाते थे कि उस दरख्त की बरकत उन हथियारों में आ जाएगी, जिससे यह तेज तर और

इस्तेमाल करने वाले के लिए बेहतर होंगे। उनके ऐतकाद में एक ही वक्त उन तीनों चीजों के शामिल होने की वजह से उनका यह काम बड़ा शिर्क था।

सहाबा में से जो लोग नये नये मुसलमान हुए थे, उन्होंने कहा: "ऐ अल्लाह के रसूल! जैसे उन मुश्रिकीन का जाते अनवात है, आप हमारे लिए भी एक जाते अनवात तय फरमा दें।" उनका ख्याल था कि यह अमल शिर्क में दाखिल नहीं है। और कलमा-ए-तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" से इस काम की मनाही नहीं होती। इसलिए औलमा का कहना है कि कभी कभी बड़े बड़े औलमा से भी शिर्क की बाज सूरतें मख्फी (छुपी) रह जाती हैं। जैसा कि सहाबा जो कि अरबी ग्रामर के खूब जानकार थे और फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए थे, उनसे भी तौहीद फिल इबादत की यह किस्म छुपी रही। उन नये मुसलमान सहाबा के उस चाहत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया: अल्लाहु अकबर! यही तो गुमराही के रास्ते हैं। उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है! तुमने वही बात कही जो बनी इस्राईल ने मूसा अलैहि. से कही थी कि : (ऐ मूसा)! जैसे उनके माबूद हैं, आप हमारे लिए भी एक माबूद मुकर्रर कर दें।"

आपने नसीहत के तौर पर उनकी इस चाहत को कौम-ए-मूसा (बनी इस्राईल) के इस मुतालबे की तरह करार दिया जो उन्होंने बूत परस्तों को देखकर मूसा अलैहि. से कहा था कि उनके माबूदों की तरह हमारा भी एक माबूद तय कर दें।

(नए मुसलमान) सहाबा की जो चाहत थी, उनका अमल उसके मुताबिक ना था और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोका तो वो रूक गये और अगर वो यह अमल कर बैठते तो यह बड़ा शिर्क होता। लेकिन जब उन्होंने सिर्फ जुबानी तौर पर चाहत पैश की थी और अमल नहीं किया तो वो उनका यह कौल छोटे शिर्क की किस्म से हुआ। क्योंकि इस चाहत में गैर अल्लाह के साथ ताल्लुक व रब्त का इजहार था। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नये तरीके से इस्लाम कबूल करने का हुक्म नहीं दिया।

इससे यह बात जाहिर होती है कि जिस बड़े शिर्क में मुश्रिकीन

फंसे थे, वो जाते अनवात से महज बरकत लेने तक महदूद नहीं था बल्कि उसकी इज्जत करना, वहां कयाम व ऐतकाफ करना और हथियार लटका कर बरकत के लेने का नजरिया रखना भी उसमें शामिल था। और यह बात पहले गुजर चुकी है कि जब किसी दरख्त या पत्थर वगैरह से बरकत लेने में यह ऐतकाद शामिल हो कि यह चीज अल्लाह की नजदीकी का जरीया और उसके सामने अपनी चाहत पैश करने का वसीला है और उससे बरकत लेने की बिना पर हाजत पूरी होने की उम्मीद ज्यादा मजबूत और काम का अंजाम बेहतर होगा तो यह बड़ा शिर्क है और जमाना -ए-जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के लोग भी यही कुछ किया करते थे।

मौजूदा जमाने में कब्रों के पुजारी और अहले बिदअत व खुराफात के आमाल व किरदार पर गौर करें तो पता चलता है कि कुफ्फार व मुश्रिकीन लात, उज्जा, और जाते अनवात के साथ जो मामला करते थे और उनके बारे में जैसा अकीदा रखते थे, आज के मुश्रिकीन कब्रों के साथ वैसा ही मामला करते और वैसा ही अकीदा रखते हैं। आजकल दुनिया में जिन जिन जगहों पर शिर्क हो रहा है, आप देखेंगे कि लोग कब्र के आसपास चारदीवारी और लोहे के जंगलों को भी उसी तरह बाबरकत समझते हैं, जबकि वो चारदीवारी और जंगले को छूते हुए यही ख्याल करते हैं कि गौया उन्होंने खुद कब्र वाले ही को छू लिया और हाथ लगा लिया है। इन चीजों की इज्जत करके वो समझते हैं कि गोया इस तरह उन्होंने कब्र वाले ही की इज्जत की है। ऐसा करना बहुत बड़ा शिर्क है। क्योंकि नफा पाने और नुकसान के खात्में के लिए उनके दिल गैर अल्लाह की तरफ झुकते है और वो यह अकीदा रखते हैं कि उन गैरों की इज्जत करने से हमें अल्लाह तआला का कुर्ब हासिल होगा। हालांकि मुश्रिकीन भी तो ऐसी ही बातें किया करते थे। जैसा कि अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में उनकी बात बयान की है, वो कहा करते थे "मा नाअबुदुहुम इल्लालियुकर्री बुना इलल्लाहि जुलफा" (सूरह जुमर पारा 24 आयत 3)

"हम इन (गैर अल्लाह) की पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं कि यह हमें अल्लाह तआला के करीब पहुंचा दे।"

आजकल के बाज मुश्रिक, बाज जगहों को हाथ लगाने या चिमटने को भी अल्लाह की नजदीकी का जरीया समझते हैं। मसलन लोग कअबा में आकर कअबा के बाहर वाले दरवाजों, दीवारों या बाज खम्बों को हाथ लगाते और चूमते हैं। अगर उनका अकीदा यह हो कि इस खम्बों में कोई रूह है या उसके करीब कोई हस्ती दफन है या कोई अच्छी रूह उन दरवाजों, दीवारों या सतूनों की खिदमत करती हैं इसलिए वो उन्हें छूते हैं तो उनका यह अमल ''बड़ा शिर्क'' यानी बहुत बड़ा शिर्क है। और अगर उनका अकीदा हो कि यह जगह बड़ी बाबरकत और मुकद्दस है और इसे छूना या हाथ लगाना फायदेमन्द हो सकता है तब यह अमल छोटा शिर्क है।}

मसाईल

1. ''सूरह नज्म'' की आयत 19-20 की तफसीर है।
2. सहाबा किराम रजि. के ''जाते अनवात'' मुकर्रर करने की ख्वाहिश की सही वजाहत भी मालूम हुई कि वो सिर्फ बरकत की खातिर 'जाते अनवात'' मुकर्रर कराना चाहते थे उनका मकसूद उसे माबूद बनाना ना था।
3. वाजेह रहे कि सहाबा किराम रजि. ने अपनी इस ख्वाहिश का सिर्फ ख्याल ही जाहिर किया था। उसे किया नहीं था।
4. और इससे उनका मकसद अल्लाह की नजदीकी हासिल करना ही था, क्योंकि उनका ख्याल था कि अल्लाह तआला उसे पसन्द फरमाता है। मगर हकीकत में उनकी यह बात ठीक नहीं थी।
5. सहाबा किराम रजि. जैसी अजीम हस्तियों पर शिर्क की यह किस्म छुपी रही तो आम लोगों का इससे अनजान या नाबलद (नाआसना) रहना ज्यादा मुमकिन है।
6. (नेक कामों के बदले में) सहाबा किराम रजि. से जो नेकियों और बख्शीश के वादे किये गये हैं, वो दूसरों को हासिल नहीं हो सकते।
7. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में सहाबा

रजि. को मजबूर ना जाना बल्कि आपने उनका रद्द करते हुए मामले की खतरनाकी इन तीनों जुमलों में बयान की "अल्लाहु अकबर इन्नाहस्सुनन, ला तत्तबिउन्ना सुनना मनकाना कबलकुम" "अल्लाह सबसे बड़ा है। यही तो गुमराही के रास्ते हैं। तुम पहली उम्मतों के तरीकों पर चलोगे।"

8. सबसे जरूरी बात जो असल मकसद है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा रजि. से यह फरमाना कि "तुम्हारी चाहत और तुम्हारी फरमाईश भी बनी इस्राईल जैसी है।" उन्होंने कहा था कि "ऐ मूसा! हमारे लिए भी एक माबूद मुकर्रर (तय) कर जिस तरह उनके माबूद हैं।" तो तुमने भी वैसी ख्वाहिश जाहिर कर दी।

9. इस किस्म के मकामात को बरकत वाला और पाक ना समझना भी तौहीद और कलमा-ए-तौहीद का तकाजा है। यह एक बहुत गहरी और छुपी बात है। यही वजह है कि सहाबा किराम रजि. भी उस तक नहीं पहुंच सके।

10. फतवा देते हुए फतवे पर कसम उठाना जाइज है। जबकि बिना मकसद और बिना वजह कसम उठाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत ना थी।

11. सहाबा रजि. के जाते अनवात की ख्वाहिश के बावजूद उन्हें मुरतद्द (इस्लाम से फिरा हुआ) नहीं समझा गया। इससे मालूम हुआ कि इस मसले (बरकत) में शिर्क बड़ा भी होता है और छोटा भी।

12. अबू वाकिद रजि. का यह कहना कि "उस वक्त हम नये नये मुसलमान हुए थे।" इससे पता चलता है कि उनके अलावा दूसरे सहाबा किराम रजि. को इस मामले का इल्म था कि ऐसा करना ठीक नहीं।

13. ताज्जुब होने के मौके पर "अल्लाहु अकबर" कहना जाइज है इसमें उन लोगों का रद्द है जो इसे ना पसन्द समझते हैं।

14. शिर्क व बिदअत के तमाम असबाब व जरियों को रोकना जरूरी है।

15. जाहिलीयत वालों की देखादेखी करना जाइज नहीं।
16. तालीम के दौरान व तदरीस किसी शागिर्द की गलती पर नाराजी का इजहार किया जा सकता है।
17. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "इन्नहस्सुनन" फरमाकर आम उसूल बयान फरमा दिया।
18. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह फरमाना कि "तुम पहली उम्मतों (यहूदी व इसाई) के तरीकों पर चलोगे।" यह हदीस आप की नबूवत की निशानी में से है। क्योंकि आज कल बिलकुल ऐसा हो रहा है।
19. अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में जिन कामों और बातों पर यहूद व इसाइयों की बुराई फरमायी है, वो दरअसल हमें खबरदार करना है ताकि हम इन कामों से बच कर रहें।
20. अहले इल्म के यहां यह उसूल तय है कि इबादात की बुनियाद अल्लाह तआला के हुक्म और अम्र पर है। अपनी मर्जी या ख्वाहिश से कोई इबादात मुकर्रर नहीं की जा सकती। इससे कब्र के सवालात पर आगाह करना है कि कब्र में पहला सवाल यह होगा कि "तेरा रब कौन है?" यह तो वाजेह है। अलबत्ता दूसरा सवाल "तेरा नबी कौन है?", इसका ताल्लुक गैब की बातों से है और तीसरा सवाल "तेरा दीन क्या है?" इस पर आयत "इजअल्लना इलाहन" दलादत करती है।
21. अहले किताब के तौर तरीके भी उसी तरह गलत हैं जैसे मुश्रिकीन का मजहब और उनके तौर तरीके गलत हैं।
22. जो शख्स नया नया मुसलमान हुआ हो, उसके दिल में कुफ्र व शिर्क के जमाने व शिर्क की आदात व अतवार का पाया जाना अकल से दूर नहीं। जैसा कि ऊपर वाले वाक्या में सहाबा रजि. के इस कौल से वाजेह है कि हमारे कुफ्र का जमाना भी नया नया गुजरा था, यानी हम अभी नये नये मुसलमान हुए थे।

❖❖❖

बाब: 9

गैर अल्लाह के लिए जानवर जिब्ह करना

{गैर अल्लाह के लिए जिब्ह करने की सख्त फटकार है और वो यह है कि यह अल्लाह तआला के साथ शिर्क है। जिब्ह से मुराद खून बहाना है।

जिब्ह में दो चीजें जरूरी होती हैं। (1) किसी का नाम लेकर जिब्ह करना 2. किसी की नजदीकी हासिल करने के लिए जिब्ह करना। पहली सूरत में असल चीज नाम है और दूसरी सूरत में इरादा।

दरअसल जानवर जिब्ह करते वक्त जिसका नाम लिया जाये उससे मदद मांगना मकसद होता है। मसलन अगर आप "बिस्मिल्लाह" कहेंगे तो इसका मतलब यह होगा कि मैं अल्लाह के नाम से मदद हासिल करते हुए और उसे बरकत वाला समझते हुए जिब्ह करता हूँ। रही बात इरादे की तो यह बन्दगी के इज्हार की एक सूरत है। नाम और इरादे के लिहाज से हमारे सामने चार सूरतें आती हैं।

1. अल्लाह का नाम लेकर उसकी नजदीकी हासिल करने के इरादे से जिब्ह करना। यह सरासर तौहीद और इबादत है। इस सूरत में जिब्ह करने के लिए दो शर्ते हैं। पहली तो यह कि अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के इरादे से जिब्ह करे, दूसरी यह कि अल्लाह का नाम लेकर जिब्ह करे। जैसे कुरबानी, हज में कुरबानी, और अकीका वगैरह। अगर जानबूझ कर अल्लाह का नाम ना लिया तो जिब्ह हलाल ना होगा। यह दोनों शर्ते एक ही वक्त तब हैं जब जिब्ह से अल्लाह की नजदीकी हासिल करने का मकसद हो। और अगर अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए नहीं बल्कि मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए या अपने खाने के लिए जिब्ह करे तो यह जाइज है, शरअन इसकी इजाजत है। क्योंकि उसने अल्लाह का नाम लेकर जिब्ह किया है, गैर अल्लाह का नाम नहीं लिया। यह सजा की धमकी में दाखिल होगा, न मनाही में।

(2) जिब्ह तो अल्लाह का नाम लेकर किया जाये लेकिन मकसूद उससे गैर अल्लाह को खुश करना हो। मसलन जिब्ह के वक्त यह कहे "बिस्मिल्लाह" मैं अल्लाह का नाम लेकर जिब्ह करता हूँ और इस जिब्ह से उसकी नियत, किसी मदफून (दफन शुदा) नबी या किसी बुजुर्ग को खुश करना हो।

बाज गांव वाले या शहरी लोगों का यह तरीका है कि वो किसी के आने पर उसकी इज्जत के लिए, बन-ठन के जानवरों को जिब्ह करके उसका स्वागत करते हैं। इस जिब्ह में अगरचे अल्लाह का नाम लिया जाता है। लेकिन चूंकि इससे मकसूद गैर अल्लाह को राजी करना होता है। इसलिए औलमा ने इस काम के हराम होने का फतवा दिया है। चूंकि इसमें गैर अल्लाह के लिए खून बहाया जाता है। इसलिए इसे खाना भी जाइज नहीं है। जब इस सूरत में किसी की इज्जत के लिए जिब्ह करना और खून बहाना जाइज नहीं तो फिर किसी मरे हुए (नबी या बुजुर्ग) की इज्जत (या नजदीकी हासिल करने) के लिए जिब्ह करना और खून बहाना तो और ज्यादा नाजाइज और हराम हुआ। क्योंकि खून बहाकर सिर्फ अल्लाह तआला ही की इज्जत करना जाइज है। जब रगों में खून उसी ने जारी किया है तो फिर इज्जत व इबादत का हकदार भी वही है।

(3) जिब्ह गैर अल्लाह का नाम लेकर किया जाये और उससे मकसद भी गैर अल्लाह की नजदीकी हो। मसलन "बिइसमिल मसीह" कहकर जिब्ह करे और नजदीकी भी मसीह ही का मकसद हो। यह बहुत बड़ा शिर्क है। शिर्क फिल मदद भी और शिर्क फिल इबादत भी।

इस तरह बदवी, हुसैन, जैनब, इदरूस, मरगीनानी या इनके अलावा वो शख्सियात जिनसे लोग इबादत और पूजा वाला मामला रखते हैं उनके नाम लेकर जिब्ह करने का भी यही हुक्म है। क्योंकि उनके नाम लेकर जिब्ह करते वक्त लोगों की नियत और इरादा उनकी खुशी और नजदीकी होती है। इसलिए यह दो तरह से शिर्क बन जाता है। एक तो मदद के पाने की वजह से और दूसरा इबादत, इज्जत और गैर अल्लाह के लिए खून बहाने की वजह से।

(4) जिब्ह गैर अल्लाह का नाम लेकर किया जाये और इससे मकसद,

अल्लाह की खुशी हो, और यह बहुत कम है। और कभी ऐसा भी होता है कि जिब्ह तो किसी बुजुर्ग के लिए किया जाये मगर नियत यह होती है कि इससे अल्लाह की नजदीकी हासिल की जाये तो यह भी दरहकीकत शिर्क फिल मदद और शिर्क फिल इबादत ही में शामिल है। अलगर्ज गैर अल्लाह की खुशी के लिए जिब्ह करना इबादत में शिर्क है और गैर अल्लाह का नाम लेकर जिब्ह करना मदद मांगने में शिर्क है। इसी लिए अल्लाह तआला ने फरमायाः
(वला ताकुलु मिम्मा लम युज करिसमुल्लाहि अलैहि वइन्नहु लफिसकुन वइन्नशयातिना ल यूहू न इला अवलैहा इहिम लियुजादीलुकुम व इन अतातुमुहुम इन्नकुम ल मुशरिकुन" (अलअनआम, पारा 7 आ. 121) "और जिन जानवरों (के जिब्ह) पर अल्लाह का नाम ना लिया जाये, उनमें से कुछ ना खाओ, और बिलाशुबा यह फिस्क और नाजाइज है और बेशक शैतान अपने दोस्तों की तरफ डालते हैं ताकि वो तुम्हारे साथ झगड़े और अगर तुमने उनकी बात मान ली तो बिलाशुबा तुम भी मुश्रिक हो जाओगे।"}

अल्लाह तआला का फरमान है

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾ ﴾ (الأنعام٦/ ١٦٢-١٦٣)

"कह दीजिए! बेशक मेरी नमाज, मेरी कुरबानी, मेरी जिन्दगी और मेरी मौत, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उसका कोई शरीक नहीं और मुझे इसी बात का हुक्म दिया गया है और मैं इसका सबसे पहला फरमां बरदार (मानने वाला) हूँ। (सूरह अनआम पारा 8 आ. 121)

{ इस आयत से साबित हुआ कि नमाज और कुरबानी दोनों इबादतें हैं। क्योंकि कुरबानी को अल्लाह के साथ खास किया गया है और मख्लूक के आमाल में से सिर्फ इबादात ही अल्लाह के साथ खास होती है। इसीलिए "सलाती" के बाद "वनुसुकि" फरमाया कि कुरबानी (खून

बहाना और जिब्ह करना) भी दूसरी इबादतों की तरह एक इबादत है और इसका हकदार भी सिर्फ अल्लाह तआला ही है। ''लिल्लाहि रब्बील आलमीन'' में लफ्ज ''अल्लाह'' पर मौजूद लाम इस्तहकाक का मायना दे रहा है। यानी नमाज, कुरबानी और दूसरी इबादत का हक अल्लाह रब्बुल आलमीन ही रखता है।

''ला शरी-क लहु'' नमाज में उसका कोई शरीक है ना कुरबानी में। लिहाजा इनकी अदायगी में ना तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाये और ना ही अल्लाह के अलावा किसी को इनका हकदार ठहराया जाये। इबादत का हकदार वही रब है जो बहुत बड़ी बादशाहत का मालिक है।}

निज अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝٢ ﴾ (الكوثر١٠٨/ ٢) (सूरह कोसर पारा 30 आ. 2)

''पस तुम अपने रब ही के लिए नमाज पढ़ो और कुरबानी दो।''

{अल्लाह तआला ने जिन कामों का हुक्म दिया है, वो इबादत ही हैं। क्योंकि तमाम जाहिरी और छुपे काम व बात जो अल्लाह तआला को पसन्द और महबूब हैं उन सबको इबादत ही कहा जाता है। इसी तरह नमाज और कुरबानी का भी अल्लाह तआला ने हुक्म दिया है और यह काम उसे महबूब और पसन्द हैं। इसलिए यह भी इबादत हैं।}

हजरत अली रजि. फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे चार बातें बताई:

«لَعَنَ اللهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ آوٰى مُحْدِثًا، وَلَعَنَ اللهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ»(صحيح مسلم، الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، ح:١٩٧٨)

1. ''जो शख्स गैर अल्लाह के लिए जानवर जिब्ह करे उस पर

अल्लाह तआला की लानत है।

2. जो शख्स अपने मां-बाप पर लानत करे, उस पर अल्लाह की लानत है।
3. जो शख्स किसी बिदअती को पनाह दे, उस पर भी अल्लाह की लानत है।
4. और जो शख्स हदूदे जमीन के निशानात को बदले उस पर भी अल्लाह की लानत है।''

{इस हदीस से साबित हुआ कि जो शख्स गैर अल्लाह को खुश करने और इज्जत के लिए जानवर जिब्ह करे, उस पर अल्लाह तआला की लानत है। अल्लाह तआला की लानत से मुराद उसकी रहमत से दूरी है। पस जिस शख्स पर खुद अल्लाह तआला लानत करे, वो उसे अपनी खास रहमत से दूर कर देता है।

जबकि उसकी आम रहमत मुसलमानों, काफिरों और तमाम मख्लूकात के शामिल हाल है। याद रहे कि जिस गुनाह पर अल्लाह तआला की लानत की फटकार हो वो बड़ा गुनाह होता है। चूंकि गैर अल्लाह को खुश करने और उसकी इज्जत की खातिर जिब्ह करना शिर्क है। इसलिए इसका करने वाला अल्लाह तआला की लानत, फटकार, और उसकी रहमत से दूरी का हकदार ठहरता है।}

तारिक़ बिन शहाब रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِي ذُبَابٍ، قَالُوا: وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: مَرَّ رَجُلَانِ عَلَى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لاَ يَجُوزُهُ أَحَدٌ حَتَّى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا، فَقَالُوا لأَحَدِهِمَا قَرِّبْ، قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي شَيْءٌ أُقَرِّبُ، قَالُوا لَهُ: قَرِّبْ، وَلَوْ ذُبَابًا، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلَّوْا سَبِيلَهُ، فَدَخَلَ النَّارَ، وَقَالُوا لِلآخَرِ:

قَرِّبْ، فَقَالَ: مَا كُنْتُ لأُقَرِّبَ لأَحَدٍ شَيْئًا دُونَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَضَرَبُوا عُنُقَهُ، فَدَخَلَ الْجَنَّةَ»(أخرجه أحمد في كتاب الزهد وأبونعيم في الحلية: ١/ ٢٠٣ كلاهما موقوفًا على سلمان الفارسي)

"एक शख्स एक मक्खी की वजह से जन्नत में गया और एक शख्स एक मक्खी ही की वजह से जहन्नम में जा पहुंचा। सहाबा किराम रज़ि. ने अर्ज किया: या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! वो कैसे? आपने फरमाया: "दो आदमियों का एक कौम पर गुजर हुआ। जिसका एक बूत था वो किसी को वहां से चढ़ावा चढ़ाये बगैर गुजरने की इजाज़त ना देते थे। उन लोगों ने उनमें से एक से कहा, चढ़ावा चढ़ावो। उसने कहा: मेरे पास चढ़ावे के लिए कुछ नहीं। उन्होंने कहा: तुम्हें यह काम जरूर करना होगा। चाहे एक मक्खी ही चढ़ाओ। उसने एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ा दिया। उन लोगों ने उसका रास्ता छोड़ दिया और उसे आगे जाने की इजाजत दे दी। वो उस मक्खी के सबब जहन्नम में जा पहुंचा। उन्होंने दूसरे से कहा: तुम भी कोई चढ़ावा चढ़ाओ। तो उसने कहा: मैं तो अल्लाह तआला के सिवा किसी के वास्ते कोई चढ़ावा नहीं चढ़ा सकता। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। और वो सीधा जन्नत में जा पहुंचा।

{इस हदीस से साबित हुआ कि बूत को खुश करने के लिए जानवर जिब्ह करना उस शख्स के लिए जहन्नम में जाने का कारण बना। जाहिर है कि यह काम करने वाला आदमी मुसलमान था जो अपने उस शिर्किया काम की वजह से जहन्नम में गया। इससे मालूम हुआ कि गैर अल्लाह को खुश करने और इज्जत के लिए जानवर जिब्ह करना और चढ़ावे चढ़ाना "बड़ा शिर्क " है। निज इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि गैर अल्लाह को खुश करने के लिए मक्खी जैसे बेकद्रो कीमत चीज का चढ़ावा चढ़ाना जब उस आदमी के लिए जहन्नम में दाखिल होने का कारण बना तो जो चीज नफा में इससे बड़ी और कीमती हो,

उसका चढ़ावा चढ़ाना उसी कद्र जहन्नम में दाखिल होने का कारण होगा।

"कर्रिब" चढ़ावा चढ़ाओ। इससे मालूम हुआ कि उस कौम के लोगों ने उन मुसाफिरों को इस काम के लिए (महज कहा था) मजबूर नहीं किया था। क्योंकि इससे पहले यह बयान है कि वो किसी को वहां से चढावा चढाये बगैर गुजरने की इजाजत ना देते थे। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं। क्योंकि अगर वो आदमी चाहता तो वापिस आकर किसी दूसरे रास्ते से चला जाता। और अगर कहा जाये कि उन लोगों ने चढ़ावा चढ़ाने की सूरत में कत्ल की धमकी दी थी इसलिए वो उस काम पर मजबूर था जबकि जबरदस्ती की सूरत में किसी अमल पर कोई पकड़ नहीं। इस का जवाब यह है कि यह वाक्या हमसे पहली उम्मतों का है। इकराह व अजबार (जबरदस्ती) की सूरत में दिल की तसल्ली के साथ बजाहिर कुफ्र वाले काम करने की इजाजत और उसकी पकड़ न करने का मसला सिर्फ इसी उम्मत की खासियत है। पहली कौमों में इसकी इजाजत ना थी।}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. आयत "कुल इन्ना सलाति वनुसुकी" की तफसीर मालूम होती है।
2. आयत "फसल्ली लि रब्बिका वअनहर" की तफसीर भी मालूम होती है।
3. हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले गैर अल्लाह के लिए जिब्ह करने वाले पर लानत फरमायी।
4. हदीस में है कि "अपने मां-बाप पर लानत करने वाला लानती है।" इससे यह मतलब निकलता है कि अगर तुम किसी के मां-बाप पर लानत करोगे तो वो तुम्हारे मां-बाप पर लानत करेगा। इस तरह तुम खुद अपने मां-बाप पर लानत का सबब बनोगे।
5. हदीस में है कि "जो शख्स किसी बिदअती को पनाह दे, वो लानती है।" इस हदीस में बिदअती से मुराद ऐसा शख्स है जिस

पर बिदअत के करने की वजह से अल्लाह तआला की तरफ से सजा वाजिब हो और वो उससे बचने के लिए किसी की पनाह ढूंढ रहा हो।

6. जो शख्स हुदूदे जमीन (बोर्डर) के निशानात व अलामात को आगे पीछे करके बदल डाले, वो भी लानती है।'' इससे ऐसे निशानात मुराद हैं जो जमीन के दो मालिकों की हदूदे मिलकियत को बताते हों और उन निशानात को बदलने से पड़ौसियों का हक मारना मकसद हो।

7. किसी खास शख्स पर और आम तौर पर गुनाहगार लोगों पर किसी का नाम लिए बगैर लानत करने में फर्क है।

8. एक मक्खी का चढ़ावा चढ़ाने के कारण एक आदमी के जहन्नम में जाने का वाक्या बड़ा नसीहत देने वाला है।

9. मक्खी का चढ़ावा चढ़ाने वाला जहन्नम में गया, हालांकि उसका मकसद शिर्क करना बिलकुल नहीं था। बल्कि उसने महज अपनी जान बचाने की खातिर ऐसा किया था।

10. ईमान वालों की नजर में शिर्क इस कद्र खतरनाक जुर्म है कि उस मौमिन ने कत्ल होना गवारा कर लिया, लेकिन बूतों की पूजा करने वालों का कहना नहीं माना, हालांकि उन्होंने उससे सिर्फ जाहिरी तौर पर अमल करने को कहा था।

11. शिर्क को करके जहन्नम में जाने वाला शख्स मुसलमान था। अगर वो काफिर होता तो आप यूं ना फरमाते ''वो एक मक्खी की वजह से जहन्नम में गया।''

12. इस हदीस से एक दूसरी सही हदीस की ताईद भी होती है, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:
(अलजन्नतु अकरबु इला अहदिकुम मिन शिराकि नआलिही वन्नारू मिसलु जालिक) (सहीह बुखारी, रिकाक, बाबुल जन्नति, अकरबो इला अहादिकुम मिन शिराकि नआलिही वन्नारू मिसलु जालिका) हदीस 6488
''जन्नत और जहन्नम तुम में से हर एक के जूते के तस्में से भी ज्यादा करीब है।''

13. बूत परस्तों समैत हर एक के नजदीक दिली अमल सबसे ज्यादा जरूरी और बहुत बड़ा मकसद होता है।

बाबः 10

जहाँ गैर अल्लाह के नाम पर जिब्ह किया जाता हो वहां अल्लाह तआला के नाम पर जिब्ह करना जाइज (सही) नहीं।

{इस बाब से यह बयान करना मकसूद है कि जिस जगह गैर अल्लाह के नाम पर जानवर जिब्ह किये जाते हों, वहां या उसके आसपास अल्लाह तआला के नाम पर जानवर जिब्ह करना भी जाइज नहीं क्योंकि इस तरह गैर अल्लाह के लिए जिब्ह करने वालों के साथ मुशाब्हत (बराबरी) हो जाती है।

मसलन मुश्रिकों या बिदअतियों की नजर में कोई जगह काबिले इज्जत हो या कोई कब्र वगैरह जहां कब्र वालों को खुश करने की नियत से जानवर जिब्ह किये जाते हों, किसी सच्चे मुसलमान के लिए ऐसी जगह पर जानवर जिब्ह करना जाइज नहीं। अगरचे वो जबीहा अल्लाह तआला के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि इस तरह उस जगह की इज्जत में उन मुश्रिकीन से बराबरी हो जाती है जो उन जगहों पर गैर अल्लाह के लिए अलग अलग इबादात करते हैं। पस जहां गैर अल्लाह के लिए जानवर जिब्ह किये जाते हों, वहां अल्लाह तआला के लिए भी जानवर जिब्ह करना न सिर्फ नाजाइज बल्कि शिर्क का जरीया है। इससे उस जगह की इज्जत जाहिर होती है। जबकि यह अमल हराम और शिर्क का जरीया है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है

﴿ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ ﴿١٠٨﴾ ﴾

(التوبة٩/١٠٨)

"(ऐ नबी!) "आप कभी उस (मस्जिदे जिरार) में (इबादत के लिए) खड़े ना हों, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन ही से तकवा (अल्लाह के डर) पर रखी गयी है, वो ज्यादा सही हैं कि आप उसमें (इबादत के लिए) खड़े हों। उसमें ऐसे लोग हैं जो पाक साफ रहने को पसन्द करते हैं और अल्लाह को भी सफाई और पाकिजगी इख्तेयार करने वाले लोग ही पसन्द हैं।"(सूरह तौबा पारा 11, आ.108)

{मुनाफिकीन (दोगलों) ने अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी में एक मस्जिद बनाई, जिसे कुरआन में "मस्जिदे जिरार" कहा गया है, चूंकि मस्जिद बनाने वालों की असल गर्ज, अल्लाह तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी थीं। वहां नमाज पढ़ने से उनकी मदद, उनकी तादाद में बढ़ातरी, और आम लोगों के लिए वहां नमाज अदा करने का जाइज होना साबित होता था। इसलिए अल्लाह तआला ने इस आयत में अपने नबी को और सहाबा को इस मस्जिद (जिरार) में नमाज अदा करने बल्कि खड़े होने तक से मना फरमा दिया। हालांकि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बाकी मौमिनीन अगर वहां नमाज अदा करते तो वो सिर्फ अल्लाह तआला के लिए नमाज अदा करते। वहां नमाज अदा करने से उनका मकसद, दीन को नुकसान पहुंचाना या मुसलमानों में फूट पैदा करना या अल्लाह और रसूल की मुखालफत बिलकुल ना होता। मगर इसके बावजूद उन्हें वहां नमाज अदा करने से इसलिए मना कर दिया गया कि मुनाफिकीन के साथ शिरकत या बराबरी ना हो। इसी तरह जिस जगह पर गैर अल्लाह के लिए जानवर जिब्ह किये जाते हों, वहां अल्लाह तआला के लिए जानवर जिब्ह करना

भी जाइज नहीं। अगरचे इससे सिर्फ अल्लाह तआला की खुशी ही मकसद क्यों ना हो। क्योंकि इस तरह उस जगह की इज्जत और मुश्रिकीन से बराबरी होती है।}

साबित बिन जहाक रजि. से रिवायत है

«نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلاً بِبُوَانَةَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِّنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَهَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِّنْ أَعْيَادِهِمْ؟ قَالُوا: لاَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَوْفِ بِنَذْرِكَ، فَإِنَّهُ لاَ وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلاَ فِيمَا لاَ يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ»(سنن أبي داود، الأيمان، باب ما يؤمر به من وفاء النذر، ح:٣٣١٣ والسنن الكبرى للبيهقي، ح:١٠/ ٨٣)

"एक आदमी ने बुवाना के मुकाम पर ऊंट जिब्ह करने की नजर मानी, उसने उसके बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, तो आपने फरमायाः क्या वहां दौरे जाहिलीयत (इस्लाम से पहले) के किसी बूत की पूजा होती थी? सहाबा ने कहाः नहीं! आपने और पूछाः क्या वहां मुश्रिकीन का कोई त्यौहार होता था? सहाबा ने कहाः नहीं। आपने फरमायाः तुम अपनी नजर पूरी कर लो। याद रखो। जो नजर अल्लाह तआला की नाफरमानी के बारे में हो, या इन्सान के बस में ना हो, उसे पूरा करना हरगिज जाइज नहीं।

{यह जगह ऐसी थी जिसकी तफसील मालूम की जाती। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे तफसील से बयान फरमाया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सवाल से मालूम होता है कि अगर यह बात होती कि वहां जाहिलीयत के किसी बूत की पूजा हो रही है तो वहां कुरबानी करने की हरगिज इजाजत ना होती। यहां हदीस बयान करने का भी यही मकसद है।

"अलईद" वो जगह जहां लोग बार बार आयें या वो घड़ी और जमाना जो बार बार लौट कर आये। किसी जगह को ईद इसलिए कहा जाता है कि वहां लोगों का बार बार आना होता है और एक खास व तयशुदा वक्त में लोग उस जगह की तरफ आते हैं। इसी तरह जमाने भी एक फिक्स वक्त में बार बार लौट कर आते हैं। इसलिए उन्हें भी ईद कहा जाता है।

और यकीनी बात है कि मुश्रिकीन की ईदें...... चाहें जगहें हों या जमाने और वक्त.... उनके अपने शिर्किया दीन ही पर मब्नी होती है। यानी वो अपनी ईदों में शिर्किया इबादात करते हैं और उन मौकों पर जहां वो और बहुत से काम करते हैं, वहां उनका सबसे बड़ा काम गैर अल्लाह की खुशी के लिए जिब्ह करना और खून बहाना होता है।

चूनांचे मालूम हुआ कि जहां मुश्रिकीन गैर अल्लाह की खुशी के लिए जिब्ह करते हों, वहां उनके साथ शरीक होकर उनकी जाहिरी बराबरी इख्तेयार करना हरगिज जाइज ना होगा। अगरचे वहां सिर्फ अल्लाह की खुशी के लिए जिब्ह क्यों ना किया जाये। और चाहे अल्लाह की खुशी की खातिर नमाज क्यों ना पढ़ी जाये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी से फरमाया

"अवफि बिनजरिका फइन्नहु ला वफाआ लिनजरीन फि मअसियतिल्लाह" "तू अपनी नजर पूरी कर क्योंकि जिस नजर में अल्लाह की नाफरमानी होती हो उसे पूरा करना हरगिज जाइज नहीं।"

औलमा का कहना है कि "फइन्नहु" में 'फा' इस बात पर दलालत करती है कि नजर पूरी करने की इजाजत का सबब यह है कि इस नजर में अल्लाह की नाफरमानी नहीं है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आदमी से तफसील मालूम करना इस बात पर दलालत करता है कि जहां किसी बूत की पूजा होती हो या मुश्रिकीन की कोई ईद और त्यौहार हो, वहां अल्लाह के लिए जिब्ह करना अल्लाह की नाफरमानी करना होगा।}

मसाईल (इसमें कई बातें हैं)

1. आयते मुबारका (ला तकुम फिहि अब्दन) की तफसीर मालूम हुई।
2. कभी कभी अल्लाह तआला की फरमाबरदारी या नाफरमानी जमीन पर भी असर अन्दाज होती है।
3. कोई मुश्किल मसला समझाने के लिए सूरते मसला को अच्छी तरह साफ करना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई दिक्कत ना रह जाये।
4. फतवा देने वाला, सवाल करने वाले से जरूरत के मुताबिक किसी सवाल को तफसील और खुलासे के साथ पूछ सकता है।
5. मन्नत और नजर के लिए किसी खास जगह को मुकर्रर करने में कोई हर्ज नहीं, बशर्ते कि उसमें कोई दीनी रूकावट ना हो।
6. जिस जगह पर कोई "वसन" (बूत) हो, वहां नजर पूरी करना या कोई दूसरी इबादत करना मना है, चाहे अब उसे वहां से खत्म कर दिया गया हो।
7. जहां मुश्रिकीन का कोई मेला या त्यौहार मनाया जाता हो, वहां पर भी नजर पूरी नहीं की जा सकती, चाहे वो सिलसिला बन्द ही हो चुका हो।
8. अगर किसी ने मुश्रिकीन के बूत या त्यौहार वाली जगह की नजर मानी हो तो उसे पूरा करना जाइज नहीं, क्योंकि यह नाफरमानी की नजर है जो कि नाजाइज है।
9. मुश्रिकीन के त्यौहार में शरीक होकर उनकी बराबरी से बचना चाहिए, अगरचे उनकी बराबरी का इरादा ना हो।
10. जिस नजर में अल्लाह तआला की नाफरमानी हो, वो गलत है।
11. जो काम इन्सान की ताकत में ना हो, उसकी नजर मानना भी नाजाइज और गलत है।

❖❖❖

बाब: 11

अल्लाह के अलावा दूसरों की नजरो नियाज (मनौती) शिर्क है

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿يُوفُونَ بِالنَّذْرِ ۝﴾ (الدهر٧٦/ ٧)

"यह लोग नजर पूरी करते हैं।" (सूरह दहर पारा 29, आ.7)

{इस आयत में अल्लाह तआला ने नजर पूरी करने वालों की तारीफ फरमायी है। इससे साबित हुआ कि यह इबादत जाइज और अल्लाह तआला को महबूब है। और चूंकि यह इबादत है, इसलिए इसे गैरूल्लाह के लिए करना "बड़ा शिर्क" है।}

निज इरशाद है:

﴿وَمَآ أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُهُۥ﴾

(البقرة٢/ ٢٧٠)

"और तुम अल्लाह की राह में जो कुछ भी खर्च करो या जो भी नजर मानो, अल्लाह उसे जानता है।" (सूरह बकर पारा 2, आ.270)

सेय्यदा आईशा रजि. फरमाती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ نَذَرَ أَنْ يُّطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَّعْصِيَ اللهَ فَلَا يَعْصِهِ»(صحيح البخارى، الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة. الخ، ح:٦٦٩٦، ٦٧٠٠ وسنن أبي داود، الأيمان والنذور، باب النذر في المعصية، ح:٣٢٨٩)

"जो कोई अल्लाह की इताअत की नजर माने तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह की इताअत करे और जो शख्स अल्लाह की नाफरमानी की नजर माने तो वो अल्लाह की नाफरमानी न करे।"

(हदीस सही बुखारी 6697)

{"मन नजरा अय्युतिअल्लाहा फलयुतिहु" जो शख्स अल्लाह तआला की बात मानने की नजर माने उसे चाहिए कि वो अल्लाह तआला की इताअत करे।" इसमें जाइज नजर पूरी करने का हुक्म है। इससे मालूम हुआ कि यह ऐसी इबादत है जो अल्लाह तआला को बहुत ज्यादा महबूब और पसन्द है। क्योंकि जो अमल शरअन वाजिब हो, वो इबादत होता है। और जो अमल इबादत के करने का वसीला और जरीया हो, वो भी इबादत होता है। चूंकि नजर पूरी करने का वसीला और जरीया नजर मानना है, अगर नजर ही ना मानी हो तो पूरी कैसे होगी? लिहाजा नजर को पूरा करना इसलिए वाजिब हुआ कि इन्सान ने इस इबादत (नज़र) को खुद अपने आप पर जरूरी कर लिया है।

"व मन नजरा अय्यासियल्लाहा फला याअसिहि" और जो शख्स अल्लाह तआला की नाफरमानी की नजर माने तो वो अल्लाह तआला की नाफरमानी ने करे।" क्योंकि इन्सान का अपने आप पर अल्लाह की नाफरमानी को लाजिम कर लेना, अल्लाह की तरफ से वारिद शुदा नाफरमानी की मुमानियत के खिलाफ है। बल्कि ऐसे इन्सान पर कसम का कफ्फारा लाजिम आता है। जिसकी तफसील हदीस की किताबों में मौजूद है।

अल्लाह तआला के लिए नजर मानना एक बहुत बड़ी इबादत है और गैर अल्लाह के लिए नजर मानना भी इबादत है। जो हराम है। गैर अल्लाह के लिए नजर मानने वाला जब अपनी नजर पूरी करता है तो वो गैर अल्लाह की इबादत कर लेता है। जबकि अल्लाह तआला के लिए नजर मानने वाला जब अपनी नजर पूरी करता है तो वो अल्लाह तआला की इबादत कर लेता है।}

मसाईल

1. इताअत वाली नजर को पूरा करना जरूरी है।
2. जब यह साबित हो चुका कि नजर अल्लाह तआला की इबादत है तो फिर उसे गैर अल्लाह के लिए मानना और पूरा करना शिर्क है।
3. जो नजर नाफरमानी पर टिकी हो, उसे पूरा करना जाइज नहीं।

बाब : 12

अल्लाह के अलावा दूसरों से पनाह (पनाह, ठिकाना) मांगना शिर्क है

{गैर अल्लाह से पनाह मांगना, बड़ा शिर्क है। इस्तआजा का मायना "पनाह मांगना" है। यानी जो चीज इन्सान को बुराई से बचाकर रख सके, उसकी चाहत और जूस्तजू करना। और तलब व जुस्तजू तवज्जुह और दुआ की एक किस्म है। क्योंकि जुस्तजू में बुनियादी चीज यही होती है। चूंकि जिससे कुछ मांगा जाये वो मांगने वाले से मुकाम व मर्तबे में उंचा और बुलन्द होता है। इसलिए उससे ताल्लुक रखने वाले काम को दुआ कहा जाता है। लिहाजा दरहकीकत इस्तआजा से मुराद पनाह लेने की दुआ करना है। और जब यह दुआ है तो इबादत भी है। और हर किस्म की इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह तआला है। इस पर उम्मते मुसलिमा का इत्तेफाक भी है और कुरआन की आयात भी इसी बात पर दलालत करती है। इरशाद बारी तआला है:

(वअन्नलमस्जिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदन"

(सूरह जिन्न पारा 29, आ.18)

"और बिलाशुबा सब मस्जिदें अल्लाह की हैं तो तुम अल्लाह के साथ किसी को मत पुकारो।"

निज फरमाया:

(व-कजा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याहु) (सूरह इसरा पारा 15, आ. 23)

"और तेरे रब ने हुक्म दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो।" बल्कि हर वो दलील जिसमें सिर्फ अल्लाह से दुआ करने और उसी की इबादत करने का जिक्र है, वो खास इस मसले (इस्तआजा) की दलील भी है।

और जो पनाह अल्लाह तआला ही से सही है दरहकीकत उसमें जाहिरी अमल और अन्दरूनी अमल दोनों शामिल है। जाहिरी अमल तो पनाह लेना, बुराई से महफूज होना और बचना है और अन्दरूनी अमल यह है कि जिससे पनाह मांगी जा रही है। उससे दिली लगाव और दिली तमन्ना रखना, अपनी बेचारगी और जरूरत उसे पेश करना और अपने बचाव का मामला भी उसी के हवाले कर देना।

लिहाजा बिलइत्तेफाक यह पनाह लेना, अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी दूसरे से दुरूस्त नहीं।

और जब यह कहा जाता है कि जो चीज मख्लूक के बस में है, उसकी पनाह मखलूक से मांगना जाइज है तो यह इस वजह से कि ऐसे दलाइल मौजूद हैं जो इस बात की दलालत करते हैं और इससे मुराद यह होती है कि मखलूक से पनाह सिर्फ जुबानी तौर पर मांगी जाती है, दिली इत्मिनान और लगाव अल्लाह तआला ही के साथ होता है और यह अच्छा गुमान होता है कि यह बन्दा तो सिर्फ एक जरिया है, दरहकीकत पनाह देने वाला सिर्फ अल्लाह तआला ही है।

लिहाजा जब जाहिरी तौर पर मखलूक से पनाह मांगी जाये और दिली रूझान और तवज्जुह इन्सानों की तरफ ना हो तो फिर इन्सानों से पनाह मांगना जाइज होगा। इसी लिए बुरे लोगों की यह बात गलत है कि मुर्दो, जिन्नात, औलिया किराम और दीगर मखलूक से उन चीजों की पनाह मांगना जाइज है जो उनकी कुदरत और ताकत में हैं और अल्लाह तआला ने उन्हें पनाह देने की कुदरत भी दे रखी है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَأَنَّهُۥ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ۝٦﴾

(الجن ٧٢/٦)

''और बाज लोग जिन्नात की पनाह पकड़ा करते थे तो इस तरह वो (जिन्नात) घमण्ड में और बढ़ गये।'' (सूरह जिन्न पारा 29, आ.6)

{यहां "रहकन" का मायना यह है कि उनके दिलों में इस कद्र डर व बैचेनी पैदा हो गई कि वो (जिन्नात) उन पर जुल्मो ज्यादती करने लगे। जुल्म जिस्म पर भी होता है और रूह पर भी। गोया उन पर जिन्नात का यह जुल्म बतौरे सजा था और सजा किसी गुनाह पर होती है (तो मालूम हुआ कि गैर अल्लाह से पनाह मांगना गुनाह है)

आयते मुबारका में उन लोगों की बुराई बयान हुई है और यह बुराई सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने इस इबादत का हकदार गैर अल्लाह को ठहराया जबकि अल्लाह तआला का हुक्म है कि उसके सिवा किसी से पनाह ना मांगी जाये। इमाम कतादा रह. और बाज दीगर औलमा-ए-किराम का कौल यह है कि "रहकन" का मायना "गुनाह" है। इससे वाजेह तौर पर यह मालूम होता है कि गैर अल्लाह से पनाह मांगना गुनाह का जरीया है।}

खवला बिन्ते हकीम रजि. कहती हैं कि, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स किसी जगह कयाम करे, और यह दुआ पढ़ ले:

«أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ»(صحيح مسلم، الذكر والدعاء، باب في التعوذ من سوء القضاء، ح:٢٧٠٨ وجامع الترمذي، الدعوات، باب ما جاء ما يقول إذا نزل منزلا، ح:٣٤٣٧)

"मैं अल्लाह तआला के कामिल कलिमात की पनाह मांगता हूँ, हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की है।" (हदीस सही मुस्लिम 2708)

तो उसके वहां से रवाना होने तक कोई चीज उसे नुकसान ना पहुंचा सकेगी।

{नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के कलिमात की पनाह मांगने की फजीलत बयान फरमायी और बदमाश मखलूकात से

अल्लाह के कलमात की पनाह में आने का सबक दिया।

"मिन शर्री मा खलका" हर उस चीज की बुराई से जो उसने पैदा की है।" इससे मकसूद उन मखलूकात की बुराई से पनाह मांगना है जिनमें बुराई हो। वरना अल्लाह तआला की बहुत सी ऐसी पाकिजा मखलूकात भी हैं, जिनमें किसी किस्म की कोई बुराई नहीं, बल्कि वो सरापा खैर हैं, मसलन जन्नत, मलायका, अम्बिया, रसूल और औलिया वगैरह।}

मसाईल

1. इस बात से सूरह जिन्न की आयत नम्बर 6 की तफसीर होती है।
2. गैर अल्लाह की पनाह लेना शिर्क है।
3. इस दुआ से उलमा ने यह मसअला निकला है कि अल्लाह तआला के कलिमात (कलाम) मखलूक नहीं। अगर यह कलिमात मखलूक होते तो उनकी पनाह तलब ना की जाती। क्योंकि मखलूक से पनाह मांगना शिर्क है।
4. इस हदीस से मजकूरा दुआ की बड़ाई भी साबित होती है, अगरचे यह छोटी-सी है।
5. किसी से दुनियावी फायदा हासिल हो जाना मसलन किसी बुराई से हिफाजत या किसी फायदे का हासिल हो जाना, यह इस बात की दलील नहीं कि वो अमल जाइज ही है (बल्कि ऐन मुमकिन है कि वो अमल शिर्क भी हो)

बाबः 13

अल्लाह के अलावा दूसरों से फरियाद करना या उसे पुकारना शिर्क है

{अगरचे इस्तगासा (फरियाद करना) दुआ ही की एक किस्म है, लेकिन उसे खास तौर से अलग बयान किया गया है। क्योंकि जिस तरह दुआ एक चाहत और अरज होती है, उसी तरह पुकारना भी दरअसल अरज करना ही होता है।

इस्तगासा का मायना फरियाद है। जो शख्स बहुत दुख और परेशानी में इस कद्र फसा हो कि उसे सख्त नुकसान पहुंचने या उसके खत्म हो जाने का अन्देशा हो तो उसकी फरियाद रसी को गौस कहा जाता है। लिहाजा जब यह कहा जाय कि फलां ने फलां की पुकार सुनी तो इसका मतलब यह होगा कि उसने मदद करते हुए उसे उस मुसीबत से छुटकारा दिलाया। जिसमें वो जकड़ा हुआ था। चूनांचे जब इन्सानों से किसी ऐसे काम की फरियाद की जाये जो मखलूक के बस में ना हो, बल्कि सिर्फ अल्लाह के बस और उसकी कुदरत में हो तो यह फरियाद करना बड़ा शिर्क होगा। हां अगर मखलूक के बस में हो तो जाइज है। क्योंकि अल्लाह तआला ने मूसा अलैहि. के किस्से में कहा है:

(फसतगासहुल लजि मिन शिअतिहि, अलल्लजि मिन अदूविहि'' (सूरह कसस, पारा 20 आयत 15)

''जो शख्स मूसा (अलैहि.) की कौम से था, उसने उनसे अपने दुश्मन के खिलाफ फरियाद की।''

गैर अल्लाह को बतौर इबादत पुकारना बड़ा शिर्क है।

पुकार की दो किस्में हैं 1. बतौर सवाल पुकारना यानी अल्लाह से मांगने और तलब करने के लिए हाथ उठाकर उसे पुकारना। हमारे यहां आम तौर पर उसे दुआ कहा जाता है। 2. बतौरे इबादत पुकारना जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

(वअन्नल मसाजिदा लिल्लाहि फला तदउ मअल्लाहि अहदन''

"और बिलाशुबा सब मजिस्दे अल्लाह की हैं तो तुम उसके साथ किसी को मत पुकारो।" (सूरह जिन्न, पारा 29 आयत 18)

और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है "अद्दुआउ हुवल इबादह" कि "दुआ (पुकार) ही इबादत है।"

चूनांचे बतौरे इबादत पुकारना ऐसे ही होगा जैसे कोई आदमी नमाज पढ़ता या जकात अदा करता है, क्योंकि इबादत की कोई भी किस्म हो, उसे "दुआ" (पुकारना) कहा जाता है। लेकिन यह पुकारना बतौरे इबादत होता है। जब यह बात साबित हो चुकी तो फिर कुरआनी दलाईल और अहले इल्म की तरफ से पेश किये जाने वाले दलाइल को समझने के लिए मजकूरा बाला तफसील और तकसीम इन्तेहाई अहमीयत की हामिल है। क्योंकि असल खुराफात और शिर्क की दावत देने वाले लोग मसाला-ए-दुआ के बारे में आयी हुई आयत "वकाला रब्बुकुमुद ऊनी" (अलमौमिन 60/40) की गलत तफसीर करते हैं, जबकि दरहकीकत बतौरे सवाल पुकारने और बतौरे इबादत पुकारने में कोई फर्क नहीं। दोनों का एक दूसरे से ताल्लुक है। बतौरे सवाल पुकारना इबादत की एक किस्म है और बतौरे इबादत पुकारने से यह बात लाजिम आती है कि अल्लाह से कबूलियत का सवाल भी किया जाये।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٠٦﴾ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهِۦ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿١٠٧﴾ ﴾ (يونس١٠/١٠٦_١٠٧)

"और तुम अल्लाह को छोड़कर किसी को मत पुकारो जो तुम्हारा भला कर सके ना नुकसान, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम जालिमों (यानी मुश्रिकों) में से हो जाओगे और अगर अल्लाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाये तो उसके सिवा कोई उसे दूर नहीं कर सकता और

अगर वो तुम्हारे साथ भलाई करना चाहे तो कोई उसके फजल को रोक नहीं सकता। वो अपने बन्दों में से जिसे चाहता है अपने फजल से नवाजता है और वही बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है।''(सूरह युनूस, पारा 11 आयत 106-107)

{''वला तदउ मिन दुनिल्लाहि'' और अल्लाह को छोड़कर किसी को मत पुकारो।

यह मनाही है और इसमें सवाल के तौर पर और इबादत के तौर पर दोनों तरह पुकारने की मनाही है। शैख मुहम्मद रहमतुल्लाह ने भी इस आयत से यही मसला निकाला है। चूनांचे आयत का मतलब यह हुआ कि किसी इन्सान को इस बात की इजाजत नहीं कि वो अल्लाह के सिवा किसी और को बतौरे सवाल या बतौरे इबादत पुकारे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस हुक्म के सबसे पहले मुखातब इमामुल मुत्तकिन व इमामुल मुवहहिदीन मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।

''मिन दुनिल्लाहि'' में दो मतलब आते हैं। एक तो यह कि किसी को अल्लाह के साथ शरीक ठहराकर ना पुकारो और दूसरा यह कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को मत पुकारो।

''मा ला यनफउका वला यजुर्रुका'' जो तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान, इसमें अक्ल वाले मसलन फरिश्ते, अम्बिया व रसूल और औलिया और गैर अक्ल वाले, मसलन बूत, दरख्त और सभी शामिल हैं।

''फइन्न फअलता फइन्नका इजम मिनज्जालिमिन'' अगर आपने ऐसा किया यानी अल्लाह के साथ या अल्लाह को छोड़कर किसी को पुकारा जबकि वो तुम्हें कोई नफा पहुंचा सकता है ना नुकसान तो आप इस पुकारने की वजह से जालिमों में से हो जाओगे।

यहां जुल्म से मुराद शिर्क है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात कही जा रही है हालांकि उनके जरीये अल्लाह ने तौहीद को पूरा किया कि गैर अल्लाह को पुकारने की वजह से आप जालिम और मुश्रिक ठहरेंगे तो फिर जो शख्स गुनाहों से मासूम नहीं है

उसके लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है कि गैर अल्लाह को पुकारने की वजह से वो सबसे पहले जालिम और मुश्रिक ठहरेगा। इसके बाद अल्लाह तआला ने दिल से शिर्क की तमाम जड़ों को काटने के लिए फरमाया "वइं यमससकल्लाहु बिजुर्रीन फला का शिफा लहु इल्ला हुव्व" (सूरह युनूस, पारा 11 आ 110)

और अगर अल्लाह तआला तुम्हे कोई नुकसान पहुंचाये तो उसके सिवा कोई उसे दूर नहीं कर सकता।"

अगर अल्लाह की तरफ से आप को कोई नुकसान पहुंचे तो उसे कौन दूर करेगा? यकीनन वही जिसने मुकद्दर में लिखा और फैसला किया है। इससे गैर अल्लाह की तरफ रूख करने की बिलकुल मनाही है। लेकिन इसके बावजूद इस बात की इजाजत है कि जो काम इन्सान के बस में हो, उसके लिए उसकी तरफ रूख किया जा सकता है। मसलन मदद मांगना, पानी मांगना वगैरह। क्योंकि उसे अल्लाह ने मुश्किल हल करने का सबब और जरीया बनाया है। जबकि दरहकीकत मुश्किल दूर करने वाला तो सिर्फ अल्लाह ही है। "जुर्रून" कोई नुकसान। इसमें नुकसान की तमाम तर किस्में शामिल हैं यानी दीनी नुकसान हो या दुनियावी, बदनी हो या माली या बाल बच्चों में। हर किस्म के नुकसान को दूर करने वाला सिर्फ अल्लाह ही है।}

और फरमाने इलाही है:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَٱبْتَغُوا۟ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُوا۟ لَهُۥٓ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿١٧﴾﴾ (العنكبوت٢٩/١٧)

"तुम अल्लाह के सिवा जिनको पूजते हो, तुम्हें रिज्क देने की ताकत नहीं रखते। पस अल्लाह ही से रिज्क मांगो। और उसकी बन्दगी करो और उसका शुक्र करो। तुम उसी की तरफ लौटाये जाओगे।" (सूरह अनकबूत, पारा 20 आयत 17)

{"फबतगु इन्दल्लाहिर्रिजका" "पस अल्लाह तआला ही से रिज्क मांगा

करो।'' औलमा ए मआनी (मतलब बताने वाले मौलाना) ने लिखा है कि बयान में देर को पहले करने से तख्सीस हासिल होती है। लिहाजा इस आयत का मायना यह होगा कि तुम सिर्फ अल्लाह ही से रिज्क मांगा करो। इस मांगने को अल्लाह ही के साथ खास रखो, रिज्क मांगने के लिए गैर अल्लाह से फरयाद ना करो। रिज्क का लफ्ज आम है। हर वो चीज जो इन्सान को मिले और अता हो, उसे रिज्क कहा जाता है। इसमें सहत, आफियत और मालो दौलत सब कुछ शामिल है। इसके बाद अल्लाह तआला ने ''वअबुदुहु'' (और उसकी बन्दगी करो) फरमाया ताकि बतौरे सवाल और बतौरे इबादत दोनों तरह का पुकाराना उसमें शामिल हो जाये।}

और फरमाने इलाही है:

﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۝ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۝﴾ (الأحقاف٤٦/ ٥-٦)

''और उससे ज्यादा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़कर उनको पुकारे जो कयामत तक (उसकी पुकार सुनकर) उसे जवाब नहीं दे सकते और वो उनकी पुकार से गाफिल और बेखबर हैं और कयामत को जब तमाम इन्सान जमा किये जायेंगे तो उस वक्त वो उन पुकारने वालों के दुश्मन होंगे। और उनकी परशतिश (इबादत) का इनकार करेंगे।''(सूरह अहकाफ, पारा 26 आयत 5-6)

{इस आयत में उन लोगों की गुमराही की इन्तेहा बयान की गयी है जो अल्लाह तआला को छोड़कर मुर्दों को पुकारते हैं। इससे बूतों, पत्थरों और दरख्तों को पुकारना मुराद नहीं। क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया, ''मल्ला-यस-त-जी-बु लहु इला यौमिल कियामाह'' जो कयामत तक (उसकी पुकार सुनकर) उसे जवाब नहीं दे सकते और यह चीजें तो

कयामत के बाद भी नहीं सुन सकती, जबकि मुर्दे कयामत के बाद उठकर सुनने लगेंगे।

निज इसकी दूसरी दलील यह है कि आयत में ''मन'' हर्फ मौसूल है। यह अकल वाली चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो दूसरों से बात कर सकते हों और उनसे बात की जा सकती हो। वो खुद इल्म रखते हों और उनसे इल्म हासिल किया जा सकता हो।}

और अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوٓءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضِ ۗ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ ﴾ (النمل ٢٧/ ٦٢)

''जब कोई लाचार फरियाद करे तो कौन है जो उसकी पुकार और फरियाद को सुने? कौन उसकी तकलीफ को दूर करता है? और कौन है जो तुम्हें जमीन में खलीफा बनाता है। तो भला अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है? तुम लोग कम ही सोचते हो।'' (सूरह नमल, पारा 20 आयत 62)

{इस आयत से यह साबित होता है कि बेकस और लाचार आदमी की दुआ जो कि बतौरे सवाल होती है सिर्फ अल्लाह तआला सुनता है और फिर कभी इन्सान के पुकारने पर तकलीफ दूर करता है और कभी बगैर पुकारे। ''अ-इलाहुन म-अइल्लाहि'' तो भला अल्लाह के साथ और भी कोई माबूद है? यह सवाल इनकार के लिए है। यानी अल्लाह के साथ और कोई माबूद नहीं, जिसे पुकारा जाये या जो चीज सिर्फ अल्लाह के इख्तेयार में हो उसकी फरियाद उस (गैर अल्लाह) से की जाये।}

और इमाम तिबरानी रह. ने बासनद बयान किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक मुनाफिक मौमिनों यानी सहाबा किराम को बहुत तकलीफें दिया करता था। सहाबा ने मशवरा किया कि चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

खिदमत में हाजिर होकर उससे छुटकारे के लिए फरियाद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो! मुझसे फरियाद नहीं की जा सकती। बल्कि फरियाद व पुकार सिर्फ अल्लाह तआला से करनी चाहिए।"

{मजमउज जवाइद : (159/10) बाज रिवायत में है कि यह मशवरा देने वाले सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजि. थे। सहाबा किराम रजि. का इस मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगना जाइज था। क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में आप से ऐसी मदद तलब की जिस पर आप को जिन्दगी में कुदरत हासिल थी। चूंकि वो मुनाफिक अहले ईमान को तकलीफें दिया करता था, आप उसको कत्ल करने, कैद करने या उसके बारे में किसी सजा का हुक्म सुना कर या कोई दूसरा हुक्म देकर सहाबा की मदद कर सकते थे। सहाबा किराम रजि. ने एक ऐसे मामले में आपसे मदद मांगी, जिस पर आप को कुदरत थी। इस मौके पर भी आपने तालीम और इरशाद फरमाते हुए अदब सिखाया और खबरदार किया कि देखो मेरे सामने फरियाद ना की जाये, फरियाद और पुकार सब से पहले सिर्फ अल्लाह तआला से करनी चाहिए।}

मसाईल

1. दुआ (पुकारना) आम है और इस्तगासा (फरियाद करना) खास। पस इस्तगासा के बाद दुआ का जिक्र करना "अतफुल आम अल्लखास (आम को खास पर महमूल करना)" के कबील से है।
2. आयत मुबारका "वला तदुउ मिन दुनिल्लाहि माला यनफउका वलायजुर्रुका" की तफसीर भी हुई।
3. गैर अल्लाह को पुकारना और उससे फरियाद करना बड़ा शिर्क है।
4. निज साबित हुआ कि अगर कोई बहुत नेक बन्दा भी गैर अल्लाह को राजी करने के लिए उसे पुकारे तो वो भी जालिमों में से होगा।

5. इस बात से "वला तदउ मिन दुनिल्लाहि" से बाद वाली आयत "वइंयमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन" की तफसीर भी मालूम हुई।
6. गैर अल्लाह को पुकारना दुनिया में कुछ नफा बख्श नहीं और फिर यह कुफ्र भी है।
7. तीसरी आयते मुबारका "फबतगु इन्दल्लाहिर्रिजक" की तफसीर भी हुई।
8. अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे से रोजी मांगना ऐसे ही ठीक नहीं जैसे उसके सिवा किसी दूसरे से जन्नत नहीं मांगी जा सकती।
8. इस बहस से चौथी आयते मुबारका कि"व मन अजल्लु" की तफसीर भी है।
10. जो शख्स किसी गैर अल्लाह को पुकारे या उससे फरियाद करे, उससे बढ़कर कोई गुमराह नहीं।
11. जिन (गैर अल्लाह) को पुकारा जाता है, वो तो पुकारने वाले की पुकार से बेखबर है।
12. अल्लाह तआला के सिवा जिनको पुकारा जाता है, वो उस पुकार की वजह से कयामत के दिन पुकारने वालों के दुश्मन होंगे।
13. गैर अल्लाह को पुकारना दरहकीकत उसकी इबादत है।
14. जिनको पुकारा जाता है, वो कयामत के दिन उनकी इबादत और पुकार का इनकार करेंगे।
15. इन कामों की वजह ही से इन्सान सबसे ज्यादा गुमराह कहलाता हैं
16. इस बात से यह आयत "अम्मयं युजिबुल मुजतर्रा इज्जा दआहु" की तफसीर भी होती है।
17. हैरान करने वाली बात यह है कि बूतों के पुजारी भी मानते हैं कि परेशान व लाचार की पुकार को सिर्फ अल्लाह तआला सुनता है। और वही छुटकारा देता है। यही वजह है कि मुश्किलात में वो भी सिर्फ अल्लाह तआला को पुकारते हैं।
18. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे तौर पर तौहीद के बाग की हिफाजत फरमायी और उम्मत को अल्लाह तआला के साथ जिस अदबो अहतराम का लिहाज रखना चाहिए उसकी तालीम भी आपने दी।

बाब: 14

बेइख्तेयार (लाचार, कमजोर, बेबस) को पुकारना शिर्क है

{पहले के अबवाब (सबक) के बाद इस बाब का लाना बेहतरीन तरतीब, फिक्ही अजमत और पूरे इल्म की दलील है।

अल्लाह तआला की तौहीद और इबादत में उसी के हकदार होने की असल दलील वो है जो हर इन्सान की फितरत (असलियत) में उसकी रबूबियत के इकरार की सूरत में मौजूद है। फितरी, मुशाहिदाती और अकली दलाइल इस बात पर दलालत करते हैं कि इबादत का हकदार सिर्फ एक अल्लाह ही है, उसके अलावा कोई नहीं। इस बात में यह खुलासा है कि खालिक, राजिक, मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला है। उसके अलावा कोई भी इन कामों में से किसी का मालिक नहीं। यहां तक कि मखलूक में सबसे आला मुकाम रखने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इनमें से किसी चीज का कुछ भी इख्तेयार नहीं जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमायाः

''लयसा लका मिनल अमरि शैअुन'' (सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 128)

''आपको किसी भी चीज का इख्तेयार नहीं।''

जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी भी चीज का इख्तेयार नहीं तो फिर कौन है जिसे हर चीज का इख्तेयार है? वो सिर्फ एक अल्लाह ही है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की मनाही हो गयी तो फिर आप से कम तर दर्जा वालों की सबसे पहले मनाही हुई। जो लोग अल्लाह तआला से मुंह मोड़कर कब्र वालों, सालेहिन या अन्बिया औलिया की तरफ जाते हैं, उनके दिमाग में यह ख्याल होता है कि वो भी ताकत वाले हैं। और कुछ कामों के वो भी मालिक हैं। रिज्क भी देते हैं और अल्लाह तआला की इजाजत के बगैर वास्ता और सिफारिश का हक रखते हैं। ऐसी सब बातें गलत हैं, क्योंकि वो तो खुद अल्लाह तआला के गुलाम और उसकी मखलूक हैं। वो कुछ

भी पैदा नहीं कर सकते। वो तो खुद पैदा किये गये हैं और ना उनकी मदद कर सकते हैं जो उनसे दरख्वास्त करते हैं। कुरआन करीम में बेशुमार दलाईल से साबित है कि इबादत का हकदार सिर्फ अल्लाह तआला ही है। उसके अलावा कोई भी इबादत का हकदार नहीं। इन्हीं दलाईल के तहत अल्लाह तआला ने जिक्र किया है कि मुश्रिकीन भी अल्लाह तआला के लिए तौहीदे रबूबियत का इकरार करते थे। इन तमाम दलाईल से वाजेह होता है कि तुम जिस जात की रबूबियत (रब होने) का इकरार करते हो, इबादत का भी वही हकदार है। कुरआन करीम के दलाईल में यह भी बयान हुआ है कि अल्लाह तआला ही ने अपनें रसूल और औलिया की दुश्मनों के मुकाबले में मदद की थी। बाज दलाईल में मख्लूक की कमजोरी भी बयान हुई हैं और यह साबित किया गया है कि जिन्दा होने में भी मख्लूक का कोई इख्तेयार नहीं। बल्कि अल्लाह तआला ही पहले (जिसका कोई नामो निशान न हो) से वजूद बख्शता है और उसी के हुक्म से इन्सान बगैर किसी इख्तेयार के वजूद के बाद अल्लाह तआला के पास जा पहुंचता है।

लिहाजा मख्लूक मजबूर व मकहूर है। उसे एक हालत से दूसरी हालत में लाने और ले जाने वाला अल्लाह ही है, ना कि झूठे खुदा। वही जिन्दगी और मौत देता है। हर शख्स फितरी तौर पर इन कामों को मानता है। अल्लाह तआला के कादिर होने की एक दलील यह भी है कि वो असमा-ए-हुसना और सिफाते आलिया का मालिक है। उसकी जात कामिल, और अजीम सिफात से मुतस्सिफ है। हर किस्म का कमाल उसी को हासिल है। उसके किसी नाम पर सिफ्त में कोई नुक्स या कमी नहीं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿١٩١﴾ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ ﴾ (الأعراف/٧ ١٩١-١٩٢)

"क्या वो उनको अल्लाह के शरीक बनाते हैं जो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते। हालांकि वो तो खुद पैदा किये गये हैं और वो ना उनकी

मदद कर सकते हैं और ना अपनी ही।" (सूरह आराफ, पारा 9 आयत 191-192)

और अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ۝ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا۟ دُعَآءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا۟ مَا ٱسْتَجَابُوا۟ لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۚ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ۝﴾ (الفاطر ٣٥/ ١٣-١٤)

"और तुम अल्लाह के सिवा जिन को पुकारते हो वो तो खजूर की एक गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं। तुम अगर उनको पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार नहीं सुनते और अगर मान लो, सुन भी लें तो तुम्हें कोई जवाब नहीं दे सकते। और कयामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का इन्कार करेंगे। और अल्लाह खबीर की तरह तुम्हें कोई खबर नहीं दे सकता।" (सूरह फातिर, पारा 22 आयत 13-14)

{अल्लाह तआला ने फरमाया, यह लोग अल्लाह तआला को छोड़कर जिन फरिश्तों, अम्बिया, रसूल और मरे हुए नेक लोगों या जिन्नात को पुकारते हैं, उनमें से कोई भी खजूर की गुठली के छिलके तक का भी मालिक नहीं तो यह लोग उन्हें क्यों पुकारते और उनसे मदद क्यों मांगते हैं? उन्हें चाहिए कि अपने तमाम कामों में सिर्फ उसी को पुकारें जो इन तमाम कामों का मालिक है।}

हजरत अनस रजि. से रिवायत है:

«شُجَّ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، فَقَالَ: كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوا نَبِيَّهُمْ؟ فَنَزَلَتْ: ﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ﴾» (صحيح مسلم، الجهاد، باب غزوة أحد، ح: ١٧٩١ ومسند أحمد: ٣/ ٩٩، ١٧٨)

"नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गजवा-ए-उहद में जख्मी हो गये और आप के अगले चार दांत तोड़ दिये गये, जिस पर आपने

फरमायाः "वो कौम कैसे फलां पा सकती है, जिसने अपने नबी को जख्मी कर दिया है" तो इस पर यह आयत नाजिल हुई "लयसा लका मिनल अमरि शय्यजुन" (ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) "इस मामले में आप को कुछ भी इख्तेयार नहीं।"

और इब्ने उमर रजि. से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आपने नमाजे फज्र की आखरी रकअत में रूकुअ से सर उठाया तो "समिअल्लाहु लिमन हमिदहा, रब्बना वलकलहम्दु" के बाद फरमायाः

«اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا»(صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى ﴿ليس لك من الأمر شيء﴾ ٤٠٦٩، ٤٥٥٩ ومسند أحمد: ٢/١٤٧)

"या अल्लाह! फलां और फलां पर लानत फरमा।"

तो अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमायीः

﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (آل عمران٣/١٢٨)

"(ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) "इस मामले में आपको कुछ भी इख्तेयार नहीं।"

और एक रिवायत में हैः

«يَدْعُو عَلٰى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ وَسُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو وَالْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، فَنَزَلَتْ: ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ ﴾ (صحيح البخاري،

"आप सफवान बिन उमैया, सुहैल बिन अम्र और हारिस बिन हिशाम के लिए बद दुआ कर रहे थे, तब यह आयत नाजिल हुई कि ऐ पैगम्बर! इस मामले में आपको कुछ भी ताकत नहीं।"

{इन हालात से वाजेह तौर पर यह साबित होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की बादशाहत में से कुछ भी इख्तेयार नहीं रखते थे और आपने इस बात की तब्लीग की और साफ

साफ बयान भी कर दिया तो फिर आपके अलावा और कौन हो सकता है, जिसे यह इख्तेयार हासिल हो? चूनांचे फरिश्ते, अम्बिया और औलिया सालेहिन से तो और ज्यादा इस बात की मनाही हो गयी। लिहाजा गैर अल्लाह की तरफ जाने की तमाम सूरतें गलत हैं और यह जरूरी है कि इबादत और इबादत की तमाम किस्में यानी दुआ, इस्तगासा (फरियाद), इस्तगाजा (पनाह मांगना), जिब्ह और नजर का हकदार सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह को ठहराया जाये, उसके अलावा किसी को नहीं।}

सही बुखारी ही में अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह आयत नाजिल हुई

﴿وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾﴾ (الشعراء٢٦/ ٢١٤)

"और अपने करीबी रिश्तेदारों को डराइये।" तो आपने खड़े होकर फरमाया:

«يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ! أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا، اِشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ، لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنَ عَبْدِالْمُطَّلِبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مِنْ مَّالِي مَا شِئْتِ، لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا» (صحيح البخاري، الوصايا، باب هل يدخل النساء والولد في الأرقاب، ح: ٢٧٥٣ ومسند أحمد: ٢/ ٣٦٠)

"ऐ जमाअते कुरैश! या इस तरह का कोई लफ्ज फरमाया, जन्नत के ऐवज अपनी जानों का सौदा कर लो। अल्लाह तआला के यहां मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ऐ अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब! अल्लाह तआला के यहां तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ऐ मेरी फूफी सफिया! अल्लाह तआला के यहां मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। ऐ मेरी बेटी फातिमा! मेरे माल से जो

चाहो मांग लो, मगर अल्लाह तआला के यहां मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा।" (हदीस सही बुखारी 2753)

{यह हदीस इस बात का खुला सबूत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने करीबी रिश्तेदारों को भी कुछ नफा नहीं दे सकते थे। हां अल्लाह तआला का पैगाम उन्हें जरूर पहुंचाया और अल्लाह की तरफ से सौंपी गयी अजीम अमानत (रिसालत व नबूवत) का हक अदा कर दिया।

रही बात अल्लाह के अजाब, सजा से बचाने की। तो याद रहे! अल्लाह तआला ने अपनी मख्लूक में से किसी को अपनी बादशाहत में कुछ इख्तेयार नहीं दिया। वो सल्तनत व कुदरत में अकेला और कमाल, जमाल और जलाल में अकेला है।}

मसाईल

1. इस बात में सूरह आराफ और सूरह फातिर की मजकूरा आयात की तफसीर है, जिनमें बेइख्तेयार को पुकारने से मना किया गया है।
2. गजवा-ए-उहद का (थोड़ा-सा) बयान है।
3. इस तफसील से साबित हुआ कि सईदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में कनूत नाजिला पढ़ते और आप के पीछे सहाबा किराम रजि. आमीन कहा करते थे।
4. जिन पर बद दुआ की जा रही थी, वो बिलाशुबा काफिर थे।
5. उन कुफ्फार ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी बद सलूकी की थी और आपको ऐसी तकलीफें दी थी कि दूसरे कुफ्फार ने ऐसा ना किया था। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जख्मी करना, आपके कत्ल के लिए प्रोग्राम बनाना और मुसलमान शहीदों का मुसला करना, हालांकि वो (शहीद) उन कुफ्फार के रिश्तेदार भी थे। उन्होंने इस रिश्ते का भी लिहाज ना किया।
6. इसके बावजूद उन कुफ्फार की इस बदसलूकी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके खिलाफ बददुआ के बाद अल्लाह तआला ने फरमायाः "लयसा लका मिनल अमरि शय्यअुन" कि

ऐ पैगम्बर! "इस मामले में आपको कुछ भी इख्तेयार नहीं।"

7. बल्कि अल्लाह तआला ने यह भी फरमायाः "अव यतुबा अलैहिम अव युअज्जिबहुम" कि "अल्लाह तआला की मर्जी है वो उन्हें माफ कर दे या अजाब दे।" चूनांचे अल्लाह तआला ने उन्हें माफ कर दिया और वो ईमान ले आये।
8. हादसे के मौके पर कनूत नाजिला पढ़ने का सबूत भी मिलता है।
9. नमाज में जिन लोगों पर बद दुआ की जाये, उनका और उनके बाप-दादाओं का नाम भी लिया जा सकता है।
10. कनूत नाजिला में किसी खास आदमी का नाम लेकर उस पर लानत करना जाइज है।
11. "व अनजिर अशिरतकल अकरबीन" के उतरने के मौके पर आपका अपने करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर एक एक को अल्लाह तआला के अजाब से डराने और अपनी अपनी निजात (बचाव) की फिक्र करने का भी इस बात में बयान है।
12. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद की दावत दी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को "मजनून (पागल)" कहा गया। इसी तरह आज भी अगर कोई तौहीद की दावत दे तो उसे भी इसी किस्म की बातों का सामना करना पड़ता है।
13. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने करीबी और दूर के रिश्तेदारों से यह फरमाया कि अल्लाह तआला के यहां मैं तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा। यहां तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात अपनी प्यारी बेटी सईदा फातिमतुल जहरा रजि. से भी सराहत के साथ फरमा दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदुल मुरसलीन होने के बावजूद अपनी प्यारी बेटी और सैयदा निसाउल आलमिन से फरमा रहे हैं कि अल्लाह तआला के यहां तुम्हारे किसी काम ना आ सकूंगा।

और हमारा यह भी ईमान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से सिवाये हक के कुछ नहीं निकलता। इन सराहतों की रोशनी में आज कल के हालात पर गौर किया जाये कि इस गलतफहमी (कि अल्लाह के यहां अम्बिया और सालेहिन कुछ काम आ सकते हैं) में अवाम ही नहीं बल्कि ख्वास भी फसें हैं, तो तौहीद की हकीकत खुल जाती है और यह भी वाजेह हो जाता है कि आज कल लोग दीन से किस कद्र दूर हैं।

बाब: 15

फरिश्तों पर अल्लाह तआला की वह्य का डर

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنۡ أَذِنَ لَهُۥۚ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴾ (سبا۳٤/ ۲۳)

''जब उन फरिश्तों के दिलों से घबराहट दूर होती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं: तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? (अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते) कहते हैं कि उसने हक फरमाया है और वो आली मुकाम और बुजुर्ग बरतर है।'' (सूरह सबा, पारा 22 आयत 23)

हजरत अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِذَا قَضَى اللهُ الأَمْرَ فِي السَّمَاءِ، ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ، كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ، يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ، ﴿ حَتَّىٰٓ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمۡ قَالُواْ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمۡۖ قَالُواْ ٱلۡحَقَّۖ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡكَبِيرُ ﴾ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ، وَمُسْتَرِقُو السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضٍ، وَصَفَهُ سُفْيَانُ بِكَفِّهِ، فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، ثُمَّ يُلْقِيهَا الآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْتَهُ، حَتَّى يُلْقِيَهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِرِ أَوِ الْكَاهِنِ، فَرُبَّمَا أَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلْقِيَهَا، وَرُبَّمَا أَلْقَاهَا قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَهُ، فَيَكْذِبُ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا؟ فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ»(صحيح البخاري، التفسير، باب قوله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم،

''जब अल्लाह तआला आसमान पर कोई हुक्म देता है तो अल्लाह

तआला के फरिश्तें उसके हुक्म की बुर्दबारी में यूं अपने पर मारते हैं, गौया साफ पत्थर पर नर्म जंजीर टकराने की झंकार हो। और वो फरमान उन फरिश्तों तक पहुंच जाता है। यहां तक कि जब उनके दिलों से घबराहट दूर होती है तो वो एक दूसरे से कहते हैं: तुम्हारे रब ने क्या फरमाया? तो (अल्लाह तआला के मुकर्रब फरिश्ते) कहते हैं कि उसने जो कहा, वो सच है। और वो आली मुकाम और बुजुर्ग व बरतर है। अल्लाह तआला की उस बात को शैतान चोरी चुपके सुनने की कोशिश करते हैं। हदीस के रावी सुफियान ने अपने हाथ को जरा टेड़ा और अंगूलियों को एक दूसरी से अलग-अलग करके इशारा करते हुए बताया कि वो शैतान एक दूसरे के ऊपर यों सवार हो जाते हैं। सबसे ऊपर वाला शैतान जब कोई बात सुन लेता है तो वो अपने से नीचे वाले को बता देता है और वो आगे अपने से नीचे वाले को। यहां तक कि आखरी (सबसे नीचे वाला) शैतान वो बात साहिर (जादूगर) या काहिन (ज्योतिषी) को बता देता है। कभी तो काहिन तक वो बात पहुंचने से पहले ही शौला (शहाब साकिब) उस शैतान को जला देता है और कभी शौले के आने तक शैतान उसे बात बता चुका होता है और काहिन शैतान की तरफ से सुनी हुई बात के साथ सौ झूट मिला देता है। अगर कोई बात उसकी बताई हुई बात के मुताबिक हो जाये तो लोग कहते हैं कि क्या फलां रोज फलां जादूगर या काहिन ने ऐसे ही नहीं कहा था? चूनांचे उसकी सिर्फ इस एक बात के सच्चे होने से उस काहिन या साहिर को सच्चा समझ लिया जाता है जो उसने आसमान से सुनी होती है।"

{फरिश्तों को अल्लाह तआला की खूब जानकारी है। वो जानते हैं कि अल्लाह तआला जब्बार, बड़ी बुजुर्गी वाला और कायनात का मालिक है।इसी लिए वो अल्लाह तआला से बहुत ज्यादा डरते हैं। क्योंकि वो अल्लाह तआला से एक लहजे के लिए भी बेपरवाह नहीं हो सकते। अल्लाह तआला की खुबियों की कई सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि

अल्लाह तआला की बाज सिफात जलाली हैं और बाज जमाली। जलाली सिफात वो है, जिनकी बिना पर दिलों में अल्लाह तआला का डर, खौफ और रोब पैदा होता है। ऐसी सिफात बुनियादी तौर पर सिर्फ अल्लाह तआला की हैं, क्योंकि वो अपनी सिफात के लिहाज से पूरा और मुकम्मिल है। चूंकि वो अपनी सिफात में हर लिहाज से कामिल है, इसलिए वही इबादत का हकदार है। इसके अलावा इन्सान जो कि उसकी मख्लूक हैं, अपनी सिफात के लिहाज से नाकिस और कमतर हैं। यह अगरचे जिन्दा हैं ताहम इनकी जिन्दगी पूरी नहीं क्योंकि इस जिन्दगी को मौत की बीमारी लाहक हो तो इन्सान मय्यत (मुर्दा) हो जाता हैं और अगर मर्ज की बीमारी लाहक हो तो मरीज हो जाता है। यह हर लिहाज से कमजोर, फकीर और मोहताज हैं। उनकी सिफात में कमाल नहीं और यह उनके नाकिस, बेबस, अल्लाह के सामने मजबूर व बेकस होने और उसके परवरदा होने की दलील है। इसलिए लोगों पर जरूरी है कि वो इबादत का हकदार भी उसी जात को ठहराये जो कमाल की सिफात और जमाल व जलाल की अच्छाई से मिला हुआ है और वो अल्लाह तआला की जात है}

नव्वास बिन समआन रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«إِذَا أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُوحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمٰوَاتِ مِنْهُ رَجْفَةٌ، أَوْ قَالَ: رَعْدَةٌ شَدِيْدَةٌ، خَوْفًا مِّنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فَإِذَا سَمِعَ ذٰلِكَ أَهْلُ السَّمٰوَاتِ صَعِقُوا وَخَرُّوا لِلّٰهِ سُجَّدًا، فَيَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيلُ فَيُكَلِّمُهُ اللهُ مِنْ وَّحْيِهِ بِمَا أَرَادَ، ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَاذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَيَقُولُ جِبْرِيلُ: قَالَ

الْحَقَّ، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، فَيَقُولُونَ كُلُّهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيلُ، فَيَنْتَهِي جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ إِلَى حَيْثُ أَمَرَهُ اللهُ عَزَّوَجَلَّ»(اخرجه ابن كثير في التفسير:٦/٥٠٤ وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ح:٢٠٦)

"अल्लाह तआला जब किसी बात की वह्य का इरादा फरमाता है और उस वह्य को अदा करता है तो उसके डर से तमाम आसमान पर दहशत और कपकपी छा जाती है। जब आसमान वाले उस आवाज को सुनते हैं तो बेहोश होकर सज्दे में गिर पड़ते है। सबसे पहले जिब्राईल (अलैहि) सर उठाते हैं। अल्लाह तआला अपनी वह्य में से जो चाहता है, उनसे कलाम फरमाता है। फिर जिब्राईल (अलैहि.) फरिश्तों के पास से गुजरते हैं। जब भी किसी आसमान से उनका गुजर होता है तो उस आसमान के फरिश्ते उनसे पूछते हैं: ऐ जिब्राईल (अलैहि.)! हमारे रब ने क्या फरमाया है? तो जिब्राईल (अलैहि.) कहते हैं: उसने हक फरमाया है। वो आली मुकाम और बुजुर्ग व बरतर है। फिर तमाम फरिश्ते यही बात दोहराते हैं। फिर जिब्राईल (अलैहि.) उस वह्य को जहां अल्लाह तआला का हुक्म होता है, वहां पहुंचा देते हैं।"

मसाईल

1. इस तफसील से सूरह सबाअ की आयत नम्बर 23 की तफसीर होती है। जिसमें अल्लाह तआला की वह्य के वक्त फरिश्तों की हालत बयान हुई है।
2. इसमें शिर्क के गलत होने की दलील है, बिलखसूस ऐसे शिर्क की जिसका ताल्लुक उम्मत के नेक लोगों से है। और इस आयत के बारे में कहा गया है कि यह आयत, दिलों में से शिर्क के पेड़ की जड़ों को काट फैंकती है।
3. अल्लाह तआला के फरमान "कालुल हक्का वहुवलअली युलकबीर" की तफसीर भी हुई।
4. फरिश्तों के सवाल की वजह और सबब भी मजकूर है।
5. फरिश्तों के सवाल पर जिब्राईल अलैहि. उन्हें जवाब देते हुए कहते हैं कि "अल्लाह तआला ने यह फरमाया है।"

6. जब सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं तो सबसे पहले जिब्राईल अलैहि. सर उठाते हैं।
7. चूंकि हर आसमान के फरिश्ते जिब्राईल अलैहि. से सवाल करते हैं, इसलिए वो सबको जवाब देते हैं।
8. बेहोशी और गशी तमाम आसमानों के फरिश्तों पर तारी होती है।
9. अल्लाह तआला के कलाम से आसमान लरज जाते हैं।
10. अल्लाह तआला के हुक्म से जिब्राईल अलैहि. ही अल्लाह तआला की वह्‌य को ठिकाने पर पहुंचाते हैं
11. शैतान चोरी छुपे अल्लाह तआला के कलाम को सुनने की कोशिश करते हैं।
12. और इस मकसद के लिए वो एक दूसरे पर सवार हो जाते हैं।
13. उन शैतानों पर एक शहाब (शौला) छोड़ा जाता है।
14. कई बार काहिन तक बात पहुंचने से पहले ही शहाब (शौला) उस शैतान को जलाकर राख कर देता है और कभी शहाब के आने से पहले ही यह शैतान अपने इन्सानी दोस्त (काहिन, नजूमी) को बात बता चुका होता है।
15. कई बार काहिन की बताई हुई एक आध बात सही साबित हो जाती है।
16. और काहिन उस एक सही बात के साथ सौ झूट मिला देता है।
17. लोग काहिन की झूटी बातों को महज इसलिए सही मान लेते हैं कि उसकी एक बात तो सही थी। हालांकि वो बात आसमान से सुनी हुई होती है।
18. इन्सान की नफ्स गलत बात को बहुत जल्द कबूल कर लेती हैं। देखिये! वो काहिन की सिर्फ इस एक बात को सामने रखते हैं और उसकी एक सौ गलत बातों की तरफ नहीं देखते।
19. शैतान उस एक बात को एक दूसरे से हासिल करके याद कर लेते हैं और उससे बाकी झूटों के सही होने पर दलील लेते हैं।
20. अल्लाह तआला की सिफात का भी इसबात होता है। जबकि गुमराह फिरके उन सिफात को नहीं मानते हैं
21. आसमान पर तारी होने वाली दहशत और कपकपी अल्लाह तआला के खौफ से होती है। फरिश्ते अल्लाह तआला (की अजमत के ख्याल से उस) के सामने सज्दा करने लग जाते हैं।)

❖❖❖

बाब: 16

शफाअत (सिफारिश) का बयान

{पहले दो अबवाब (अध्यायों) के बाद इस मसले की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्योंकि जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियादें करते या दीगर औलिया व अम्बिया के आगे हाथ फैलाते और उनसे मदद मांगते हैं जब उनके सामने तौहीदे रबूबियत के दलाईल जिक्र किये जाते हैं तो वो कहते हैं कि हम भी इन तमाम बातों को मानते और इन पर यकीन रखते हैं। अलबत्ता यह तमाम बुजुर्ग लोग अल्लाह तआला के खास बन्दे हैं और अल्लाह तआला के यहां इनका मर्तबा अजीम और बुलन्द है। और जो शख्स इन बुजुर्गो की तरफ जाये तो यह बुजुर्ग उसके हक में शिफारिश करेंगे और अल्लाह तआला उनकी सिफारिश को कबूल फरमायेगा। शैख मुहम्मद रह. ने मुश्रिकीन की हालत और उनके गलत दलाइल को दिमाग में रखते हुए फरमाया कि जब उन्हें दलाईल पैश किये जायें तो सिवाये मसला-ए-शफाअत के उनके पास कोई दलील नहीं रहती। इसलिए इस मसले की वजाहत के पैशे नजर अलग से एक बाब कायम किया है।

शफाअत, सिफारिश और दुआ को कहते हैं, कोई शख्स जब यूं कहे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का चाहने वाला हूं तो उसकी बात का मतलब यह होता है कि वो अल्लाह तआला के यहां अपने हक में रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और दुआ चाहता है। गोया सिफारिश और दुआ की दरख्वास्त को शफाअत कहते हैं।

पहले दलाईल और उनके अलावा कुरआन व सुन्नत के और दलाईल जिनसे अल्लाह तआला के अलावा किसी भी गैर को पुकारने का नाजाइज होना साबित होता है, उन तमाम दलाईल से यह भी साबित होता है कि जो लोग मर चुके और इस दुनिया से जा चुके हैं, उनसे सिफाअत की दरख्वास्त करना भी गलत है। पस मरे हुए से शफाअत चाहना बहुत बड़ा शिर्क है। अलबत्ता जिन्दा आदमियों से शफाअत यानी

दुआ कराना जाइज है। क्योंकि वो इस दुनिया में जिन्दा मौजूद हैं और हमारी दरख्वास्त को पूरा करने की ताकत रखते हैं। अल्लाह तआला ने जिन्दा लोगों से दुआ कराने की इजाजत दी है। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में बाज सहाबा रजि. आप की खिदमत में तशरीफ लाकर दुआ की दरख्वास्त किया करते हैं। याद रहे कि हर शफाअत का कबूल होना जरूरी नहीं। कोई शफाअत कबूल और कोई मरदूद (नामकबूल) भी होती है। कबूल होने की चन्द शर्ते हैं और नाकबूल होने की भी कुछ शर्ते हैं।

अलगर्ज कुरआन व सुन्नत से शफाअत की दो किस्में साबित हैं। शफाअत मनफिया (ना कबूल) और शफाअत मुशबता (मकबूला)।

मनफी शफाअत (गैर मकबूल) वो है, जिसकी अल्लाह तआला ने मुश्रिकीन के हक में मनाही की है, जैसा कि शैख मुहम्मद रह. ने इसकी सबसे पहली दलील, सूरह अनआम की आयत (51) पेश की है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓا۟ إِلَىٰ رَبِّهِمْ ۙ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِۦ وَلِىٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿٥١﴾ ﴾ (الأنعام٦/ ٥١)

"और (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! आप इस कुरआन के जरीये उन लोगों को नसीहत करें जो इस बात से डरते हैं कि अपने रब के सामने इस हाल में पेश किये जायेंगे कि उनका अल्लाह के सिवा कोई मददगार या शिफारशी ना हो ताकि यह लोग अल्लाह से डर जायें।" (सूरह अनआम, पारा 7 आयत 51)

{यह वो शफाअत हैं, जिनकी तौहीद वालों के सिवा तमाम के हक में मनाही की गयी है। तौहीद वालों के हक में शफाअत कबूल होने की चन्द शर्तें हैं

(अ) शफाअत करने वाले के लिए अल्लाह तआला की तरफ से शफाअत की इजाजत

(ब) शफाअत करने वाले और जिन के हक में शिफारिश की जाये, दोनों के लिए अल्लाह तआला की रजा और खुशनूदी। गौया असल सिफारशी अल्लाह तआला की जात है। उसके सिवा कोई और नहीं। इसलिए शेख मुहम्मद रह. ने इसके बाद दूसरी आयत "कुललिल्लाहिश्शफाअतु जमिआ" बयान की है।}

निज फरमाया

﴿قُل لِّلَّهِ ٱلشَّفَٰعَةُ جَمِيعًا﴾ (الزمر٣٩/ ٤٤)

"(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम!) कह दीजिए कि हर किस्म की शफाअत अल्लाह ही के बस में है।" (सूरह जुमर, पारा 24 आयत 44)

{ यानी हर किस्म की शफाअत (सिफारिश) अल्लाह तआला की मिलकियत है। दरहकीकत ईमान वाले और गैर ईमान वाले, सबका अल्लाह तआला के सिवा कोई मददगार या सिफारशी नहीं, बल्कि शफाअत अल्लाह तआला की इजाजत और रजामन्दी ही से होगी। और चूंकि कोई शफाअत इन शर्तो के साथ ही फायदेमन्द होती है। इसलिए शेख मुहम्मद रह. ने इसके बाद दो और आयतें बयान की हैं:}

﴿مَن ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ﴾ (البقره٢/ ٢٥٥)

"कौन है जो अल्लाह के सामने उसकी इजाजत के बगैर शिफारिश कर सके।" (सूरह बकर, पारा 3 आयत 255)

निज इरशाद है:

﴿وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ لَا تُغْنِى شَفَٰعَتُهُمْ شَيْـًٔا إِلَّا مِنۢ بَعْدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىٰٓ ﴿٢٦﴾﴾ (النجم٥٣/ ٢٦)

"और आसमान में कितने ही फरिश्ते हैं जिनकी सिफारिश कुछ भी

फायदा नहीं दे सकती। मगर बाद इसके कि अल्लाह जिसके हक में शफाअत की इजाजत दे और पसन्द करे।" (सूरह नज्म, पा 27 आ 26)

{पहली आयत "मनजल्लजी यशफअु इनदहु इल्ला बिइजनिही" में इजाजत की कैद और शर्त है। यानी फरिश्तें, अम्बिया और अल्लाह तआला की नजदीकी पाने वालों में से कोई भी उसकी इजाजत के बगैर शफाअत ना कर सकेगा। अल्लाह तआला ही शफाअत का मालिक है और वही इसकी तौफिक बख्शने वाला है। इस तरह दूसरी आयत "इल्ला मिम बादि अय्या जनअल्लाह लिमय्यशाअु वयरजा" में भी यही इरशाद है कि वो शफाअत करने वालों में से जिसे चाहेगा इजाजत बख्शेगा और शफाअत करने वालों के कौल से जिसकी शफाअत की जायेगी, उससे राजी होने के बाद शफाअत की इजाजत होगी।

शफाअत की इस शर्त से यह बात साबित होती है कि मख्लूक के साथ शफाअत पाने की गर्ज से ताल्लुक कायम करना और यह भरोसा रखना कि अल्लाह के यहां उसे इस कद्र मुकाम व मर्तबा हासिल है कि यह खूद शफाअत का इख्तेयार रखता है, बिलकुल गलत है। यही भरोसा मुश्रिकीन का अपने झूठे खुदाओं के बारे में होता है कि वो जरूर उनकी शफाअत करेंगे। और अल्लाह तआला उनकी शफाअत को रद्द नहीं करेगा।

ऊपर वाली आयत में मुश्रिकीन के इसी दावे को गलत बताया है कि अल्लाह तआला की इजाजत और जिसकी शफाअत मकसूद है उसके बारे में अल्लाह की रजामन्दी के बगैर भी कोई शफाअत कर सकता है। जब यह बात साबित हो चुकी कि अल्लाह तआला के सिवा कोई दूसरा शफाअत का मालिक नहीं और जो कोई भी किसी की शफाअत करेगा तो अल्लाह की इजाजत ही से कर सकेगा तो फिर मख्लूक के साथ उसकी शफाअत को पाने के लिए लगाव रखना कैसे सही होगा? तआल्लुके लगाव तो महज उसी के साथ होना चाहिए जो शफाअत का हकीकी मालिक है।

कयामत के दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत

करेंगे, लेकिन हम उस शफाअत को पाने की दरख्वास्त किससे करें? सिर्फ अल्लाह तआला से और यूं दुआ क़रें कि या अल्लाह! हमें अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा। क्योंकि अल्लाह तआला ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौफिक बख्शेगा और आपके दिल में डालेगा कि फलां फलां के हक में शफाअत करें और यह शफाअत उन्हीं लोगों के हक में होगी जिन्होंने अल्लाह तआला से, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के पाने की दुआ की होगी।

इसीलिए शेख मुहम्मद रह. ने इसके बाद सूरह सबा की यह आयत बयान की है:

(कुलिद उल्लजिना जअमतुम मिनदुनिल्लाहि लायमलिकुना मिसकाला जर्रतिन फिस्समावाति वला फिलअरजी वमा लहुम फिहिमा मिनशिरकिन वमालहु मिनहुम मिनजहिर वला तनफउश शफाअतु इन्दहु इल्ला लिमन अजिना) (सूरह सबा, पारा 22 आयत 22-23)

﴿ قُلِ ٱدْعُوا۟ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَلَا فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍ وَمَا لَهُۥ مِنْهُم مِّن ظَهِيرٍ ﴿٢٢﴾ وَلَا تَنفَعُ ٱلشَّفَٰعَةُ عِندَهُۥٓ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُۥ ﴾ (سبا٣٤/ ٢٢-٢٣)

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम!) उन मुश्रिकीन से कह दीजिए कि अल्लाह के सिवा तुम जिनको माबूद समझते हो, उन्हें पुकार कर देखो, वो तो आसमान व जमीन में एक जर्रा के भी मालिक नहीं। जमीन व आसमान की मिलकियत या पैदाइश में उनका कोई हिस्सा नहीं। और ना उनमें से कोई अल्लाह का मददगार है। और अल्लाह के सामने किसी के लिए कोई सिफारिश फायदेमन्द नहीं होगी, मगर उसके लिए जिसके हक में सिफारिश की वो इजाजत बख्श दे।"

{इस आयत में तीन हालत बयान हुई हैं:

(अ) अल्लाह तआला ने हुक्म दिया कि यह लोग अल्लाह तआला के अलावा जिन बुजुर्गों को मालिक समझते हैं, उनको पुकार कर तो देखें, क्या वो जमीन व आसमान में किसी भी चीज के खुद-ब-खुद मालिक हैं? यानी वो तो बेबस, बेइख्तेयार और बेकस हैं और किसी भी चीज के मालिक व मुखतार नहीं।

(ब) अल्लाह तआला ने साफ फरमाया कि यह बुजुर्ग इस कायनात में, तदबीरे उमूर में, जमीन आसमान की मिलकियत में या किसी भी हुक्म में अल्लाह के शरीक या साझी नहीं हैं और इनमें से कोई भी अल्लाह का वजीर, मुशीर या मददगार नहीं।

(स) उन लोगों का अकीदा था और वो इस ख्याल का शिकार थे। उनके झूठे खुदा अल्लाह तआला के यहां शिफारिश के मालिक हैं। अल्लाह तआला ने उनके इस अकीदे को भी गलत बताया और फरमाया:

(वला तनफउश्शाफअतु इन्दहु इल्ला लिमन अजिनालहु) सबा 23/34)

"अल्लाह तआला के यहां सिफारिश उसी के हक में फायदेमन्द होगी जिसके हक में सिफारिश करने की वो खुद इजाजत देगा।"

जब यह बात पक्की है तो फिर अल्लाह तआला, कैसे सिफारिश करने की इजाजत देगा? और किसके लिए पसन्द करेगा कि वो सिफारिश करे? और किसके हक में राजी होगा कि उसकी सिफारिश की जाये? इन तीनों सवालों का जवाब शैखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रह. के कलाम में मौजूद है।}

शैखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्ने तैमिया रह. फरमाते हैं:

अल्लाह तआला ने अपने अलावा तमाम मख्लूक से इन बातों की मनाही कर दी है जिनसे मुश्रिकीन दलील लिया करते थे। मसलन उसने इस बात की मनाही की है कि किसी को जमीन व आसमान में किसी किस्म की कुदरत, पूरी या आधी इख्तेयारात हों, या कोई अल्लाह तआला का मददगार हो, अलबत्ता सिफारिश हो

सकती है। मगर वो भी सिर्फ उसी के लिए फायदेमन्द होगी जिनके हक में सिफारिश की इजाजत खुद अल्लाह तआला देगा, जैसा कि उसने फरमायाः

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ﴾ (الأنبياء٢١/٢٨)

"और वो किसी के हक में सिफारिश नहीं कर सकेंगे सिवाय उसके जिससे अल्लाह राजी हो।" (सूरह अम्बिया, पारा 17 आयत 28)

पस वो सिफारिश जिसके मुश्रिकीन कायल हैं, कयामत के दिन बिलकुल ही नहीं पायी जायेगी, जैसा कि कुरआन मजीद ने इसकी मनाही और इनकार किया है और रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया है कि : आप कयामत के दिन अल्लाह तआला के सामने पैश होकर फौरन सिफारिश के बजाये अल्लाह तआला के सामने सज्दे में गिर जायेंगे और उसकी तारीफ करेंगे। इसके बाद आपसे कहा जायेगा कि अपना सर उठायें और बात करें, आप की बात सुनी जायेगी, आप सवाल करें, आप जो मांगेंगे, आपको दिया जायेगा। आप सिफारिश करें, आपकी सिफारिश कबूल की जायेगी।

हजरत अबू हुरैरा रजि. ने अर्ज कियाः या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है जो आपकी सिफारिश का हकदार होगा? आपने फरमायाः "जिसने साफ दिल से कलमा-ए-तौहिद "ला इलाहा इल्लल्लाहु" का इकरार किया।" यानी यह सिफारिश अल्लाह तआला की इजाजत से सिर्फ साफ दिल से कलमा पढ़ने वालों को हासिल होगी और मुश्रिकीन के हक में सिफारिश की इजाजत नहीं दी जायेगी।

इसका मतलब यह हुआ कि अल्लाह तआला सिर्फ सच्चे अहले तौहीद पर अपना खसूसी करम फरमायेगा और जिनको सिफारिश की इजाजत देगा, उनकी दुआ (सिफारिश) के नतीजें में अहले तौहीद की मगफिरत फरमायेगा और इस तरह सिफारिश करने वाले

(रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) का इकराम फरमायेगा और आप "मकामे महमूद" से सरफराज होंगे। पस जिस सिफारिश का कुरआन ने इनकार किया है। उससे वो सिफारिश मुराद है जिसमें अल्लाह के साथ शिर्क हो। यही वजह है कि अल्लाह तआला ने कई मकामात पर अपनी इजाजत से सिफाअत का सबूत दिया है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ साफ फरमाया है कि सिफाअत सिर्फ अहले तौहीद और सच्चों के लिए होगी।

{मुश्रिकीन का यकीन था कि अल्लाह तआला की इजाजत और रजामन्दी के बगैर सिफाअत का मिलना मुमकिन है। क्योंकि उनका ख्याल था कि सिफाअत करने वाला बजाते खुद सिफाअत का मालिक होता है। कुरआन ने इस बात की मनाही की है कि जिस सिफाअत के उम्मीदवार और तलबगार मुश्रिकीन हैं वो कयामत के रोज हरगिज हासिल नहीं हो सकेगी। जबकि ऊपर वाली शर्तों के साथ शफाअत का मिलना मुमकिन होगा, जैसा कि किताब व सुन्नत में इसका सबूत है।

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत के लिए अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो फौरन शफाअत करने के बजाये सज्दे में गिर जायेंगे और अल्लाह की बड़ाई व पाकी बयान करेंगे, फिर अल्लाह तआला फरमायेगा: सर उठायें और बात करें, आप की बात सुनी जायेगी, सवाल करें, जवाब दिया जायेगा, शफाअत करें, कबूल होगी।

यह अल्लाह की तरफ से इजाजत के कलिमात होंगे। इजाजत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगी और दूसरों को भी। लेकिन कोई भी शुरू में शफाअत नहीं करेगा। बल्कि पहले अल्लाह से सिफाअत की इजाजत मांगेंगे तो इजाजत मिलेगी। क्योंकि उन्हें अल्लाह की तरफ से सिफाअत का इख्तेयार तो हासिल है लेकिन शफाअत का हकीकी मालिक सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, चूनांचे अल्लाह की रजामन्दी और शफाअत की इजाजत मिलने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हक में शफाअत करेंगे, वो अहले तौहीद और पक्के सच्चे मुसलमान ही होंगे। मुश्रिकीन को यह

शफाअत नसीब ना होगी।

इससे मालूम हुआ कि मरे हुए लोग, अम्बिया व रसूल और सालेहिन की तरफ जाने वाला और उनसे शफाअत का चाहने वाला मुश्रिक है। क्योंकि वो गैरूल्लाह से दुआ करता और उसे पुकारता है। जबकि वो बजात खुद शफाअत के मालिक ही नहीं। अल्लाह की तरफ से इजाजत और रजामन्दी के बाद उन्हें शफाअत का हक हासिल होगा।

लिहाजा जिस शख्स ने किसी मरे हुए से शफाअत की दरख्वास्त की, उसने अल्लाह के साथ शिर्क करके अपने आपको शफाअते मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर कर लिया।

आखिर में अल्लाह तआला शफाअत के वास्ते से अहले तौहीद की मगफिरत फरमायेगा और यह शाफेअ (शफाअत करने वाले) की ताजीम व इकराम और उस पर अल्लाह की खसूसी रहमत के इजहार के लिए होगा। दरहकीकत यह अल्लाह का फजल ही होगा कि खुद शफाअत की इजाजत देकर उसे कबूल फरमायेगा। शाफी (शफाअत करने वाले) पर यह फजल उस सूरत में होगा कि उसे शफाअत का हक देकर इकराम व ऐजाज से नवाजेगा और मशफू लहु (जिसके हक में शफाअत की जायेगी) पर यह फजल इस तरह से होगा कि उस पर रहम फ़रमाकर उसके हक में शफाअत कबूल फरमायेगा। अहले अकल व दानिश के लिए यह दलाईल, अल्लाह की अजमत का खुला सबूत हैं कि वो अपनी शहनशाही में अकेला है। शफाअत का पूरा इख्तेयार उसी के पास है और सारे के सारे निजाम का शाह हकीकी भी वही है। लिहाजा जरूरी है कि शफाअत की उम्मीद में भी दिल उसी की तरफ मायल हों।

कुरआन मजीद ने उस शफाअत की मनाही की है, जिसमें शिर्क हो, जैसा कि अल्लाह तआला का फरमान है:

''लयसा लहु मिनदुनिही वलीयुन वलाशफिअुन'' (अनआम 51/6)

''कयामत के रोज अल्लाह तआला के सिवा कोई मददगार होगा ना सिफारशी।'' (सूरह अनआम, पारा 7 आयत 51)

इस आयत में उस शफाअत की मनाही है, जिसमें शिर्क की मिलावट हो, यानी जिस किस्म की शफाअत का यकीन मुश्रिकीन रखते हैं, वो कयामत के रोज बिलकुल गुम होगी। इस तरह मुश्रिकीन के हक

में शफाअत की मनाही है। क्योंकि अल्लाह तआला उनसे राजी ही ना होगा। जब यह बात साबित हो चुकी कि शफाअत का हकदार वही ठहरेगा, जिस पर अल्लाह तआला ने ईनाम किया और उसे तौफिक बख्शी कि उसने अल्लाह की बड़ाई को जाना, पहचाना और अपना दिली लगाव उसके साथ रखा, इसके अलावा किसी की तरफ उसका दिली लगाव ना हो तो फिर बड़े शिर्क के करने वाले हर शख्स के हक में शफाअत की मनाही हो गयी। क्योंकि शफाअत, पक्के ईमान वालों पर अल्लाह का खास फजल होगा। अल्लाह तआला ने कई जगहों पर इजन और इजाजत की शर्त के साथ शफाअत का सबूत दिया है।

इजन की दो किस्में हैं: (1) इजने कोनी (2) इजने शरई

इजन कोनी का मतलब यह है कि यह मुमकिन ही नहीं कि जिसे शफाअत की इजाजत हो वो शफाअत कर सके जब तक कि अल्लाह की तरफ से उसे इजाजत ना मिल जाये। जब तक अल्लाह उसे शफाअत करने से रोक रखेगा, उस वक्त तक वो शफाअत कर सकेगा, ना उसकी जबान शफाअत के लिए हरकत में आ सकेगी।

और इजन शरई का मतलब यह है कि शफाअत में शिर्क ना हो और जिसके हक में शफाअत होगी वो मुश्रिक भी न हो।

अलबत्ता इस हुक्मे आम से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब अलग हैं। क्योंकि उनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफाअत करेंगे और यह शफाअत जहन्नम से रिहाई की नहीं बल्कि अजाब को हल्का करने के लिए होगी और यह सिर्फ नबी अलैहि. का खासा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही ने आपकी तरफ यह वह्य की और वही आप को इजाजत बख्शेगा कि आप उनके हक में शफाअत कर सकेंगें

इस सारी तफसील से वाजेह हुआ कि बिदअतियों और गैर अल्लाह से ताल्लुक रखने वालों के दिलों में जिस शफाअत का गुमान और ख्याल है, वो गलत है और उनका यह कौल "व-हा उलाइ शुफाअउना इनदल्लाह" (यह हस्तियां, अल्लाह के यहां हमारे हक में शफाअत करेगी) भी गलत है। क्योंकि शफाअत सिर्फ पक्के ईमान वालों के हक में नफा बख्श होगी और यह लोग तो हमेशा गैर अल्लाह से

शफाअत मांगते और गैर अल्लाह ही से सवाल करते रहे, यही उनकी शफाअत से दूर हो जाने की अलामत और निशानी है।

इस सारे बाब का खुलासा यह हुआ कि अहले खुराफात और मुश्रिकीन का गैर अल्लाह से शफाअत की उम्मीद रखना उनके हक में बेहतर नहीं, बल्कि नुकसान देह होगा। क्योंकि वो गैर अल्लाह से शफाअत की उम्मीद रखकर हकीकी शफाअत से दूर हो गये और उनकी यह उम्मीद भी ऐसी थी कि अल्लाह ने शरअन इसकी इजाजत ही नहीं दी कि वो शिर्किया शफाअत के ख्वाहिशमन्द हों और अल्लाह की तरफ रूजूअ करें और उनके दिल गैर अल्लाह की तरफ लगे हों।}

मसाईल

1. इस बाब में चन्द आयात कुरआनिया की तफसीर बयान की गयी है।
2. गैर मकबूल शफाअत की भी वजाहत हुई।
3. और मकबूल शफाअत का बयान भी हुआ।
4. बड़ी शफाअत का जिक्र भी है जिसकी इजाजत नबी सल्ल. को मिलेगी। इसी को मकामे महमूद भी कहते हैं।
5. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह शफाअत करेंगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते ही शफाअत नहीं करेंगे बल्कि सबसे पहले अल्लाह तआला के सामने सज्दे में गिर जायेंगे। फिर इजाजत मिलने पर शफाअत करेंगे।
6. कौनसा आदमी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार होगा? वो जो साफ दिल से कलमा-ए-तौहीद "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार करे।
7. मुश्रिकीन को यह शफाअत हासिल ना हो सकेगी।
8. शफाअत की हकीकत भी वाजेह हुई कि दरअसल यह भी अल्लाह तआला की रहमत का एक अंदाज है। जिनको शफाअत करने की इजाजत दी जायेगी, यह उनके लिए ऐजाज और इज्जत अफजाई का सबब होगा। और जिनके हक में की जायेगी, यह उनके लिए अल्लाह तआला की खुसूसी रहमत और मेहरबानी साबित होगी।

बाबः 17

हिदायत देना सिर्फ अल्लाह तआला के बस में है

अल्लाह तआला ने फरमायाः

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾ (القصص٢٨/٥٦)

"(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम!) यकीनन आप, जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है। और वो हिदायत पाने वालों को खूब जानता है।" (सूरह कसस, पारा 20 आयत 56)

{हिदायत की दो किस्में हैं: (1) हिदायते तौफिक (2) हिदायते दलालत हिदायते तौफिकः इससे मुराद यह है कि अल्लाह अपने किसी बन्दे के दिल में हिदायत कबूल करने का जज्बा पैदा कर दे। इन्सान के दिल अल्लाह के बस में है। वो उन्हें जिधर चाहे फैरता है। दिलों में हिदायत कबूल करने का जज्बा भी अल्लाह ही पैदा करता है। यह मामला उसके अलावा किसी के बस में नहीं। यहां तक कि कोई नबी भी अपनी मर्जी से जिसे चाहे मुसलमान या हिदायत याफ्ता नहीं बना सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदारों में सबसे ज्यादा आपका साथ देने वाले अबू तालिब थे। लेकिन इसके बावजूद आप उन्हें हिदायत की तौफिक ना दे सके।

हिदायते दलालतः इससे सीधे रास्ते की तरफ लोगों की रहनुमाई करना मुराद है। जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर तमाम अम्बिया व रसूल और हक दावत देने वाले लोगों की रहनुमाई करते रहे। जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमायाः

(इन्नमा अनता मुनजिरून वलिकुल्लि कवमिन हाद) अद्दहर 7/13

"आप तो महज (उन लोगों को अल्लाह की नाफरमानी से) डराने वाले हैं। और हर कौम का कोई ना कोई हिदायत करने वाला जरूर होता है।"

निज अल्लाह तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया:
"(व इन्नका लतहदी इला सिरातिममुस्तकिम)" अश्शुरा 52/42
"और यकीनन आप, लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं।"

यानी आप मुख्तलिफ दलाईल, और मुख्तलिक अन्दाज से लोगों की सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, जो मुअजज्जात (बेबस करने वाली चीज) और ऐसे पुख्ता दलाईल से मदद की गयी है जो आपकी सच्चाई पर गवाह हैं।

जब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे जलीलुल कद्र और अजीमुश्शान हस्ती से हिदायते तौफिक की मनाही हो गयी तो फिर तमाम अहम मामलात, हिदातय मगफिरत, रजा, बुराईयों से दूरी और भलाईयों को पाने के लिए भी अल्लाह तआला के अलावा किसी दूसरे के साथ दिली ताल्लुक रखना गलत है।}

सही बुखारी में सईद बिन मुसय्यीब रह. अपने वालिद मुसय्यीब रह. से रिवायत करते हैं।

जब अबू तालिब की मौत का वक्त करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाये। वहां अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया और अबू जहल भी बैठे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«يَا عَمِّ! قُلْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَاللهِ»

"चचाजान! कलमा "ला इलाहा इल्लल्लाह" का इकरार कर लो, ताकि मैं इसी कलमे को अल्लाह तआला के यहां तुम्हारे हक में बतौरे दलील पेश कर सकूं।"

वो दोनों (अब्दुल्लाह बिन अबी उमैया और अबू जहल) बोले:

क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के दीन को छोड़ दोगे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और वो दोनों सरदार अपनी अपनी बात को दोहराते रहे। आखिरकार अबू तालिब ने कहा, मैं अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर कायम हूं। और उसने ''ला इलाहा इल्लल्लाह'' का इकरार करने से इनकार कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ»

''जब तक मुझे मना ना किया गया मैं जरूर तुम्हारे लिए माफी की दुआ करता रहूंगा।''

इस पर अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमायी:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوٓا أُوْلِي قُرْبَىٰ ﴾ (التوبة٩/ ١١٣)

''नबी और अहले ईमान को मुनासिब नहीं कि वो मुश्रिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करें चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो।'' (सूरह तौबा, पारा 11 आयत 113)

और अल्लाह तआला ने अबू तालिब के बारे में यह आयत नाजिल फरमायी:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَآءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴿٥٦﴾ ﴾ (القصص٢٨/ ٥٦)

''(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) बिलाशुबा, आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते। लेकिन अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है और वो हिदायत कबूल करने वालों को खूब जानता है। (सही बुखारी अत्तफसीर बाबो तफसीरे कौलिही तआला इन्नका ला तहदिमन अहबब ता, हदीस नम्बर 4772, सही मुस्लिम अलईमान, बाबुद दलीले अला सिहती इस्लामिमन हजरहुलमौत हदीस नं. 24)''

{"ल असतगफिरन्ना" में लाम कसम का है यानी अल्लाह की कसम! मैं जरूर मगफिरत की दुआ करूंगा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीकतन अपने चचा के हक में मगफिरत की दुआ की भी, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ ने आपके चचा को कोई फायदा पहुंचाया? नहीं! क्योंकि वो मुश्रिक था। मुश्रिक के हक में इस्तगफार और शफाअत बिलकुल फायदा नही।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यह इख्तेयार नहीं कि वो किसी मुश्रिक के गुनाहों की माफी में उसे कुछ नफा दे सकें। या कोई शख्स अगर शिर्क करते हुए आपकी तरफ पलटे तो आप उसकी परेशानी को दूर करके या भलाई पहुंचाकर उसके कुछ काम आ सकें। इसलिए आप ने फरमाया:

"ल अगसतगफिरन्ना लका मालम उनहा अनका।" अल्लाह की कसम! जब तक मुझे रोका ना गया।....."

चूनांचे अल्लाह तआला ने यह आयत नाजिल फरमायी:

(मा काना लिन्नबीयी वल्लजिना आमनु अय्यसतगफिरू लिलमुशरिकिना वलव कानू उलि कुरबा) अत्तौबा 113/9)

"नबी और अहले ईमान को मुनासिब नहीं कि वो मुश्रिक के लिए मगफिरत की दुआ करें, चाहे वो उनके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जबकि यह वाजेह जो चुका हो कि वो जहन्नमी हैं।"

इस आयत से यह बात बिलकुल जाहिर हो जाती है कि अल्लाह तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्रिकीन के लिए मगफिरत की दुआ करने से मना फरमाया है। अब इस सूरत में अगर यह फर्ज कर लिया जाये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमे बरजख (दुनिया और आखिरत के बीच वाली जिन्दगी) में दुआये मगफिरत करने की कुदरत रखते हैं तब भी आप किसी ऐसे मुश्रिक के हक में दुआये मगफिरत नहीं कर सकते जो अल्लाह के अलावा आपसे शफाअत का चाहने वाला हो, आपसे फरियाद व मदद मांगे, आपके लिए जानवर जिब्ह करे, नजरो नियाज माने, आपको इबादत का हकदार जाने, आप पर भरोसा करे या आपके सामने अपनी हाजात व जरूरियात पैश करने के शिर्क में फसा हो।}

मसाईल

1. इस बाब में आयते करीमा "इन्नाका ला तहदी मन अहबब्ता" की तफसीर है।
2. आयते करीमा "मा काना लिन्नबीयी वल्लजिना आमनु अंय्यसतगफिरू लिलमुशरीकिना वलव कानू उली कुरबा" की तफसीर और उतरने का सबब भी बयान हुआ है।
3. कलमा तौहिद "ला इलाहा इल्लल्लाहु" का जुबान से इकरार जरूरी है। इसमें इल्म के उन दावेदारों का रद्द है जो महज दिल से जान लेने को काफी समझते हैं।
4. जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से "ला इलाहा इल्लल्लाह" पढने को कहा तो अबू जहल और उसके साथी जानते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उससे क्या मुराद है? इसीलिए वो अबू तालिब को अब्दुल मुत्तलिब के मजहब पर कायम रहने की बात दोहराते रहे। अल्लाह तआला उन लोगों का बुरा करे जिनकी निस्बत अबू जहल असल दीन "ला इलाहा इल्लल्लाह" के मतलब को बेहतर जानता था।
5. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा को मुसलमान करने की पूरी पूरी कोशिश की थी।
6. जो लोग अबू तालिब और उसके पुरखों को मुसलमान समझते हैं, इसमें उनका रद्द है।
7. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब के हक में माफी की दुआ की, मगर अल्लाह तआला ने ना सिर्फ उसकी मगफिरत की, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुश्रिकीन के लिए दुआ करने से भी रोक दिया।
8. बुरे लोगों की सोहबत हमेशा नुकसान देह होती है।
9. बड़े बुजुर्गों की इज्जत में हद से आगे बढ़ जाना नुकसान देह है।

10. गलत लोग अपने पुरखों वाला दीन और तौर तरीके पसन्द करने में इस शुबे का शिकार हैं कि अबू जहल ने भी अबू तालिब को यही तलकीन की थी।

11. बचाव का दारोमदार जिन्दगी के आखरी आमाल पर है, क्योंकि अगर अबू तालिब मौत के वक्त कलमें का इकरार कर लेता तो उसे जरूर फायदा होता।

12. गुमराह लोगों के दिलों में जमी इस बड़ी गलती के बारे में गौरो फिक्र करना चाहिए। इसलिए कि अबू तालिब के किस्से में बयान है कि सरदाराने मक्का इसी गलतफहमी की बिना पर अबू तालिब से झगड़ते रहे, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुबालगा (ताकीद) और तकरार के साथ अबू तालिब के सामने कलाम-ए-हक, कलमा-ए-तौहीद पैश किया। चूंकि उन लोगों के यहां यह बहुत बड़ी बात थी कि बाप-दादाओं के दीन को छोड़ा नहीं जा सकता। इसी लिए वो अपनी बात पर डटे रहे।

बाब: 18

आदम अले. की औलाद के कुफ्र और दीन को छोड़ने का बुनियादी सबब नेक लोगों की इज्जत व तकरीम में हद से आगे बढ़ जाना है।

{शेख मुहम्मद रह. ने इस बाब में और इससे बाद के अबवाब में साबित किया है कि इस उम्मत और पहली उम्मतों में शिर्क का सबसे बड़ा सबब नेक लोगों की इज्जत व तकरीम में गुलू (हद से ज्यादा बढ़ोतरी) और हद से आगे निकल जाना है। जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया है। उसूल और अकायद जिक्र करने के बाद अब गुमराही के सबब को बयान करना मकसूद है। ''गुलु'' दरअसल अरबी मकुला ''गलाफिश्शई'' से बना है। जिसका मायना किसी चीज को उसकी हद से बढ़ा देने का है। यानी आदम अलैहि. की औलाद के कुफ्र और अल्लाह के तय किए हुए दीन को छोड़ने का सबब, नेक लोगों की इज्जत व तकरीम में उस हद से आगे बढ़ जाना है जिसकी अल्लाह तआला ने इजाजत दी है। नेक लोगों में अम्बिया व रसूल और औलिया के अलावा वो तमाम लोग शामिल हैं जो नेकी और इख्लास की खूबी वाले हों। वो नेकी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले हों या बीच के दर्जे के, अल्लाह के यहां उनके दरजात हैं।

अल्लाह तआला की खातिर नेक लोगों से मुहब्बत रखने, उनकी इज्जत करने और नेकी और दीन व इल्म की बातों में उनकी बराबरी करने की इजाजत दी है। जबकि हर दौर में अम्बिया व रसूल की शरीअतों और उनके अहकाम पर अमल करने और उनके पीछे-पीछे चलने का हुक्म भी है। नेक लोगों क़ी इज्जत, उनसे मुहब्बत व दोस्ती, उनकी तरफ से बचाव और उनकी मदद करने की यह वो हद है, जिसकी अल्लाह तआला ने इजाजत दी है। उनकी इज्जत में गुलू की एक सूरत यह है कि उनमें बाज इलाही खसूसियात का अकीदा रखा जाये या यह ऐतकाद हो कि वो लोहो कलम के असरार से जानकार हैं।

जैसाकि बौसिरी ने अपने एक मशहूर कसीदा में कहा है:

"लव नासबत कदरहु आयातुहु इजमन, अहयसमुहु हीना युदआ दारिसर्ररिममि"

बाज शरह लिखने वाले ने इस शेअर की शरह में लिखा है कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मौअज्जात दिये गये हैं, वो और यहां तक कि कुरआन करीम में भी आपके शायाने शान नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो उससे कहीं ज्यादा बुलन्द है। आपका तो यह मकाम है कि आप का नाम लेने से मुर्दो की बौशिदा, मिट्टी और खाक में मिली हुई हड्डियां यकजा जमा होकर जिन्दा हो जाती हैं। (अल्लाह की पनाह) ऐसा गुलू वो लोग किया करते हैं जो गैर अल्लाह के पुजारी हैं। और वो अल्लाह के सिवा अम्बिया व रसूल वगैरह की तरफ रूजूअ करते हैं। और उनमें इलाही सिफात का अकीदा रखते हैं। जिसकी उन्हें कतअन इजाजत नहीं बल्कि यह अल्लाह तआला के साथ बहुत बड़ा शिर्क है। और मखलूक को खालिक की तरह करार देने की तरह है। अल्लाह की पनाह, ऐसा करना अल्लाह तआला के साथ कुफ्र हैं नेक लोगों की इज्जत की एक हद है, जिसकी शरअन इजाजत है, दूसरी तरफ गुलू है।

और एक तीसरी सूरत, जफा कहलाती है। यानी सालेहिन से मुहब्बत ना रखना, उनका अहतराम ना करना और अल्लाह तआला ने उनके जो हकूक तय किये हैं, उनका ख्याल ना करना। चूनांचे सालेहिन की शान में कमी करना "जफा" और उनकी मुहब्बत में हद से बढ़ना "गलू" है।}

अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَا تَغْلُوا۟ فِى دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ﴾ (النساء/٤/١٧١)

"ऐ अहले किताब! अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के मुताल्लिक हक के सिवा कुछ ना कहो।" (सूरह निसा, पा. 6 आ.171)

{अल्लाह तआला ने बिलखसूस यहूदी व इसाईयों को गुलू से मना किया है। और कलाम का सियाक इस बात पर दलालत करता है कि दीन के मामले में किसी भी किस्म का गुलू मना है। यहूदी व इसाईयों के हालात पढ़ें जाये तो पता चलता है कि ईसाईयों ने सैयदना ईसा अलैहि., उनकी वाल्दा और उनके साथियों के हक में और यहूदियों ने उजैर अलैहि. मुसा अले के साथियों, अपने औलमा-ए-किराम और मोलवियों के हक में गुलू किया, उनके बारे में बाज इलाही खुबियों का अकीदा रखा, उनसे शफाअत की उम्मीदें वाबस्ता रखीं और समझने लगे कि उन बुजुर्गो का भी इस कायनात में कुछ हिस्सा और इसतराक (साझी) है। यह भी निजामे कायनात को चलाते और इसमें रद्दो बदल करते हैं।}

हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजि. से आयते करीमाः

﴿وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴿٢٣﴾﴾ (نوح۷۱/۲۳)

''और उन्होंने कहा कि अपने माबूदों को ना छोड़ना और ना वदद सुवाअ, यगूस, यऊक और नस्र को छोड़ना।'' की तफसीर में रिवायत है कि यह सब (वद्द, सुवाअ, यगूस, यउक, और नस्र) कौमे नूह के नेक लोग थे। उनकी वफात के बाद शैतान ने उनकी कौम को इस बात पर उभारा कि यह नेक लोग जहां बैठा करते थे, वहां बतौर यादगार पत्थर खड़ा कर दो। और उन पत्थरों को उनके नामों से मिला दो। उन्होंने ऐसे ही किया। लेकिन उस दौर में उन पत्थरों की पूजा ना की गयी। जब यह लोग मर गये और बाद वालों पर जहालत छा गयी, इल्म जाता रहा और असल बात जहनों से मिट गयी तो बाद वालों ने उन यादगारों की पूजा शुरू कर दी। (सही बुखारी, तफसील, तफसीर सूरह नूह, हदीस 4920)

इमाम इब्ने कय्यईम रह. फरमाते हैं: कई असलाफे अहले

इल्म का कौल है कि जब वो मर गये तो सबसे पहले यह लोग उनकी कब्रों के मुजाविर बने, फिर उनकी मूर्तियां बनायीं, फिर एक लम्बा जमाना गुजरने के बाद उनकी पूजा शुरू कर दी।

{कौमे नूह का शिर्कः कौमे नूह जिस शिर्क में फंसे थे, वो सालेहिन और उनकी रूहों के बारे में हद से बढ़ने की सूरत में था। शैतान बुजुर्ग इन्सान की सूरत में उनके पास आया और अपनी बुजुर्गी और अल्लाह से नजदीकी का वादा देते हुए उनसे कहा कि जो लोग मेरे साथ शामिल हो गये हैं, उनके हक में सिफारिश करूंगा। इसके बाद उन्हें आहिस्ता आहिस्ता तस्वीरें, मूर्तियों, ढेरियों के अहतराम और बूतपरस्ती तक पहुंचा दिया, जैसा कि इब्ने अब्बास रजि. ने इसकी तफसील बयान की है। उन लोगों ने जब उन बुजुर्गों की तस्वीरें बनाने का इरादा किया तो उन्हें यकीन था कि वो उन तस्वीरों की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन पहला इल्म मिट जाने से इन्हीं तस्वीरों की परस्तीश को सालेहिन और बुजुर्गों की नजदीकी का वसीला, सबब और जरीया समझ लिया गया।

कभी कभी शैतान तस्वीर के पास आकर अपने मानने वालों को यह असर देता है कि यह तस्वीर बोलती है और उसके मुंह से बातें करने की आवाज सुनायी देती है और इसी तरह के दीगर करतब दिखाता, जिनसे उनके दिल सालेहिन की रूहों की तरफ झूक जाते। अलगर्ज इस तरह से शैतान ने उन्हें बुजुर्गों की इबादत पर उकसाया। हुबहू यही सूरते हाल आज कल उन लोगों की है जो कब्रों पर मुजाविर बनकर बैठते हैं और अल्लाह तआला की इबादत के साथ साथ अहले कब्रों की इबादत भी करते हैं। यही इल्म अल्लाह तआला के साथ शिर्क करने का सबब बनता है।}

हजरत उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«لاَ تُطْرُوْنِي كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إِنَّمَا أَنَا عَبْدٌ،

فَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ»(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب قوله تعالى ﴿واذكر في الكتب مريم﴾ ح:٣٤٤٥، وأصله عند مسلم في الصحيح، ح:١٦٩١)

"तुम मेरी तारीफ करने में हद से ना बढ़ जाना, जैसे नसारा, ईसा इब्ने मरयम की तारीफ में हद से बढ़ गये थे। मैं तो एक बन्दा हूँ। तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहो।" (हदीस सही बुखारी 3445)

{"इतरा" का मायना किसी की तारीफ में हद से बढ़ जाना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तारीफ में हद से बढ़ जाने से इसलिए मना फरमाया है कि जब नसारा, ईसा अलैहि. की तारीफ में हद से बढ़ गये तो इसका नतीजा यह निकला कि वो कुफ्र और अल्लाह के साथ शिर्क करने के साथ साथ यह दावा भी करने लगे कि ईसा अलैहि. अल्लाह के बेटे हैं। इसीलिए आपने फरमाया: (इन्नमा अना अब्दुन फकुलु: अब्दुल्लाहि वरसूलूहु) "मैं तो एक बन्दा हूं। तुम मुझे अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल ही कहो।"}

हजरत उमर रजि. ही से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ»(سنن النسائي، المناسك، باب التقاط الحصى، ح:٣٠٥٩ وسنن ابن ماجه، المناسك، باب قدر حصى الرمي، ح:٣٠٢٩)

"गुलू से बचकर रहो, तुमसे पहले लोगों को गुलू (तारीफ में मुबालगा और हद से बढ़ना) ही ने हलाक किया था। (हदीस सुनन निसाई)

{इस हदीस में हर किस्म के गुलू से मना किया गया है। क्योंकि गुलू

(तारीफ में हद से बढ़ना) हर बुराई का सबब और जरीया (बीच का रास्ता और ऐतदाल) हर किस्म की भलाई का सबब है।}

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ - قَالَهَا ثَلاَثًا»(صحيح مسلم، العلم، باب هلك المتنطعون، ح: ٢٦٧٠)

"गुलू करने वाले और हद से बढ़ने वाले हलाक हुए। आपने यह बातें तीन बार कही।" (हदीस सही मुस्लिम 2670)

{"मुतनत्तिउन" से वो लोग मुराद हैं जिन्होंने अपने काम और बात और किसी चीज का इल्म हासिल करने में इस कद्र गुलू और तकल्लुफ किया कि जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। "तनत्तोअ" "इतरा" और "गुलू" के मायने करीब करीब हैं। सिर्फ लफ्ज "गुलू" में यह तमाम मायने आ जाते हैं।

शैख रह. ने इस बात में साबित किया है कि जब लोग बुजुर्गाने दीन के हक में गुलू यानी उनकी इज्जत व तकरीम में हद से आगे बढ़ने लग जायें तो वो दीन से दूर और कुफ्र में फंस जाते हैं। जैसा कि कौमे नूह ने नेक बुजुर्गो के हक में गुलू किया और उनकी कब्रों पर मुजाविर बन कर बैठ गये तो आखिरकार उन्हीं की पूजा शुरू कर दी। इसी तरह इसाईयों ने अपने रसूल सय्यदना ईसा अलैहि., उनके साथियों और औलमा के हक में गुलू किया, आखिरकार उन्हें माबूद समझने लगे। इसी तरह इस उम्मत में भी बाज लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इलाही खूबीयां और इख्तेयारात का अकीदा रखने लगे हैं, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुबहू इन बातों से मना फरमाया है।}

मसाईल

1. जो शख्स इस बाब को और इससे बाद वाले दो अबवाब को अच्छी तरह समझ ले, उस पर इस्लाम की अजनबियत वाजेह हो जायेगी (यह अजनबियत ही है कि बहुत से लोग इस्लाम की असलियत से अनजान हैं।) और दिलों के फैरने में अल्लाह तआला की कुदरत के अजीब करीश्में उसके सामने आऐंगे।
2. पूरी जमीन पर रोनुमा होने वाला सबसे पहला शिर्क बुजुर्ग लोगों के साथ हद दर्जा मुहब्बत और उनकी बहुत ज्यादा तारीफ व इज्जत के सबब हुआ।
3. यह भी मालूम हुआ कि सबसे पहली चीज जिसके जरीये अम्बिया के दीन में बदलाव आया वो क्या थी? और उसका सबब क्या था? जबकि इस बात का भी खूब इल्म था कि अल्लाह तआला ही ने उन्हें रसूल बनाकर भेजा है।
4. बिदआत व मुहदिसात (दीन में नयी बात पैदा करने) को बहुत जल्द कबूल करने का सबब क्या है? जबकि शरीअते इस्लामिया और फितरते सलीमा इन बातों का रद्द हैं।
5. इन तमाम बातों का सबब, सच और झूट को दो वजहों की बिना पर खलत मलत कर देना था। पहली वजह बुजुर्गो की हद दर्जा मुहब्बत थी और दूसरी वजह यह कि बाज अहले इल्म और असहाबे दीन ने कुछ ऐसे काम किये, जिनमें उनका इरादा तो भलाई ही का था मगर बाद वालों ने उनका मकसद कुछ और ही समझ लिया।
6. सूरह नूह की आयत 23 की तफसीर भी हुई। जिनमें अलग अलग बूतों के नाम आए हैं।
7. फितरी तौर पर इन्सान के दिल में हक धीरे धीरे कम होता रहता है। जबकि झूठ बढता रहता है।

8. नेक लोगों की बात सही है कि बिदआत, कुफ्र का सबब बनती हैं।
9. शैतान (इबलीस) बिदअत के अंजाम से, खूब खबरदार है कि यह किस तरह इन्सान को तबाह कर देती है। अगरचे बिदअत जारी करने वाले की नियत अच्छी ही क्यों ना हो।
10. एक अमूमी कायदा (आम उसूल) साबित होता है कि गुलू से पूरे तौर पर बचना चाहिए और इसके अंजाम को समझना चाहिए।
11. किसी नेक काम को करने के लिए भी कब्र पर बैठना नुकसानदेह है।
12. मूर्तियों की मनाही और उनको मिटा डालने और तोड़ डालने की हिकमत भी साफ होती है।
13. कौमे नूह के किस्से की अहमियत का पता चला और यह भी मालूम हुआ कि कौमे नूह में किस तरह शिर्क शुरू हुआ? उसे जानना और पहचानना निहायत जरूरी है, जबकि ज्यादातर लोग इससे बेखबरी का शिकार हैं।
14. अफसोसनाक बात तो यह है कि अहले बिदआत, यह वाक्या कुतुबे तफसीर व हदीस में पढ़ते हैं और समझते भी हैं कि किस तरह अल्लाह तआला उन लोगों और उनके दिलों के दरमियान आड़ बन गया, मगर इसके बावजूद उन लोगों का यह यकीन होता है कि कौमे नूह वाला अमल (बुजुर्गों की तस्वीरें बनाकर रखना, उनकी ताजीम व तकरीम में गुलू करना और कब्रों पर मुजाविर बन कर बैठना) बहुत अच्छी इबादत है।

    और जो शख्स उन्हें इन गलत चीजों से रोकने की नसीहत करे, उसके बारे में यह नजरीया रखते हैं कि यह काफिर हैं और उसके माल व जान जाइज हैं।
15. इन बुतों को पूजने वालों का इरादा सिर्फ यह था कि यह

बुजुर्ग अल्लाह तआला के यहां हमारी सिफारिश करेंगे।

16. इन मुश्रिकीन का यह ख्याल था कि जिन पहले मौलवियों ने इन बुजुर्गों की तस्वीरें बनायी थीं, उनका मकसद भी यही था जो हमारा है।

17. 'ला तुतरूनि कमा अतरतिन्नसारबना मरयम'' इस हदीस में मुसलामनों के लिए खुली और अजीम नसीहत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तआला की बेशुमार रहमतें नाजिल हों कि आपने वाजेह तौर पर तबलीग का हक अदा फरमा दिया।

18. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ताकिदअन यह नसीहत फरमायी है कि तकल्लुफ (ठाट-बाट) करने वाले और हद से आगे बढ़ने वाले हमेशा बर्बाद होते हैं।

19. इल्म की अहमीयत और बेइल्मी के नुकसान का भी पता चलता है कि कौमे नूह में इल्म खत्म होने के बाद ही बूतों की पूजा पाठ शुरू हुई थी।

20. दुनिया से औलमा का चले जाना इल्म के खत्म हो जाने का एक बड़ा सबब है।

बाब:19

किसी नेक बुजुर्ग आदमी की कब्र के पास, अल्लाह तआला की इबादत करना नाजाईज और संगीन जुर्म है, तो खुद उस नेक आदमी की इबादत करना कितना बड़ा जुर्म होगा?

{इस बाब से और इसके बाद के अबवाब से साबित होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के भलाई चाहने वाले और उसकी हिदायत के बहुत ख्वाहिशमन्द थे। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को हर उस चीज की खबर दी और उससे रोका जो शिर्क तक पहुंचाने का सबब बन सके। मसलन आपने फरमाया कि किसी नेक आदमी की कब्र के पास उस जगह की बकरत के नजरीये से अल्लाह तआला की इबादत करना भी शिर्क है। आम तौर पर समझा जाता है कि नेक लोगों की कब्रें और उनके आसपास की जगह बड़ी बाबरकत हैं और वहां अल्लाह तआला की इबादत करना आम जगह से ज्यादा बेहतर है। लेकिन जब इन कब्रों के पास अल्लाह तआला की इबादत करने की इजाजत नहीं तो इस कब्र या कब्र वाले की इबादत क्योंकर जाइज होगी? कब्र परस्तों की इबादत का मरकज भी कभी तो कब्र होती है और कभी कब्र वाला खुद और कभी कब्र के आसपास की जगह बल्कि अब तो लोग कब्र के आसपास चारदीवारी और लोहे के जंगलों की भी इबादत करते और बरकत को पाने के लिए उन्हें हाथ लगाते हैं। इनके अहतराम को अल्लाह तआला की खुशी का जरीया समझते हैं और उनके मुजाविर बनने को और उनका अहतराम करने को अपने लिए ना सिर्फ फायदेमन्द और बेहतर ख्याल करते हैं बल्कि उनकी बेहुरमती या उनसे बे-तवज्जुह ही को अपने लिए नुकसानदेह

ख्याल करते हैं।}

सय्यदा आईशा रजि. से रिवायत है कि सय्यदा उम्मे सलमा रजि. ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक कलिसा (गिरजाघर) और उसमें मौजूद तस्वीरों और मूर्तियों का जिक्र किया जो उन्होंने हब्शा की जमीन में देखा था, तो आपने फरमायाः

«أُولٰئِكِ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ، أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ، بَنَوْا عَلٰى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَّصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولٰئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ»(صحيح البخارى، الصلاة، باب تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد، ح:٤٢٧، ٤٣٤، ١٣٤١ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المسجد على القبور، ح:٥٢٨)

''उन लोगों के यहां जब कोई बुजुर्ग मर जाता तो वो उसकी कब्र पर मस्जिद बना लेते और उसमें तसावीर (मुजस्समें) बना देते। यह लोग अल्लाह तआला की नजर में बदतरीन मखलूक हैं।'' (हदीस सही बुखारी)

क्योंकि उन्होंने एक ही वक्त में दो बड़े गुनाह किये। एक तो कब्रों को इबादतगाह बनाने का और दूसरा उनमें मुजस्समें और तस्वीरें बनाने का। (इगासतुल लहफान 201/1)

और बुखारी और मुस्लिम में उम्मुल मौमिनीन सय्यदा आइशा रजि. से रिवायत है जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत की निशानी जाहिर हुवी तो आप शिद्दत तकलीफ से अपने चेहरे मुबारक को चादर से ढांप लेते और जब दम घुटने लगता तो चादर को हटा देते। इसी आलम में आपने फरमायाः

«لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسَاجِدَ»
(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٣، ١٣٩٠ وصحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن اتخاذ القبور مساجد، ح:٥٢٩)

"यहूद व नसारा पर अल्लाह तआला की लानत हो, उन्होंने अन्बिया किराम की कब्रों को सज्दागाहें बना लिया था।" (हदीस सही बुखारी 3457)

इस बात से आपका मकसूद अपनी उम्मत को ऐसे तर्जे अमल से डराना और रोकना था। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को सज्दागाह बनाने का डर ना होता तो आपकी कब्र भी आम मुसलमानों की तरह जाहिर......खुली जगह..... पर होती।

{मस्जिद हर उस जगह को कहा जाता है जिसे अल्लाह तआला की इबादत के लिए खास कर लिया जाये। बुजुर्गों की कब्रों पर बनाये गये कलिसे और कब्र या कब्र के करीब दीवार पर लटकायी गयी तस्वीरें भी इसलिए थी ताकि लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ दावत देने के साथ साथ उस नेक आदमी और उसकी कब्र की इज्जत भी की जाये। इससे मालूम हुआ कि जिन लोगों ने सालेहिन व बुजुर्गान की इज्जत करते हुए उनकी कब्रों को सज्दागाह बना लिया, वो अल्लाह तआला की नजर में गन्दी मखलूक हैं। वाजेह रहे कि उन लोगों ने बुजुर्गों की इबादत नहीं की थी। बल्कि उन्होंने तो उनकी कब्रों की सिर्फ इज्जत की और उनकी तसावीर और मुजस्समें बना लिये। इसी बिना पर अल्लाह तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सबसे बुरे लोग करार दिया है।

इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि कब्रों पर मस्जिदें बनाना और वहां मुजस्समें या तसावीर रखना मना है। क्योंकि यह दोनों अमल बड़े शिर्क अकबर के जन्म लेने का सबब बनते हैं। जिन अहादिस में शिर्क फैलाने के जरीये इख्तेयार करने, कब्रों पर मसाजिद बनाने और अन्बिया व सालेहिन की कब्रों को सज्दागाह बनाने से मना किया गया

है, सैयदा आईशा रजि. से मरवी आखिर में बयान की गयी हदीस उनमें सबसे ज्यादा अहम है। इसकी वजह यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्तेहाई तकलीफ व परेशानी और सकरातुल मौत के आलम में भी इस जानिब से बेखबर ना हुए बल्कि आपने उम्मत को शिर्क के असबाब से बचने की इस हालत में भी तलकीन फरमायीं और आपने अम्बिया की कब्रों पर मसाजिद (सज्दागाहें) बनाने वालों (यहूदियों व नसारा) पर अल्लाह तआला की लानत फरमायी।

आपको यह अन्देशा था कि इन अम्बिया की तरह कहीं आपकी कब्र को भी सज्दागाह ना बना लिया जाये। आपकी इस लानत से मकसूद, दरहकीकत सहाबा किराम रजि. को इस बुरे अमल से डराना और यह बताना था कि उन लोगों का यह अमल बहुत बड़ा गुनाह था, लिहाजा इससे बचकर रहना किसी कब्र को सज्दागाह बना लेने की तीन सूरतें होती हैं:

(अ) कब्र के ऊपर सज्दा करना, यह सबसे खतरनाक सूरत है।

(ब)कब्र की तरफ मुंह करके नमाज अदा करना। इस सूरत में चूंकि कब्र और उसके आसपास की जगह को आजजी व इत्मिनान की जगह बना लिया जाता है। जबकि मस्जिद भी आजजी व नियाजी की खास जगह होती है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया है कि कब्र की तरफ रूख करके नमाज पढ़ी जाये। क्योंकि उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना इस की ताजीम का एक वसीला और जरीया है और यही सूरत शैख मुहम्मद रहमतुल्लाह के कायमकर्दा इस बाब से ताल्लुक रखती है।

(स) मस्जिद के अन्दर कब्र बना देना। यहूद व नसारा का तरीका-ए-कार यह होता था कि जब कोई नबी फौत हो जाता तो उसकी कब्र के पास इमारत कायम करके कब्र के माहोल को मस्जिद (इबादतगाह) की हैसियत देकर उस जगह को इबादत और नमाज के लिए खास कर लेते थे।

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम कब्रिस्तान में दफन ना करने की वजहः उम्मुल मौमिनीन सैय्यदा आईशा रजि. की हदीस से साबित हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाहर आम

कब्रिस्तान में इस अन्देशे के पेशे नजर दफन ना किया गया कि कहीं आपकी कब्र पर मस्जिद बना कर उसकी पूजा ना शुरू कर दी जाये।

और इसकी दूसरी वजह सैयदना अबू बकर रजि. ने बयान की है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था ''इन्नल अम्बीयाआ युकबरूना हयसो यकबजुना।'' ''अम्बिया को जहां मौत आये, उन्हें वहीं दफन किया जाता है।''

सहाबा किराम रजि. ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर खूब अच्छी तरह अमल किया और उन्होंने रोजा-ए-मुबारका (कब्र शरीफ) में से तीन मीटर या इससे भी कुछ ज्यादा जगह लेकर वहां पहले एक दीवार, फिर दूसरी दीवार बनायी और फिर लोहे का एक जंगला लगा दिया। और इस मकसद के लिए मस्जिद का भी कुछ हिस्सा ले लिया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के करीब सज्दा ना हो सके और कोई शख्स यह ना समझे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद के अन्दर है। याद रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मस्जिद के अन्दर नहीं बल्कि आइशा रजि. के कमरे के अन्दर है। मस्जिद और कब्र के बीच बहुत सारी दीवारें कायम हैं। निज पूर्व की तरफ तो मस्जिद है ही नहीं। खुलासा यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र सज्दागाह नहीं बनायी गयी।}

जुनदुब बिन अब्दुल्लाह रजि. से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से पांच दिन पहले मैंने आपको यह फरमाते हुए सुना:

«إِنِّي أَبْرَأُ إِلَى اللهِ أَنْ يَكُونَ لِي مِنْكُمْ خَلِيلٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدِ اتَّخَذَنِي خَلِيلاً، كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِّنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَّسَاجِدَ، أَلاَ فَلاَ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ فَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ»(صحيح مسلم، المساجد، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، ح: ٥٣٢)

''मैं अल्लाह के सामने इस बात से बरी व ला-ताल्लुकी का इजहार करता हूं कि तुम में से कोई मेरा दोस्त हो, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया है। जिस तरह उसने इब्राहिम को अपना खलील (दोस्त) बनाया था। और अगर मुझे अपनी उम्मत में से किसी को अपना खलील बनाना होता तो अबू बकर को बनाता। खबरदार! तुम से पहले लोग अम्बिया की कब्रों को सज्दागाह बना लेते थे, खबरदार! तुम कब्रों को सज्दागाहें ना बना लेना। मैं तुम्हें इस काम से रोक रहा हूँ।'' (हदीस सही मुस्लिम 532)

रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बुरे अमल से अपनी जिन्दगी के आखरी लम्हात में मना फरमाया और ऐसा करने वालों पर लानत फरमायी।

इससे मालूम हुआ कि अगर कब्र की पूजा ना भी की जाये तब भी कब्र के करीब नमाज पढ़ना मना है।

और सैयदा आईशा रजि. के कौल ''खशिया अय्युत्ता खजा मस्जिदा'' का भी यही मफहूम है। इसलिए कि सहाबा किराम रजि. से तो यह उम्मीद ना थी कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को मस्जिद बनायेंगे जबकि हर वो जगह जहां नमाज अदा की जाये, मस्जिद ही होती है।

जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। ''जुईलत लियल अरजु मसजिदव व-तहुरा'' तमाम रूये जमीन को मेरे लिए मस्जिद और जरीया-ए-तहारत (वजू और गुस्ल के लिए पानी का कायम मुकाम) बना दिया गया है।''

{जैसे यहूद व नसारा ने अम्बिया की कब्रों को सज्दागाहें बना लिया था, वैसे ही इस उम्मत में यह फितना वाकेअ हो चुका है और यह शिर्क का एक बहुत बड़ा सबब और वसीला है और वसाईल व असबाब हमेशा बाद में मकसूद तक पहुंचाया करते हैं। कवाईदे शरीआ में एक मुसल्लमा कायदा और औलमा-ए-मुहक्कीन का तय शुदा फैसला है कि शिर्क और

दीगर हराम चीजों तक पहुंचाने वाले जराऐअ व सायल का रोकना जरूरी है, इसीलिए किसी कब्र पर बनायी गयी मस्जिद में नमाज पढ़ना दुरुन्त नहीं क्योंकि यह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानियत के खिलाफ है। लिहाजा जो मस्जिद किसी कब्र के ऊपर बनायी गयी हो, उस मस्जिद में और कब्र के आसपास नमाज अदा करना जाइज नहीं, चाहे उस जगह की बरकत के अकीदा से नमाज पढ़ी जाये या नमाजे जनाजा के अलावा वैसी नफ्ली नमाज पढ़ी जाये। यह सब नाजाइज हैं, जैसाकि सही बुखारी में तआलीकन्न रिवायत है कि सैयदना उमर रजि. ने सैयदना अनस रजि. को एक कब्र के करीब नमाज पढ़ते देखा तो फरमायाः ''यह कब्र है कब्र। यहां नमाज ना पढ़ो।''

इससे मालूम हुआ कि किसी कब्र के करीब नमाज अदा करना जाइज नहीं, क्योंकि यह शिर्क के बड़े असबाब व जराया में से है।}

इब्ने मसउद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«إِنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ أَحْيَاءٌ، وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ»(مسند أحمد:٥٣١٦ وصحيح ابن خزيمة، ح:٧٨٩)

सबसे बदतरीन लोग वो होंगे जिनकी जिन्दगी में उन पर कयामत कायम होगी। और वो लोग भी बदतरीन हैं जो कब्रों को मसाजिद (सज्दागाहों) का दर्जा देंगे।'' (हदीस सही इब्ने खुजैमा 789)

{बदतरीन हैं वो लोग जो कब्रों को सज्दागाहें बना लेते हैं। कब्र के ऊपर, उसकी तरफ रूख करके या उसके आसपस नमाज पढ़ना उसे सज्दागाह का दर्जा देने ही की अलग अलग सूरते हैं। इसलिए कब्र के पास नमाज पढ़ने का इरादा करने वाला इन्सान उन बदतरीन लोगों में शामिल हो जाता हैं जिनकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुराई बयान

फरमायी है। इस अहादीस के साथ साथ मुसलमान देशों और इलाकों में मुसलमानों के तर्जे अमल को देखें कि लोगों ने कब्रों के ऊपर ऊंची-ऊंची इमारतें और कुब्बे खड़े किए हुए हैं। उन कुब्बों और इमारतों की बिना पर उन कब्रों की इज्जत की जाती है और लोग उनकी तरफ जाते हैं। और उन कब्र वालों को औलिया जाहिर करके उनके फजायल व मनाकिब में मनघड़त लम्बे चौड़े वाक्यात बयान करके साबित किया जाता है कि यह औलिया किराम लोगों की पुकार को सुनते, और उनकी फरियाद को पहुंचते है। इससे मौजूदा और पिछले जमानों में खालिस इस्लाम का अजनबी होना जाहिर होता है कि लोग अपने दीन के साथ किस कद्र जुल्म और जियादती रवा रखे हुए हैं। बल्कि इससे भी अफसोसनाक मामला यह है कि वो उन तमाम बातों को ना सिर्फ जाइज समझते हैं बल्कि उसे ऐन तौहीद करार देते हैं। और जो लोग उन्हें समझायें और अकल से काम लेने की दावत दें, यह उन पर जाहिल और कमअकल होने के इल्जाम धरते हैं। हालांकि वो शख्स उन्हें तौहीद की दावत देता है जबकि यह लोग जहन्नम की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह तआला हमें सलामती और आफियत से नवाजे। आमीन!}

मसाईल

1. इस बाब से साबित हुआ कि किसी बुजुर्ग की कब्र के पास अल्लाह तआला की इबादत के लिए मस्जिद बनाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबरदार और उसकी बुराई की है। अगरचे मस्जिद बनाने वाले की नियत सही ही हो।
2. तस्वीरें व मुजस्समें (मूर्तियां) बनाने की हरकत और उस पर सख्त फटकार भी है।
3. मजकूरा आमाल के मामले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकीद भरे हुए बयान से नसीहत हासिल होती है कि पहले तो आपने उस काम से उम्मत को वैसे आगाह फरमाया, फिर आखिर उम्र में वफात से पांच रोज पहले और ज्यादा आगाह फरमाया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब सफरे आखिरत शुरू होने वाला था, उस आलम में एक बार फिर सख्त मनाही फरमायी।

4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र पर ऐसा अमल करने से सख्ती के साथ मना फरमाया, हालांकि आपकी कब्र अभी बनी भी नहीं थी।
5. अम्बिया व सुलहा की कब्रों पर मसाजिद बनाकर उनमें इबादत करना यहूद व नसारा का तरीका है।
6. इसी अमल की वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद व नसारा पर लानत फरमायी।
7. लानत करने से असल मकसूद यह था कि मुसलमान आपकी कब्र पर ऐसा कोई काम ना करें।
8. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र को खुली और आम जगह पर ना बनाने की असल वजह और मसलेहत भी मालूम होती है।
9. यह भी वाजेह हुआ कि कब्रों को मसाजिद बनाने का मतलब क्या है?
10. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर मसाजिद तामीर करने वालों और जिन लोगों पर उनकी जिन्दगी में कयामत कायम होगी, दोनों का इक्ट्ठे जिक्र करके कुफ्र व शिर्क के सामने आने से पहले ही उसके असबाब और अंजाम से आगाह फरमा दिया।
11. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पांच रोज पहले अपने खुत्बे में उन दो गिरोहों का रद्द फरमाया जो अहले बिदअत में सबसे ज्यादा बुरे हैं। बल्कि बाज अहले इल्म ने तो उन्हें बहत्तर गिरोहों से भी खारिज करार दिया है। उनमें से एक रवाफिज और दूसरा जहम्मिया (गुमराह फिरके) है। खासकर रवाफिज ही की वजह से मुसलमानों में शिर्क और कब्र परस्ती की शुरूआत हुई और उन्हीं लोगों ने सबसे पहले कब्रों पर मसाजिद बनाने का सिलसिला शुरू किया।
12. मौत के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ा।
13. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तआला के खलील (दोस्त) होने की इज्जत भी हासिल है।
14. साफ मालूम हुआ कि खलील होने का मर्तबा, मकामे मुहब्बत से ऊंचा है।
15. सैयदना अबू बकर रजि. तमाम सहाबा रजि. से अच्छे हैं।
16. सैयदना अबू बकर रजि. की खिलाफत की तरफ भी इशारा है।

बाब : 20

नेक लोगों और बुजुर्गों की कब्रों के बारे में गुलू (हद से ज्यादा बढ़ाने) का अंजाम "बड़ा शिर्क" है।

{कब्र बहरहाल कब्र ही होती है, वो नेक आदमी की हो या किसी दूसरे की। कोहान (ऊंट के पीठ की कुबड़) की सूरत में हो या मुरब्बाअ (चौकोर) शक्ल में। शरीअत ने इसकी कोई तमीज रखी है ना शरीअत में उसकी कोई दलील आई है।

सालेहिन की कब्रों के बारे में गुलू का मतलब यह है कि उनके बारे मे जो हुक्म दिया गया और जिन बातों से रोका गया है, उनसे आगे बढ़ना। कब्रों पर कतबे (लिखावट करना) लगाना, उन्हें बेकार में ऊंचा बनाना, उन पर इमारत खड़ी करना, उन्हें सज्दागाह बनाना, कब्र को अल्लाह तआला की नजदीकी का जरीया समझना, कब्र या साहिबे कब्र को अल्लाह तआला के यहां सिफारिश करने वाला समझना, कब्र या साहिबे कब्र के लिए नजर मानना, उसको खुश करने के लिए जानवर जिब्ह करना, या कब्र की मिट्टी को सिफारशी या पाक समझना और उन कामों को अल्लाह तआला के कुर्ब का वसीला और जरीया समझना। यह तमाम बातें गुलू हैं और "बड़े शिर्क" की किस्में हैं।}

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا يُعْبَدُ، اِشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»(الموطأ لأمام مالك، الصلاة، باب جامع الصلاة، ح:٢٦١ والمصنف لإبن أبي شيبة: ٣/ ٣٤٥)

"या अल्लाह! मेरी कब्र को बूत ना बनाना, जिसे लोग पूजना शुरू

कर दें। उन लोगों पर अल्लाह का सख्त गजब और कहर नाजिल हुआ, जिन्होंने अम्बिया की कब्रों को सज्दागाह बना लिया।'' (हदीस मौत्ता इमाम मालिक)

{नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र की पूजा व परशतीस शुरू हो जाने के खतरे की वजह से अल्लाह तआला से यह दुआ फरमायी कि या अल्लाह! मेरी कब्र को पूजा और इबादत का सेन्टर ना बनाना। इसका मायना यह हुआ कि जिस कब्र की पूजा हो, वो बूत ही है और उस पूजा का सबब वो चीज होती है जिसका जिक्र हदीस के दूसरे हिस्से में हुआ है।

(इशतद्दा गजबुल्लाहि अला कौमित्ताखजु कुबुरा अनबिया इहिम मसाजिद)

शिर्क तक पहुंचाने वाले असबाब व वसाइल को इख्तेयार करना ही कब्रों के बारे में गुलू है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में जहां कब्रों की पूजा के जरिये और वसीले का जिक्र किया है, इससे बचने के साथ साथ इस बुरे अमल का ऐरतकाब करने वालों पर अल्लाह के शदीद गजब से भी डराया है। और यह भी जिक्र किया है कि आखिरकार उन वसाईल का नतीजा यही होता है कि बूतों की तरह कब्रों की इबादत और पूजा शुरू हो जाती है। अलगर्ज इस हदीस ने साफ कर दिया है कि जिस कब्र की पूजा की जाये, वो बूत ही है।}

इब्ने जरीर रह. ने आयत मुबारका:

﴿أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّٰتَ وَٱلْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾﴾ (النجم٥٣/١٩)

की तफसीर में मुजाहिद रह. का कौल नकल किया है:

«يَلُتُّ لَهُمُ السَّوِيقَ فَمَاتَ فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرِهِ»(رواه ابن جرير في التفسير: ٢٧/٥٨)

''लात'' हाजियों को सत्तू घोलकर पिलाया करता था। उसकी

वफात के बाद लोग उसकी कब्र के मुजाविर बनकर बैठ गये।"

अबूल जवजा रह. ने भी इब्ने अब्बास रजि. से बयान किया कि: "लात" हाजियों को सत्तू घोल कर पिलाया करता था।"

{"लात" चूंकि हाजियों को सत्तू घोलकर पिलाता था, उसकी इसी नेकी की वजह से लोग उसकी कब्र के बारे में गुलू का शिकार हो गये। मुजाविर बन कर बैठने का मतलब है कब्र की ताजीम करते हुए बरकत, सवाब, फायदे को पाने और नुकसान के दफा होने की उम्मीद से कब्र पर बैठे रहना।

याद रहे! किसी कब्र का मुजाविर बन कर बैठने से वो परशतीश गाह और बूत बन जाती है।}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. से रिवायत है:

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ، وَالْمُتَّخِذِينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ» (سنن أبي داود، الجنائز، باب في زيارة النساء القبور، ح:٣٢٣٦ وجامع الترمذي، الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجد، ح:٣٢٠ وسنن النسائي، الجنائز، باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، ح:٢٠٤٥)

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों की जियारत को जाने वाली औरतों पर लानत फरमायी है, और उन लोगों को भी लानती करार दिया जो कब्रों पर मसाजिद बनाते और चिरागां करते हैं।" (हदीस सुनन अबी दाउद 3236)

{कब्रों पर मसाजिद बनाना और वहां चिरागां करना मना है। यह उन की ताजीम में गुलू और हद से आगे बढ़ना है। गुजरे हुए जमानों में कब्रों पर चिराग और लालटेनों की रोशनी की जाती थी। आजकल बड़े बड़े बिजली वाले कुमकुमे और बल्ब जलाये जाते हैं। इससे कब्र की इज्जत जाहिर होती है। कब्रों पर ऐसा करना नाजाइज हैं और नबी सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम के इरशाद के मुताबिक ऐसा करने वाले लानती हैं।}

मसाईल

1. इस बहस से औसान यानी बूतों की तशरीह होती है।
2. और इबादत का मतलब साफ होता है।
3. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस चीज से पनाह मांगी जिसके होने का आपको खतरा था।
4. जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ मांगी कि "या अल्लाह! मेरी कब्र को बूत ना बनाना, जिसकी पूजा की जाये।" वहां आपने यह भी बयान फरमाया कि "पहले लोगों ने अम्बिया की कब्रों को इबादतगाहें बना लिया था।"
5. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि ऐसा करने वालों पर अल्लाह का सख्त कहर और गजब नाजिल हुआ।
6. यह भी मालूम हुआ कि "लात" जो अरब का सबसे बड़ा बूत था, उसकी किस तरह इबादत शुरू हुई?
7. इस तफसील से वाजेह हुआ कि वो एक सालेह बुजुर्ग (लात) की कब्र थी।
8. "लात" कब्र वाले का नाम हैं और उसमें इसकी वजह नाम रखने की वजह भी भजकूर हुई है।
9. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन औरतों पर लानत फरमायी जो कब्रों की जियारत को जाती हैं।
10. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर चिरागां करने वालों पर भी लानत फरमायी।

❖❖❖

बाब: 21

नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तौहीद की पूरी हिफाजत के सिलसिले में शिर्क बनने वाले हर रास्ते को बन्द करना

इरशाद इलाही है:

﴿لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾﴾

(التوبة٩/١٢٨)

"(लोगों!) तुम्हारे पास तुम ही में से एक रसूल आया है। तुम पर अगर कोई तकलीफ या परेशानी आये तो वो उसे मुश्किल गुजरती है। वो तुम्हारी कामयाबी व हिदायत का ख्वाहिशमन्द है। अहले ईमान के लिए निहायत मेहरबान और शफीक है।"(सूरह तौबा, पारा 11 आयत 128)

{उनकी इस तमन्ना की दलील यह है कि उन्होंने तौहीद के बाग की पूरी हिफाजत की और हर वो राह जिससे हम शिर्क के करने वाले हो सकते थे, उसे बन्द कर डाला।}

हजरत अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَّلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا، وَّصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ»(سنن أبي داود، المناسك، باب زيارة القبور، ح:٢٠٤٢)

''तुम अपने घरों को (नमाज, दुआ और तिलावते कुरआन छोड़ करके) कब्रिस्तान ना बनाओ, ना मेरी कब्र को मेलागाह बनाना और तुम जहां भी हो, मुझ पर दरूद व सलाम भेजो, तुम्हारे दरूद व सलाम मुझे पहुंच जायेंगे।'' (हदीस सुनन अबी दाउद 2042)

{''ला तजअलु कब्ररी इदन'' मेरी कब्र को मेलागाह ना बनाना'' यानी साल में किसी खास दिन या तयशुदा वक्त में मेले की तरह वहां हाजरी ना देना, क्योंकि ऐसा करने से नबी की इज्जत, अल्लाह की सी इज्जत हो जाती है।

चूंकि कब्रों को मेलागाह बनाना शिर्क का सबब और जरीया है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, '' तुम जहां भी हो वहीं मुझ पर दरूद सलाम भेज दिया करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद सलाम मुझ तक पहुंच जाते हैं।''}

जैनुल आबेदिन अली बिन हुसैन रजि. ने एक शख्स को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास बनी दीवार के एक सुराख से अन्दर दाखिल होकर कब्र के पास दुआ करते देखा तो उसे रोक दिया और फरमाया, क्या मैं तुझे वो हदीस ना सुनाउं जो मेरे बाप (हुसैन रजि.) ने मेरे दादा (अली रजि.) से और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी है, आपने फरमायाः

«لاَ تَتَّخِذُوا قَبْرِي عِيدًا وَّلاَ بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَّصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَ مَا كُنْتُمْ»(رواه الضياء المقدسي في المختارة، ح:٤٢٨ ومجمع الزوائد: ٤/ ٣)

''मेरी कब्र को मेलागाह ना बनाना । और तुम (नमाज, दुआ और तिलावत कुरआन छोड़ करके) अपने घरों को कब्रिस्तान (की तरह) ना बना लेना और मुझ पर दरूद पढ़ते रहना। इसलिए कि तुम जहां भी होगे, तुम्हारा सलाम मुझे पहुंच जायेगा।''

{नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद और तौहीद के बाग की पूरी हिफाजत फरमायी और जरीया-ए-शिर्क बनने वाली हर राह यहां तक कि अपनी कब्र की भी हद दर्जा इज्जत से उम्मत को मना फरमाया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की ताजीम में गुलू करना मना है तो बाकी लोगों की कब्रों की भी ऐसी ताजीम की इजाजत नहीं। मगर अफसोस कि उम्मत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायात व फरमानों की परवाह ना की। उन सब अहकाम, हिदायात और फरमानों को पीठ पीछे डालते हुए कब्रों को सज्दागाह बना लिया। उन पर मेले और उर्स करने लगे। उन पर कुब्बे खड़े कर दिये। यहां तक कि उन पर चिरागां किये जाते हैं, कब्रों पर जानवर जिब्ह किये जाते और चढावे चढाये जाते है। काबा की तरह उनका भी तवाफ होता है। और कब्र के आसपास की जगह को उसी तरह पाक समझा जाता है, जैसे अल्लाह तआला की मुकर्रर हदों को पाक समझते है। यह कब्रपरस्त लोग नबी या किसी सालेह व बुजुर्ग शख्सीयत या किसी वली की कब्र के पास आकर इस कद्र गिड़गिड़ाहट, इनकसार और खामोशी इख्तेयार करते हैं कि अल्लाह तआला के सामने ऐसी आजजी नहीं करते। यह अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साफ तौर पर मुखालफत और उनसे दुश्मनी का इजहार है। अल्लाह की पनाह।}

मसाईल

1. इस तफसील से सूरह तौबा की मजकूरा आयत की तफसीर व तौजिह होती है।
2. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को हदूद शिर्क से बहुत दूर रहने की हिदायत और तलकीन फरमायी है।
3. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर निहायत शफीक व मेहरबान और उसकी रूसदो हिदायत के इन्तेहाई ख्वाहिशमन्द थे।

4. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तरीके पर अपनी कब्र की जियारत से मना फरमाया है। लेकिन आपकी कब्र की जियातर, शरअई हदूदो कुयूद में रहकर की जाये तो यह इन्तेहाई फजीलत वाला अमल है।
5. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार जियारते कब्र के लिए जाने से मना फरमाया है।
6. इन अहादीस में नफ्ली नमाज घरों में अदा करने की तरगीब भी है।
7. याद रहे कि सहाबा किराम रजि. के यहां यह बात तयशुदा और आम थी कि कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जा सकती।
8. इस बाब में मजकूरा अहादीस से साबित हुआ कि आदमी जहां भी हो, वहीं दरूद सलाम पढ़ सकता है। चाहे दूर ही क्यों ना हों, लिहाजा इस गर्ज से इन्सान को कब्र के पास जाने की जरूरत नहीं।
9. हदीस से यह भी मालूम हुआ कि रसूले अकरम़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरजख में हैं और उम्मत के आमाल में से दरूद सलाम, आपकी खिदमत में पेश किये जाते हैं।

बाब : 22

उम्मते मुहम्मदिया सल्ल. के कुछ लोगों के बूतपरस्ती करने की ख़बर

{तौहीद की जानकारी और उसके इल्म की बड़ाई, शिर्क से बचने की धमकी, तोहीद की किस्में, बड़े शिर्क और छोटे शिर्क की किस्में और उनके असबाब व जराया का जिक्र करने के बाद शेख मुहम्मद रह. के दिमाग में यह बात आयी कि कोई कहने वाला कह सकता है कि यह सब कुछ अपनी जगह पर सही है। मगर उम्मते मुहम्मदिया (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) तो बड़ा शिर्क कर ही नहीं सकती। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है:

''इन्नश्शयताना आईसा अय्याबुदुल मुसल्लुना फि जजिराहिल अरबि वलाकिन फीत्तहरिश बइ-न-हुम'' (सही बमुस्लिम, सिफातुल मुनाफिकिन, बाबो तहरीसुलशैतान...)

''शैतान इस बात से मायूस व नामुराद हो चुका है कि जजीरा नुमाए अरब में नमाजी (मुसलमान) उसकी इबादत करें, अलबत्ता वो उनके बीच फूट डालने की कोशिश करता रहेगा।''

इससे मालूम हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ''बड़े शिर्क '' में मुब्तला ना होगी।

इसका जवाब यह है कि अगरचे शैतान इस बात से मायूस, नाकाम और नामुराद हो चुका है। मगर अल्लाह ने उसे मायूस नहीं किया। दूसरी बात यह कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शैतान इस बात से नाउम्मीद है कि जजीरा नुमाये अरब में नमाज पढ़ने वाले उसकी इबादत करें और यह बात यकीनी है कि नमाजी हमेशा नेकी का हुक्म करते और बुराई से रोकते रहेंगे। और सबसे बड़ी बुराई शिर्क है। जो लोग सही मायनों में नमाज को कायम करें, शैतान

उन लोगों से सचमूच मायूस है कि वो कभी उसकी इबादत नहीं करेंगे। इसलिए हदीस का यह मतलब बिलकुल नहीं कि इस उम्मत में से कोई भी शैतान की इबादत (इताअत) नहीं करेगा। यही वजह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही वक्त के बाद कुछ कबाईल काफिर हो गये थे। यह भी तो शैतान की इबादत ही थी, क्योंकि शैतान की इबादत से मुराद उसकी इताअत है, जैसा कि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

(अलम आहद इलैकुम या बनी आदमा अल्लाताबुदुश्शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबिन) यासीन 60/36)

"ऐ औलादे आदम! क्या मैंने तुमसे यह वादा नहीं लिया था कि शैतान की इबादत (इताअत) ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है।"

इस आयत की तफसीर पढें तो पता चलता है कि जिस तरह शिर्क के करने और ईमान और उसके कामों को छोड़ने में शैतान की इताअत, उसकी इबादत की तरह है, उसी तरह हुक्म और मनाही में भी उसकी इताअत उसकी इबादत ही है।

(अरबी उनवान में मजकूरा लफ्ज) "औसान".... "वसन" की जमा है। अल्लाह तआला के साथ साथ जिस चीज को भी लोग इबादत और फरियाद का हकदार समझें या अल्लाह की इजाजत और हुक्म के बगैर भी उसके नफामन्द और नुकसान पहुंचाने का अकीदा रखें या उससे इस तरह डरें, जिस तरह अल्लाह से डरना चाहिए, वो किसी इन्सान पर या गैर इन्सान का मुजस्समा और तस्वीर हो या दीवार, कब्र या कोई मुर्दा हो, ऐसी तमाम चीजें "वसन" की तारीफ में शामिल हैं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَـٰبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّـٰغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ هَـٰٓؤُلَآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ سَبِيلًا ﴿٥١﴾ ﴾ (النساء٤/ ٥١)

"क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जिन्हें किताब का कुछ हिस्सा दिया गया, वो बूतों और शैतान को मानते हैं और काफिरों के बारे में कहते हैं कि यह लोग ईमान लाने वालों से ज्यादा सही रास्ते पर हैं।" (सूरह निसा, पारा 5 आयत 51)

{जिब्तः हर वो चीज जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ऐतकादन मुखालफत हो, वो "जिब्त" है। जादू भी जिब्त है, काहिन को भी जिब्त कहा जाता है, और हकीरो घटिया नुकसान पहुंचाने वाली चीजों को भी जिब्त कहते हैं।

तागूतः हर वो माबूद या मतबूअ जिसे इन्सान उसकी हद से बढ़ा दे, तागूत है। शरई तौर पर मतबूअ की हद यह है कि वो उन्हीं कामों का हुक्म दे, जिनका शरीअत ने हुक्म दिया है, और उन कामों से रोके जिनसे शरीअत ने मना किया है। लिहाजा शरई हदूद से निकलकर जिनकी इबादत, इत्तेबाअ और इताअत की जाये, वो सब तागूत में शामिल है।

वजह मुनासिबतः पैशे नजर बाब से इस आयत की वजह मुनासिबत यूं है कि यहूद व नसारा अहले किताब होने के बावजूद बूतों और शैतानों पर ईमान लाये और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है कि गुजिश्ता उम्मतों में जो बुराईयां वाकेअ हुई हैं, वो इस उम्मत में भी वाकेअ होगी। इस उम्मत में जादू पर ईमान रखने वाले भी होंगे और गैर अल्लाह की इबादत पर ईमान लाने वाले भी। अलगर्ज वो पिछलों के तरीकों पर चलेंगे।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللَّهِ ۚ مَن لَّعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ﴾ (المائدہ/ ٦٠)

"(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) आप इन लोगों से कह दीजिए, क्या तुम्हें उन लोगों की निशानदेही कर दूं, जिनका अंजाम

अल्लाह के यहां, फासिकों के अंजाम से भी बदतर है? वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की और उन पर अल्लाह का गजब हुआ और उनमें से बाज को बन्दर और सुअर बना दिया और जिन्होंने तागूत की बन्दगी की।'' (सूरह माइदह, पारा 6 आयत 60)

{बूतों की पूजा, कब्रों की इबादत, कब्र वालों को माबूद समझना यह सब तागूत की इबादत है। यह नाकाबिले इनकार हकीकत है कि उम्मते मुहम्मदिया के बहुत से आदमी कब्रों, आस्तानों, दरख्तों, पत्थरों वगैरह की इबादत में फंस चुके हैं।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ۝٢١﴾

(الكهف١٨/ ٢١)

''और उनके सरकर्दा लोगों ने कहा, हम उनकी गार पर जरूर मस्जिद (इबादतगाह) बनायेंगे।'' (सूरह कहफ, पारा 15 आयत 21)

{जैसे उन लोगों ने बुजुर्गो की इज्जत में गुलू किया और उनकी गार पर और कब्रों पर मस्जिद बना ली, यह उम्मत भी जरूर ऐसे काम करेगी। क्योंकि पिछली उम्मतों ने भी शिर्किया आदतें पसन्द की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले से दी हुई खबर के मुताबिक यह उम्मत उसको जरूर इख्तेयार करेगी।}

अबू सईद खुदरी रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ، حَتَّى لَوْ

دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَّدَخَلْتُمُوهُ، قَالُوا: يَارَسُولَ اللهِ! اَلْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ: فَمَنْ؟»(صحيح البخارى، أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، ح:٣٤٥٦ وصحيح مسلم، العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، ح:٢٦٦٩)

''तुम पहली उम्मतों के रास्तों की पैरवी करते हुए यूं उनकी बराबरी करोगे, जैसे तीर का एक पर दूसरे पर के बराबर होता है। यहां तक कि अगर वो जब (सांडे, गोह) के बिल में घूसे तो तुम भी जा घूसोगे। सहाबा किराम ने अर्ज किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपकी मुराद यहूद व नसारा हैं? आपने फरमाया: और कौन? (हदीस सही बुखारी 3456)

{नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ''ला तत्तबिउन्ना'' का लफ्ज बोलकर कसमियां अन्दाज में इन्तेहाई ताकीद के साथ यह पैशगोयी फरमायी कि यह उम्मत पहली उम्मतों के रास्तों की पैरवी जरूर करेगी और इस तरह उनसे बराबरी करेगी, जैसे तीर का एक पर दूसरे पर के बिलकुल बराबर होता है। दोनों के बीच कुछ फर्क नहीं होता। इस पूरे बाब का दारोमदार इस हदीस पर है, इससे मालूम हुआ कि पिछली उम्मतों ने जिस जिस किस्म के कुफ्र व शिर्क का ऐरतकाब किया, यह उम्मत भी वैसा ही कुफ्र व शिर्क जरूर करेगी।}

हजरत सवबान रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّ اللهَ زَوٰى لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ: الأَحْمَرَ وَالأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لاَ يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَّأَنْ لاَ يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوٰى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ

بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لأُمَّتِكَ أَنْ لاَ أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنْ بِأَقْطَارِهَا، حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا»(صحيح مسلم، الفتن، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، ح:٢٨٨٩)

''अल्लाह तआला ने मेरे लिए जमीन को इस हद तक समेट और सुकेड़ दिया है कि मैंने उसके पूर्व और पश्चिम देख लिये। मेरी उम्मत की हुकूमत वहां तक पहुंचेगी जहां तक जमीन मुझे समेट कर दिखायी गयी। और मुझे सफेद (चांदी) और सुर्ख (सोना) दो खजाने अता किये गये। और मैंने अपनी उम्मत के लिए अपने रब से दुआ की कि वो आम अकाल, भूखमरी से उसे खत्म ना करे। और ना उन पर कोई ऐसा बाहरी दुश्मन भी मुसल्लत ना करे जो उन्हें तबाह करके रख दे। मेरे रब ने फरमायाः ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! जब मैं कोई फैसला देता हूँ तो उसे टाला नहीं जा सकता। मैं आपकी उम्मत के बारे में आपकी यह दुआ कबूल करता हूँ कि मैं उन्हें आम अकाल, भूखमरी से हलाक नहीं करूंगा और उन पर कोई ऐसा बाहरी दुश्मन भी मुसल्लत नहीं करूंगा, जो उन्हें तबाह करके रख दे। अगरचे सारे दुश्मन उनके खिलाफ एक और इक्ट्ठे क्यों ना हो जायें। अलबत्ता यह खुद आपस में एक दूसरे को हलाक करेंगे और एक दूसरे को कैदी भी बनायेंगे।'' (हदीस सही मुस्लिम 2889)

और इस हदीस को इमाम हाफिजुल बरकानी रह. ने भी अपनी किताब ''सहीह'' में रिवायत किया है। उसमें यह भी हैः

«وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ

السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِي بِالْمُشْرِكِينَ، وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِي الأَوْثَانَ، وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلاَثُونَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لاَ نَبِيَّ بَعْدِي، وَلاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورَةً، لاَ يَضُرُّهُمْ مَّنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى»(سنن أبي داود، الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها، ح:٤٢٥٢ ومسند أحمد:٥/٢٧٨، ٢٨٤)

''मुझे अपनी उम्मत के बारे में सिर्फ गुमराह लीडरों का अन्देशा है। और जब उनमें एक बार तलवार चल पड़ी तो कयामत तक बन्द ना होगी, और कयामत उस वक्त तक नहीं आयेगी, जब तक कि मेरी उम्मत की एक बड़ी जमाअत मुश्रिकीन से न जा मिले। और मेरी उम्मत के बहुत से गिरोह बुतपरस्ती ना करने लगे। और मेरी उम्मत में तीस (30) दज्जाल पैदा होंगे। वो सब नबूवत का दावा करेंगे, हालांकि मैं आखरी नबी हूं। मेरे बाद कोई नबी नहीं आयेगा और मेरी उम्मत में एक गिरोह हमेशा (कयामत तक) हक पर रहेगा और उनकी (अल्लाह तआला की तरफ से) मदद की जायेगी। और उनका साथ छोड़ जाने वाले उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे। यहां तक कि अल्लाह तआला का हुक्म (कयामत) आ जाये।'' (हदीस सुनन अबू दाउद 4252)

{गुमराह पेशवाओं से मुराद वो लोग हैं जिन्हें इन्सानों ने दीन या सल्तनत में अपने पेशवा (लीडर, सरदार) बना रखा है। जिनके हाथ में इन्सानों की बागडोर है और वो बिदआत व शिर्कियात के जरीये गुमराही फैलाते और लोगों की नजरों में इस कद्र अच्छा करके दिखाते हैं कि वो उन्हें हक ही समझने लगते हैं। इस हदीस में इस जमाअत को

"मनसूरह" कहा गया है। यानी अल्लाह तआला की तरफ से हुज्जत व बुरहान (दलील) के जरीये उनकी मदद की जायेगी। इस मदद से मुराद, तीरो-तलवार की मदद नहीं, इसलिए कि अगरचे बाज लड़ाईयों में उन्हें हार से दोचार होना पड़े या उनकी हुकूमत व सल्तनत खत्म हो जाये। मगर इसके बावजूद वो अपने दलाईल, नसूस, मुकिफ की पुख्तगी और दुरूस्तगी की बिना पर सच्चे होंगे और उनके दुश्मन गलती पर होंगे।}

मसाईल

1. इस बहस से सूरह निसा की आयत (51)
2. और सूरह मायदा की आयत (60)
3. और सूरह कहफ की आयत (21) की तफसीर मालूम हुई। (सबसे पहली जिक्र की गयी आयत में जिक्र है कि अहले किताब ने बूतों (और शैतान की पूजा की। दूसरी आयत में बयान है कि तागूत की बन्दगी करने वालों यानी मुश्रिकीन का अंजाम फासिकों से भी बदतर हुआ। और तीसरी आयत में बयान है कि लोगों ने असहाबे कहफ के गार और कबरों पर मस्जिद बनाने जैसे गन्दे अमल का इतरकाब किया।)
4. "जिब्त" (बूत) और तागूत (शैतान) पर ईमान लाने का मतलब अच्छी तरह वाजेह हुआ कि इससे सिर्फ दिली ऐतकाद मुराद है। या इनसे नफरत और इनके गलत होने का अकीदा रखते हुए बजाहिर उनकी मदद?
5. यहूद की यह बात भी मालूम हुई कि अपने कुफ्र से जानकार कुफ्फार, अहले ईमान से ज्यादा सही राह पर हैं।
6. मालूम हुआ कि इस उम्मत में भी वही बुराईयां पायी जाती हैं, जो पिछली उम्मतों में थी, जैसा कि अबू सईद रजि. की हदीस में बयान है।
7. इस उम्मत के बहुत से लोग बूतपरस्ती करेंगे।

8. हैरान करने वाली बात तो यह है कि मुख्तार सकफी जैसा शख्स नबूवत का दावा करने लगा। हालांकि वो तौहीद व रिसालत को मानने वाला और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होने का दावा करता और मानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरहक और कुरआने करीम सच्ची किताब है। और इस कुरआन में यह भी मजकूर है कि हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तआला के आखरी नबी हैं। उसकी बातों में इस कद्र वाजेह टकराव के बावजूद लोग उसकी बात मानते रहे। यह सहाबा रजि. के आखरी दौर में जाहिर हुआ और बहुत से लोगों ने उसकी बात मानी।
9. इस हदीस में यह खुशखबरी भी है कि उम्मते मुहम्मदीया से पूरे तौर पर हक मिट नहीं जायेगा, जैसा कि पिछले जमानों में कई बार ऐसा हुआ, बल्कि उसके उल्टा इस उम्मत में एक जमाअत हक पर कयामत तक कायम रहेगी।
10. इस में एक पैशगोयी और अहले हक की एक निशानी यह बयान हुई है कि अहले हक कम होने के बावजूद इनका साथ छोड़ जाने वाले और इनकी मुखालफत करने वाले इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे।
11. यह पैशगोयी कयामत आने तक बरकरार रहेगी।
12. इस हदीस में मन्दरजा जैल अहम बातें बतौरे खास बयान हुई हैं:

- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमानः अल्लाह तआला ने मेरे लिए जमीन के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से समेट और सुकेड़ दिये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ बयान फरमाया, वो हर्फ-बा-हर्फ सही साबित हुआ। बखिलाफते उत्तर व दक्षिण के (कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका

जिक्र ही नहीं फरमाया)

- आपका यह फरमान कि मुझे दो खजाने अता किये गये हैं। एक सफेद (चांदी) और एक सूर्ख (सोना) गोया सारी दुनिया के खजाने दिये गये।)
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी कि उम्मत के बारे में आपकी पहली दो दुआयें कबूल हो गयी हैं।
- और तीसरी दुआ कबूल नहीं हुई।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह पैशगोयी भी फरमायी कि जब इस उम्मत में तलवार चली तो कयामत तक ना रूकेगी।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बताया कि मेरी उम्मत के लोग एक दूसरे को कत्ल करेंगे और एक दूसरे को कैदी भी बनायेंगे।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के बारे में गुमराह लीडरों का खतरा भी जाहिर किया।
- नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खबर दी कि इस उम्मत में नबूवत के झूटे दावेदार (झूटे नबी) पैदा होंगे।
- आपका खबर देना कि एक अल्लाह की तरफ से मदद की हुई) जमाअत कयामत तक मौजूद रहेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैशगोयी के मुताबिक यह तमात बातें हरफ-बा-हरफ पूरी हुई हैं, हालांकि अकली तौर पर इन तमाम बातों का वाकेअ होना बड़ा मुश्किल और बहुत दूर है।

13. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के सिर्फ गुमराह पेशवा तबका से जलालत व गुमराही का खतरा महसूस किया। (हिदायत याफ्ता पेशवाओं से नहीं)
14. इबादते औसान यानी बूतपरस्ती का सही मायना और हकीकी मतलब भी अच्छी तरह साफ हुआ।

❖❖❖

बाबः 23

जादू का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ﴾

(البقرہ۲/ ۱۰۲)

"और वो खूब जानते थे कि उस (जादू) को खरीदने यानी सीखने वाले के लिए आखिरत में कुछ हिस्सा नहीं।" (सूरह बकरः, पारा 1 आयत 102)

{जादूगर तौहीद के बदले जादू खरीदता है। गोया वो तौहीद को अपने उस सौदे (जादू) की कीमत के तौर पर अदा कर डालता है। इसी लिए तौहीद से दूर मुश्रिक की तरह जादूगर के लिए भी आखिरत में कुछ नहीं होगा।}

{जादू भी बड़े शिर्क की किस्मों में से है और तौहीद के खिलाफ है।
जादू की हकीकतः इसकी असल हकीकत यह है कि किसी चीज के असर में शैतान से खिदमत ली जाती है। कोई जादूगर जब तक शैतान का दोस्त, प्यारा और महबूब ना हो, उसका जादू कामयाब नहीं हो सकता। जब वो शैतान का प्यारा बन जाता है तो शैतान इस तरह उसकी खिदमत करते हैं कि वो मसहूर (जिस पर जादू किया जाये, उस) के बदन पर असर अन्दाज हो जाते है। लिहाजा कोई जादूगर शैतान की मदद के बगैर जादूगर नहीं बन सकता। इसीलिए जादू अल्लाह तआला के साथ शिर्क है।
अल्लाह तआला ने भी फरमाया है:
(व मिनशर्रिरिन नफफसाति फिलउकद) अलफलक 4/113
(आप कह दें कि मैं धागे पर पिरोयी गयी) गांठों पर फूंक मारने वाली (औरतों यानी) जादूगरनियों के शर से (पनाह मांगता हूं)"

''नफ्फासात'' : यह ''नफ्फासह'' की जमाअ और नफासा से मुबालगा का सेगा है। यानी फूंक मारना। ''नफ्फासा'' जादूगरनी को कहते हैं क्योंकि वो अपना अमल करते हुए गांठों पर फूंकें मारती है और अलग अलग कलमात व अल्फाज पढ़कर जिन्नात से मदद और खिदमत की चाहने वाली होती है ताकि वो मसहूर के बदन पर असर अन्दाज हो सके।}

निज अल्लाह तआला ने यहूदियों के बारे में फरमाया:

﴿يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ﴾ (النساء/٤ ٥١)

''वो जादू और शैतान पर ईमान रखते थे।'' (सूरह निसा, पा 5 आ 51)

सैयदना उमर रजि. फरमाते हैं:

«اَلْجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوْتُ: الشَّيْطَانُ»(أخرجه الطبري في التفسير، برقم: ٥٨٣٤)

''यानी ''अलजिब्त'' का मायना जादू और ''अलतागूत'' से मुराद शैतान है।''

{अहले किताब के जादू पर ईमान लाने पर इस आयत में उनकी बुराई की गयी है और अल्लाह तआला ने उन पर लानत करके उन पर नाराजगी का इजहार किया है।

इससे साबित हुआ कि जादू हराम और बड़ा गुनाह है। चूंकि इसमें अल्लाह तआला के साथ गैरों को शरीक किया जाता है, इसलिए जाहिर है कि यह शिर्क है। यही हुक्म जादू की तमाम किस्मों का है। जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है कि जिब्त के मतलब में बहुत सी चीजें शामिल हैं। और याद रहे! यहूदियों की निसबत से इनमें सबसे वाजेह जादू है। क्योंकि वो जादू पर ईमान रखते हैं और तागूत (शैतान) पर भी ईमान रखते हैं। तागूत में हर वो चीज शामिल है जिसकी इताअत में लोग हक और सवाब से दूर निकल गये।}

सैयदना जाबिर रजि. फरमाते हैं:

«اَلطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَّاحِدٌ»
(أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير كما في الدر المنثور: ٢/ ٢٢ ورواه البخاري في الصحيح معلقًا، فتح الباري: ٨/ ٣١٧)

"तागूत वो काहिन हैं जिस पर शैतान उतरता था। और हर कबीले का अलग अलग काहिन होता था।"

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ، قَالُوا: يَارَسُوْلَ اللهِ! وَمَاهُنَّ؟ قَالَ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (صحيح البخاري، الوصايا، باب قوله تعالى ﴿إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما﴾ ح: ٢٧٦٦، ٥٧٦٤ وصحيح مسلم، الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، ح: ٨٩)

"सात बर्बाद करने वाले कामों से बचकर रहो।" सहाबा रजि. ने अर्ज किया: या रसूलुल्लाह! वो सात काम कौन कौन से है? आपने फरमाया:

1. अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना।
2. जादू करना।
3. अल्लाह तआला की हराम की हुई किसी जान को नाहक कत्ल करना।
4. सूद खोरी
5. यतीमों का माल खाना।
6. कुफ्फार से मुकाबले के दिन पीठ फैरकर भाग जाना।
7. पाक दामन और इज्जतदार अहले ईमान औरतों पर इल्जाम लगाना।

(हदीस सही बुखारी 2766)

{इस हदीस से साबित हुआ कि यह सब काम बर्बाद करने वाले और दुनिया व आखिरत में तबाही व नुकसान का सबब है और यह सब बड़े गुनाह हैं। इस हदीस में शिर्क के बिलकुल बाद जादू के जिक्र से यह भी मालूम हुआ कि जादू भी अल्लाह तआला के साथ शिर्क के बराबर है।}

जुनदुब रजि. से मरफूअ रिवायत है (यानी वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं) कि आपने फरमायाः

«حَدُّ السَّاحِرِ ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ»(جامع الترمذي، الحدود، باب حد الساحر، ح:١٤٦٠)

"जादूगर की हद (सजा) यह है कि उसे तलवार से कत्ल कर दिया जाये।"

इमाम तिरमजी रह. फरमाते हैं कि सही बात यह है कि रिवायत मौकूफ (सहाबी का कौल) है।

{जादूगर किसी भी किस्म का हो, उसकी सजा कत्ल है। दरहकीकत यह मुरतद (मुसलमान होकर फिर काफिर बनने) की सजा है और चूंकि जादू में शिर्क लाजमी तौर पर पाया जाता है और शिर्क का ऐरतकाब करने वाला मुरतद हो जाता है और उसका खून और माल हलाल हो जाते हैं (उसकी इज्जत व इसमत और हुरमत हिफाजत बाकी नहीं रहती) इसलिए जादूगर की यह सजा उसके मुश्रिक और मुरतद होने की बिना पर है।}

बजाला बिन अब्दा रजि. से रिवायत है कि उमर रजि. ने हमें लिखाः

«اُقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَّسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ»(صحيح البخاري، الجزية والموادعة، باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب،

ح:٣١٥٦ وسنن أبي داود، الخراج، باب في أخذ الجزية من المجوس، ح:٣٠٤٣
ومسند أحمد:١/١٩٠، ١٩١ واللفظ له)

"हर जादूगर मर्द और औरत को कत्ल कर दो। आगे बजाला कहते हैं कि इसलिए हमने तीन जादूगरनियों को कत्ल किया।"

सैयदा हफ्सा रजि. से सही सन्द के साथ साबित है:

«أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَّهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وَكَذٰلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ»(الموطأ للإمام

مالك، العقول، باب ما جاء في الغيلة والسحر، ح:٤٦)

"उनकी एक लौण्डी ने उन्हें जादू कर दिया तो उन्होंने उसको कत्ल करने का हुक्म दिया, चूनांचे उसे कत्ल कर दिया गया था।

इसी किस्म का कौल जुनदुब रजि. से भी मनकूल है। इमाम अहमद रह. फरमाते हैं कि जादूगर को कत्ल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन सहाबा (जुनदुब, उमर और हफ्सा) रजि. से साबित है।"

{जादू चाहे किसी भी किस्म का हो:

इन सहाबा किराम रजि. ने बिला तफरीक हर जादूगर को कत्ल करने का हुक्म और फतवा सादिर फरमाया, चाहे जादू किसी भी किस्म का हो। लिहाजा मुसलमानों पर जरूरी है कि वो हर किस्म के जादू से बचे। और उन्हें जिसके बारे में इल्म हो कि वो शुबदाबाजी (जादू) करता है, उस तक और दूसरे लोगों तक भी यह इस्लामी तालिमात पहुंचाकर अपनी जिम्मेदारी से बरी होकर बुराई को जड़ से उखाड़ दें।

अइम्मा किराम रह. फरमाते हैं कि जिस इलाके में जादूगरों का अमल व दखल शुरू हो जाये, वहां फसाद, जुल्म, ज्यादती और सरकशी का दौर-दौरा हो जाता है।}

मसाईल (इसमें खास बातें हैं)

1. इस बाब में सूरह बकरा की आयत 102 की तफसीर है। जिसमें जादूगरों का अंजाम बयान किया गया है।
2. निज इस बाब से सूरह निसा की आयत 51 की तफसीर हुई जिसमें बयान है कि यहूद, जादू और शैतान पर ईमान रखते हैं।
3. जिब्त और तागूत के मायने और उनके बीच फर्क भी वाजेह हुआ।
4. तागूत, जिन्न भी होते हैं और इन्सान भी।
5. मजकूरा हदीस से उन सात कामों का भी इल्म हुआ जो इन्तेहाई खतरनाक और खास तौर पर मना हैं।
6. जादूगर काफिर है।
7. जादूगर को फौरन कत्ल कर दिया जाये और उसे तौबा और रूजूअ की मोहलत भी ना दी जाये।
8. हजरत उमर रजि. के दौर में जादूगर मौजूद थे तो उसके बाद के जमानों का क्या हाल होगा?

बाब : 24

जादू की कुछ किस्मों का बयान

{लुग्वी तौर पर जादू लफ्ज आम है। जिस तरह इसमें यह खास मतलब शामिल है कि जादूगर अपनी खिदमत के लिए शैतान से मदद का चाहने वाला और उनकी इबादत करके उनकी नजदीकी का ख्वाहिशमन्द होता है, उसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके अलावा बाज ऐसी चीजों को भी जादू ही कहा है जो दरहकीकत जादू नहीं ओर ना ही उन पर जादू वाले हुक्म का इत्तलाक होता है। गौया उसके दरजात अलग अलग हैं। जादू की इन किस्मों में फर्क जानना इन्तेहाई जरूरी है। जादू की इन्हीं किस्मों में फर्क के लिए इमाम (मुसन्निफ) रह. ने यह बाब कायम किया है।}

कबीसा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«إِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطَّـرْقَ وَالطِّـيَرَةَ مِنَ الْجِـبْتِ»

(سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الخط وزجر الطير، ح:٣٩٠٧)

''परिन्दों को उड़ाकर फाल लेना, जमीन पर लकीरें खेंचना (इल्मे रमल) और किसी चीज को देखकर बदफाली (बदशगुनी) लेना, यह सब जादू की किस्में हैं।''(हदीस सुनन अबी दाउद 3907)

औफ कहते हैं ''अलइयाफा'' से मुराद है परिन्दों को उड़ाकर फाल लेना, और ''अत्तरकु'' से जमीन पर लकीरें खेंचना मुराद है। यह इल्म आजकल ''इल्में रमल'' कहलाता है।

हसन बसरी रह. कहते हैं: शैतानी रोना-चिल्लाना और चीख पुकार

"जिब्त" है।

{(मुसनद अहमद, 3/477, 5/70) औफ रह. की तफसीर के मुताबिक "अयाफा" का मायना परिन्दों को उड़ाकर फाल लेना है, जैसा कि मुश्रिकीने मक्का किया करते थे कि जब कोई आदमी किसी आदमी की तरफ जाना चाहता तो परिन्दे को उड़ाकर देखता कि वो किस तरफ जाता है और जिस तरफ वो जाना चाहता, परिन्दे को उसी तरफ उड़ाने की कोशिश करता। अगर तो वो परिन्दा उसी तरफ उड़कर जाता तो वो आदमी यह समझता कि उसका कोई काम बखुबी अंजाम पायेगा और अगरचे परिन्दा दूसरी दिशा में उड़ जाता तो वो समझता कि वो अपने मकसद में नाकाम होगा। इसी अमल और तरीके से वो लोग आगे होने वाले हालात के बारे में भी शगून लेते कि आने वाले हालात खुशगवार होंगे या परेशानियों से भरे हुए।

इसे जिब्त यानी जादू की एक किस्म कहा गया है। क्योंकि पीछे गुजर चुका है कि जिब्त हर उस घटिया और जलील चीज को कहा जाता है जो किसी को हक से रोक और हटा दे। चूंकि अयाफा भी किसी काम से रूक जाने या कर लेने का सबब है और जिस तरह जादू अपने अन्दर एक खास असर रखता है, उसी तरह अयाफा का अमल भी किसी काम के करने या ना करने में असर अन्दाज होता है। इसलिए उसे जिब्त और जादू की किस्म कहा गया है।

"तयरा" का मायना जमीन पर लाईन खेंचना है। काहिन या शअब्दा बाज (जादूगर) जमीन पर लकीरें खेंचता है। फिर एक एक या दो दो लकीरों को तेजी के साथ हाथ से मिटाता है, जो लकीरें बाकी रह जाती है, उनको देखकर कहता है कि इस लकीर से मालूम होता है कि ऐसा होगा और यह लकीर बताती है कि ऐसा होगा। यह कहानत है और कहानत जादू ही की किस्म है।}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ النُّجُومِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِّنَ السِّحْرِ، زَادَ مَا زَادَ» (سنن أبي دواد، الكهانة والتطير، باب في النجوم، ح: ٣٩٠٥)

"जिसने इल्मे नजूम का कुछ हिस्सा सीखा, उसने उसी कद्र जादू सीखा। जितना ज्यादा सीखता जाये, उसकी वजह से गुनाह में उतना ही बढ़ता जायेगा।" (हदीस सुनन अबी दाउद 3905)

{इससे साबित हुआ कि "इल्मे नजूम" जादू की किस्म है। अगले एक मुस्तकिल बाब में बयान होगा कि अल्लाह तआला ने सितारे किस लिए पैदा फरमाये हैं।}

हजरत अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है:

«مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً، ثُمَّ نَفَثَ فِيهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ»(سنن النسائى، تحريم الدم، باب الحكم في السحرة، ح: ٤٠٨٤)

"जिसने गिरह बांधकर उस पर फूंक मारी, तहकीक उसने जादू किया। और जिसने जादू किया, शिर्क का करने वाला हुआ। और जो कोई (अपने गले, हाथ, बाजू वगैरह) कोई चीज (बांधे या) लटकाये तो उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है।" (हदीस सुनन निसाई 4084)

{गिरह बांधकर उस पर फूंक मारने से मुराद यह है कि शैतान से मदद लेने और जिन्नात को हाजिर करने के लिए कोई कलाम पढ़कर उस पर फूंक मारना, लिहाजा गिरह पर हर किस्म की फूंक को जादू नहीं कहा जायेगा। वाजेह रहे कि जब कोई जादूगर गांठ देकर उस पर फूंक मारता है तो जिन्न उस जादूगर की खिदमत करता और उस पर असर

अन्दाज होता हैं जादूगरों का ख्याल है कि जब तक वो गांठ ना खुले, जादू का असर बेकार नहीं हो सकता। जादूगर जिस मकसद के लिए जादू करता है, वो उस गांठ और फूंक दोनों के मिलने से हासिल होता है। गांठ कई बार बड़ी और साफ होती है। और कई बार मामूली और इस कद्र छोटी होती है कि बड़ी मुश्किल से नजर आती है। पस ज़िसने अल्लाह तआला के साथ अपना ताल्लुक जोड़ लिया, उसके लिए वही काफी है और जिसने गैर अल्लाह के साथ ताल्लुक जोड़ा, उसे उसी के हवाले कर दिया जाता है। हालांकि हर मख्लूक अल्लाह तआला ही की मोहताज है और अल्लाह तआला ही फजल और इनाम करने वाला है, जैसा कि उसने फरमाया:

''या अय्युहन नासु अनतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवलगनी युलहमीद) (फातिर 15/35

''लोगों! तुम सब अल्लाह के मोहताज हो और सिर्फ वही अल्लाह सबसे मुस्तगनी और तारीफों के लायक है।''}

इब्ने मउसद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«أَلاَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيمَةُ: الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ»(صحيح مسلم، البر والصلة ولادب، باب تحريم النميمة ح:٢٦٠٦ ومسند احمد، ١/ ٤٣٧)

''क्या मैं तुम्हें ना बताऊ कि जादू क्या है? (फिर खुद ही फरमाया) वो चुगली है, यानी लोगों के बीच (फितना और लड़ाई) की बातें करना।''(हदीस सुनन मुस्लिम 2606)

{पेशे नजर हदीस में लफ्ज ''अल अज्ह'' आया है। इसका मतलब जादू वगैरह कई चीजों पर होता है। इस हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका मायना ''चुगली'' बयान फरमाया है, जिससे लोगों के बीच फितना और लड़ाई हो जाये।

चुगली और जादू में वजहे बराबरी यह है कि दो दोस्तों में दुश्मनी या

दो दुश्मनों के बीच मुहब्बत करने में जादू की खास तासीर होती है। जो इन्तेहाई खास और छुपी हुई होती है। इसी तरह चुगलखोर भी अपनी बात के जरीये दोस्तों के बीच जुदाई और दूरियां पैदा करता है।}

अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا»(صحيح البخاری، النكاح، باب الخطبة، ح:٥١٤٦، ٥٧٦٧ ومسند أحمد:١٦/٢، ٥٩، ٦٣، ٩٤)

"किसी किसी के बयान करने में भी जादू की सी तासीर होती है।"(हदीस सही बुखारी 5146)

{कुछ साफ-सुथरे अल्फाज कानों और दिलों पर जादू की तरह असर करते हैं। जिससे इन्सान हक को गलत या गलत को हक समझने लगता है। इस हदीस की शरह में अहले इल्म की अलग अलग बाते हैं। उनमें से सही बात यह है कि इस हदीस में जादू की तरह असर अन्दाज होने वाले बयान की बड़ाई नहीं बल्कि बुराई है।

चूंकि इस बाब में हराम की कई किस्में बयान की गयी हैं। इसलिए शैख रह. ने इस बाब में यह हदीस भी बयान कर दी है।}

मसाईल

1. इस बाब से मालूम हुआ कि "अलइयाफा", "अत्तरक" और अत्तियरह" सब जादू की किस्में हैं।
2. इन तीनों का मायना व मतलब भी खूब वाजेह हुआ।
3. इल्मे नजूम जादू ही की एक सूरत है।
4. गिरह लगाना और फूंक मारना भी जादू की शक्लें हैं।
5. चुगली भी जादू की एक सूरत है।
6. बाज लोगों का फसीह व बलिग कलाम, कई बार जादू की सी तासीर रखता है।

बाब: 25

नजूमियों (ज्योतिषियों) और गैब (छुपी हुई खबरों) का दावा करने वालों का बयान

बाज अजवाज मुतहरात (नबी सल्ल. की पाक बीविया) रजि. से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ، لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا»(صحيح مسلم، السلام، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان، ح: ٢٢٣٠ دون قوله فصدقه فهو عند أحمد فى المسند: ٤/٦٨، ٥/ ٣٨٠)

''जिसने किसी नजूमी के पास जाकर कुछ पूछा और फिर उसकी बतायी हुई बात को सच समझा तो चालीस दिन तक उसकी नमाज कबूल ना होगी। (हदीस सही मुस्लिम 2230)

{कहानत यानी गैब की खबरें जानने का दावा करना और लोगों को गैब की खबरें देना तौहीद के खिलाफ है। काहिन दरहकीकत मुश्रिक होता है। क्योंकि वो जिन्नात की इबादत करके, उनकी नजदीकी और खुशनुदी हासिल करके उनकी खिदमात हासिल करता है। जिसके नतीजे में वो उसे कुछ छुपी बातें बता जाते हैं। इस्लाम के आने से पहले बुनियादी तौर पर काहिन वो होते थे जिनके बारे में लोगों का यकीन होता कि वो नेक और अल्लाह तआला के वली हैं और आने वाले वक्त में, जमीन पर या किसी के साथ जो काम पेश आने वाले हैं वो उनसे जानकार है। इसलिए लोग उन काहिनों से डरकर उनकी खूब इज्जत किया करते थे। इसकी असल हकीकत यूं है कि जिन्नात, चोरी छिपे, फरिश्तों की आपस में होने वाली बातचीत सुनकर उन काहिनों और नजूमियों को आकर बता जाते थे। इसकी तीन सूरतें होती थी।

(अ) नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले ऐसा ज्यादातर होता कि जिन्नात, फरिश्तों की आपस में होने वाली बातचीत सुन लेते।
(ब) नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद कोई जिन्न, फरिश्तों की बातें ना सुन सका। अगर कभी कभार ऐसा हुआ भी तो वो अल्लाह की वह्य के अलावा उनकी आपस की होने वाली आम बातचीत ही सुन सका।
(स) नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद जिन्नात के लिए फरिश्तों की बातचीत सुनने के मौके दुबारा पैदा हो गये, मगर पहले की तरह ज्यादा नहीं, क्योंकि मुख्तलिफ शौलेदार सितारों के जरीये आसमान की खूब हिफाजत कर दी गयी। ''काहिन'' को ''अर्राफ'', रम्माल और ''मुनज्जिम'' भी कहा जाता है।}

{खुलासा लिखने वालों ने इस हदीस की शरह में लिखा है कि लफ्ज ''कसद्दकहु'' (उसकी बात को सच समझा) सही मुस्लिम में नहीं बल्कि मुसनद अहमद में है। चूंकि दोनों की रिवायत एक ही है। इसलिए मुसन्निफ रह. ने अहले इल्म के तरीके के मुताबिक एक के अल्फाज को दूसरे की तरफ मनसूब कर दिया।
नमाज की अदम मकबूलियत का मफहूमः इस हदीस से मालूम हुआ कि नजूमियों के पास जाकर उनसे हालात पूछना, उनकी बातों को सच जानना इतना बड़ा जुर्म है कि चालीस दिन तक ऐसे शख्स की नमाज कबूल नहीं होती। इसके मायने यह है कि वो नमाज अदा करे तो उसकी तरफ से अदा तो हो जायेगी, मगर उसे उसका सवाब नहीं मिलेगा। और उस पर उन नमाजों की कजा भी वाजिब नहीं, क्योंकि नजूमी के पास जाकर उससे हाल मालूम करने का गुनाह चालीस दिनों की नमाजों के सवाब के बराबर है और यह गुनाह उस सवाब को मिटा डालता है। इससे मालूम हुआ कि नजूमी से हाल मालूम करने वाला उसकी बातों को सच समझे या ना समझे, वो हर हाल में गुनाहगार है।}

हजरत अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»(سنن أبي داود، الكهانة والتطهير، باب في الكهان، ح:٣٩٠٤)

"जिस शख्स ने किसी काहिन के पास जाकर उसकी बातों को सच समझा तो उसने उस दीन के साथ कुफ्र किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया।"(हदीस सुनन अबी दाउद 3904)

हजरत अबू हुरैरा रजि. ही से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया

«مَنْ أَتَى عَرَّافًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ»(مسند أحمد:٢/٤٢٩، والمستدرك للحاكم:١/٨ وسنن الكبرى للبيهقي:٨/ ١٣٥)

"जिसने किसी नजूमी या काहिन के पास जाकर उसकी बातों को सच समझा तो उसने दीन के साथ कुफ्र किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। (हदीस मुसनद अहमद 429/2)

{इसकी वजह यह है कि काहिन, जादूगर, और नजूमी झूट बोलते हैं, सच नहीं कहते। यह कभी फलाह नहीं पायेंगे। इस हदीस का सही मतलब यह है कि इसमें "कुफ्र से मुराद मिल्लते मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाहर होना नहीं बल्कि सिर्फ गुनाह मुराद है।" (वल्लाहु आलम)}

इमरान बिन हुसैन रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ

عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ»(مسند البزار، ح:٣٠٤٤ ومجمع الزوائد، الطب، باب في السحر والكهانة . . . ، ح:٨٤٨٠)

"वो शख्स हममें से नहीं जो फाल निकाले, या निकलवाये, कहानत करे या कराये, जादू करे, या कराये और जिसने काहिन के पास जाकर उसकी बातों को सच समझा तो उसने उस दीन का इनकार किया जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया।" (हदीस मुसनद बजार 3044)

इस हदीस को बज्जार ने अच्छी सनद के साथ रिवायत किया है। जबकि यही हदीस, इमाम तिबरानी ने "अल मुजमुल अवसत" में इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत की है। उसमें "मन अता काहिनन" से आखिर तक के अल्फाज नहीं हैं।

{"लयसा मिन्ना...." वो शख्स हम में से नहीं जो ...." के अल्फाज इस बात पर दलालत करते हैं कि मजकूरा तमाम काम हराम हैं और बाज अहले इल्म का कहना है कि इससे मुराद यह है कि यह काम बड़े गुनाहों में से हैं। काहिन की बातों की तसदीक करने वाले के मुताल्लिक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि उसने दीने मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुफ्र किया। क्योंकि काहिन की तसदीक करने से बड़े शिर्क में इसकी मदद पायी जाती है। यह तो उस शख्स के बारे में फटकार है जो काहिन के पास जाकर उससे कुछ मालूमात करे। रहा खुद काहिन! तो उसके बारे में जिक्र किया जा चुका है कि वो बड़ा शिर्क करने वाला होता है।}

इमाम बगवी रह. कहते हैं कि "अर्राफ" वो है जो निशानियों की रोशनी में चोरी हुई या गुमी हुई चीज की निशानदेही या इसी तरह के दूसरे काम की जानकारी का दावा करे।

बाज अहले इल्म कहते हैं कि "अर्राफ" और "काहिन" एक

ही होता है यानी वो शख्स जो आने वाले वक्त में होने वाले काम की खबर देता है। बाज ने कहा कि जो दिल की बात बताये, वो काहिन कहलाता है।

अबू अब्बास इमाम इब्ने तैमिया रह. फरमाते हैं कि "अर्राफ" एक जामेअ लफ्ज है। जिसका इतलाक "काहिन" "नजूमी", "रम्माल" और इस किस्म के तमाम लोगों पर होता है। जो अपने अपने तरीकों से बाज काम व वक्तों की खबर रखते हैं।

{फतावा इब्ने तैमिया : 35/173 काहिन बात करते और बताते वक्त यूं इजहार करता है, जैसे वो यह बातें अपने अमल की बुनियाद पर कह रहा है। इससे सुनने वाला धोका खा जाता है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता बल्कि उसे यह इल्म जिन्नात से हासिल होता है। मगर कमजोर अकीदे के लोग समझते हैं कि उन काहिनों के पास खास इल्म और फन है और वो अल्लाह तआला के वली हैं। इसलिए वो आने वाले वक्त के हालात से जानकार हैं।}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. फरमाते हैं

जो लोग हुरूफे अबजद (कागज पर चौकड़ी बनाकर नम्बर लिखकर उसे दीवार पर लटकाना) लिखकर हिसाब करते और नजूम (सितारों) से रहनुमाई लेते हैं, मेरे ख्याल में उनके लिए अल्लाह तआला के यहां आखिरत में कुछ नहीं।

{मुसन्नफ अब्दुल रज्जाक 26/11 वसुननुलकुबरा लिल बहकी 139/8}

मसाईल

1. इस बहस से मालूम हुआ कि कुरआन पर ईमान और काहिनों को सच्चा जानना यह दोनों चीजें एक दूसरे से अलग हैं,

इसलिए यह एक दिल में जमा नहीं हो सकतीं।

2. इस बाब में यह सराहत भी है कि काहिन को सच्चा मानना कुफ्र है।
3. कहानत करवाने वाले
4. फाल निकलवाने वाले
5. और जादू करवाने वाले का हुक्म भी मालूम हो गया कि वो मुसलमानों में से नहीं हैं।
6. हरूफ अबजद लिखकर हिसाब करने वालों की बुराई भी बयान हुई है।
7. निज इस बाब में ''काहिन'' और ''अर्राफ'' के आपस में फर्क की वजाहत की गयी है।

बाब 26

जादू टोने के जरीये जादू का इलाज करने की मनाही

जाबिर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से "नशरा" यानी जादू के जरीये जादू के इलाज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमायाः

«هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ»(مسند أحمد بسندٍ جيدٍ: ٣/ ٢٩٤ وسنن أبي داود، الطب، باب في النشرة، ح:٣٨٦٨)

"यह शैतानी अमल है।" (हदीस मुसनद अहमद 294/4)

इमाम अबू दाउद रह. कहते हैं, इमाम अहमद रह. से यही मसला पूछा गया तो उन्होंने फरमायाः
"अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. इन सब कामों को नाजाइज कहते थे।"

{यानी कुरआनी तावीजात के जरीये जादू का इलाज करने को भी उन्होंने नाजाइज कहा है। लेकिन अगर गले में तावीजात लटकाये बगैर महज आयात व दुआयें पढ़कर और फूंकने से इलाज किया जाये तो इब्ने मसऊद रजि. और इमाम अहमद रह. उसे जाइज कहते हैं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दम किया और उसकी इजाजत भी दी है।}

{जिस शख्स पर जादू का असर हो, उसका इलाज करने को "अल नशरा" यानी जादू उतारना कहते हैं।

इसकी दो किस्में हैं, जाइज और नाजाइज।

अगर मरीज के किसी हिस्से पर जादू का असर हो, उसका इलाज

कुरआन करीम, दुआये मसनूना, और डॉक्टरों की दवाओं से किया जाये तो यह जाइज है।

"नशरा ममनूआ" यानी जादू का नाजाइज इलाज यह है कि जादू के जरीये जादू का इलाज किया जाये और उसका असर खत्म किया जाये।

जाहिर है कि इलाज करने वाला भी जादूगर ही होगा जो इस सिलसिले में जिन्नात की तरफ पलटेगा, उनसे मदद मांगेगा और दुआ करेगा कि वो जादू करने वाले जिन्नात के जादू का असर खत्म कर दें। लिहाजा यह शिर्क है।

हदीस है: ला यहलुस्सीहरा इल्ला साहिर" कि जादू को (गैर इस्लामी तरीके से) जादूगर ही खत्म कर सकता है}

सही बुखारी में है कि कतादा रह. कहते हैं मैंने इब्ने मुसय्यब रह. से पूछा कि अगर किसी पर जादू का असर हो या कोई ऐसा टोना जिस के कारण वो अपनी बीवी के करीब ना आ सकता हो तो क्या उसको खत्म करना या उसको बातिल करने के लिए कलाम इस्तेमाल करना दुरूस्त है? उन्होंने जवाब दिया: "इसमें कोई हर्ज नहीं, क्योंकि इससे पढ़ने वाले का मकसूद दुरूस्तगी है, नफामन्द और मुफिद चीज के इस्तेलाम की मनाही नहीं है।

{(सही बुखारी, अत्तिब्ब, बाब हल यसतखरिजुस्सहर, 49 (तअल्लिकन)) इब्ने मुसईब रह. का मकसूद यह है कि जादू का इलाज जाइज कलमात, मसनून दुआऐं, कुरआनी आयात और जाइज दवाओं के जरीये किया जाये, वो सही है। इसकी कोई मनाही नहीं। मगर जादू का इलाज जादू के जरीये करने की इजाजत इब्ने मुसईब रह. वगैरह बिलकुल नहीं देते।

खुलासा यह कि जादू, शिर्क के जरीये असर करने वाला और उसी से खत्म भी हो जाता है। लिहाजा जादू का इलाज जादू के जरीये करने की बिलकुल इजाजत नहीं। अलबत्ता जाइज शरई दम के जरीये

जादू का असर खत्म किया जा सकता है।}

हसन बसरी रह. फरमाते हैं कि "जादूगर ही जादू को (गैर शरई तरीके से) खत्म कर सकता है।" {फतहुल बारी 10/287}

इमाम इब्ने कईय्यम रह. फरमाते हैं कि जिस पर जादू किया गया हो उससे जादू को खत्म करना "नशरा" कहलाता है। इसकी दो किस्में हैं:

एक किस्म तो यह है कि जादू को जादू के जरीये खत्म किया जाये। यह नाजाइज और शैतानी अमल है। इस सूरत में जादू का इलाज करने वाला और जादू कराने वाला, दोनों शख्स शैतान की नजदीकी हासिल करने के लिए उसके पसन्दीदा काम करते हैं और वो ऐसे काम कर लेते हैं कि शैतान खुश होकर मरीज से अपना असर हटा लेता है। हसन बसरी रह. की यह बात इसी मायने पर महमूल की जायेगी। मरीज से जादू का असर खत्म करने की दूसरी सूरत यह है कि दम, अल्लाह से पनाह, दवायें और जाइज दुआओं के साथ उसका इलाज किया जाये। यह बिलाशुबा जाइज है। {जादुल मआद 4/164, 181}

मसाईल

1. इस बाब से साबित हुआ कि जादू के जरीये जादू का इलाज करना मना है।
2. इस बाब में खुलासे के साथ जाइज और नाजाइज इलाज का बयान किया गया हैं जिससे तमाम शक-शुब्हात दूर हो जाते हैं।

❖❖❖

बाब: 27

बदफाली और बदशगुनी

{यानी किसी जानवर या परिन्दे या उसकी किसी हरकत को देखकर अपनी कामयाबी या नाकामी पर बदफाली और बदशगुनी लेना यह भी तौहीद के खिलाफ और शिर्क है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾﴾

(الأعراف/٧/ ١٣١)

"खबरदार! उनकी बदशगुनी (नहूस्त) अल्लाह के यहां मुकदर्र है। लेकिन उनमें से ज्यादातर नहीं जानते।"(सूरह आराफ, पारा 9 आ. 131)

{यानी उन्हें कोई फायदा या नुकसान पहुंचाना अल्लाह तआला के यहां मुकदर्र है। कोई चीज उनके लिए बुरा या नेक शगून नहीं रखती। जानवरों से बदफाली और बदशगूनी लेना अम्बिया व रसूल के दुश्मन मुश्रिकिन की गन्दी आदत है। अहले ईमान अपने तमाम कामों को अल्लाह तआला के हवाले करते हैं।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِن ذُكِّرْتُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿١٩﴾﴾

(يسن/٣٦/ ١٩)

"रसूलों ने कहा: तुम्हारी नहूसत (बदशगुनी) तुम्हारे ही साथ है। क्या (तुम यह बातें) इसलिए करते हो कि तुम्हें नसीहत की गयी है? बल्कि (हकीकत तो यह है कि) तुम लोग हद से आगे बढ़ चुके हो। (सूरह यासीन, पारा 22 आयत 19)

हजरत अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَلاَ هَامَةَ وَلاَ صَفَرَ»(صحيح البخاري، الطب، باب لا هامة، ح:٥٧٥٧ وصحيح مسلم، السلام، باب لا عدوٰى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، ولا نوء ولا غول، ح:٢٢٢٠، زاد مسلم: "ولا نوء ولا غول")

''कोई बीमारी छुआ-छुत वाली नहीं, बदफाली और बदशगुनी की भी कुछ हकीकत नहीं। ना उल्लू का बोलना (कोई बुरा असर रखता) है और ना ही सफर का महीना (मनहूस) है।'' (हदीस सही मुस्लिम 2220)

{यानी कोई बीमारी अपने आप लगने वाली नहीं होती। बल्कि अगर किसी बीमारी का असर दूसरे तक पहुंचता है तो सिर्फ अल्लाह तआला की इजाजत और हुक्म ही से। जाहिलियत के जमाने में लोगों का यही ख्याल था कि बीमारी खुद-ब-खुद असर अन्दाज होती है। अल्लाह तआला ने इस बात को गलत करार दिया। इसी तरह बदफाली और बदशगुनी की भी कोई हकीकत नहीं है, बल्कि यह एक दिली वहम होता है, वरना अल्लाह के फैसले और तकदीर में इसका कोई असर नहीं होता}

सही मुस्लिम की रियावत में यह भी है कि सितारों की तासीर का अकीदा भी बेअसल है। और भूतों का भी कोई वजूद नहीं।

हजरत अनस रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,

«لاَ عَدْوٰى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ قَالُوا: وَمَا الْفَأْلُ؟ قَالَ: الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ»(صحيح البخاري، الطب، باب لا عدوٰى، ح:٥٧٧٦ وصحيح مسلم، السلام، باب الطيرة والفأل ح:٢٢٢٤)

"कोई बीमारी दूसरे तक नहीं पहुंचती न बदफाली व बदशगुनी की कुछ हकीकत है। अलबत्ता मुझे फाल पसन्द है। सहाबा ने अर्ज किया, फाल से क्या मुराद है? आपने फरमाया अच्छी और बेहतरीन बात सुनकर अच्छे अंजाम की उम्मीद रखना।"

{फाल यानी नेक शगुनी में अल्लाह तआला पर अच्छा गुमान होता है। जबकि बदफाली में अल्लाह तआला पर बदगुमानी की जाती है। इसलिए फाल यानी नेक शगुनी तारीफ के लायक है और बदफाली बुराई।}

उकबा बिन आमिर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बदफाली और बदशगुनी का बयान हुता तो आपने फरमाया, इन सबसे बेहतर फाल है और यह किसी मुसलमान को उसके मकसद से रोक ना दे। चूनांचे जब कोई शख्स नापसन्दीदा चीज देखे तो यह दुआ करे:

«اَللّٰهُمَّ لاَ يَأْتِي بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ

وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ»(سنن أبي داود، الكهانة والتطير، باب في الطيرة، ح:٣٩١٩)

"या अल्लाह! तेरे सिवा कोई भलाईयाँ ला सकता है ना कोई बुराईयों को दूर कर सकता है। और तेरी तौफिक के बगैर हम में भलाई की ताकत है ना बुराई से बचने की हिम्मत।"(हदीस सुनन अबी दाउद 3919)

{"अत्तोयरा" (बदशगुनी व बदफाली) लफ्ज आम है। इस लफ्ज में जहां बदशगुनी के बारे में बातें शामिल हैं, वहां ऐसे काम भी उसी के जुमरे से हैं जिनसे बदशगुनी ली जाती है। जबकि इन्सान को अपने

मामलात में नेक फाली से काम लेना चाहिए। क्योंकि नेक फाल से इन्सान का दिल खुला रहता है और शैतान के वसवसे से पैदा होने वाली दिली तंगी दूर हो जाती है। यही वजह है कि जब इन्सान अपने दिल में नेक फाली पैदा कर लेता है तो फिर शैतान के वसवसे उसके दिल पर कोई असर नहीं कर सकते।}

अब्दुल्लाह बिन मसउद रज़ि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، اَلطِّيَرَةُ شِرْكٌ، وَمَا مِنَّا إِلاَّ وَلٰكِنَّ اللهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ»(سنن أبي داود، الكهانة والطيرة، باب في التطير، ح:٣٩١٠ وجامع الترمذي، السير، باب ما جاء في الطيرة، ح:١٦١٤)

"बदफाली शिर्क है, बदशगुनी शिर्क है, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसे (इन्सान होने के नाते) ऐसा वहम ना होता हो, मगर रब्बुल इज्जत भरोसे की वजह से इसको हम से दूर फरमा देता है।" (हदीस सुनन अबी दाउद 3910)

{बदशगुनी व बदफाली लेना छोटा शिर्क है। कईबार एक मुसलमान व तौहीद परस्त आदमी के दिल में भी बदशगुनी का वसवसा पैदा हो जाता है। यह मुमकिन है। लेकिन चूंकि बन्दा मौमिन का अल्लाह पर यकीन और भरोसा होता है, इसलिए उसी यकीन की बिना पर अल्लाह तआला उस वसवसे को दफा कर डालते हैं।}

अब्दुल्लाह बिन अम्र रजि. से मरवी एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:
"जो शख्स अपने किसी काम से बदफाली की बिना पर रुका, उसने शिर्क किया। सहाबा रजि. ने पूछा, इसका कफ्फारा क्या है? आपने फरमाया: इसका कफ्फारा यह दुआ है:

«اَللّٰهُمَّ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُكَ، وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ طَيْرُكَ وَلاَ إِلٰهَ غَيْرُكَ»(مسند أحمد: ٢/ ٢٢٠)

''या अल्लाह! तेरी भलाई के अलावा कोई भलाई नही। और तेरे शगून के अलावा कोई शगून नहीं। और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं।'' (हदीस मुसनद अहमद 220/2)

{बदशगुनी के शिर्क होने का जाब्ता और उसूल यह है कि जब आदमी के दिल में बदशगुनी का वसवसा पैदा हो और वो उस बदशगुनी की बिना पर अपने काम से रूक जाये तब उसका यह अमल शिर्क ठहरेगा, वरना सिर्फ ख्याल पैदा होने से इन्सान शिर्क का करने वाला ना होगा।

''अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरूका... का मतलब यह है कि ऐ अल्लाह! मुझे वही खैर और भलाई मिल सकती है, जिसका तूने फैसला कर रखा है और वही कुछ हासिल हो सकता है, जो तूने मेरे मुकदर्र में लिख दिया है। क्योंकि गैब के सारे इल्म तेरे ही पास हैं।}

फजल बिन अब्बास रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا أَمْضَاكَ أَوْ رَدَّكَ»(مسند أحمد: ١/ ٢١٣)

''बदशगुनी वो है जो तुझे किसी काम के करने पर राजी करे या उससे रोक दे।'' (हदीस मुसनद अहमद 213/1)

मसाईल

1. **इस बाब में सूरह आराफ की आयत 131 और सूरह यासीन की आयत 19 की तफसीर और इनका मतलब बयान हुआ है।**
2. **इस बाब की अहादीस में बीमारियों के लगने वाली होने की मनाही है।**
3. **इसमें बदफाली की मनाही भी है।**

4. और उल्लू की आवाज से बदफाली लेने की मनाही है।
5. और माहे सफर की नहूसत के अकीदे की भी मनाही है।
6. इस तफसील से साबित हुआ कि नेक फाली मना नहीं बल्कि मुस्तहब (जाइज) है।
7. फाल के मतलब का भी खुलासा हुआ।
8. यह भी साबित हुआ कि अगर न चाहते हुए भी बदफाली के वसवसे और ख्यालात दिल में पैदा हो जायें तो वो नुकसानदेह नहीं बल्कि अल्लाह तआला पर भरोसा और ऐतमाद की वजह से खत्म हो जाते हैं।
9. जिस शख्स के दिल में बदफाली के वसवसे पैदा हो जायें वो उनको दूर करने के लिए इन हादिस में बयान शुदा दुआयें पढ़ लिया करे।
10. इस बाब की भी सराहत हो गयी कि बदफाली लेना शिर्क है।
11. निज इस बहस से बुरी बदफाली की भी वजाहत होती है।

बाब : 28

इल्मे नजूम (ज्योतिष) की शरई (इस्लामी) हैसियत

सही बुखारी में कतादा रह. का कौल है कि अल्लाह तआला ने इन सितारों को तीन मकसदों के लिए पैदा किया है:

(1) आसमान की खुबसूरती के लिए

(2) शैतान को मारने और भगाने के लिए

(3) बहरोबर (जमीन और समुन्द्र) में रास्ते मालूम करने के लिए।

जो शख्स इनके अलावा और कुछ समझता है, उसने गलती की और हर किस्म की भलाई से खुद को दूर कर लिया। और उसने ऐसे काम को किया जिसका उसे कुछ इल्म नहीं।

{इल्मे नजूम (तारों) की तीन किस्में हैं:

(अ) यह अकीदा रखना कि यह सितारे खुद-ब-खुद असर पैदा करने वाले होते हैं और इनके असर से जमीनी हादसे पैश आते हैं। ऐसा समझना इनकी इबादत की तरह है। अहले इल्म का मानना है कि ऐसा अकीदा कुफ्र और कौमे इब्राहिम के शिर्क जैसा बड़ा शिर्क है।

(ब) इल्मे नजूम की दूसरी किस्म का ताल्लुक इल्मे तासिर से है, यानी उनकी हरकात, एक दूसरे से उनकी नजदीकी व दूरी या उनके निकलने या डूबने से जमीनी हादसों पर दलील पकड़ना। यह कहानत यानी गैब की खबरे देने की तरह है। ऐसा करने वाले को नजूमी कहा जाता है। नजूमियों को यह बातें शैतान बता जाते हैं। यह किस्म भी हराम, बड़ा गुनाह और अल्लाह तआला के साथ कुफ्र है।

(स) इल्मे नजूम की तीसरी किस्म जिसे ''इल्मे तसईर'' कहा जाता है। इसमें सितारों की रफ्तार व हरकात से किब्ला और वक्त या मौसमों वगैरह के बारे में जाना जाता है, बाज अहले इल्म ने इसकी इजाजत दी

है।

इसलिए यह लोग सितारों की रफ्तारो हरकात, उनके एक दूसरे से करीब होने या दूर होने, या उनके निकलने या डूबने से, महज वक्त और जमाने को फिक्स करते हैं। वो सितारों की इन हरकतों को किसी काम के लिए सबब और असर करार नहीं देते। महज इतनी सी बात करने और इसी मकसद के लिए सितारों का इल्म हासिल करने में शरअन कोई बुराई नहीं, बल्कि इसकी इजाजत है।}

{सही बुखारी, बद उल ख़लके, बाबुन फिन्नुजूम) यह बातें कुरआन करीम में भी बयान हुई हैं। अल्लाह तआला का इरशाद है:
''वजय्यनसमआ अददुनिया बिमसाबिहा वहिफजा'' फुस्सेलत 12/41)
''हमने आसमानी दुनिया को सितारों से खुबसूरत बनाया और उनको हिफाजत का जरीया बनाया।''

शैतान के मारने और भगाने के मायने पर बहुत सी आयात दलालत करती हैं। कदाता रह. का यह कौल कि जिसने सितारों की पैदाईश का इन तीन के अलावा कुछ और मकसद समझा। उसने गलती की और उसने ऐसे काम करने की तकलीफ की जिसका उसे कुछ इल्म नहीं, इसलिए कि यह सितारे अल्लाह तआला की मख्लूक हैं, हमें इनके सिर्फ इन्ही छिपी चीजों का इल्म हो सकता है, जिनसे अल्लाह तआला हमें बता दे।}

हरब रह. का बयान है:
कतादा रह. ने मनाजिले कमर का इल्म सीखने को नापसन्द कहा हैं और इब्ने ओऐना रह. ने भी इस इल्म के सीखने की इजाजत नहीं दी।

इमाम अहमद रह. और इस्हाक रह. ने इस इल्म के हुसूल की इजाजत दी है।

{क्योंकि अल्लाह तआला ने फरमाया:

(वल-क-म-र नुरन व कद-द-र हु मना जि ल लि तअ लमु अ-द-दस सिनी-न वल हिसाब") (सूरह युनूस, पारा 11 आयत 5)
"और उसने चांद को रोशन बनाया और उसकी मनाजिल मुकर्रर की हैं ताकि तुम सालों की गिनती और हिसाब मालूम कर सको।"

यह आयत सितारों का इल्म हासिल करने के जाइज होने की दलील है। क्योंकि इनका इल्म हासिल करने ही से अल्लाह तआला की नैमत और उसके अहसान का अन्दाजा हो सकेगा।}

अबू मूसा अशअरी रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَقَاطِعُ الرَّحِمِ، وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ»(مسند أحمد: ٣٩٩/٤ وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح: ١٣٨١)

"तीन आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे।"
1. शराब पीने वाला
2. रिश्तेदारी तोड़ने वाला।
3. और जादू को जाइज मानने वाला।

(हदीस मुसनद अहमद 399/4)

{पहले बयान हो चुका है कि इल्मे नजूम जादू की एक किस्म है।

जैसा कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया: "मनिकतबसा शुअबतन मिनन्नुजुमि फकदिक तबसा शुअबतन मिन सहर" सुनन अबी दाउद, अत्तिब, बाबो फिननुजूम, हदीस 3905, व मुसनद अहमद : 1/277, 311)

"जिसने इल्मे नजूम का जितना हिस्सा सीखा उसने उसी कद्र जादू सीखा।"

आज कल अखबारात व रिसालों में "सितारे क्या कहते हैं?" के

उनवान से अमूमन टॉपिक जारी होते रहे हैं। लोग इन कामों की हकीकत पर गौर नहीं करते। सितारों और बुरजों की तासीर का अकीदा रखना यही तो "कहानत" है। हर इलाके में इसे रोकने की जरूरत है।

ऐसे अखबार, पम्पलेट वगैरह घरों में ना लाये जायें, खुद पढे जाये ना किसी को दिये जायें, क्योंकि इन सितारों और बुरजो का इल्म हासिल करना, अपनी पैदाइश के बुर्ज को जानने और अपने मवाफिक सितारे की मालूमात रखना, उसके मुताल्लिक अखबार पढ़ना ऐसे ही है, जैसे किसी नजूमी के पास जाकर उससे हालात मालूम किये। ऐसी बातों को पढ़कर उनको सही समझना और उन्हें सच्चा समझना कुफ्र है। अलअयाजु बिल्लाह।}

मसाईल

1. इस बहस से मालूम हुआ कि अल्लाह ने किन बातों को सामने रखते हुए सितारों की पैदाईश फरमायी है।
2. सितारों की पैदाईश के हवाले से उन्हें कुछ समझने वालों की भी इस बहस से रदद होता है।
3. चांद की मंजिलों के इल्म के बारे में अहले इल्म के ख्यालात अलग अलग हैं।
4. इस हदीस में जादू को सही समझने पर फटकार भी बयान हुई है।

बाब : 29

सितारों के असर से बारिश बरसने का अकीदा रखना कुफ्र है।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴾ (الواقعة ٥٦/ ٨٢)

"और अपने हिस्से में यही लेते हो कि झुठलाते फिरो "(सूरह वाकिअह, पारा 27 आयत 82)

{तफसीर करने वाले आलिमों ने इस आयत के खुलासे में लिखा है कि तुमने अपनी आदत यह बना रखी है कि तुम अल्लाह तआला की नैमतों को झूटलाकर उनको गैर अल्लाह की तरफ मनसूब (सम्बन्धित) करते हो।}

{तमाम नैमतें अल्लाह तआला की तरफ से आती हैं। तौहीद की चाहत तो यह है कि इनका ताल्लुक भी उसी की तरफ होनी चाहिए। बारीश भी उसी की नैमत है जो उसी के हुक्म से बरसती है। बारिश की अल्लाह तआला के अलावा सितारों या किसी दूसरे की तरफ निसबत करना ज्यादती और तौहीद के खिलाफ है, इसलिए कि यह तारे बारिश आने के असबाब नहीं। अल्लाह तआला ने इन्हें बारिश के आने का सबब नहीं बनाया, लिहाजा इन्हें बारिश का सबब और जरीया समझना इन्तेहाई गलत है। इसी तरह बारिश और दूसरी नैमतों के हकीकी खालिक व बनाने वाले के बजाये गैर अल्लाह की तरफ मनसूब करना सही नहीं।}

अबू मालिक अशअरी रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لاَ يَتْرُكُونَهُنَّ: اَلْفَخْرُ بِالأَحْسَابِ، وَالطَّعْنُ فِي الأَنْسَابِ، وَالاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ، وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ: اَلنَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ، وَّدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ»(صحيح مسلم، الجنائز، باب التشديد في النياحة، ح:٩٣٤ ومسند أحمد:٥/ ٣٤٢، ٣٤٤)

"जाहिलियत के चार काम ऐसे हैं, जिन्हें मेरी उम्मत के लोग नहीं छोड़ेंगे।":

1. हसबो नसब और खानदानी शर्फो बड़ाई पर फख्र करना। {यानी अपने हसबो नसब पर घमण्ड के तरीके से फख्र करना।}
2. दूसरों के नसब और खानदान में नुक्स और ऐब निकालना और तानाजनी करना।
   {यानी लोगों के नसब पर ख्वाह-मख्वाह तान करना या किसी जरूरियात या शरई दलील के बगैर किसी के नसब की तकजीब करना और उसे गलत करार देना।}
3. सितारों के असर से बारिश बरसने का अकीदा रखना। {यह अकीदा रखना कि बारिश सितारों की वजह से होती है।}
4. नोहा करना।
   {किसी मुसीबत व परेशानी के मौके पर चीख पुकार करना और कपड़े फाड़ना और जोर जोर से रोना-पीटना, यह भी सब्र के खिलाफ और जाहिलियत का काम है।}

निज आपने फरमाया कि: नोहा करने वाली औरत अगर मरने

से पहले पहले तौबा ना करे तो कयामत के दिन उसे गंधक की सलवार और खारिश की कमीज पहनाकर उठाया जायेगा।" (सही मुस्लिम 934)

{यह हदीस इस बात की दलील है कि यह तमाम काम गलत हैं और जाहिलीयत के काम हैं।

सही बुखारी में इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः तीन आदमी अल्लाह तआला को सब से ज्यादा नापसन्दीदा हैं। उनमें से एक वो है जो कबूले इस्लाम के बावजूद जाहिलीयत के काम करे।}

जैद बिन खालिद जुहनी रजि. से रिवायत हैः

«صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَّيْلِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: هَلْ تَدْرُونَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ؟ قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ، فَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِي كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ، وَأَمَّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِي مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ»(صحيح البخاري، الاستسقاء، باب قوله تعالى ﴿وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون﴾ ح:١٠٣٨

وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح:٧١)

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मकाम पर रात बारिश होने के बाद हमें सुबह की नमाज पढायी। आपने सलाम फैरा तो लोगों की तरफ मुंह करके फरमायाः जानते हो अल्लाह तआला ने क्या फरमाया है? सहाबा किराम ने अर्ज कियाः अल्लाह तआला और उसका रसूल ही बेहतर जानते है। आपने फरमायाः अल्लाह तआला ने फरमाया है कि मेरे बन्दों में से बाज ने मुझ पर

ईमान की हालत में सुबह की और बाज ने कुफ्र की हालत में, उनमें से जिन्होंने ने कहा कि हम पर अल्लाह तआला के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई है, वो मेरे मौमिन हैं और सितारों के काफिर। और जिन्होंने कहा कि हम पर यह बारिश सितारों की वजह से हुई है, वो मेरे काफिर हुए और सितारों पर ईमान लाये।" (हदीस सही बुखारी 1038)

{"अल्लाहु व रसूलहु आलमु"... अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते है।।" यह जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जिन्दगी के साथ खास था। यानी आप की प्यारी जिन्दगी में यह जुम्ला कहा जा सकता था, क्योंकि अल्लाह तआला की तरफ से वह्य करके आपको बतला दिया जाता। लेकिन आपकी वफात के बाद चूंकि सिलसिला-ए-वह्य बन्द हो चुका है, इसलिए ऐसा कहना हरगिज दुरूस्त नहीं। अगर किसी इन्सान से कोई ऐसी बात पूछी जाये जिसका उसे इल्म ना हो तो उसे चाहिए कि यह कहे, "अल्लाह आलमु" "अल्लाह ही बेहतर जानता है।" इस हदीसे मुबारका में बारिश की निसबत अल्लाह की तरफ करने वाले को मौमिन कहा गया है, क्योंकि उसने अल्लाह की नैमत (बारिश) को अल्लाह ही की तरफ मनसूब किया है, जो कि उसके ईमान की रोशन दलील है।

और बारिश की निस्बत सितारों की तरफ करने वाले को काफिर कहा गया है, क्योंकि उसने अल्लाह की नैमत की निसबत गैर अल्लाह की तरफ कर दी।

याद रहे! अगर यह अकीदा रखा जाये कि बारिश बरसने की वजह यह सितारे हैं तो यह अकीदा छोटा कुफ्र है और अगर यह अकीदा हो कि सितारा परस्तों की दुआ कबूल करके लोगों पर रहम करते हुए उन सितारों ही ने बारिश बरसायी है तो यह अल्लाह तआला के साथ कुफ्र होगा।}

इसी माइने की एक हदीस अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. से भी मरवी

है, उसमें यूं है, आपने फरमायाः

" बाज लोग कहते हैं कि फलां फलां सितारा फायदेमन्द साबित हुआ है तो अल्लाह तआला ने उनके रद में यह आयत नाजिल फरमा दीं।"

﴿ فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾ إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ ﴿٨٠﴾ أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ ﴿٨٢﴾ ﴾ (الواقعة٥٦/ ٧٥-٨٢)

"मुझे कसम है सितारों की मंजिलों की। अगर समझो तो यह बहुत बड़ी कसम है। बेशक यह कुरआन मजीद बुलन्द मर्तबे वाला है। जो लोहे महफूज में लिखा हुआ है। उसे वही हाथ लगाते हैं जो पाक है। यह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया गया है। तो फिर क्या तुम इस कलाम से बेरूखी करते हो और लगाव न रखते हो और इसे झुठलाने को अपना हिस्सा बनाते हो।"(सूरह वाकिअह, पारा 27 आयत 82-85)

{सही मुस्लिम, अलईमान, बाब बयाने कुफ्र में मन काला मुतिरना बिन्नोइ, हदीस 73}

मसाईलः

1. सूरह वाकआ की आयतों की तफसीर है।
2. उन चार कामों का जिक्र भी है जो जाहिलीयत की रस्में हैं।
3. उन चार में से बाज काम कुफ्र हैं।
4. कुफ्र की बाज किस्में ऐसी हैं जिनके करने से इन्सान इस्लाम के दायरे से निकलता नहीं।

5. हदीस के अल्फाज (अल्लाह तआला फरमाते हैं, मेरे बन्दों में से बाज ने ईमान की हालत में सुबह की और बाज ने कुफ्र की हालत में) से मालूम हुआ कि मौमिन व काफिर की पहचान नैमतों को पाने की वजह ही से हो जाती है।
6. यह बहस पढ़ने के बाद ईमान की हकीकत पर भी खूब गौर करना चाहिए कि यह किस कद्र नाजुक मामला है।
7. कुफ्र की हकीकत भी सामने रहनी चाहिए कि किसी वक्त देखने में मामूली सी बात कहने से इन्सान काफिर हो जाता है।
8. सितारों की तासिर का अकीदा रखना और उनको अपने लिए फायदेमन्द (या नुकसानदेह) समझना इन्तेहाई गलत बल्कि कुफ्र है।
9. "अतदरूना माजा काल रब्बुकुम?" (जानते हो तुम्हारे रब ने क्या फरमाया है?) से साबित हुआ कि शागिर्दों (स्टूडेन्टों) को बात दीमाग में बैठाने के लिए सवालिया अन्दाज इख्तेयार करना जाइज है।
10. इस बाब में नोहा की बुराई और नोहा करने वालों के लिए अजाब और फटकार का जिक्र भी है।

बाब: 30

अल्लाह तआला की मुहब्बत दीन की बुनियाद है।

अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ ﴾

(البقرة٢/ ١٦٥)

"और कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों को अल्लाह के बराबर और शरीक ठहराते हैं और उनसे यूं मुहब्बत करते हैं, जैसी अल्लाह से मुहब्बत होनी चाहिए।" (सूरह बकर, पारा 2 आयत 165)

{यहां से उन दिली इबादात का बयान शुरू होता हे, जो सिर्फ अल्लाह तआला के लिए खास हैं। अकीदा-ए-तौहीद पूरा करने के लिए दिली इबादत को भी सही तौर पर सिर्फ अल्लाह तआला के लिए करना जरूरी है।

शेख मुहम्मद रह. ने दिली इबादतों में से सबसे पहले मुहब्बत का जिक्र किया है और यह बयान किया है कि इन्सान को हर चीज यहां तक कि अपनी जान से भी बढ़कर सबसे ज्यादा मुहब्बत अल्लाह तआला के साथ होनी चाहिए। अल्लाह तआला के साथ इन्सान की यह मुहब्बत "मुहब्बते इबादत" है कि इन्सान का अपने महबूब यानी अल्लाह तआला के साथ ताल्लुक इस कद्र गहरा हो और उसके साथ इस कद्र मुहब्बत हो कि वो बखुशी उसके हर हुक्म को करते और उसकी हर मना की गयी बात से बचे। यही जज्बा दीन का खम्बा और दिल को सही करने की बुनियाद है। ऐसा मजबूत और गहरा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह तआला के साथ होना चाहिए। गैर अल्लाह के साथ ऐसा ताल्लुक रखना बहुत बड़ा शिर्क है।}

निज इरशादे रब्बानी है:

﴿ قُلْ إِن كَانَ ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَٰنُكُمْ وَأَزْوَٰجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَٰلٌ ٱقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَٰرَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَٰكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَجِهَادٍ فِى سَبِيلِهِۦ فَتَرَبَّصُوا۟ حَتَّىٰ يَأْتِىَ ٱللَّهُ بِأَمْرِهِۦ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَٰسِقِينَ ﴿٢٤﴾ ﴾ (التوبة٩/ ٢٤)

(ऐ मुहम्मद!) आप कह दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप-दादा, बेटे, भाई, बीवियाँ, रिश्तेदारों और जमा किए हुए माल और व्यापार जिसके ढ़िले पड़ जाने का तुम्हें डर रहता है और तुम्हारे घर जो तुम्हें पसन्द हैं, यह चीजें अगर तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जिहाद करने से ज्यादा प्यारे हैं, तो इन्तेजार करो, यहां तक कि अल्लाह अपना फैसला (अजाब) ले आये और अल्लाह फासिकों को हिदायत नसीब नहीं करता। (सूरह तौबा, पा. 10 आ. 24)

{इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के मुकाबले में गैर अल्लाह से ज्यादा मुहब्बत रखना और मुहब्बत में गैर अल्लाह को अल्लाह तआला से आगे समझना हराम और बड़ा गुनाह हैं, क्योंकि ऐसा करने पर अल्लाह तआला ने फटकार फरमायी है। लिहाजा तौहीद को पूरा करने के लिए जरूरी है कि इन्सान अल्लाह तआला और उसके रसूल को हर चीज पर आगे रखे।

याद रहे! एक मुसलमान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मुहब्बत करता है, वो दरअसल अल्लाह ही से मुहब्बत है, ना कि अल्लाह के मुकाबले में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत का हुक्म अल्लाह ही ने दिया है।}

अनस रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَّلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ»(صحيح البخاري، الإيمان، باب حب الرسول من الإيمان، ح:١٥ وصحيح مسلم، الإيمان، باب وجوب محبة الرسول أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، ح:٤٤)

"तुम में से कोई भी उस वक्त तक (पूरा) मौमिन नहीं हो सकता, जब तक वो मुझे अपनी औलाद (मां) बाप और बाकी तमाम लोगों से ज्यादा महबूब ना रखे।" (हदीस सही बुखारी 15)

{यानी मेरी महबूब चीजों को गैर की महबूब चीजों पर इस कद्र आगे जाने कि उसके जी में मेरी मुहब्बत, उसकी औलाद, मां, बाप और तमाम लोगों की मुहब्बत से बढ़कर हो और यकीनन इस मुहब्बत का ऐलान काम से होगा, चूंनांचे जो शख्स अल्लाह की इबादत, चाहत, और उसके खौफ और डर के साथ उससे मुहब्बत रखता है, वो उसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए तैयार रहता है, और उसकी नाराजगी से बचने की भी हर मुमकिन कोशिश करता है। ऐसे ही जो शख्स भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुहब्बत रखेगा, वो आपकी रजामन्दी का चाहने वाला और आपकी नाराजगी से दूर हटने वाला होगा।}

अनस रजि. ही से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«ثَلاَثٌ مَّنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ، أَنْ يَّكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا، وَأَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ للهِ، وَأَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُوْدَ فِي الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ اللهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ»(صحيح البخاري، الإيمان، باب حلاوة الإيمان، ح:١٦، ٢١، ٦٩٤١ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان، ح:٤٣)

"तीन औसाफ (आदतें) जिस आदमी में हो, वो उनकी बदौलत ईमान की मिठास पा लेता है।

{इससे वो मिठास और हलावत मुराद है जो ईमान को पूरा करने के नतीजे में पैदा होती है और मौमिन अपनी रूह में उसे महसूस करता है।}

1. वो अल्लाह तआला और उसके रसूल को सबसे ज्यादा महबूब समझे।
2. किसी से मुहब्बत करे तो सिर्फ अल्लाह तआला के लिए।
3. अल्लाह तआला ने उसे कुफ्र से बचा लिया है तो अब वो कुफ्र को इस तरह नापसन्द करे, जिस तरह आग में डाला जाना उसे नापसन्द है।" (हदीस सही बुखारी 16)

एक रिवायत के अल्फाज यह हैं:

«لاَ يَجِدُ أَحَدٌ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ حَتَّى . . . » (صحيح البخاري، الأدب، باب الحب في الله، ح:٦٠٤١)

"कोई शख्स उस वक्त तक ईमान की हलावत (मिठास) नहीं पा सकता, जब तक (उसमें यह तीन आदतें ना हों)" (हदीस सही बुखारी 6041)

इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं

«مَنْ أَحَبَّ فِي اللهِ، وَأَبْغَضَ فِي اللهِ، وَوَالَى فِي اللهِ، وَعَادَى فِي اللهِ، فَإِنَّمَا تُنَالُ وَلاَيَةُ اللهِ بِذٰلِكَ وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلاَتُهُ وَصَوْمُهُ حَتَّى يَكُونَ كَذٰلِكَ، وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَاةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا، وَذٰلِكَ لاَ يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا»

(رواه ابن المبارك في كتاب الزهد، ح:٣٥٣ وابن أبي شيبة في المصنف الشطر الأول فقط، ح:٣٤٧٥٩ وأخرجه الطبراني أيضا موقوفا على ابن عمر في المعجم الكبير:١٢/١٣٥٣٧)

''जो शख्स किसी से सिर्फ अल्लाह तआला के लिए मुहब्बत रखे, और अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी रखे, और किसी से दोस्ती हो या दुश्मनी वो भी सिर्फ अल्लाह ही के लिए हो तो जानना चाहिए कि अल्लाह तआला की वलायत (दोस्ती) उन्हीं कामों से हासिल हो सकती है। (यानी इन्हीं कामों से इन्सान अल्लाह का वली और महबूब बन सकता है।) और कोई भी शख्स इन कामों के बगैर ईमान का मजा और चाश्नी हासिल नहीं कर सकता। चाहे वो बहुत नमाजें पढ़ता हो, बहुत रोजे रखता हो। आम लोगों की आपस में मुहब्बत और ताल्लुकात दुनियावी कामों पर लगे हुए हों, हालांकि यह अमल उनके लिए अल्लाह तआला के यहां बिलकुल फायदेमन्द न होगा।''

इब्ने अब्बास रजि.ने

﴿وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ﴾ (البقرة٢/١٦٦)

''कयामत के रोज उनके सारे असबाब व वसाईल खत्म हो जायेंगे'' (सूरह बकर, पारा 2 आयत 166) की तफसीर में फरमाया कि यहां असबाब व वसाईल से ''दोस्ती'' मुहब्बत और ताल्लुकात'' मुराद हैं। {तफसीर इब्ने जरीर 2004 व तफसीर इब्ने अबी हातिम 1492}

मसाईल

1. सूरह बकरा की आयत 165 की तफसीर मालूम हुई।
2. सूरह तौबा की आयत 24 की तफसीर भी मालूम हुई।
3. अपनी जान, बीवी बच्चें व माल-कमाई के मुकाबले में सबसे ज्यादा मुहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होनी चाहिए।
4. कई बार ईमान के इनकार का मतलब दायरा-ए-इस्लाम से बाहर निकलना नहीं होता बल्कि उससे ईमान की कमी मुराद होती है।
5. ईमान की एक चाश्नी है फिर भी कभी इसका अहसास होता

है और कभी नहीं होता।

6. चार दिली काम ऐसे हैं जिनके बगैर इन्सान अल्लाह तआला की विलायत (दोस्ती और मुहब्बत) हासिल नहीं कर सकता और ना उनके बगैर ईमान का मजा चख सकता है।
7. सहाबा किराम रजि. वाक्यात व सच्चाई की रोशनी में जानते थे कि आम लोगों के आपसी ताल्लुकात और मेलजोल सिर्फ दुनिया की खातिर हैं।
8. इस बाब से ''वतकत्त अत बिहिमुल असबाब'' की तफसीर भी वाहेज होती है।
9. बाज लोग मुश्रिक होने के बावजूद अल्लाह तआला से बेइन्तेहा मुहब्बत करते हैं।
10. सूरह तौबा की आयत में मजकूरा आठ चीजें जिस शख्स को अपने दीन से ज्यादा प्यारी हों, उसके लिए सख्त अजाब की फटकार है।
11. इस तफसील से मालूम हुआ कि किसी का अपने झूठे खुदा से अल्लाह तआला की सी मुहब्बत रखना भी ''बड़ा शिर्क '' है।

बाब: 31

अल्लाह तआला का डर और खौफ

{अल्लाह तआला का डर और खौफ भी इबादत है। इसका ताल्लुक दिल के साथ है। इस इबादत को पूरा करने से तौहीद को पूरा करना और इसमें कमी से तौहीद में नुक्स और कमी वाजेह हो जाती है। गैर अल्लाह का डर बाज सूरतों में शिर्क, बाज में हराम और बाज सूरतों में जाइज होता है।

डर की पहली किस्म: किसी नबी, वली या जिन्न से इस अन्दाज से डरना कि वो इन्सान को नुकसान पहुंचा देगा या उसका कुछ बिगाड़ सकेगा। यह समझना कि फलां नबी, वली या जिन्न की इज्जत की जाये तो वो आखिरत में मेरे काम आयेगा, मेरे हक में सिफारिश करेगा, और मुझ से अल्लाह तआला के अजाब को दूर करेगा। और अगर वो नाराज हो गया तो आखिरत में मेरे काम ना आयेगा। सिफारिश करेगा ना अल्लाह तआला के अजाब को मुझ से दूर करेगा.... किसी से इस किस्म का डरना "शिर्क" है।

डर की दूसरी किस्म: मखलूक के डर से अल्लाह तआला के हुक्म और मनाही की खिलाफवर्जी करना, इस किस्म का डर रखना हराम है।

डर की तीसरी किस्म "तबई (फितरी) खौफ" है। मसलन इन्सान का अपने किसी दुश्मन से, दरिन्दों से या आग वगैरह से डरना तबई और फितरी है। इस पर कोई गुनाह या पकड़ नहीं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾ ﴾ (آل عمران٣/ ١٧٥)

"यह शैतान है जो अपने दोस्तों से डराता है। तुम उनसे ना डरो। अगर तुम ईमान रखते हो तो सिर्फ मुझ से डरो।" (सूरह आले इमरान,

पारा 4 आयत 175)

{इस आयत का मतलब यह है कि कई बार शैतान, तौहीद वालों के दिलों में उनके दुश्मनों का डर पैदा कर डालता है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ''फला तखाफुहुम''.. ''उनसे हरगिज ना डरना'' यानि उनसे डरना हराम है, क्योंकि इस किस्म का खौफ इबादत के दायरे में आता है और गैर अल्लाह की इबादत शिर्क है। गौया अल्लाह तआला ने शिर्क ही की एक किस्म से मना फरमाया और इसके बाद फरमाया ''वखाफुनि इनकुनतुम मुमिनीन'' ..'' अगर मौमिन हो तो सिर्फ मुझ से डरो'' अल्लाह के इस हुक्म से भी पता चलता है कि डर भी दूसरी इबादतों की तरह एक इबादत है।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾ ﴾ (التوبة٩/١٨)

''अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते है जो अल्लाह और आखिरत के रोज पर ईमान रखते है। और नमाज कायम करते और जकात अदा करते हैं। और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। यकीनन ऐसे लोग ही हिदायत पाने वालों में से हैं।'' (सूरह तौबा, पारा 10 आयत 18)

{इस आयते मुबारका से मालूम हुआ कि कि मौमिन के दिल में सिर्फ अल्लाह का डर होना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ने उन लोगों की तारीफ इसलिए की है कि उनके दिल में अल्लाह के सिवा किसी दूसरे का डर पैदा नहीं होता। याद रहे! लफ्ज ख़शियत का मतलब और इस्तमाले लफ्ज खौफ की बनिस्बत खास है।}

निज इरशादे इलाही है:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾ (العنكبوت٢٩/ ١٠)

"और बाज लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाये, मगर जब उनको अल्लाह की राह में कोई तकलीफ पहुंची तो वो लोगों की तकलीफ को यूं समझते हैं जैसे वो अल्लाह का अजाब हो।" (सूरह अनकबूत, पारा 20 आयत 10)

{यानी लोगों की तकलीफ से डरकर अल्लाह के जरूरी किए हुए कामों को छोड़ देते हैं या लोगों की बातों से डरते हुए अल्लाह के हराम किए हुए कामों को कर बैठते हैं।}

अबू सईद खुदरी रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّ مِنْ ضَعْفِ الْيَقِينِ أَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ، وَأَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلَى رِزْقِ اللهِ، وَأَنْ تَذُمَّهُمْ عَلَى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللهُ، إِنَّ رِزْقَ اللهِ لاَ يَجُرُّهُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَّلاَ يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ»(شعب الإيمان، الخامس من شعب الإيمان، وهو باب في أن القدر. . . ، ح:٢٠٧)

"बिलाशुबा यह (ईमान और अल्लाह पर) यकीन की कमजोरी की निशानियां हैं कि तू अल्लाह की नाराजगी मोल लेकर लोगों को खुश करे। और अल्लाह ने जो रिज्क लोगों को दे रखा है, उस पर तू उनकी तारीफ करे और जो रिज्क अल्लाह ने (लोगों को दिया है, लेकिन) तुझे नहीं दिया, उस पर तू उनकी बुराई करे। यकीनन अल्लाह तआला के रिज्क को ना किसी हरीस (लाचची) का हिरस

(लालच) खींच कर ला सकता है और ना किसी नापसन्द करने वाले की नापसन्दगी उसे रोक सकती है।"

{यह काम, ईमान की कमजोरी के असबाब और निशानी हैं और ईमान को कमजोर करने वाले काम, हराम काम ही हुवा करते है। क्योंकि अल्लाह तआला और रसूल की इताअत से ईमान बढ़ता है और नाफरमानी और गुनाह से कम होता है। इस हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश करना, नाफरमानी, गुनाह और हराम है।}

उम्मुल मौमिनीन सेय्यदा आईशा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللهِ بِسَخَطِ النَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَرْضَى عَنْهُ النَّاسَ، وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللهِ سَخِطَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسَ»(موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، ح:١٥٤١-١٥٤٢ ، وجامع الترمذي، ح:٢٤١٤ وله الفاظ أخرى)

"जो शख्स लोगों को नाराज करके अल्लाह तआला को राजी रखे, अल्लाह उससे राजी हो जाता है और लोगों को भी उससे राजी रखता है। और जो शख्स अल्लाह तआला को नाराज करके लोगों की खुशी का चाहने वाला हो, अल्लाह तआला भी उससे नाराज हो जाता है और लोगों को भी उससे नाराज कर देता है।" (जामेअ तिरमजी)

{इस हदीस में बयान है कि जो शख्स सिर्फ अल्लाह तआला का डर रखे अल्लाह तआला उससे खुद भी राजी होता है और लोगों को भी उससे राजी और खुश रखता है। और जो शख्स लोगों का डर दिल में रखे और उनसे डरकर हराम काम करे या किसी इस्लामी काम को छोड़

दे तो अल्लाह तआला भी उससे नाराज हो जाता है। और लोगों को भी उससे नाराज कर देता है।}

मसाईल

1. इस बाब से सूरह आले इमरान की आयत 175 की तफसीर होती है। जिसमें अल्लाह तआला से डरने का हुक्म है।
2. सूरह तौबा की आयत 18 की तफसीर भी वाजेह होती है। जिसमें अल्लाह तआला की मस्जिदों को आबाद करने वालों की खुबियाँ बयान हुई हैं।
3. सूरह अनकबूत की आयत 10 की तफसीर भी वाजेह होती है। जिसमें कमजोर ईमान वालों का जिक्र है।
4. यह भी मालूम हुआ कि ईमान कभी ताकतवर और कभी कमजोर होता रहता है।
5. ईमान की कमजोरी की तीन निशानियों बयान हुई हैं।
6. यह भी साबित हुआ कि सिर्फ अल्लाह तआला से डरना और उसका खौफ खाना एक दीनी व शरई काम है।
7. इस तफसील से, सिर्फ अल्लाह तआला का खौफ, डर और खौफ रखने वालों की बड़ाई और उनको इसके नतीजे में मिलने वाले सवाब का इल्म भी हो गया।
8. और यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स गैर अल्लाह से डरे और उसका डर रखे, उसका क्या अंजाम होता है।

बाब : 32

सिर्फ अल्लाह तआला पर भरोसा करना चाहिए

{इस बाब में मसला-ए-तवक्कुल का बयान है। अल्लाह पर भरोसा करना, दीन व ईमान को ठीक व पूरा करने के लिए शर्त है। शरई तौर पर भरोसे का मतलब यह है कि तमाम दिली इबादात को अल्लाह ही के लिए करना। यानी अपने तमाम तर काम व मामलात को अल्लाह तआला के हवाले करना और उसके साथ साथ जरूरत का सामान। चूनांचे मुतवक्किल (अल्लाह पर भरोसा करने वाला) वो शख्स होगा जो जरूरत का सामान और रास्ते इख्तेयार करने के बाद अपना मामला अल्लाह के हवाले करे और यह अकीदा रखे कि इस सबब से नफा, अल्लाह के हुक्म से हासिल हो सकता हैं और जिस काम के लिए यह सबब इख्तेयार किया गया है, वो भी सिर्फ अल्लाह की तौफिक व इनायत ही से पूरा हो सकता है। तमामतर ताकतें उस मालिक के पास ही हैं। गोया भरोसा खालिस दिली इबादत है।

गैर अल्लाह पर भरोसे की दो सूरते हैं:

(अ) जो काम सिर्फ अल्लाह के कन्ट्रोल में है और मखलूक में से किसी की कुदरत में नहीं, उनमें गैर अल्लाह पर भरोसा करना, मसलन गुनाहों की मगफिरत, औलाद व मआश (रोजी) का हुसूल (मिलना) वगैरह, बड़ा शिर्क और तौहीद के खिलाफ हैं और ज्यादातर इसके करने वाले कब्र परस्त और औलिया परस्त लोग होते हैं।

(ब) जिन कामों की अल्लाह तआला ने अपनी मखलूक को कुदरत दे रखी है, उनमें मखलूक पर भरोसा करना छुपा शिर्क या छोटा शिर्क है। मसलन यूं कहना कि मेरा अल्लाह पर और तुम पर भरोसा है, या मेरा अल्लाह पर और फिर तुम पर भरोसा है। नाजाईज है। इसलिए कि भरोसे का ताल्लुक मखलूक के साथ है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि पहले जिक्र किया जा चुका है, भरोसे का मतलब यह है कि अपने कामों व

मामलात को उस अल्लाह के हवाले करना जिसके कब्जे व इख़्तेयार में सारे काम हैं। जबकि मखलूक में से किसी के पास कोई कुदरत व इख़्तेयार नहीं, अलबत्ता मखलूक को सबब और जरीया जरूर बनाया जा सकता है। लिहाजा मखलूक को सबब और जरीया बनाने का मतलब यह बिलकुल नहीं कि उस पर भरोसा भी किया जाये।}

अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٣﴾ ﴾ (المائدة٥/ ٢٣)

"اور اگر تم صاحب ایمان ہو تو صرف اللہ پر توکل کرو۔"

"और अगर तुम ईमान वाले हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करो।"
(सूरह माइदह, पारा 6 आयत 23)

{इस आयते करीमा में यह हुक्म है कि अल्लाह ही पर भरोसा करो। इससे मालूम हुआ कि भरोसा एक मजबूत इबादत है।

आयत के अल्फाज "वअलल्लाहि फतवक्कलु" इस बात पर दलालत करते हैं कि भरोसा सिर्फ अल्लाह पर होना चाहिए, और आयत का आखरी जुम्ला "इन कुनतुम मुमिनीन" इस बात पर दलालत करता है कि ईमान की सेहत और पूरा करने के लिए जरूरी है कि अल्लाह ही पर भरोसा किया जाये, उसके सिवा मखलूक में से किसी पर भरोसा नहीं होना चाहिए।}

और इरशादे इलाही है:

﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٢﴾ ﴾ (الأنفال٨/ ٢)

"सही मायनों में ईमान वाले वो हैं जिनके दिल, अल्लाह के जिक्र से लरज जाते हैं, और जब उनके सामने अल्लाह की आयात की तिलावत की जाये तो उनके ईमान में बढ़ोतरी हो जाती है। और वो

अपने रब ही पर भरोसा करते हैं।''(सूरह अनफाल, पारा 9 आ 2)

{आयत के लफ्ज ''वअला रब्बिहिम यतवक्कलुन'' (इस बात पर दलालत करते हैं कि मौमिन सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करते हैं। अल्लाह ने मोमिनीन की इस सिफत (गुण) को बतौर खास बयान किया है और असल ईमान का बुलन्द तरीन मकाम व मर्तबा भी यही है।}

निज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (الأنفال٨/ ٦٤)

''اے نبی! آپ کو اور آپ کے پیروکار اہل ایمان کو بس اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔''

''ऐ नबी! आप को और आपके मानने वाले अहले ईमान को बस अल्लाह तआला ही काफी है।''(सूरह अनफाल, पारा 10 आयत 64)

{''हसबु कल्लाहु'' ऐ नबी! तुझे और तेरे मानने वाले मौमिनों को भरोसा करने के लिए अल्लाह तआला की जात ही काफी है। इसके बाद किसी और पर भरोसा करने की जरूरत नहीं। इसीलिए फरमाया: ''वमय्यतवक्कल..'' और जो कोई अल्लाह तआला पर भरोसा करे वो उसे काफी है।}

निज अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُۥٓ ﴾ (الطلاق٦٥/ ٣)

''और जो कोई अल्लाह तआला पर भरोसा करे, तो उसके लिए वही काफी है।'' (सूरह तलाक, पारा 28 आयत 3)

{अल्लाह पर भरोसे का दारोमदार, तौहीद-ए-रबूबियत को समझने और उस पर पूरा ईमान रखने पर है। इसीलिए बाज लोग मुश्रिक होने के

बावजूद अल्लाह पर भरोसा करते हैं। क्योंकि तौहीदे उलूहियत पर तो उनका ईमान नहीं होता, लेकिन तौहीदे रबूबियत को मानते हैं। याद रहे! अल्लाह की रबूबियत के आसार में गौर व तलाश करने से दिल में भरोसे के असबाब पैदा होते है। जब इन्सान अल्लाह की अजीम बादशाहत और आसमान व जमीन की मुस्तहकम व मजबूत निजाम को देखता और उसके बारे में सोच विचार रखता है तो इस नतीजे पर पहुंचता है कि इस कद्र पायदार और मजबूत निजाम को चलाने वाले मालिक और मौला के लिए मेरी छोटी सी जरूरत पूरी करने और मेरी मदद करने में कौनसी मुश्किल है। इसी सोच विचार से मौमिन का ईमान और अल्लाह पर भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है और मजबूत हो जाता है।}

इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं, जब इब्राहिम अलैहि. को आग में डाला गया तो उन्होंने कहा:

﴿حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ (آل عمران/٣ ١٧٣)

''हमें अल्लाह ही काफी है, और वो बेहतरीन काम बनाने वाला है।''(सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 173)

इसी तरह जब लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा:

﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا﴾ (آل عمران/٣ ١٧٣)

''कि काफिरों ने आपके मुकाबले के लिए फौज जमा कर ली है उनसे डरो तो उनका ईमान और ज्यादा बढ़ गया'' (सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 173) और कहने लगे:

﴿حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾﴾ (آل عمران/٣ ١٧٣)

''हमें अल्लाह ही काफी है और वो सबसे अच्छा काम बनाने वाला है।''

{(सही बुखारी, अत्तफसीर, तफसीर सूरह आले इमरान, हदीस : 4563) इस तफसीर से इस कलिमा "हस्बनल्लाहु व नेमल वकील) की अहमीयत व जरूरत व बड़ाई साफ होती है कि अल्लाह तआला के दो बुजुर्ग अन्बिया ने बहुत मुश्किल में भी यही कलाम दोहराकर अल्लाह पर अपने भरोसे का इजहार व ऐलान फरमाया।

बन्दा जब अपने रब पर भरोसा कर ले तो जमीन व आसमान की सारी मख्लूकात मिलकर भी उसका बाल बांका नहीं कर सकतीं, बल्कि अल्लाह तआला उस बन्दे की मदद करके उसको मुश्किल से बचाता और उसके लिए राहें आसान कर देता है।}

मसाईल

1. इस बहस से वाजेह होता है कि अल्लाह तआला पर भरोसा करना और यकीन रखना दीनी काम है।
2. और यह ईमान की शर्तों में से भी है।
3. इस तफसील से सूरह अनफाल की आयत 2 की तफसीर भी होती है।
4. वाजेह रहे कि सूरह अनफाल की इस आयत की तफसीर आखरी जुमला "वअला रब्बिहिम यतवक्कलुन" है।
5. सूरह तलाक की आयत 3 की तफसीर भी वाजेह होती है कि जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं, उनके लिए वही काफी है।
6. कलमा "हसबनल्लाहु व नेमल वकील" की जरूरत व बड़ाई और अजमत भी बयान होती है कि अल्लाह तआला के दो खलीलों सैयदना इब्राहिम अलैहि. और सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत मुश्किल और सख्त परेशानी के आलम में यही कलमा पढ़ा।

❖❖❖

बाब: 33

अल्लाह तआला की तदबीर (पकड़) से नीडर नहीं होना चाहिए

इरशादे इलाही है:

﴿ أَفَأَمِنُوا۟ مَكْرَ ٱللَّهِ ۚ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَـٰسِرُونَ ﴾ (الأعراف٧/ ٩٩)

"क्या यह लोग अल्लाह की पकड़ से नीडर हैं। अल्लाह की पकड़ से वही लोग नीडर होते हैं जो नुकसान उठाने वाले हों।
(सूरह आराफ, पारा 9 आयत 99)

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِۦٓ إِلَّا ٱلضَّآلُّونَ ﴾ (الحجر١٥/ ٥٦)

"और गुमराह लोग ही अल्लाह की रहमत से मायूस होते हैं।" (सूरह हिज्र, पारा 14 आयत 56)

{पहली आयत में बयान है कि मुश्रिकीन अल्लाह तआला से नहीं डरते, बल्कि वो उसकी पकड़ और अजाब से बेखौफ रहते हैं। अल्लाह तआला का डर और खौफ एक दिली इबादत है। अल्लाह तआला की पकड़ का मतलब यह है कि अल्लाह तआला बन्दे के लिए तमाम काम इस हद तक आसान कर दे कि वो उस घमण्ड में मुब्तला हो जाये कि अब वो पूरे तौर पर महफूज है। अब उसे कुछ नहीं कहा जायेगा। हालांकि यह मोहलत उसके हक में इस्तिदराज यानी छूट होती है, जैसाकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है:

"इजा रऐतल्लाहा युअतिलअब्दा मिनददुनिया वहुवा मुकिमुन अला मआसिहि फाअलमू अन्ना जालिका इस्तिदराज" (मुसनद अहमद 4/145)

"जब तुम देखो कि कोई बन्दा लगातार गुनाह किए जा रहा हो तो अल्लाह तआला उसे और ज्यादा इनामात से नवाज रहा हो तो समझो कि यह अल्लाह तआला की तरफ से इस्तिदराज यानी मोहलत और ढ़ील है।"

और अल्लाह तआला यह तदबीर उन्हीं लोगों के साथ करता है जो उसके अम्बिया और औलिया और उसके दीन के साथ छुपी चालें और धोका करते हैं और यह अल्लाह तआला की सिफते कमाल है क्योंकि वो अपनी इज्जत व कुदरत और गलबा व सल्तनत को दिखाने के लिए ऐसा करता है।

दूसरी आयत में बयान है कि अल्लाह तआला की रहमत से गुमराह लोग ही मायूस रहते हैं बल्कि जैसा अल्लाह तआला से डरने वाले और हिदायत याफ्ता लोग उसकी रहमत से मायूस नहीं होते।

इबादते इलाही के कमाल के सिलसिले में यह भी जरूरी है कि अल्लाह तआला की पकड़ का डर और उसकी रहमत की उम्मीद रखी जाये जो कि शरअन जरूरी है।

जो शख्स तन्दुरूस्त मगर गुनाहगार हो, उसके दिल में रहमत की उम्मीद के मुकाबले में पकड़ का डर वाला पहलू ज्यादा होना चाहिए। इसी तरह जो बीमार मौत के किनारे तक पहुंच चुका हो, उसके दिल में डर के मुकाबले उम्मीद का पहलू ज्यादा रहना चाहिए और मामूल की जिन्दगी गुजारने वाले और नैकी में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने वाले के दिल में उम्मीद और खौफ तकरीबन बराबर बराबर होने चाहिए।

जैसा कि अल्लाह तआला का इरशाद है:

तर्जुमाः यह लोग (दुनिया की जिन्दगी में) बढ़-चढ़ कर नैकिया करते और उम्मीद और डर के मिले जुले जज्बात के साथ हमारी इबादत करते और हम से डरते रहते थे।"} (सूरह अम्बिया, पारा 17 आयत 90)

इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि बड़े गुनाह कौन कौन से हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اَلشِّرْكُ بِاللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَّكْرِ اللهِ»(مسند البزار، ح:١٠٦ ومجمع الزوائد:١/ ١٠٤)

"अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह की रहमत से मायूस होना, और अल्लाह की पकड़ और गिरफ्त से निडर होना।" (हदीस मुसनद बज्जार)

{अल्लाह की रहमत की उम्मीद छोड़ देने का नाम मायूसी है और इसके अजाब और गिरफ्त से ना डरने का मतलब उसकी पकड़ से बेखौफ होना है। बल्कि दिल में इन दोनों (रहमत) की उम्मीद और अजाब का डर) का होना जरूरी है और दोनों के दिल से निकल जाने या उनमें कमी वाकेअ होने से तौहीद में नुक्स और कमी वाकेअ हो जाती है।}

इब्ने मसऊद रजि फरमाते हैं:

«أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالأَمْنُ مِنْ مَّكْرِ اللهِ، وَالْقُنُوطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ، وَالْيَأْسُ مِنْ رَّوْحِ اللهِ»(مصنف عبدالرزاق:١٠/ ٤٥٩ ومعجم الكبير للطبراني، ح:٨٧٨٣)

"सबसे बड़े गुनाह यह हैं: अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना, अल्लाह की पकड़ से बेखौफ होना, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद होना और अल्लाह के फजल से मायूस होना।"

{अल्लाह की रहमत से नाउम्मीदी होना, अकसर लोगों में पायी जाती है। लफ्ज रहमत, अमूमन अल्लाह के इनामात को पाने और मुसीबतों से महफूज रहने पर बोला जाता है। बल्कि "रवह" से अल्लाह की वो खसूसी मेहरबानी है जिसके जरीये मुसीबतों से छुटकारा मिलता है।}

मसाईल

1. इस बाब से सूरह आराफ की आयत 99 की तफसीर मालूम होती है। जिसमें अल्लाह तआला की पकड़ सें बेखौफ रहने वालों को नुकसान पाने वाले करार दिया गया है।
2. सूरह हिज्र की आयत 56 की तफसीर भी वाजेह होती है कि अल्लाह तआला की रहमत से मायूस होने वाले लोग गुमराह हैं।
3. इस तफसील से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की पकड़ से बेखौफ रहना और
4. अल्लाह तआला की रहमत से मायूस होना भी बड़े गुनाह है।

बाब: 34

अल्लाह तआला की तकदीर पर सब्र करना अल्लाह तआला पर ईमान लाने का हिस्सा है।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (التغابن ٦٤: ١١)

"और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाये, अल्लाह उसके दिल को हिदायत बख्शता है और वो हर चीज से बाखबर है।" (सूरह तगाबुन, पारा 28 आयत 11)

{यानी जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाकर उसकी अपनी ताकत के मुताबिक इज्जत करे, उसके हुक्मों को माने और उसकी नाफरमानी से बच कर रहे तो अल्लाह उसके दिल को इबादात, सब्र और उसकी तकदीर पर राजी रहने पर तैयार करता है।}

{यानी अल्लाह तआला की तकदीर पर सब्र करना बहुत जबरदस्त इबादत है। क्योंकि अल्लाह तआला के हुक्मों पर अमल करना और उसकी नाफरमानियों से रूकना सब्र ही से मुमकिन है। सब्र की तीन किस्में हैं: जुबान से अल्लाह तआला की शिकायत ना करना, दिली तौर पर नाराजगी महसूस ना करना और बदन के हिस्सों के जरीये बेसब्री का इजहार ना करना... यह सब सब्र ही है।}

इस आयते मुबारका की तफसीर में अलकमा रह. फरमाते हैं: इससे मुराद वो शख्स है जिसे कोई तकलीफ पहुंचे तो वो उसे अल्लाह तआला का फैसला समझकर उस पर राजी हो और दिल से उसे कबूल करें।"

{(तफ्सीर इब्ने जरीर अत्तबरी, रकम 26496) अलकमा रहमतुल्लाहि का कौल निहायत दुरूत और सवाब पर मब्नी है। याद रहे! मुसीबतें अल्लाह की तकदीर से आती हैं और तकदीर का दारोमदार अल्लाह तआला की हिकमत पर होता है। और अल्लाह तआला की हिकमत यह चाहती है कि हर काम को उसके अंजाम के मुनासिब और मुवाफिक मुकाम पर रखा जाये, जिससे यह बात वाजेह तौर पर मालूम होती है कि जब भी बन्दे को मुसीबत पहुंचे तो अल्लाह की तरफ से बन्दे के लिए उसी में भलाई होती है। अब अगर उस पर सब्र करेगा तो अल्लाह के नजदीक सवाब पायेगा और अगर नाराजगी का इजहार और शिकायत करेगा तो गुनाहगार ठहरेगा।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اِثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: اَلطَّعْنُ فِي النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة، ح:٦٧، ومسند أحمد: ٢/ ٣٧٧، ٤٤١، ٤٩٦)

''लोगों में दो काम ऐसे हैं जो कुफ्र हैं, एक तो किसी के नसब (खानदान) पर ताना करना और दूसरे मय्यत पर नोहा (जोर से रोना, पीटना, चीखना) करना।''

{दो काम ऐसे हैं जो ज्यादातर लोगों में मौजूद हैं और मौजूद रहेंगे। खानदान पर ताना करना और नोहा करना। जोर से रोना, पीटना, चीखना और चिल्लाना नोहा है, जो कि सब्र के खिलाफ है। किसी परेशानी के मौके पर सब्र करने का मायना यह है कि इन्सान अपने बदन के हिस्सों पर कन्ट्रोल रखे, जोर जोर से ना रोये, चेहरे पर या जिस्म के किसी हिस्से पर थप्पड़ ना मारे, दामन ना फाड़े, और जुबान से अल्लाह तआला का शिकवा ना करे।

इन कामों के कुफ्र होने का यह मतलब नहीं कि जो शख्स यह

काम करे, वो काफिर हो जाता है। या वो दीने इस्लाम से पूरे तौर पर निकल जाता है। बल्कि इसका सही मतलब यह है कि जो शख्स यह काम करे या जिसमें यह आदत पायी जाये, उसमें यह आदत कुफ्फार की है। गोया यह कुफ्फार का काम है, मुसलमानों का नहीं।}

इब्ने मसऊद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ»(صحيح البخاري، الجنائز، باب ليس منا من ضرب الخدود، ح:١٢٩٧ وصحيح مسلم، الإيمان، باب تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، ح:١٠٣ ومسند أحمد:١/٣٨٦، ٤٣٢، ٤٤٢)

''जो शख्स सदमें के वक्त चेहरे पर थप्पड़ मारे, गिरेबां फाड़े और जिहालत के बोल बोले, वो हम में से नहीं।''(सही बुखारी 1294)

{गोया सदमे के वक्त बेसब्री और अल्लाह तआला के फैसलों पर रजामन्द ना होना, बड़ा गुनाह है। नेकी से ईमान में बढ़ोतरी होती है। जबकि गुनाहों से ईमान में कमी आ जाती है। और ईमान में कमजोरी, तौहीद में कमजोरी होती है। इसलिए यह बेसब्री ईमान और तौहीद दोनों के खिलाफ है।}

अनस रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِذَا أَرَادَ اللهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا، وَإِذَا أَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتَّى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»(جامع الترمذي، الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

"जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे के साथ भलाई करना चाहे तो उसे उसके गुनाहों की सजा दुनिया ही मैं जल्द दे देता है और जब अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे के साथ सख्ती करने का इरादा करे तो उससे उसके गुनाह की सजा को रोक लेता है। यहां तक कि कयामत के दिन उसे पूरी पूरी सजा देगा।"

{इस हदीस में अल्लाह तआला की एक बहुत बड़ी हिकमत बयान की गयी है और यही हिकमत जब बन्दे के दिलो दिमाग में बैठ जाती है तो वो सब्र को एक बड़ी दिली इबादत जानते हुए अपने आपको उससे संवार लेता है और अल्लाह की तकदीर पर नाराजगी का इजहार और शिकवा नहीं करता। इसी लिए बाज पहले के नेक लोगों का तरीका था कि वो बीमार ना होते या उन पर कोई आजमाईश ना आती। तो वो समझते कि शायद अल्लाह तआला उनसे नाराज है, इसलिए उसने मुझे भुला दिया है।}

निज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और फरमाया:

«إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللهَ تَعَالٰى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ» (جامع الترمذي، الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح:٢٣٩٦)

"बड़ी आजमाईश का बदला भी बड़ा होता है, और अल्लाह तआला को जिन लोगों से मुहब्बत होती है, वो उन्हें आजमाता है। जो शख्स इस आजमाईश पर राजी हो, अल्लाह तआला उससे राजी हो जाता है। और जो शख्स इस आजमाईश पर नाखुश हो, अल्लाह तआला भी उससे नाखुश और उस पर नाराज हो जाता है।"

मसाईल

1. इस बाब से सूरह तगाबुन की आयत 11 की तफसीर वाजेह

होती है। जिसमें बयान है कि अल्लाह तआला मौमिन के दिल को हिदायत बख्शता है।

2. निज यह मालूम हुआ है कि अल्लाह तआला के फैसलों यानी तकदीर पर सब्र करना भी अल्लाह पर ईमान लाने का हिस्सा है।
3. किसी के जात या खानदान पर ताना करना बुरा और कुफ्रिया काम है।
4. गम के वक्त चेहरे पर थप्पड़ मारने, गिरेबां फाड़ने और जिहालत के बोल बोलने की बुराई और ऐसा करने वालों के बारे में सख्त फटकार बयान हुई है।
5. अल्लाह तआला अपने बन्दे के साथ किस अन्दाज पर और किस तरह भलाई करता है।
6. और अल्लाह तआला अपने किसी बन्दे पर सख्ती का इरादा करे तो उसके साथ क्या सलूक होता है।
7. अल्लाह तआला को किसी बन्दे से मुहब्बत हो तो उसकी निशानी क्या है।
8. अल्लाह तआला के फैसलों पर नाखुश होना हराम है।
9. और अल्लाह तआला की तरफ से आने वाली आजमाईशों पर राजी होने का बहुत ज्यादा सवाब है।

बाब : 35

रियाकारी (दिखावा) एक मजमूम (बुरा) काम है

{रियाकारी यानी दिखलावा एक बहुत बुरा काम है। यह गुनाह और अल्लाह तआला के साथ शिर्क है। लफ्ज रिया "रूयह" से बना है। जिसका मायना आंखों से देखने का है। इसकी सूरत यूं होती है कि इन्सान नेकी का कोई काम करते वक्त यह इरादा करे कि लोग मुझे यह काम करते हुए देख लें और मेरी तारीफ करें। दिखावा दो तरह का हैं।

एक दिखावा मुनाफिकीन (दोगलों) का है वो लोगों को दिखाने के लिए जाहिरी तौर पर इस्लाम का दावा करते हैं और नाम लेते हैं। मगर उनके दिलों में कुफ्र छुपा होता है। यह रिया और काम, तौहीद के खिलाफ और अल्लाह तआला के साथ कुफ्र है।

दिखावे की दूसरी सूरत यह है कि कोई मुसलमान नेकी का कोई काम करते हुए दिखलावे की नियत करे कि लोग उसे यह काम करते देखें और उसकी तारीफ करें। यह छुपा शिर्क है और तौहिद के आला दर्जा के खिलाफ है।}

अल्लाह तआला का फरमान है:

﴿ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾ ﴾ (الكهف١٨/ ١١٠)

"(ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम!) लोगों से कह दीजए कि मैं तो तुम जैसा एक इन्सान हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वह्य की जाती है कि तुम्हारा एक ही माबूद है। पस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो, उसे चाहिए कि वो अच्छे काम करे और अपने रब की बन्दगी में किसी को शरीक ना ठहराये।"(सू.कहफ, पा. 16 आ 110)

{इस आयत में हर किस्म के शिर्क की मनाही है। दिखावा भी शिर्क की किस्म में से एक किस्म है। इसलिए उलमा ने इस आयत से दिखावे के मसाईल पर दलील ली है।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तआला फरमाता है:

«أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ مَعِيَ فِيهِ غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» (صحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الرياء، ح: ٢٩٨٥)

''मैं तमाम शुरका (शरीकों, पार्टनरों) से बढ़कर शरीक से मुस्तगनी (अलग) हूं। जो शख्स अपने काम में मेरे साथ गैर को शरीक करे तो मैं उसे उसके शिर्क के साथ छोड़ देता हूँ।'' (हदीस सही मुस्लिम 2985)

{यह हदीस दलील है कि दिखावे वाला काम अल्लाह तआला के यहां कबूल नहीं बल्कि वो काम करने वाले की तरफ लौटा दिया जाता है। जब किसी इबादत में शुरू में दिखावा शामिल हो (यानी वो इबादत महज दिखावा और दिखावे के लिए की जाये तो वो सारी इबादत खराब हो जाती है। ओर वो काम करने वाला दिखावे की वजह से गुनाहगार और छुपे शिर्क का करने वाला हो जाता है। अलबत्ता अगर असल अमल (इबादत) महज अल्लाह तआला के लिए ही हो, मगर काम करने वाला इसमें किसी कद्र दिखावे को शामिल कर दे मसलन अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हुए लोगों के दिखावे के लिए नमाज का रकूअ लम्बा कर दे और तसबीहात की तादाद ज्यादा कर दे तो ऐसा करने से वो आदमी गुनाहगार होगा और उसकी इतनी इबादत जाया हो जायेगी जितनी उसने दिखावे के लिए की। जबकि माली इबादत में दिखावा शामिल होने से सारी की सारी इबादत बेकार जाती है।

''अशरका मइया फिही गयरी...'' जो शख्स अपने काम में मेरे साथ गैर

को भी शामिल करे...'' इस इबादत का मतलब यह है कि अगर कोई बन्दा अपने किसी नेक काम में अल्लाह की खुशी के साथ साथ गैर अल्लाह की खुशनुदी का चाहने वाला भी हो तो अल्लाह तआला ऐसे शिर्क से अलग है। वो सिर्फ वही अमल कबूल करता है जो सिर्फ उसी की रजामन्दी हासिल करने के लिए किया जाये।}

अबू सईद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ؟ قَالُوا: بَلٰى يَارَسُولَ اللهِ! قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلٰوتَهُ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ» (مسند أحمد: ٣/ ٣٠ وسنن ابن ماجة، الزهد، باب الرياء والسمعة، ح: ٤٢٠٤)

''क्या मैं तुम्हें वो बात ना बताऊं जिसका डर मुझे तुम पर मसीह दज्जाल से भी ज्यादा है? सहाबा किराम रजि. ने अर्ज किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यों नहीं? (जरूर बतलाइये)। आपने फरमाया: वो है ''छुपा शिर्क'' कि कोई शख्स नमाज के लिए खड़ा हो और वो अपनी नमाज को सिर्फ इसलिए संवारकर पढ़े कि कोई शख्स उसे देख रहा है।'' (हदीस मुसनद अहमद 30/3)

{मसीह दज्जाल का मामला तो साफ है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुलकर बयान फरमा दिया है (और उससे बचना आसान है) लेकिन दिखावा आम तौर पर दिल में इस तरह पैदा होता है कि यह इन्सान को आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह तआला की बजाये लोगों की तरफ मुतवज्जह कर देता है। (और इससे बचना इन्तेहाई मुश्किल है) इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फितना -ए-दज्जाल से ज्यादा खौफनाक और छुपा शिर्क करार दिया है।}

मसाईलः

1. इस बाब से सूरह कहफ की आयत 110 की तफसीर मालूम होती है कि जिसे अल्लाह तआला से मुलाकात की उम्मीद है, वो नेक आमाल के साथ साथ शिर्क (खफी यानी दिखावे) से बच कर रहे।
2. नेक कामों में अगर गैर अल्लाह का मामूली सा भी दखल हो जाये तो वो सारा अमल मरदूद और बर्बाद हो जाता है।
3. और इसका बुनियादी सबब यह है कि अल्लाह तआला उस से पूरे तौर पर अलग है।
4. दिखावे वाले काम के जाया का एक सबब यह है कि अल्लाह तआला अपने शिर्क किये जाने वाले तमाम शुरका (पार्टनरों) से आला और अफजल है।
5. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा किराम रजि. के बारे में भी दिखावे का डर लगा रहता था।
6. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखावे की तफसीर करते हुए यूं फरमायाः कोई आदमी नमाज जैसा अमल करते हुए सिर्फ इसलिए उसे अच्छी तरह पर अदा करे कि कोई उसे देख रहा है।

बाब : 36

किसी नेक काम से दुनिया को मांगना भी शिर्क है

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَٰلَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ۝١٥ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُ ۖ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا۟ فِيهَا وَبَٰطِلٌ مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ ۝١٦ ﴾ (هود١١/ ١٥-١٦)

''जो लोग दुनिया की जिन्दगी और उसकी खुबसूरती के चाहने वाले हैं, उनके कामों का सारा बदला हम उन्हें दुनिया ही में दे देते हैं, और उसमें उनके साथ कोई कमी नहीं की जाती। उनके लिए आखिरत में आग के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने इस दुनिया में जो कुछ किया, वो सब जाया है और जो कुछ करते रहे, वो सब बर्बाद है।'' (सूरह हूद, पारा 12 आयत 15-16)

{दुनिया के अज्रो सवाब को पाने के लिए कोई नेक काम करना छोटा शिर्क है और अपने आमाल, इरादा और हरकतों से महज दुनिया के चाहने वाले कुफ्फार ही होते हैं। यह आयत अगरचे उन्हीं के बारे में उतरी है। लेकिन इसके अल्फाज के तहत हर वो शख्स आता है जो अपने अच्छे कामों के जरीये दुनिया का तालिब और चाहने वाला हो।

नेक काम करते वक्त इन्सान के दिमाग में अगर दुनियावी अज्रो सवाब हो तो इसकी दो किस्में हैं:

(अ) इन्सान किसी नेक काम को सिर्फ दुनियावी सवाब को पाने के लिए करे और आखिरत के अज्र का चाहने वाला ना हो। जबकि वो काम है

ही ऐसा कि शरीअत ने इसका आखिरत का अज्र तो बता दिया है लेकिन दुनियावी सवाब का कोई शोक नहीं दिलाया। मसलन नमाज, रोजा और इताअत व फरमा बरदारी के और कई काम, इन कामों को करते वक्त दुनियावी अज्र का तलबगार होना जाइज नहीं, बल्कि अगर कोई होगा तो वो मुश्रिक ठहरेगा।}

(ब) कुछ नेक काम ऐसे हैं जिनका दुनियावी अजों सवाब शरीअत ने बताया है। बल्कि आखिरत के अज्रो सवाब के साथ साथ इस दुनियावी अज्र (सवाब) का शौक भी दिलाया है। मसलन रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक, मां-बाप के साथ अच्छा सलूक और अच्छी जिन्दगी गुजारने के काम वगैरह। इन कामों को करते वक्त अगर इन्सान, महज दुनियावी अज्रो सवाब को अपने दिमाग में रखे तो सजा के लायक होगा और उसका अमल शिर्क के जुमरे में आयेगा लेकिन अगर दुनियावी और आखिरत के दोनों सवाब उसके दिमाग में हो तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि शरीअत ने इन कामों पर दुनियावी सवाब का जिक्र, सिर्फ शौक दिलाने के लिए किया है। इस प्यारी आयत के तहत जहां और बहुत से लोग आते हैं, वहां वो लोग भी इसमें शामिल हैं जो सरासर दुनियावी मालो दौलत की खातिर नेक काम करते हैं।

मसलन दीनी पढ़ाई पढ़ाने वाला मुदर्रिस (आलिम) अगर महज तनख्वाह लेने के लिए पढ़ाता है और उसका इरादा बे-दीनी को दूर करने, जन्नत को हासिल करने और जहन्नम से बचने का नहीं तो वो इसी फटकार में आ गया। इसी तरह वो लोग जो रिया और दिखावे के लिए नेक आमाल करते हैं, वो भी इसमें शामिल हैं और वो लोग भी जो नेक आमाल तो करते हैं लेकिन उनके साथ साथ इस्लाम और तौहीद के खिलाफ कामों के करने वाले भी हैं, ऐसे लोग अगरचे अपने आपको मौमिन कहलायें लेकिन दरहकीकत झूटे हैं। अगर यह सच्चे होते तो अपने आमाल, महज अल्लाह के लिए करके उसकी तौहीद को मानने का सबूत देते और दुनिया के अज्रो सवाब के चाहने वाले होकर शिर्क के करने वाले ना होते।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«تَعِسَ عَبْدُالدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُالدِّرْهَمِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيلَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ، طُوبٰى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ

فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، اِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ»(صحيح البخاري، الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله، ح:٢٨٨٧)

"दिरहम व दिनार (रूपये-पैसे) का पुजारी बर्बाद हुआ। चादर और कम्बल का पुजारी बर्बाद हुआ। अगर यह चीजें उसे मिल जायें तो खुश और अगर ना मिले तो नाखुश। यह बर्बाद और तबाह हुआ। अगर उसे कांटा चुभे तो कोई ना निकाले, और उस शख्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो अल्लाह तआला की राह में घोड़े की लगाम थामे हुए हो, उसका सर (यानी बाल) बिखरे हुए और पाव धूल मिट्टी में भरे हुए हों, अगर उसे (इस्लामी फौज के) पहरे पर बैठाया जाये तो पहरा दे, अगर उसे (इस्लामी लश्कर के) पीछे हिस्से पर मुकर्रर किया जाये तो वहां ड्यूटी दे, अगर वो इजाजत मांगे तो उसे इजाजत ना मिले, और अगर वो किसी के हक में सिफारिश करे तो उसकी सिफारिश कबूल ना हो।"

{इस हदीस से दिरहम व दीनार की बुराई होती है। जिसने दिरहम व दीनार के लिए काम किया, वो गोया दिरहम व दीनार की इबादत करके शिर्क का करने वाला हो रहा है।

क्योंकि इबादत के दरजात अलग-अलग हैं। उनमें से एक दर्जा

छोटे शिर्क की इबादत का भी है। जब यह कहा जाता है कि फलां शख्स इस चीज का पुजारी है तो इसका मतलब यह होता है कि यह चीज ही उसके उस अमल की सरगरमी और सबब है। और यह बात भी यकीनी है कि पुजारी अपने आका का इताअत करने वाला व फरमा बरदार होता है, उसका आका उसका रूख जिधर भी कर दे वो उधर ही हो लेता है।}

मसाईल

1. इस तफसील से साफ हुआ कि इन्सान का, आखिरत में काम आने वाले नेक आमाल के बदले, दुनिया का ख्वाहिशमन्द होना गलत है।
2. सूरह हूद की आयात 15, 16 की तफसीर भी मालूम हुई जिनमें दुनिया चाहने वालों की बुराई बयान हुई है।
3. मुसलमान आदमी को दिरहम व दीनार का पुजारी कहा जा सकता है।
4. अगर उसकी आरजू पूरी हो तो खुश, वरना नाखुश होता है।
5. इस हदीस में अल्फाज 'तईसा'' और ''वअनतकसा'' काबिले गौर हैं।
6. और हदीस के अल्फाज ''वइजा शियका फलनतकसा'' भी ध्यान देने लायक है।
7. इस हदीस में मजकूरा सिफात के हामिल, मुजाहिद की बड़ाई भी साबित होती है।

बाब: 37

अल्लाह तआला की हलाल की हुई चीज को हराम या हराम की हुई चीज को हलाल समझने में उलमा (मौलवी) व मालदारों की फरमांबरदारी उनको रब का दर्जा देना है।

{शेख मुहम्मद रह: इस बाब में और इसके बाद के अबवाब में तौहीद के तकाजे और कलमा-ए-शहादत की जरूरी चीजें बयान कर रहे हैं।

याद रहे! औलमा-ए-दीन किताबो सुन्नत के दलाईल को समझने का जरीया और वास्ता हैं, उनकी इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के ताबेअ समझ कर की जायेगी। पूरे तौर पर इताअत सिर्फ अल्लाह तआला की है। इसलिए कि इताअत भी इबादत ही की एक किस्म है।

अलबत्ता वो कोशिश वाले मामलात जिनके बारे में किताबो सुन्नत की कोई वाजेह दलील नहीं आयी, उनमें वो काबिले इताअत हैं, क्योंकि उसकी इजाजत खुद अल्लाह तआला ने दी है और हिकमतों का तकाजा भी यही है। शरीअत ने इन हिकमतों का लिहाज रखा है।}

हजरत इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं:

«يُوْشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِّنَ السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُوبَكْرٍ وَّعُمَرُ» (مسند أحمد: ١/ ٣٣٧)

"(तुम्हारा यही हाल रहा तो) करीब है कि तुम पर आसमान से पत्थर बरसे, मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का

फरमान सुनाता हूँ और तुम (उसके मुकाबले में) अबू बकर रजि. और उमर रजि. की बात करते हो।''

{इमाम अहमद रह. ने सही सनद के साथ इब्ने अब्बास रजि. का यह कौल और इनका नजरिया बयान किया है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरीह और वाजेह फरमान के सामने किसी दूसरे का कौल और राय पेश करने के कायल न थे, चाहे वो कोल और राय अबू बकर व उमर रजि. जैसे जलीलुल कद्र शख्सीयात ही क्यों ना हो तो फिर उनसे कम मर्तबा किसी शख्सीयत की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के सामने कैसे पेश की जा सकती है?}

इमाम अहमद बिन हम्बल रह. ने फरमाया: ''मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है जो हदीस की सनद और उसके सही होने का इल्म हो जाने के बाद भी सुफियान सोरी रह. की राय पर अमल करते हैं, जबकि अल्लाह तआला ने फरमाया है:

﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٣﴾ ﴾ (النور ٢٤/٦٣)

''रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत करने वालों को डरना चाहिए, कि उन पर कोई फितना या सख्त अजाब ना आ पड़े।'' (सूरह नूर, पारा 18 आयत 63)

जानते हो फितना क्या है? इससे मुराद ''शिर्क'' है। हो सकता है कि जो इन्सान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी बात को छोड़ दे तो उसके दिल में टेढ़ापन आ जाये और वो हलाक हो जाये। हजरत अदी बिन हातिम रजि. ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह आयत तिलावत करते हुए सुना:

﴿ ٱتَّخَذُوٓا۟ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَٰنَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ

ابْنَ مَرْيَمَ وَمَآ أُمِرُوٓا۟ إِلَّا لِيَعْبُدُوٓا۟ إِلَٰهًا وَٰحِدًا ۖ لَّآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَٰنَهُۥ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٣١﴾ (التوبة ٢٤/٣١)

"उन्होंने (यानी ईसाईयों) ने अपने औलमा, बुजुर्गो और मसीह इब्ने मरयम को अल्लाह के सिवा रब बना लिया, हालांकि उन्हें यह हुक्म दिया गया था कि एक अल्लाह तआला के सिवा किसी की इबादत ना करें। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो उन शरीकों (हिस्सेदारों) से पाक है जिनको वो उसके शरीक ठहराते हैं।"(सूरह तौबा, पारा 10 आयत 31)

(हजरत अदी बिन हातिम रजि. जो कि पहले ईसाई थे, कहते हैं) मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा: हम उन उलमा और बुजुर्गो की इबादत तो नहीं करते थे" आपने फरमाया "क्या ऐसा नहीं था कि तुम अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को उनके कहने पर हराम और अल्लाह की हराम की हुई चीजों को उनके कहने पर हलाल समझते थे?" मैंने कहा: "वाकई ऐसा ही है।" आपने फरमाया: "यही उनकी इबादत है।"

{जामेअ तिरमजी, तफसीरूल कुरआन, बाबो मिन सूरह तौबा, हदीस 3095) मौलवी व मालदारों को इज्जत में हद से बढ़ाते हुए उनके कहने पर और उनकी इताअत करते हुए दीन को बदल डालना, जिस चीज को वो हलाल कहे, उसे हलाल समझना और जिस चीज को वो हराम कहे, उसे हराम जानना इस बात का इल्म भी हो कि यह चीज हलाल है या हराम, यह सरासर उन्हें रब और माबूद बना लेना है। माबूद बना लेने की तरह है और यह बहुत बड़ा कुफ्र और बड़ा शिर्क है। क्योंकि इस सूरत में इताअत (जो कि इबादत की एक किस्म है) का हकदार, अल्लाह को छोड़कर गैर अल्लाह को ठहराया गया है।

शेख मुहम्मद रह. इस मुकाम पर, सुफियों और सूफीपन के गलत तरीकों और सूफियों की इज्जत में हद से बढ़ने वालों के बारे में आगाह

करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने उलमा और औलिया, जिनको वो अपने झूटे गुमान में औलिया समझते थे, हालांकि वो हकीकत में औलिया नहीं थे, कि दीन को बदलने में उनकी बात मानी। और अल्लाह तआला ने उनकी इस इताअत के बारे में फरमाया कि उन्होंने उनको रब और माबूद बना लिया था}

मसाईल

1. इस बाब से सूरह नूर की आयत 63 की तफसीर वाजेह होती है। जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और नाफरमानी के हुक्म के अंजाम से डराया गया है।
2. निज सूरह तौबा की आयत 31 की तफसीर भी मालूम हुई जिसमें बयान है कि यहूदियों ने किस तरह अपने उलमा और बुजुर्गो को अपना रब बना लिया था।
3. इस बहस से इबादत का मायना और मतलब भी वाहेज हुआ कि इबादत का सिर्फ वो मतलब नहीं जो अदी रजि. ने समझा था, और उन्होंने कहा था कि हम तो अपने उलमा और बुजुर्गो की इबादत नहीं करते थे। आपने साफ किया कि अल्लाह तआला की हलाल की हुई चीज को मौलवी के कहने पर हराम समझना और अल्लाह तआला की हराम की हुई चीज को मौलवी के कहने पर हलाल समझना भी मौलवी की इबादत और उनको अपने माबूद बना लेने की तरह है।
4. इस बाब से यह भी मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी भी हस्ती को पैश नहीं किया जा सकता, चाहे उसका मुकाम कितना ही बुलन्द और ऊंचा क्यों ना हो। जैसाकि इबने अब्बास रजि. ने हजरत अबू बकर रजि. और हजरत उमर रजि. के नाम, आपके सामने पैश करने पर और इमाम अहमद रह. ने सुफियान सोरी रह. का नाम पैश करने पर नापसन्दगी का इजहार किया।

5. इस बहस में यह आगाह करना भी है कि अब हालात इस हद तक बदल गये हैं कि अक्सर लोगों के नजदीक बुजुर्गों की इबादत, एक अफजल तरीन अमल की हैसियत इख्तेयार कर चुकी है। अब उसे विलायत (वली बनना) कहा जाता है। इसी तरह इल्म व फिका के नाम पर आलिमों की इबादत होती है। और फिर इसके बाद हालात इस कद्र बदल चुके हैं कि अल्लाह के मुकाबले में ऐसे लोगों की भी इबादत हो रही है जो बिलकुल ही नेक ना थे। दूसरे अल्फाज में यूं कहा जा सकता है कि उनकी भी इबादत हो रही है जो इल्म वाले नहीं, बल्कि बिलकुल ही जाहिल (बेवकूफ) हैं।

बाब: 38

कुछ ईमान का दावा करने वालों की हक़ीक़त

इरशादे इलाही है:

﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ ءَامَنُوا۟ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوٓا۟ إِلَى ٱلطَّٰغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوٓا۟ أَن يَكْفُرُوا۟ بِهِۦ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَٰنُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَٰلًۢا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ إِلَىٰ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَٰفِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ

صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَٰبَتْهُم مُّصِيبَةٌۢ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَآءُوكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدْنَآ إِلَّآ إِحْسَٰنًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾﴾

''क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा जो दावा तो यह करते हैं कि जो (किताब) आप पर उतरी और जो (किताबें) आपसे पहले उतरी, उन सब पर ईमान रखते हैं (मगर) चाहते हैं कि अपना मुकद्दमा तागूत (हर वो चीज़ जिसकी इबादत अल्लाह तआला के अलावा की जाये) के पास ले जाकर फैसला करायें, हालांकि उन्हें तागूत और उसके फैसले के साथ कुफ्र करने का हुक्म दिया गया है और शैतान उन्हें भटका कर सीधे रास्ते से बहुत दूर ले जाना चाहता है। और जब उनसे कहा जाता है कि आओ उस चीज की तरफ जो अल्लाह ने उतारी है और आओ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ; तो आप देखेंगे कि मुनाफिक आपसे मुंह फैर के रूके जाते हैं। और फिर (उनका) क्या हाल होता है, जब उनके अपने आमाल की वजह से उन पर कोई मुसीबत आ पड़ी तो आपकी खिदमत में

आकर कसमें उठाते हैं कि हमने तो सिर्फ अच्छाई और सुलह कराने का इरादा किया था।'' (सूरह निसा, पारा 5 आयत 60-62)

{अल्लाह तआला की तौहीदे रबूबीयत और तौहीदे अलूहियत का तकाजा है कि हुक्म और फैसले में भी उसे अकेला और वाहिद ला शरी-क लहु समझा जाये। इताअत का हकदार सिर्फ अल्लाह तआला को जानने और अल्लाह तआला की तोहीद और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की गवाही को सच साबित करने के लिए जरूरी है कि बन्दे अल्लाह के उतारे हुए हुक्मों के मुताबिक आपसी फैसलें करें और जाहिलियत के कानून और जाब्ते के मुताबिक फैसले करना छोड़ दें, क्योंकि यह बहुत बड़ा कुफ्र और तौहीद के खिलाफ है।

शैख मुहम्मद बिन इब्राहिम रह. अपने रिसाल ''तहकीमुल कवानिन'' में लिखते हैं:

''यह बहुत बड़ा और खुला कुफ्र है कि एक लानत के काबिल कानून को उस कानून की जगह ला खड़ा किया जाये जिसे रूहुल अमिन (जिब्राईल अलैहि.) सैयदुल मुरसलीन (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की तरफ इसलिए लेकर आये ताकि आप तमाम सारे जहां के बीच रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक फैसला करने वाले हों।}

{उन लोगों का अपने मुकद्दमें को तागूत (गैर अल्लाह) के पास ले जाकर उससे फैसला करवाने की ख्वाहिश रखने के साथ साथ यह दावा करना कि वो कुरआन और उससे पहली तमाम आसमानी किताबों पर ईमान रखते हैं, झूट और हकीकत के खिलाफ है, क्योंकि ईमान, और तागूत से फैसला करवाने की ख्वाहिश रखना दोनों ऐसे आपस की अलग अलग चीजें हैं कि इन दोनों का एक साथ जमा होना नामुमकिन है।

''युरिदुना अय्य-तहा-कुम''!.... ''वो चाहते हैं कि अपना मुकदमा तागूत के पास ले जाकर उससे फैसला करवायें।'' इस जुमले में लफ्ज ''युरिदुन'' ... ''वो चाहते हैं'' एक अहम कानून की तरफ इशारा है वो

यह कि तागूत से फैसला करवाने वाले शख्स से ईमान की मनाही उस वक्त होगी जब वो अपने इरादे, खुशी और इख्तेयार के साथ उससे फैसला करवाये और उसे नापसन्द ना समझे। गोया उस फैसले में इरादा, इख्तेयार और खुशी एक शर्त की हैसियत रखते हैं। अगर यह चीजें होंगी तो वो शख्स ईमानदार कहलाने का हकदार बिलकुल नहीं होगा और अगर उसे तागूत से फैसला करवाने और मानने पर मजबूर किया जा रहा है, वो उसे नापसन्द जानता है तो ऐसा मजबूर व लाचार शख्स ईमान से नहीं निकलेगा।

'व-कद उ-मि-रू...'' उन्हें तागूत और उसके फैसले के साथ कुफ्र करने का हुक्म दिया गया है।'' तागूत (गैर अल्लाह) से फैसला करवाने का इनकार करना और उसके साथ कुफ्र करना सिर्फ जरूरी ही नहीं बल्कि यह तौहीद का लाजमी हिस्सा और अल्लाह तआला को रब मानकर उसकी इज्जत करने का तकाजा भी है।

''व-युनिदुश्शयतान''....'' शैतान चाहता है कि उन्हें भटकाकर राहे रास्त से बहुत दूर ले जाये।''

आयत के इस आखरी जुमले से मालूम हुआ कि गैर अल्लाह से फैसला करवाने की ख्वाहिश रखना और उसे मानना सरासर शैतानी बातें और इब्लीसी बहकावा है।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوٓا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿١١﴾ ﴾

(البقرة٢/ ١١)

''और जब उनसे कहा जाता है कि जमीन में झगड़ा बरपा ना करो तो कहते हैं हम तो सिर्फ सुधार करने वाले हैं। (सूरह बकर, पारा 1 आयत 11)

{यानी उनसे कहा जाता है कि गैर अल्लाह के कानून के मुताबिक फैसला करके और अल्लाह के साथ गैरों को शरीक ठहराकर जमीन में

फसाद ना फैलावो, क्योंकि अल्लाह का कानून और तौहीद के साथ जमीन में अमनो अमान (शांति) होता है और शिर्क की तमाम तर अनवाह व किस्मों के साथ जमीन में फसाद फैलता है। इस आयते मुबारक से मालूम हुआ कि जमीन में शिर्क फ़ैलाने और उसके असबाब व वसाईल को इख्तेयार करने की सई व कोशिश करना मुनाफिकों (दोगलों) की खासियत और आदत है और इससे बदतर यह कि वो यह फसाद करने के बावजूद अपने आपको अमन पसन्द और इस्लाह पसन्द कहते हैं}

और मजीद फरमाया

﴿وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا﴾ (الأعراف/٧ ٥٦)

"और जमीन में उसकी इस्लाह कर दिये जाने के बाद फसाद ना करो।"(सूरह आराफ, पारा 8 आयत 56)

निज अल्लाह तआला ने फरमाया:

﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ۝٥٠﴾

(المائدة: ٥/ ٥٠)

"(यह लोग अगर अल्लाह के कानून को नहीं मानते) तो क्या फिर यह जाहिलीयत का फैसला चाहते हैं? और जो लोग अल्लाह पर यकीन रखते हैं, उनके नजदीक अल्लाह से बेहतर फैसला करने वाला और कौन हो सकता है?"(सूरह माइदह, पारा 6 आयत 50)

{दौरे जाहिलीयत का तरीका यह होता था कि जो जिस को चाहता, उसे अपना जज और मुनसीफ (हाकिम) मान लेता और वो जज अपने ही बनाये हुए कानूनों के मुताबिक फैसला करता। गौया जाहिलीयत के कानूनों के मुताबिक फैसले करना और कराना एक बशर और इन्सान को हुक्म और जज बनाना है और उसे हक्म व जज बनाने का मतलब यह है कि अल्लाह को छोड़कर उसे मुताअ, हुक्म मानने के काबिल और

अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराया गया है जो कि शिर्क और गलत है।}

अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهِ»(قال النووي في الأربعين، ح: ٤١ حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح)

''तुम में से कोई उस वक्त तक (पूरा) ईमानदार नहीं हो सकता जब तक कि उसकी तमामतर ख्वाहिशात उस शरीअत के तहत ना हो जाये जिसे मैं लाया हूँ।''

शअबी रह. कहते हैं कि एक मुनाफिक और यहूद के बीच झगड़ा हो गया। यहूदी जानता था कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिश्वत नहीं लेते। उसने कहा, हम यह मामला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करते हैं। और मुनाफिक ने कहा: हम यह मामला यहूद के पास ले चलते हैं। वो जानता था कि यहूदी रिश्वत लेते हैं। आखिकार दोनों इस बात पर राजी हो गये कि बनू जुहैना के एक काहिन (ज्योतिषी) से फैसला करा लिया जाये। तो इस मौके पर सूरह निसाअ की आयत 60 नाजिल हुई। (आयत और तर्जुमा, बाब के शुरू में गुजर चुका है)

कुछ अहले इल्म ने बयान किया है कि यह आयत उन दो आदमियों के बारे में नाजिल हुई जिनका क़िसी मामले में आपस में झगड़ा हो गया था तो उनमें से एक ने कहा कि हम यह मामला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश करते हैं। दूसरे ने कहा, नहीं यह मामला कअब बिन अशरफ यहूदी के पास ले चलते हैं। चूनांचे वो सैयदना उमर रजि. के पास चले आये तो उनमें से एक ने सारा वाक्या उनको सुना दिया। सैयदना उमर रजि. ने उस शख्स से पूछा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला

नहीं कराना चाहता था, क्या यह ठीक कह रहा है? उसने कहा: जी हां! चूनांचे उन्होंने तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। (तफसीर अद्दुर्रुल मनसूर लिस्सुयुती)

मसाईल

1. इस बहस से सूरह निसा की आयत 60 की तफसीर और तागूत का खुलासा हुआ।
2. सूरह बकरा की आयत 11 की तफसीर भी मालूम हुई कि झगड़ा करने वाले खुद अपने आपको समाज सुधार कहते हैं।
3. सूरह आराफ की आयत 56 की तफसीर मालूम हुई, जिसमें जमीन में फसाद करने से रोका गया है।
4. सूरह मायदा की आयत 50 की तफसीर भी है कि अल्लाह तआला से बढ़कर बेहतर फैसला करने वाला कोई नहीं।
5. इस बाब में मजकूरा सबसे पहले जिक्र की गयी आयत की तफसीर में शअबी का कौल भी सामने आया है।
6. यह भी मालूम हुआ कि सच्चा ईमानदार कौन है और झूटा कौन?
7. सैयदना उमर रजि. ने मुनाफिक के साथ जो सलूक किया उसका जिक्र भी है।
8. यह भी मालूम हुआ कि किसी शख्स का ईमान उस वक्त तक पूरा नहीं हो सकता, जब तक उसकी तमामतर ख्वाहिशात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत के तहत ना हों।

बाब: 39

अल्लाह तआला के नामों व खुबियों का इनकार

{इस बाब का तौहीद के मसाईल के साथ दो तरह से रब्त और ताल्लुक है।
(अ) तोहीदे अलुहियत (अल्लाह को एक मानने) के दीगर बहुत से दलाईल के साथ साथ एक बहुत बड़ी दलील यह भी है कि वो अल्लाह अपने नामों और अपनी खूबियों में यकता और अकेला है। उसकी किसी खूबी में कोई दूसरा उसका शरीक नहीं। इसी तरह वो हक्के इबादत में भी अकेला है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं।
(ब) अल्लाह तआला के किसी नाम और किसी खूबी का इनकार करने से इनसान शिर्क व कुफ्र का करने वाला और इस्लाम के दायरे से बाहर करार दिया जाता है। जब किसी इन्सान को मालूम हो कि अल्लाह तआला का फलां नाम और फलां खूबी साबित है और उसे खुद अल्लाह तआला ने या उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है, फिर वो उसका इनकार कर दे तो वो कुफ्र का करने वाला होगा, क्योंकि उसने किताबो सुन्नत का इनकार किया और उसे झुटला दिया है।}

इरशादे इलाही है:

﴿ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ ۚ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ ﴾ (الرعد١٣/ ٣٠)

"और यह लोग रहमान को नहीं मानते, आप (उनसे) कह दें कि वही (रहमान) मेरा रब है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मेरा उसी पर भरोसा और उसी की तरफ मेरा पलटना है।"(सूरह रअद, पारा 13 आयत 30)

{"अर्रहमान "अल्लाह" तआला के नामों में से एक नाम है। मुश्रिकीन

व कुफ्फारे मक्का कहा करते थे कि हम तो सिर्फ "यमामा" (इलाका) के रहमान को जानते हैं, उसके सिवा किसी रहमान को नहीं जानते। उन्होंने अल्लाह तआला के नाम, रहमान का इनकार किया और इस तरह वो जात बारी तआला के मुनकीर व काफिर हो गये। इसी लिए अल्लाह तलाआ ने फरमाया "वहुम यक फुरूना बिर्रहमान" वो रहमान के साथ कुफ्र करते हैं, "यानी अल्लाह तआला के नाम, रहमान के साथ लफ्ज "अर्रहमान" अल्लाह तआला की खूबी रहमत पर दलालत करता है। इसी तरह अल्लाह तआला का हर नाम उसकी किसी ना किसी खूबी पर जरूर दलालत करता है। बल्कि अल्लाह तआला का हर नाम एक वक्त दो चीजों पर दलालत करता है। एक तो जाते बारी तआला और दूसरी वो खूबी जिसका मतलब यह नाम अदा करता है। इसीलिए जब हम यह कहते हैं कि अल्लाह तआला का हर नाम उसकी किसी ना किसी खूबी को शामिल होता है तो फिर लफ्ज जलाला (अल्लाह) जो कि जाते हक्के तआला का जाति नाम और नामे इल्म है, भी मुश्तक (निकला) है और अलूहियत यानी इबादत का मायना व मतलब अपने अन्दर लिये हुए है। अहले इल्म के अकवाल में से सही तरीन कौल यही है।}

सैयदना अली रजि. का कौल है "लोगों को वही बातें बताओ जिन्हें वो जान सकें। (जो बातें उनके दिलो-दीमाग से बहुत उंची हों वो सुनाकर) क्या तुम चाहते हो कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटलाया जाये।

{(सही बुखारी, किताबुल इल्म, बाबो मन खुस्सा बिलइल्मे कौमन... रकम 127) हजरत अली रजि. का यह कौल इस बात की दलील है कि बाज इल्मी बातें हर किसी को बताने के काबिल नहीं होतीं। मसलन तौहीद नामों व खूबियों के वो बारीक मसाईल जिन्हें समझना हर किसी के बस की बात नहीं, उनके बारे में कम समझ लोगों से यही कहा जायेगा कि वो इन पर पूरे तौर पर ईमान रखें। क्योंकि अल्लाह तआला के नामों व खूबियों का इनकार करने का एक सबब यह भी है कि कई

बार कोई आदमी लोगों के सामने नामों व खूबियों के बारे में कोई ऐसी बात कर देता है, जिसे समझने से वो बिलकुल मजबूर होते हैं, लिहाजा सिरे से इसका इनकार ही कर डालते हैं, इसलिए हर मुसलमान पर खासतौर पर अहले इल्म पर वाजिब और जरूरी है कि वो लोगों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों के इनकार करने वाले ना बनायें, यानी लोगों से ऐसी बातें हरगिज बयान ना करें, जिन्हें समझने से वो बिलकुल मजबूर हों, और उनकी अकलें वहां तक पहुंच ना सकती हों, जिनके नतीजे में वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानों को झुटलाने वाले बन जायें।}

सैयदना इब्ने अब्बास रजि. ने एक शख्स को देखा, जिसे खूबियों बारी तआला के बारे में एक हदीस सुनकर यूं कपकपी आ गयी जैसे उसे यह हदीस अच्छी नहीं लगी और वो उसे अजनबी सा महसूस कर रहा है। तो यह मंजर देखकर इब्ने अब्बास रजि. ने कहा: ''उन लोगों का डर अजीब है कि अल्लाह की साफ आयात सुनकर उन पर कपकपी तारी हो जाती है और मुताशाबे (जिनके मतलब साफ ना हो) आयात सुनकर (और ना मानकर) हलाकत में पड़ते जा रहे हैं।

{(मुसन्नफ अब्दुर्रज्जाक, रकम 20895) उस शख्स ने इस हदीस को अजनबी सा महसूस किया और सुनकर कांप गया। इसकी वजह यह थी कि उसने यह समझा कि अल्लाह तआला की इस खूबी में मखलूक के साथ मिसालें और मुशाबाह (बराबरी) पायी जाये। इसी मिसाल और मुशाबाह का ख्याल इसके दिमाग में आने से उसके दिल में इस अल्लाह की खूबी का खौफ और डर पैदा हो गया, हालांकि हर मुसलमान मर्द और औरत पर जरूरी है कि वो जब भी अल्लाह तआला की कोई खूबी, कुरआनो हदीस में पढ़े या सुने तो उसका वही मतलब ले जो दूसरी खूबियों का लिया जाता है। और वो यह कि अल्लाह तआला के लिए खूबियों को इस तरह से साबित किया जाये कि उसमें मख्लूक के साथ

किसी तरह से कोई मुशाबाह और मिसाल ना दी जाये, और ना ही उसकी कोई हालत बयान की जाये।

इब्ने अब्बास रजि. ने उस शख्स के दिल की हालत को महसूस करके ताज्जुब का इजहार किया कि यह लोग कैसे अजीब हैं कि जब ऐसी बात सुनते हैं जिसका उन्हें इल्म होता है तो उनके दिलों में कपकपी आ जाती है और जब किताबो सुन्नत की कोई ऐसी बात सुनते हैं जो उनकी अकलों से ऊंची होती है तो उस पर ईमान बिलगैब रखने के बजाये उसका गलत मतलब, नफी और इनकार करके खुद को हलाकत के गड्डे में डालते फिरते हैं।}

और जब कुरैश ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमान का जिक्र सुना तो उन्होंने उसका इनकार किया। तब अल्लाह तआला ने उनके बारे में आयत नाजिल फरमायी:

﴿وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَٰنِ﴾ (الرعد١٣/ ٣٠)

"और रहमान (को नहीं मानते बल्कि) उसके साथ कुफ्र करते हैं।" (सूरह रअद, पारा 13 आयत 13) (तफसीर इब्ने जरीर अत्तबरी)

मसाईल

1. इस बहस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के किसी नाम पर या किसी खूबी के इनकार से ईमान बिलकुल खत्म हो जाता है।
2. इस बाब से सूरह रअद की आयत 30 की तफसीर भी वाजेह होती है। जिसमें अल्लाह तआला की खूबी रहमान का बयान है।
3. यह भी मालूम हुआ कि जो बात सुनने वालों की समझ से ऊंची हो, उसे बयान नहीं करना चाहिए।
4. इसकी वजह भी बयान हुई कि उसे सुनने वाला, अल्लाह और उसके रसूल का झूठलाने वाला हो जाता है अगरचे उसका कसद व इरादा झूटलाने का ना भी हो।
5. इब्ने अब्बास रजि. के कौल से वाजेह हुआ कि अल्लाह तआला के किसी नाम या खूबी का इनकार हलाकत व तबाही का सबब है।

बाब: 40

अल्लाह तआला की नैमतों का इनकार कुफ़्र है

{इन्सान को चाहिए कि वो यह यकीन रखे कि तमाम की तमाम नैमतें, अल्लाह ही की तरफ से हैं और तौहीद भी तब ही पूरी हो सकती है, जब हर नैमत की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ ही की जाये। क्योंकि अल्लाह तआला की नैमतों की निस्बत, गैर अल्लाह की तरफ करना तौहीद में कमी और छोटा शिर्क है। इसीलिए अल्लाह तआला ने फरमाया:

''वमा बिकुम मिन निअमतिन फमिनल्लाह'' (नहल, 12/53)

''और तुम्हारे पास जितनी भी नैमतें हैं, सब अल्लाह की तरफ से हैं।''} (सूरह नहल, पारा 14 आयत 53)

इरशादे इलाही है:

﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ ٱلْكَٰفِرُونَ ﴿٨٣﴾﴾ (النحل ١٦/ ٨٣)

''यह लोग अल्लाह की नैमतों को पहचानते हुए भी इनकार करते हैं और उनमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो (अल्लाह की नैमतों के) नाशुक्रे हैं।''(सूरह नहल, पारा 14 आयत 83)

इस आयत की तफसीर में मुजाहिद रह. फरमाते हैं ''इन्सान को यूं कहना कि यह माल तो मुझे बाप-दादाओं की तरफ से विरासत में मिला है, अल्लाह की नैमत का इनकार है। (तफसीर इब्ने जरीर अत्तबरी)

{यह बात तौहीद के खिलाफ और शिर्क ही की एक किस्म है, क्योंकि ऐसा कहने वाले शख्स ने मालो दौलत की उस अजीम नैमत की निस्बत

अपनी तरफ और अपने बाप-दादाओं की तरफ कर दी, जबकि वाकई में यह माल, अल्लाह तआला ही ने उसके बाप दादाओं को दे रखा था, फिर उसी रब के बाटने से, जो उसने विरासत की सूरत में की, उस बन्दा-ए-मौमिन तक यह माल पहुंचा तो गौया यह सब, अल्लाह तआला के फजलो करम ही से हुआ। अल्लाह तआला ने बाप को औलाद तक माल पहुचाने का एक सबब और जरीया बनाया है और इसलिए विरासत के बांटने में बाप या किसी भी माल वाले को यह हक हासिल नहीं कि वो अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसका वारिस और हकदार बना दे। क्योंकि हकीकत में उस माल का मालिक वो नहीं, बल्कि अल्लाह तआला है, जिसे वो चाहेगा, वही उसका वारिस और मालिक बनेगा।}

औन बिन अब्दुल्लाह कहते हैं "लोगों का यह कहना कि अगर फलां ना होता तो यूं हो जाता, अल्लाह क़ी नैमत का इनकार है।"(तफसीर इब्ने जरीर अत्तबरी)

{मसलन यह कहना कि अगर फलां पायलेट अपनी समझदारी ना दिखाता तो हम सीधे तबाही की तरफ जा रहे थे (गोया उनके कहने का मतलब यह हुआ कि हमें तबाही से बचाने वाला यही पायलेट ही है) इसी तरह के दूसरे वो अल्फाज जिनमें किसी काम की निस्बत उस काम के सबब और वास्ते की तरफ कर दी जाये, नाजाईज हैं, चाहे वो वास्ता इन्सान हो या कोई जमाद (पत्थर), कोई जमीन का टुकड़ा हो या अल्लाह की मखलूकात में से कोई और मखलूक जैसे बारिश, और हवा वगैरह हैं}

इब्ने कुतैबा कहते हैं, लोगों का यह कहना कि यह चीज हमारे माबूदों की सिफारिश से मिली है, भी अल्लाह तआला की नैमत का इनकार है। (तफसीर इब्ने जरीर अत्तबरी)

शैखुल इस्लाम अबुल अब्बास इब्ने तैमिया रह. ने जैद बिन खालिद जहनी रजि. से मरवी इस हदीस

«إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بِي وَكَافِرٌ»(صحيح البخاري، الأذان، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم، ح:٨٤٦ وصحيح مسلم، الإيمان، باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء، ح:٧١)

''अल्लाह तआला ने फरमायाः आज सुबह मेरे बन्दों में से कुछ तो मुझ पर ईमान लाये और कुछ काफिर हो गये।'' (हदीस सही बुखारी 846)

{यानी जब उन्हें कोई नैमत मिलती है तो उनके दिमाग में यह बात घूमने लगती है कि हम अपने औलिया, अम्बिया, बूतों या माबूदान (बातिला) के पास गये थे, उनकी पूजा करके उन्हें खुश किया था, तब उन्होंने हमारे हक में सिफारिश की तो हमें यह भलाई और खैर हासिल हुई। यानी वो अपने झूटे खुदावों को तो याद करते हैं, लेकिन उस अल्लाह तआला को भूल जाते हैं जिसने यह फजल और ईनाम किया है। उन्हें यह समझ तक नहीं होती कि अल्लाह तआला ऐसी शिर्किया सिफारिशें कबूल नहीं करता, जिन्हें वो याद करते फिरते हैं।

इसकी तफसील कुछ यूं हैं:

जैद बिन खालिद जहनी रजि. फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मुकाम पर रात बारिश होने के बाद हमें सुबह नमाज पढ़ायी। आपने सलाम फैरा तो चेहरा मुबारक लोगों की तरफ करके फरमायाः तुम्हें मालूम है कि अल्लाह तआला क्या फरमा रहा है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमायाः अल्लाह तआला फरमाता है कि मेरे बन्दों में से बाज ने ईमान की हालत में सुबह की और बाज ने कुफ्र की हालत में, जिन्होंने कहा कि हम पर अल्लाह तआला के फजल और उसकी रहमत से बारिश हुई वो तो मेरे मौमिन और सितारों के काफिर ठहरे और जिन्होंने यह कहा कि हम पर यह बारिश सितारों की वजह से बरसी, वो मेरे साथ कुफ्र करने वाले

और सितारों पर ईमान रखने वाले हुए।} (यह हदीस बाब नम्बर 23 में गुजर चुकी है) को बयान करने के बाद यूं फरमाया: किताबो सुन्नत में यह बात बहुत ज्यादा आई है, अल्लाह तआला ने उन लोगों की बुराई की है जो अल्लाह के ईनाम और रहमत को किसी गैर की तरफ मनसूब करते हैं और अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराते हैं। और इस बात की वजाहत के लिए बाज अस्लाफ ने यह मिसाल बयान की है: "जैसे लोग कहते हैं कि हवा बहुत ही खूब थी, मल्लाह माहिर और तजुर्बेकार था, वगैरह जो अल्फाज जुबान पर आम होते हैं। (सब नाजाईज हैं, क्योंकि इस तरह कहने से अल्लाह की नैमत की निस्बत गैर अल्लाह की तरफ हो जाती है)" (फतवा इब्ने तैमीया जिल्द 8 सफा 33)

{यह बहुत जरूरी बात है। लोगों को इसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहिए और खबरदार करना चाहिए ताकि वो शिर्क के करने वाले ना हो जायें। हमारे ऊपर अल्लाह तआला के अहसानात इस कद्र हैं कि गिनती से बाहर, इसलिए हमारा यह फर्ज और हक है कि उसके इनामात की निस्बत उसी की तरफ कर दें और इन्हें याद करके उसका शुक्रिया अदा करें और उसकी नैमतों का शुक्रिया अदा करने का सबसे पहला दर्जा यह है कि उनकी निस्बत उसी मालिक की तरफ की जाये, जिसकी यह नवाजिश है। अल्लाह तआला ने अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया:

"वअम्मा बिनिमति रब्बीका फहद्दिस" (अज्जुहा 11/93)

"और अपने रब की नैमतों को बयान करते रहिए।" (सूरह उज्जुहा, पारा 30 आयत 11)

यानी यह कहते रहिए कि यह अल्लाह तआला का फजल है, उसकी नैमत है और यह उसका अहसान है। क्योंकि जब दिल मखलूक में से किसी की तरफ मायल होने लगता है तो इन्सान शिर्क का करने वाला हो जाता है और शिर्क सरासर तौहीद के खिलाफ है।}

मसाईल

1. इस बाब से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला की नैमतों का इकरार या इनकार किस तरह होता है।
2. अल्लाह तआला की नैमतों के इनकार की यह सूरतें आम तौर पर लोगों की जुबान पर जारी-सारी हैं।
3. इस किस्म की बातें अल्लाह तआला की नैमतों के इनकार की तरह हैं।
4. एक दिल में अल्लाह तआला की नैमतों का इकरार और इनकार, दोनों का जमा होना मुमकिन है।

बाब: 41

शिर्क की बाज मख्फी (छुपी) सूरतें

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٢﴾﴾ (البقرة٢/ ٢٢)

"खबरदार! जानने के बावजूद अल्लाह के शरीक न ठहराओ।" (सूरह बकर, पारा 1 आयत 22)

इब्ने अब्बास रज़ि. ने इस आयत की तफसीर में फरमाया है कि "अनदाद" से मुराद शिर्क है जो रात के अंधेरे में काले पत्थर पर चींटी के चलने से भी ज्यादा छुपा हुआ है। मसलन यूं कहना "वल्लाहि वहयातिका" (अल्लाह तआला की और तेरी जिन्दगी की कसम) "या फुलानो वहयाति" (ऐ फलां! मेरी जान की कसम) "लवला कुलैबतुहा हाजा लअतानल लुसुस" (अगर उस शख्स की कुतिया ना होती तो हमें चोर आ लेते।) "लवल्लबत्तो फिद्दार लअतानल लुसुस" (अगर घर में बत्ख ना होती तो हमें चोर आ लेते) या किसी से यह कहना कि "माशा अल्लाह व शिअता" (वही होगा जो अल्लाह चाहेगा और तुम चाहोगे) "लवलल्लाहु वफुलान" (अगर अल्लाह ना होता तो) और फलां ना होता तो....) इस किस्म की तमाम बातें शिर्क हैं।

तुम इस किस्म की बातों में अल्लाह तआला के साथ किसी का नाम ना लो। यह सब शिर्किया बातें हैं।

{(तफ्सीर इबने अबी हातिम, रकम 229, तफसीर इब्ने कसीर: 1/94)
तौहीद की हकीकत : तौहीद की असल हकीकत यह है कि इन्सान के दिल में अल्लाह तआला के सिवा उसका कोई शरीक हो ना कोई साजी। मसलन अल्लाह तआला के अलावा किसी के नाम की कसम उठाना या यूं कहना कि "वही होगा जो अल्लाह तआला चाहेगा और फलां

चाहेगा।'' यह भी शिर्क है।

ऐसे मौके पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला का नाम लेना चाहिए। तौहीद का पहला और पूरा दर्जा यह है कि यूं कहा जाये ''अगर अल्लाह तआला ना चाहता तो फलां काम ना होता।'' अलबत्ता यूं कहना जाईज है कि ''अगर अल्लाह तआला ना चाहता और फिर फलां आदमी की मदद ना होती तो मेरा फलां काम ना हो सकता।'' इस सूरत में फलां (गैर अल्लाह) का मर्तबा अल्लाह तआला से कमतर बयान हुआ है, इसलिए ऐसा कलमा जाइज है। यह असल तौहीद के खिलाफ तो नहीं अलबत्ता तौहीद के आला दर्जे के खिलाफ है। लेकिन अगर यूं कहा जाये कि ''अल्लाह तआला'' और फलां ना चाहता तो यह काम ना होता।'' यह कौल नाजाईज और हराम बल्कि शिर्क है।

इसीलिए इब्ने अब्बास रजि. ने फरमाया: ''तुम अपने किसी काम में भी अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक ना करो।''}

सैयदना उमर बिन खत्ताब रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(جامع الترمذي، الأيمان والنذور، باب ما جاء أن من حلف بغير الله فقد أشرك، ح:١٥٣٥ والمستدرك للحاكم:١/١٨)

''जिसने अल्लाह तआला के सिवा किसी दूसरे की कसम उठायी, उसने कुफ्र किया या शिर्क का ऐतरकाब किया।'' (हदीस जामेअ तिरमजी)

{इस हदीस के रावी अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रजि. हैं ना कि उमर बिन खत्ताब। मुसन्निफ रह. से यहां गलती हो गयी। अल्लाह तआला हमारी और उनकी गलतियों को माफ फरमाये। इस हदीस शरीफ में गैर अल्लाह के नाम की कसम खाने की बुराई बयान हुई है। कसम का मायना होता है कि कलाम में ताकिद पैदा करने के लिए किसी ऐसी शख्सीयत का नाम लेना जो खिताब किये गये और बोलने वाले

दोनों के यहां इज्जत के लायक हो। कसम का मायना होता है कि बात में मजबूती पैदा करने के लिए किसी ऐसी शख्सीयत का नाम लेना जो कहने वाले और सुनने वाले दोनों के यहां इज्जत के लायक हो। दरहकीकत वो अल्लाह तआला ही की जात है जो हर किसी के यहां इज्जल के लायक है। इसलिए जरूरी है कि बात में मजबूती और पुख्तगी पैदा करने के लिए उसके सिवा किसी और का नाम ना लिया जाये। दूसरे लफ्जों में यूं कहना चाहिए कि उसके सिवा किसी और के नाम की कसम नहीं खानी चाहिए।

गैर अल्लाह की कसम शिर्क क्यों हैं?: गैर अल्लाह की कसम खाना इसलिए शिर्क है कि ऐसी सूरत में मखलूक को अल्लाह जैसा करार दिया जा रहा होता है। और मखलूक की इज्जत इसी तरह हो रही होती है जैसे अल्लाह तआला की होती है। ऐसा करना छोटा कुफ्र और छोटा शिर्क है। अलबत्ता इबादात में गैर अल्लाह की इज्जत इसी तरह करना जिस तरह अल्लाह तआला की होती है, बड़ा शिर्क है।

इसी तरह अगर कोई शख्स दिली तौर पर गैर अल्लाह की कसम नहीं उठाना चाहता, अलबत्ता उसकी जुबान से अनजाने तौर पर नबी की कसम, कअबा की कसम, अमानत की कसम, या वली की कसम वगैरह के अल्फाज ऐसे ही निकल जाते हैं। तो यह भी शिर्क है, क्योंकि इससे इसके नजदीक गैर अल्लाह की अहमियत और इज्जत जाहिर होती है।}

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. फरमाते हैं:

«لأَنْ أَحْلِفَ بِاللهِ كَاذِبًا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَحْلِفَ بِغَيْرِهِ صَادِقًا»
(معجم الكبير للطبراني:٩/١٨٣، رقم:٨٩٠٢ ومصنف عبدالرزاق:٨/٤٦٩، رقم:١٥٩٢٩)

"मेरे नजदीक गैर अल्लाह की सच्ची कसम उठाने की निस्बत अल्लाह तआला की झूटी कसम उठाना ज्यादा बेहतर है।"

{इससे मालूम हुआ कि गैर अल्लाह की कसम उठाना बहुत बड़ा गुनाह और शिर्क है। झूट अगरचे बड़ा गुनाह है, फिर भी शिर्क कई बड़े गुनाहों से भी बड़ा जुर्म है। सच्चाई में शिर्क की मिलावट की निस्बत, तौहीद में झूट की मिलावट कमतर गुनाह है। क्योंकि तौहीद वाली नेकी झूट से बहुत बड़ी और शिर्क का गुनाह झूट के गुनाह से बहुत बड़ा है।}

हुजैफा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ وَلٰكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ»(سنن أبي داود، الأدب، باب لا يقال خبثت نفسي، ح: ٤٩٨٠)

"यूं ना कहो, "जो अल्लाह तआला चाहे और फलां चाहे" (वही होगा) बल्कि यूं कहो (वही होगा) जो अल्लाह तआला चाहे और फिर जो फलां चाहे।" (हदीस सुनन अबी दाउद 4980)

{यह नहीं (मुमानियत) तहरीम के लिए है। यानी ऐसी बात कहना हराम है। क्योंकि ऐसे अल्फाज के जरीये चाहत में, अल्लाह तआला के साथ गैर अल्लाह को शरीक किया जाता है। अलबत्ता यूं कहना जाईज है "वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और फिर फलां चाहे।"

क्योंकि इन्सान की चाहत अल्लाह तआला की चाहत के तहत है, जैसाकि अल्लाह तआला का इरशाद है:
"वमातशाउना इल्ला अइयशाअल्लाह" (सूरह दहर, पारा 29 आ. 30)
"तुम नहीं चाहते, मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे।"}

इब्राहिम नखई रह. यूं कहना नापसन्द और मकरूह जानते थे कि "अउजुबिल्लाहि वबिका" (मैं अल्लाह तआला की और तुम्हारी पनाह चाहता हूँ) अलबत्ता "अउजुबिल्लाहि सुम्मा बिका" (मैं अल्लाह तआला की और फिर तुम्हारी पनाह चाहता हूँ) कहना जाइज

समझते थे और फरमाते कि "लव लल्लाहु सुम्मा फुलान" (अगर अल्लाह तआला और फिर फलां ना होता तो......) कह सकते हैं। अलबत्ता "लवलल्लाहु व फुलानुन" (अगर अल्लाह तआला और फलां ना होता तो......) कहना ना जाइज है।

{क्योंकि सबसे पहले जिक्र किए जुम्ला में पनाह मांगने के लिए गैर अल्लाह को अल्लाह तआला का शरीक बनाया जाता है। क्योंकि जिससे पनाह मांगी जाये, उसके सामने आरजू और उसके साथ मजबूत ताल्लुक होने के अलावा उसकी तरफ चाहत, उसका डर और खौफ और दिल की उसके साथ मुकम्मिल वाबस्तगी होती है। इस किस्म का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला के साथ ही होना चाहिए।

अस्लाफ (सहाबा किराम) ने आम तौर पर कराहत (नापसन्दगी) का लफ्ज हराम के मायना ही में इस्तेमाल किया है। कभी कभी यह लफ्ज (कराहत) ऐसी चीज पर भी बोल दिया जाता है जो हराम ना हो। लेकिन यह लफ्ज ऐसे मौके पर बोला जाता है जहां नस (दलील) मौजूद ना हो}

मसाईल:

1. इस बाब में सूरह बकरा की आयत 22 के लफ्ज "अनदाद" की तफसीर मौजूद है।
2. सहाबा किराम रजि. बड़े शिर्क के मुताल्लिक आयी हुई आयात की तफसीर इस अन्दाज से करते थे कि वो छोटे शिर्क को भी वाजेह करतीं।
3. गैर अल्लाह की कसम उठाना शिर्क है।
4. और गैर अल्लाह के नाम की सच्ची कसम खाना, अल्लाह तआला के नाम की झूटी कसम खाने से ज्यादा बड़ा गुनाह है।
5. वाव (और) और "सुम्मा" (फिर) के अल्फाज में मायने का फर्क है।

बाब : 42

अल्लाह तआला की कसम पर इक्तफा (बस) ना करने वाले का हुक्म

इब्ने उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، مَنْ حَلَفَ بِاللهِ فَلْيَصْدُقْ، وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بِاللهِ فَلْيَرْضَ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ» (سنن ابن ماجه، الكفارات، باب من حلف له بالله فليرض، ح:٢١٠١)

"तुम अपने बाप-दादाओं की कसमें ना उठाया करो। जो शख्स अल्लाह तआला की कसम उठाये, उसे चाहिए कि वो सच्ची कसम उठाये। और जिसके लिए अल्लाह तआला की कसम उठायी जाये, उसे चाहिए कि वो उसे कबूल करे, और जो उसे कबूल ना करे, उसका अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक नहीं।" (हदीस सुनन इब्ने माजा 2101)

{कसम काजी के सामने उठायी जाये या किसी दूसरी जगह, यह हुक्म आम है कि किसी भी सूरत में गैर अल्लाह और बाप-दादाओं की कसम उठाना जाइज नहीं। बल्कि अल्लाह तआला की कसम भी सिर्फ उसी सूरत में जाइज है जब आदमी सच्चा हो। और जिसके लिए अल्लाह तआला की कसम उठायी जाये, उसे चाहिए कि वो उस पर राजी हो जाये यानी कसम उठाने वाले की कसम पर भरोसा कर ले और मामला अल्लाह तआला के हवाले कर दे। अल्लाह तआला की कसम उठाना उसकी इज्जत का इजहार है, लिहाजा उसकी इज्जत का तकाजा है कि उसका नाम सुनकर आदमी भरोसा करे और मामला उसके हवाले कर दे। और उसे ख्वाम-ख्वाह झूटा करार ना दे, क्योंकि अगर वो वाकई में झूटा हुआ तो उसका अंजाम उसी पर होगा।

और जो शख्स कसम पर राजी ना हो, उसका अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक नहीं। यह दलील है कि किसी से कसम उठाकर उस पर बस ना करना और उसे कबूल ना करना बहुत बड़ा गुनाह है।}

मसाईल

1. इस हदीस से मालूम हुआ कि बाप-दादाओं की कसम उठाना मना है।
2. अल्लाह तआला की कसम उठाने वाले को चाहिए कि वो उस कसम को कबूल करके मामले को अल्लाह तआला के हवाले कर दे।
3. जो शख्स अल्लाह तआला की कसम उठाने के बाद भी राजी ना हो, उसका अल्लाह तआला से कोई ताल्लुक नहीं।

बाब: 43

वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और जो आप चाहें'' कहने का हुक्म

{किसी से यूं कहना कि ''वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और जो आप चाहें'' यह शिर्क है, क्योंकि इस तरह अल्लाह तआला के साथ गैर अल्लाह को चाहत में शरीक कर दिया जाता है।}

कुतैला रजि. से रिवायत है:

«أَنَّ يَهُودِيًّا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: إِنَّكُمْ تُشْرِكُونَ، تَقُولُونَ: مَا شَآءَ اللهُ وَشِئْتَ، وَتَقُولُونَ: وَالْكَعْبَةِ، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: وَرَبِّ الْكَعْبَةِ، وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شَآءَ اللهُ ثُمَّ شِئْتَ»(سنن النسائي، الأيمان والنذور، باب الحلف بالكعبة، ح: ٣٨٠٤)

''एक यहूदी ने नबी सल्ल. की खिदमत में आकर कहा: तुम (मुसलमान) लोग शिर्क करते हो। यूं कहते हो ''माशा अल्लाहु व-शिअ-त'' (वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और जो आप चाहें) निज तुम काबा की कसम भी उठाते हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रजि. को हुक्म दिया कि काबा की बजाये रब्बे काबा की कसम उठाया करें और ''माशा अल्लाहु वशिअ-त'' (वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और जो आप चाहें) की बजाये ''माशा अल्लाहु सुम्मा शिअ-त'' (वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे और फिर आप चाहें) कहा करें।''

{इस हदीस से मालूम हुआ कि कई बार हक, ख्वाहिशे नफ्स के पुजारी की समझ में भी आ जाता है। लिहाजा जब हक उसकी समझ में आ जाये और वो हक बतलाये तो उससे ले लेना चाहिए क्योंकि मुसलमान का यह फर्ज है कि उसे हक जहां से भी मिले, चाहे यहूदी से या ईसाई से, उसे कबूल कर ले।}

इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है:

«أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ مَا شَآءَ اللهُ وَشِئْتَ فَقَالَ: أَجَعَلْتَنِي للهِ نِدًّا؟ بَلْ مَا شَآءَ اللهُ وَحْدَهُ»(عمل اليوم والليلة للنسائي، ح:٩٨٨ ومسند أحمد:١/ ٢١٤)

''एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा: ''माशा अल्लाहु वशिअ-त'' (वही होगा जो अल्लाह तआला और आप चाहे) तो आपने फरमाया: तूने मुझे अल्लाह तआला का शरीक ठहरा दिया? सिर्फ इतना कहो ''माशा अल्लाह'' वही होगा जो अल्लाह तआला चाहेगा।''

सैयदा आईशा रजि. के मादरी भाई तुफैल रजि. कहते हैं:

«رَأَيْتُ كَأَنِّي أَتَيْتُ عَلٰى نَفَرٍ مِّنَ الْيَهُودِ قُلْتُ: إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ، قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِّنَ النَّصَارٰى فَقُلْتُ إِنَّكُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ قَالُوا: وَأَنْتُمْ لأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلاَ أَنَّكُمْ تَقُولُونَ: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ: هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ طُفَيْلاً رَأٰى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ، وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَا، فَلاَ تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ وَّلٰكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللهُ وَحْدَهُ»(سنن ابن ماجه، الكفارات، باب النهي أن يقال ماشاء الله وشئت، ح:٢١١٨ ومسند أحمد:٥/ ٧٢)

''मैंने ख्वाब में देखा कि गोया मेरा गुजर यहूद की एक जमाअत के पास से हुआ। मैंने उनसे कहाः तुम अच्छे लोग हो अगर तुम उजैर (अलैहि.) को अल्लाह तआला का बेटा ना कहो, तो उन्होंने जवाब में कहाः तुम भी अच्छे हो, अगर तुम ''माशा अल्लाहु वशाअ मुहम्मदुन'' (वही होगा जो अल्लाह तआला और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहें) ना कहो, इसके बाद मेरा गुजर ईसाईयों के एक गिरोह के पास से हुआ। मैंने उनसे कहाः तुम अच्छे लोग हो, अगर तुम मसीह (ईसा अलैहि.) को अल्लाह तआला का बेटा ना कहो। उन्होंने जवाब में कहाः तुम भी अगर ''माशा अल्लाहु वशाअ मुहम्मदुन'' ना कहो तो बहुत अच्छे हो। सुबह हुई तो मैंने कुछ लोगों से इस ख्वाब का जिक्र किया। फिर नबी (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) की खिदमत में आकर आपसे सारी बात बयान की। आपने मुझसे पूछाः तुमने इस ख्वाब का किसी से जिक्र किया है? मैंने अर्ज किया: जी हां! आप खुत्बा देने के लिए खड़े हुए। अल्लाह तआला की हम्दो सना के बाद फरमायाः अम्माबाद! तुफैल ने ख्वाब देखा है और उसने तुम में से बाज लोगों के सामने इसका बयान भी किया है। तुम एक जुम्ला बोला करते हो, तुम्हें उससे रोकने में मुझे हिचकिचाहट रही। तुम ''माशा अल्लाहु वशाआ मुहम्मदुन'' (वही होगा जो अल्लाह और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) चाहें) ना कहा करो, बल्कि सिर्फ ''माशा अल्लाहु'' (वही होगा जो अल्लाह तआला चाहे) कहा करो।''

{इससे मालूम हुआ कि कई बार गुनाहगार, काफिर और गलत अकीदे का मानने वाला आदमी किसी सही अकीदे वाले आदमी की बात पर ऐतराज कर सकता है, जिस तरह मैं गलत हूँ, तुम भी तो फलां गलत काम करते हो। ऐसी सूरत में सही अकीदे वाले आदमी को चाहिए कि वो हक बात को मान ले और उसे महज इसलिए रद्द न कर दे कि वो गलत अकीदा वाले ने कही है।

याद रहे! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े शिर्क से तो तब्लीग के शुरू ही में मना फरमा दिया था, अलबत्ता मसाईल की अहमीयत के लिहाज से उन्हीं ज्यादा अहम को अहम से पहले बयान किया। अल्फाज में शिर्क को आपने इसी मसलिहत के तहत देर कर दी थी कि किसी मुनासिब मोके पर उम्मत को मना कर दिया जाये। जहां तक बड़े शिर्क का मसला था, उसके बाक़ी रखने में कोई मसलिहत नहीं थी।}

मसाईल:

1. इस वाकेअ से मालूम हुआ कि यहूदी छोटे शिर्क से जानकार थे।
2. निज अगर इन्सान की ख्वाहिश हो तो हक और बातिल में तमीज, उसकी समझ में आ सकती है।
3. कहने वाले ने "माशा अल्लाहु वशिअता" कहा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर नाराजगी का इजहार फरमाया। तो जो शख्स यूं कहे, "माली मन अउजुबिही सिवाक" (या रसूलुल्लाह)! "आप के सिवा कोई हस्ती ऐसी नहीं, जिसकी मैं पनाह ले सकूं।" इस बात के शिर्क और कहने वाले के मुश्रिक होने में क्या शक है? या कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते हुए यूं कहें, ऐ ईमामुल मुरसलीन! मेरा तो सिर्फ आप ही पर भरोसा है। आप ही मेरा आसरा और मेरे लिए अल्लाह का दरवाजा हैं। इस दुनिया में आप मेरा हाथ थामें रहें, और आखिरत में भी मेरा हाथ पकड़ें, क्योंकि आपके अलावा कोई भी मेरी तंगी को आसानी में नहीं बदल सकता। इस किस्म की बातें बिलाशुबा शिर्क हैं।
4. "माशा अल्लाहु वशिअ-त" वगैरह कलिमात अरगचे नामुनासिब और छोटा शिर्क हैं, फिर भी बड़ा शिर्क नहीं। वरना आप बहुत पहले उनसे रोक देते, और यूं ना फरमाते कि तुम्हें इन अल्फाज से रोकने में मुझे हिचकिचाहट रही।
5. अच्छा ख्वाब वह्य की एक किस्म है।
6. बल्कि अच्छा ख्वाब कई बार बाज अहकाम के जाइज होने का सबब बन जाता है।

❖❖❖

बाब: 44

जमाने को गाली देना या बुरा भला कहना अल्लाह तआला को तकलीफ पहुंचाने की तरह है।

{जमाने को गाली देना या बुरा भला कहना हरगिज जाइज नहीं। यह बात तौहिद के खिलाफ है। इसलिए इससे बचना जरूरी है। जाहिलों की आदत है कि जब कोई काम उनकी मर्जी के खिलाफ हो तो जमाने को बुरा भला कहने या गालियां देने लगते हैं। और उस दिन, माह या साल को लानती करार देकर शर या बुराई का ताल्लुक जमाने की तरफ करते हैं कि जमाना बड़ा खराब है, बड़ा खराब जमाना आ गया है, वगैरह वगैरह। जबकि हकीकत यह है कि जमाना तो कोई काम ही नहीं करता। जमाने में हकीकी इख्तेयार रखने वाला अल्लाह तआला है। और इसका बनाने वाला भी वही है। लिहाजा जमाने को बुरा भला कहना अल्लाह तआला को तकलीफ पहुंचाने की तरह है, अलबत्ता अगर यूं कहा जाये कि यह साल बड़े सख्त हैं, यह दिन बड़े काले हैं, यह महिने बड़े मनहूस हैं, नामुबारक या यह दिन बड़े सियाह हैं, इससे जमाने को वो बुरा नहीं कहता बल्कि अपने हालात बयान कर रहा होता है। इसलिए यह अल्फाज बुरे नहीं।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ ۚ وَمَا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ۖ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿٢٤﴾ ﴾ (الجاثية ٤٥/ ٢٤)

“और वो कहते हैं, हमारी जिन्दगी तो सिर्फ दुनिया ही की है। हम यहां मरते और जीते हैं और जमाना ही हमें मारता है। उन्हें हकीकत

का कुछ इल्म नहीं और वो सिर्फ गुमान से काम लेते हैं।" (सूरह जासियह, पारा 25 आयत 24)

{हालात व वाक्यात का ताल्लुक जमाने की तरफ करना, मुश्रिकीन का तरीका है। जबकि तौहीद को मानने वाले तमाम कामों का ताल्लुक अल्लाह तआला ही की तरफ करते हैं।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«قَالَ اللهُ تَعَالٰى: يُؤْذِيْنِي ابْنُ آدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ وَأَنَا الدَّهْرُ أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ»(صحيح البخاري، التفسير، سورة حم الجاثية، باب وما يهلكنا إلا الدهر، ح:٤٨٢٦ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب النهي عن سب الدهر، ح:٢٢٤٦)

"अल्लाह तआला फरमाते हैं आदम की औलाद जमाने को गालियां देकर (बुरा भला कहकर) मुझे तकलीफ पहुंचाता है, क्योंकि (दरहकीकत) मैं ही जमाने (का खालिक और मालिक) हूँ। दिन और रात को मैं ही बदलता हूँ।" (हदीस सही बुखारी 4826)

और एक रिवायत में है:

«لاَ تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ»(صحيح مسلم، الألفاظ من الأدب، باب النهي عن سب الدهر، ح:٢٢٤٦)

"जमाने को गाली मत दो (बुरा भला मत कहो) क्योंकि दरहकीकत अल्लाह तआला ही जमाना है।" (हदीस सही मुस्लिम 2246)

{इसका मतलब यह नहीं कि "अद्दहर" (जमाना) अल्लाह तआला का नाम है बल्कि इससे बतलाना यह मकसूद होता है कि जमाना अजखुद ना तो किसी चीज का मालिक है और ना कुछ कर सकता है बल्कि

जमाने में हकीकी मुसर्रिफ (हकीकी तब्दीली करने वाला) अल्लाह है। लिहाजा जमाने को बुरा भला कहना, उसमें तसर्रूफ करने वाले अल्लाह तआला को बुरा भला करने की तरह है।}

मसाईल

1. इन अहादीस में जमाने को गाली देने और बुरा भला कहने की मनाही है।
2. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमाने को बुरा भला कहना, अल्लाह तआला को तकलीफ पहुंचाने की तरह करार दिया है।
3. "फइन्नल्लाहा हुद्दहर" (दरहकीकत अल्लाह ही जमाना है) यह जुम्ला बहुत ज्यादा ध्यान देने के काबिल है।
4. इन्सान को गाली गलौच से हमेशा बचते रहना चाहिए, क्योंकि कई बार बेख्याली में इन्सान गाली गलौच देने वाला हो जाता है, अगरचे वो इसका इरादा भी ना करे।

बाब: 45

शहंशाह, काजी उलकुजात और इस किस्म के अलकाब (टाईटल) की शरई हैसियत

{यानी जिन नामों और उपनामों के मायने सिर्फ अल्लाह तआला के लिए खास हैं, तौहीद का तकाजा है कि ऐसे नाम व उपनाम सिर्फ उसी के लिए इस्तेमाल किये जायें, मख्लूक में से किसी के लिए इनका इस्तेमाल नाजाइज है।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الأَمْلاَكِ، لاَ مَالِكَ إِلاَّ اللهُ»(صحيح البخاري، الأدب، باب أبغض الأسماء إلى الله، ح:٦٢٠٦ وصحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك . . . ، ح:٢١٤٣)

"अल्लाह के नजदीक सबसे घटिया, नापसन्द और नीचा काम उस का है जो अपने आपको बादशाहों का बादशाह (शहंशाह) कहलवाये, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई (हकीकी) बादशाह नहीं।" (हदीस सही बुखारी 6206)

सुफियान सोरी रह. ने "मलिकुल अमलाक" (बादशाहों का बदशाह) का तर्जुमा शाहानेशाह यानी "शहंशाह" किया है।

{इन्सान के बारे में यह तो कहा जा सकता है कि फलां चीज का वो मालिक है, या फलां मुल्क का बादशाह है, मगर यों नहीं कहा जा सकता कि वो तमाम मुल्कों का बादशाह है, इसलिए तौहीद का तकाजा यह है कि मख्लूक में से किसी को शहंशाह ना कहा जाये, और अगर किसी के

नाम के साथ कहीं लिखा हुआ तो उसे मिटा देना चाहिए।}

और दूसरी रिवायत के अल्फाज यूं हैं:

«أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ»(صحيح مسلم، الآداب، باب تحريم التسمي بملك الأملاك . . .، ح:٢١٤٣ ومسند أحمد:٢/ ٣١٥)

"यानी कयामत के दिन सबसे ज्यादा वो अल्लाह तआला के गुस्से और नाराजी का हकदार और सबसे बड़ा खबीस शख्स (वो होगा जो अपने आपको "शहंशाह" कहलवाये।)" (हदीस सही मुस्लिम 2143)

{क्योंकि उसने इस नाम में अपने आपको अल्लाह का हमसर और साझी बनाने की कोशिश की।}

मसाईल

1. इस बहस से मालूम हुआ कि "मलिकुल अमलाक" यानी "बादशाहों का बादशाह" कहलवाना मना है।
2. इसके अलावा दीगर नाम व उपनाम जो इसी किस्म "मलिकुल अमलाक" का मायना व मतलब रखते हों, सब मना है, जैसा कि सुफियान सोरी रह. ने मिसाल के तौर पर लफ्ज शहंशाह बताया है।
3. इस किस्म के नाम व उपनाम की नापसन्दिदगी भी बहुत जरूरी है। अगरचे किसी के दिल में इन अल्फाज का हकीकी मतलब ना भी हो तब भी यह नापसन्द और मना हैं, लिहाजा हर हाल में इनसे बचकर रहना चाहिए।
4. और यह भी समझना चाहिए कि सिर्फ अल्लाह तआला की अजमत व जलाल के पैशे नजर इस किस्म के नाम व उपनाम से मना किया गया है।

बाब: 46

अल्लाह तआला के असमा-ए-हुस्ना (अच्छे नामों) की इज्जत और इस वजह से किसी के नाम को बदलना

{एक सच्चे मुसलमान को अपने दिल में और जुबान से अल्लाह तआला के असमागिरामी (नाम) का जो अहतराम मलहूज रखना चाहिए इस बाब में उसका बयान है। यह अहतराम कई बार मुस्तहब और बाज सूरतों में जरूरी होता है। अल्लाह तआला के नामों के अहतराम का तकाजा है कि उनकी बेहुरमती ना की जाये। और वो नाम मख्लूक में से किसी के ना रखे जायें।}

अबू शुरेह रजि. कहते हैं कि मेरी कुन्नियत ''अबूल हक्म'' थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया:

«إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ، فَقَالَ: مَا أَحْسَنَ هٰذَا، فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ؟ قَالَ: شُرَيْحٌ، وَمُسْلِمٌ، وَعَبْدُاللهِ، قَالَ: فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟ قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ: فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ» (سنن أبي داود، الأدب، باب تغيير الإسم القبيح، ح:٤٩٥٥ وسنن النسائي، آداب القضاة، باب إذا حكموا رجلا فقضى بينهم، ح:٥٣٨٩)

''हक्म'' (फैसला करने वाला) अल्लाह तआला ही है। और हुक्म भी उसी का नाफिज होता है। मैंने अर्ज किया, मेरी कौम में जब किसी बात पर झगड़ा हो जाये तो वो झगड़ा मेरे पास लाते हैं तो मैं उनके बीच फैसला कर देता हूँ, इस पर दोनों गिरोह राजी हो जाते हैं।

आपने फरमायाः यह कैसी अच्छी बात है।" फिर फरमायाः तुम्हारे बेटों के क्या नाम हैं। मैंने कहाः शुरेह, मुस्लिम और अब्दुल्लाह। आपने फरमाया, उनमें सबसे बड़ा कौन है? मैंने बताया कि शुरेह, तो आपने फरमाया : तुम अबू शुरेह हो। यानी आज से तुम्हारी कुन्नियत (उपनाम) "अबू शुरेह" है।

{"हक्म" अल्लाह तआला के नामों में से एक नाम है। "अबुल हक्म" का मायना हुआ हक्म का यानी अल्लाह तआला का बाप। हालांकि अल्लाह तआला को तो किसी ने नहीं जना और ना ही वो किसी से जना गया। लिहाजा ऐसी कुन्नियत (उपनाम) रखना जाइज नहीं।

"अबुल हक्म" का एक मतलब यह भी हो सकता है "फैसले करने वाला" मगर चूंकि हकीकी और सही फैसले करने वाला भी हकीकत में अल्लाह तआला ही है। इन्सानों के फैसले थोड़े वक्त के लिए हैं। लिहाजा इस वस्फ (पहचान) का असल हकदार अल्लाह तआला ही है। उसके नाम व खूबियों के अहतराम के पैशे नजर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने "अबुल हकम" को नापसन्द करके कुन्नियत (उपनाम) बदल दी।}

मसाईल

1. इस बहस से साबित हुआ कि अल्लाह तआला के नाम व खुबियों का पूरा (अहतराम करना लांजिम और ईमानी तकाजा है, अगरचे यह नाम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते वक्त उनका मायना, मकसूद ना भी हो।
2. अल्लाह तआला के नाम व खुबियों के अहतराम के पैशे नजर गलत और शिर्किया नामों और कुन्नियतों को बदल देना चाहिए।
3. कुन्नियत (उपनाम)के लिए सबसे बड़े बेटे का चुनाव करना अच्छा है।

❖❖❖

बाब: 47

अल्लाह तआला, कुरआन मजीद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वाले के बारे में हुक्म

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ ﴾ (التوبة٩/ ٦٥)

''और अगर आप उनसे पूछें (कि तुम क्या बातें कर रहे थे?) तो कहेंगे, ''हम तो यूं ही बातचीत और दिल लगी कर रहे थे। आप उनसे कह दीजिए कि तुम्हारी दिललगी के लिए अल्लाह तआला, उसकी आयतें और उसके रसूल ही (रह गये) हैं।?'' (सूरह तौबा, पारा 10 आयत 65)

{अल्लाह तआला के हुक्मों को दिलो जान से मानना, उनकी बात मानना, उनको कबूल करना और उनकी इज्जत करना भी तौहीद का तकाजा है और अल्लाह तआला, कुरआन मजीद या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना उनकी मुखालफ्त और उनकी इज्जत के खिलाफ है। इसलिए यह अमल बहुत बड़ा कुफ्र है। इसी तरह दीने इस्लाम का मजाक उठाना भी कुफ्र है।}

{यह आयत दलील है कि अल्लाह तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरआन मजीद से मजाक करना कुफ्र है और ऐसा करने वाला आदमी काफिर है, अगरचे वो यह बहाना ही पेश क्यों ना करे कि मैं तो दिल लगी और हंसी मजाक के लिए यह बातें करता हूँ। यह

आयत मुनाफिकों के बारे में नाजिल हुई। इसके उल्टे अहले तौहीद कभी अल्लाह तआला, उसके रसूल या कुरआन मजीद से मजाक नहीं करते।}

हजरत इब्ने उमर रजि., मुहम्मद बिन कअब, जैद बिन असलम और कतादा रजि. से मुख्तलिफ अल्फाज से रिवायत है, जिसका मतलब यह है कि गजवा-ए-तबूक के मौके पर एक मुनाफिक ने कहा: हमने पेट के पुजारी, जुबान के झूटे और मैदाने जंग में सबसे ज्यादा बुजदिल, इन इल्म वालों से बढ़कर और कोई नहीं देखे। उसकी मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके कुर्राअ (कुरआन हाफिज) सहाबा रजि. थे। औफ बिन मालिक रजि. ने उससे कहा: तू झूटा है और (पक्का) मुनाफिक है, मैं तेरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जरूर बताऊंगा, चूनांचे औफ रजि. बताने की गर्ज से आपके पास गये, मगर उनके आने से पहले वह्य नाजिल हो चुकी थी। वो मुनाफिक भी आपकी खिदमत में (माफी के लिए) आ पहुंचा, आप ऊंटनी पर सवार होकर रवाना हो चुके थे। वो बोला: या रसूलुल्लाह! हम लोग तो महज दिल बहलाने के लिए ऐसी बातचीत और सवारों की सी बातें कर रहे थे, ताकि सफर की तकलीफ हल्की कर सकें (और बोरियत ना हो) हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. फरमाते हैं, "वो मंजर अब भी मेरे सामने हैं कि वो शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊंटनी के कजावे की रस्सी के साथ चिमटा हुआ है और पत्थर उसके पावों से टकरा रहे हैं और वो कह रहा है "हम तो महज बातचीत और दिल लगी कर रहे थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं: "

﴿ أَبِاللَّهِ وَءَايَٰتِهِۦ وَرَسُولِهِۦ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ۝ لَا تَعْتَذِرُوا۟ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُمْ ﴾ (التوبة٩/ ٦٥-٦٦)

"क्या अल्लाह तआला, उसकी आयतें और उसके रसूल ही तुम्हारे हंसी मजाक के लिए रह गये हैं। तुम बहाने ना बनाओ। यकीनन तुमने ईमान लाने के बाद (यह बात करके) कुफ्र का गुनाह किया है।"

चूनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ न तो देख रहेथे, ना इस पर कुछ ज्यादा बोल रहे थे।"

{(तफसीर इब्ने जरीर अत्तबरी, रकम **16912**, **16916**, **16911**, **16914**, **1915**, व इब्ने अबी हातिम व अबुश्शेख व इब्ने मरदवे, कमाफीद दुर्रिल मनशूर (230/4) वअसनादुहु हसन)}

मसाईल

1. इस बाब से एक बहुत बड़ा मसअला साबित हुआ कि जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम रजि. का मजाक उठाये, वो काफिर है।
2. इस आयत की तफसीर से साबित हुआ कि ऐसा करने वाला, चाहे कोई भी हो, वो काफिर है।
3. अल्लाह तआला और उसके रसूल के लिए इख्लास (साफ नियत) और चुगली के बीच फर्क भी साफ हुआ।
4. अल्लाह तआला की पसन्दीदा चीज माफी और अल्लाह तआला के दुश्मनों के साथ सख्ती से पैश आने में फर्क भी साफ हुआ।
5. इस तफसील से यह भी मालूम हुआ कि कुछ बहाने नाकाबिले कबूल होते हैं।

बाबः 48

अल्लाह तआला की नैमतों की नाशुक्री, तकब्बुर (घमण्ड) की निशानी और बहुत बड़ा जुर्म है।

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَٰذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ ۚ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴾ (فصلت ٤١/ ٥٠)

"और अगर तकलीफ पहुंचने के बाद हम उसे अपनी रहमत से नवाजते हैं तो कहता है "यह तो मेरा हक था, और मैं नहीं समझता कि कयामत आयेगी, और अगर मैं वाकई अपने रब की तरफ लौटाया गया तो वहां भी खुशहाली होगी। पस कुफ्र करने वालों को हम जरूर बतायेंगे कि वो क्या कुछ करते रहे और उन्हें हम सख्त अजाब का मजा चखाएंगे।" (सूरह फुस्सिलत, पारा 25 आयत 50)

इमाम मुहाजिद रह. ने "हाजालि" की तफसीर में फरमायाः 'हाजा बिअमलि वअना महकुकुन बिहि"। "यह मालो दौलत तो मेरी मेहनत व कोशिश का नतीजा है। और मैं इसका हकदार भी हूं।" (तफसीरूत्तबरी)

इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं इसका मतलब यह है कि "यह मेरी अपनी काविश (मेहनत) है।"

{यानी वो कहता है कि अल्लाह तआला ने यह नैमत देकर मुझ पर कोई अहसान नहीं किया, बल्कि मैं तो अपनी मेहनत, शरफ और बुजुर्गी की बिना पर वैसे ही इस चीज का हकदार था। गोया उस चीज को पाने के लिए वो अपनी मेहनत का नतीजा और अपना इस्तहकाक (हकदार

होना) करार देता है और अल्लाह तआला के अहसान व ईनाम और फजल को जानबूझ कर भूला देता है। जबकि इन्सान की मेहनत व काविश एक सबब जरूर है। कई बार यह सबब अल्लाह के हुक्म से, फायदेमन्द साबित होता है। और कई बार बगैर किसी सबब के भी इन्सान को उसका मकसूद हासिल होता है। गोया असल मामला अल्लाह तआला के फजल और उसकी इनायत का है। इन्सान का अपना या उसके सबब का कोई कमाल नहीं।}

निज अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِىٓ﴾ (القصص ٢٨/ ٧٨)

"(कारून ने) कहा कि मुझे यह सबकुछ मेरी अपनी समझ की बिना पर दिया गया है।" (सूरह कसस, पारा 20 आयत 78)

इस आयत की तफसीर में कतादा रह. फरमाते हैं : "अला इलमिम मिन्नी बिवजुहिल मकासिब" यानी उसने कहा कि यह माल मुझे कमाई के तजुर्बे और इल्म की बदौलत मिला है। (तफसीरूल दुर्रिल मनसूर)

दीगर अहले इल्म ने इस आयत की तफसीर में कहा: "वो कहता था कि यह मालो दौलत तो मुझे इसलिए मिला कि मैं अल्लाह तआला के इल्म के मुताबिक उसका अहल और हकदार हूँ।" मुजाहिद के कौल का मायना भी यही है कि वो कहता है: "यह मालो दौलत मुझे बुजुर्गी और शर्फ की बिना पर मिला है।" (तफसीरूत्तबरी)

{गोया कुछ मालदार लोग जब खुशहाल होते हैं तो वो अल्लाह तआला की तरफ से पूरे तौर पर बेखबर हो जाते हैं। वो अपने कारोबार, दौलत और तिजारत वगैरह को अपनी जहानत, मेहनत और कोशिश का नतीजा करार देते हैं, और यह भूल जाते हैं कि यह सब तो उनके खालिक व मालिक अल्लाह तआला का ईनाम और उसका फजल है।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«إِنَّ ثَلاَثَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ: أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَىٰ، فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَّلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ، وَّجِلْدٌ حَسَنٌ، وَّيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ، وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَّجِلْدًا حَسَنًا قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الإِبِلُ أَوِ الْبَقَرُ ـ شَكَّ إِسْحَاقُ ـ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ، وَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَا قَالَ: فَأَتَى الأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعْرٌ حَسَنٌ، وَّيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ بِهِ، قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، قَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبَقَرُ ـ أَوِ الإِبِلُ ـ فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلاً، وَّقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، فِيهَا فَأَتَى الأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَّرُدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي فَأُبْصِرَ النَّاسَ، فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ، قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَّالِدًا، فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الإِبِلِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ، وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهِ وَهَيْئَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِّسْكِيْنٌ وَّابْنُ سَبِيْلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ ـ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ ـ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ بِهِ فِي سَفَرِي، فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةٌ فَقَالَ لَهُ: كَأَنِّي أَعْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ

أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ الْمَالَ؟ فَقَالَ إِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَقْرَعَ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللهُ إِلٰى مَا كُنْتَ، قَالَ: وأَتَى الأَعْمَىٰ فِيْ صُورَتِهِ فَقَالَ: رَجُلٌ مِّسْكِينٌ وَّابْنُ سَبِيلٍ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ إِلاَّ بِاللهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ ـ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ـ شَاةً أَتَبَلَّغُ بِهَا فِي سَفَرِي، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمٰى فَرَدَّ اللهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَخُذْ مَا شِئْتَ، وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ لِلّٰهِ، فَقَالَ: أَمْسِكْ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ»(صحيح

البخاري، أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل، ح:٣٤٦٤ وصحيح مسلم، الزهد والرقائق، باب الدنيا سجن للمؤمن وجنة للكافر، ح:٢٩٦٤)

बनी इस्राईल में तीन आदमी थे, जिनमें से एक फलबहरी वाला (सफेद दाग वाला), दूसरा गंजा और तीसरा अंधा था। अल्लाह तआला ने आजमाईश की गर्ज से उनकी तरफ एक फरिश्ता भेजा। वो फरिश्ता फलबहरी वाले के पास आया और उससे पूछाः तुझे कौनसी चीज सबसे ज्यादा पसन्द है? उसने कहाः अच्छा रंग, खुबसूरत चमड़ी और यह कि मुझसे यह बीमारी दूर हो जाये, जिसके कारण लोग मुझसे नफरत करते हैं। फरिश्तें ने उस पर हाथ फैरा तो उसकी बीमारी दूर हो गयी। अच्छा रंग और खुबसूरत चमड़ी मिल गयी। फरिश्ते ने फिर पूछाः तुझे कौनसा माल ज्यादा पसन्द

है? उसने कहाः ऊंट... गाय। (रावी इस्हाक को इन दोनों लफ्जों के बारे में शक है कि कौनसा लफ्ज उसने कहा) चूनांचे उसे हामिला (बच्चा होने वाली) ऊंटनी दी गयी और फरिश्ते ने दुआ की "बारकल्लाहु लका फिहा" (अल्लाह तआला तेरे लिए इस ऊंटनी में बरकत दे)।

इसके बाद फरिश्ता गंजे के पास आया और उससे कहाः तुझे कौनसी चीज ज्यादा पसन्द है? उसने कहाः खुबसूरत बाल और यह कि मुझसे यह बीमारी दूर हो जाये, जिसकी वजह से लोग मुझ से नफरत करते हैं। फरिश्ते ने उस पर हाथ फैरा, उसकी बीमारी खत्म हो गयी और उसे खुबसूरत बाल मिल गये। फरिश्ते ने उससे पूछाः तुझे कौनसा माल ज्यादा पसन्द है? उसने कहा ऊंट...या... गाय। यह भी रावी इस्हाक का शक है यानी फलबहरी वाले और गंजे दोनों में से किसी एक ने गाय और दूसरे ने ऊंट मांगे) चूनांचे उसे एक हामिला (बच्चा होने वाली) गाय दे दी गयी। फरिश्ते ने दुआ की "बारकल्लाहु लका फिहा" (अल्लाह तआला तेरे लिए इस गाय में बरकत फरमाये)। इसके बाद वो फरिश्ता अंधे के पास आया और उससे कहाः तुझे कौनसी चीज ज्यादा पसन्द है? उसने कहाः यह कि अल्लाह तआला मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दे, ताकि मैं लोगों को देख सकूं।" फरिश्ते ने उस पर हाथ फैरा तो अल्लाह तआला ने उसकी आंखों की रोशनी लौटा दी। फरिश्ते ने कहाः तुझे कौनसा माल ज्यादा पसन्द है? उसने कहाः बकरियां, चूनांचे उसे हामिला (बच्चा होने वाली) बकरी दे दी गयी। कुछ जमाने बाद ऊंटनी और गाय ने खूब बच्चे दिये। बकरी ने भी खूब बच्चे जने, चूनांचे फलबहरी वाले के पास ऊंटों, गंजे के पास गायों और अंधे के पास बकरियों का मैदान भर गया। फिर वो फरिश्ता फलबहरी वाले के पास अपनी सी पहली शक्ल व सूरत में आया और कहाः मैं गरीब और मुसाफिर आदमी हूँ, मेरा सफर का सामान खत्म हो गया है। आज अल्लाह की मदद, या फिर आपकी मदद के बगैर मंजील तक नहीं पहुंच सकता। जिस अल्लाह ने आपको खूबसुरत रंग, खूबसुरत चमड़ी और इस कद्र बहुत ज्यादा माल अता किया है, उसके नाम पर एक ऊंट मांगता हूँ ताकि मैं सफर के दौरान उसके जरीये अपनी

जरूरत पूरी करके मंजिल तक पहुंच सकूं। उस आदमी ने कहाः मेरी जरूरतें बहुत ज्यादा हैं (मैं तुम्हें ऊंट नहीं दे सकता) तो फरिश्ते ने कहाः गालिबन मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, क्या तू फलबहरी वाला ना था? लोग तुझसे नफरत करते थे और तू इन्तेहाई गरीब था। अल्लाह तआला ने तुझे यह माल अता किया? वो बोलाः यह माल तो मुझे बाप-दादाओं से विरासत में मिला है।

फ़रिश्ते ने कहाः अगर तू इस बात में झूटा हो तो अल्लाह तआला तुझे पहले जैसा बना दे।''

फिर वो फरिश्ता उसी पहली शक्लो सूरत में गंजे के पास आया और उससे भी वही बातें कहीं जो फलबहरी वाले से कही थी तो उसने भी वही जवाब दिये। फरिश्ते ने कहाः अगर तू झूटा हो तो अल्लाह तआला तुझे वैसा ही कर दे जैसा तू पहले था।

फिर वो फरिश्ता उसी पहली शक्लो सूरत में उस अंधे के पास आया और कहाः मैं एक गरीब और मुसाफिर हूँ, मेरा सफर का सामान खत्म हो गया है, अल्लाह की मदद, या फिर आपकी मदद के बगैर में आज घर नहीं पहुंच सकता। जिस अल्लाह ने आपको आंखों की रोशनी अता की, उसके नाम पर आपसे एक बकरी का सवाल करता हूं ताकि मैं सफर के दौरान उससे अपनी जरूरत पूरी करके मंजिल तक पहुंच सकूं।

उसने कहाः मैं अंधा था। अल्लाह ने मुझे मेरी आंखों की रोशनी लौटा दी। जितना चाहो ले जाओ और जो चाहो छोड़ जाओ। आज अल्लाह के नाम पर जो कुछ भी ले जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई पकड़ नहीं। तो फरिश्ते ने कहाः अपना माल अपने पास ही रखो, तुम्हारा इम्तेहान लिया गया। अल्लाह तआला तुझसे राजी और तेरे दूसरे दोनों साथियों से नाराज हो गया है। (ह.सही बुखारी 3464)

{अबू हुरैरा रजि. की इस लम्बी हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला ने उन तीनों को उनकी बीमारियों से निजात दिलाई तो उनमें से दो ने उस नैमत (सेहत) को अपनी तरफ मनसूब किया। सिर्फ एक ने उस नैमत की अल्लाह तआला की तरफ निस्बत की। तो अल्लाह

तआला ने नाशुक्री करने वाले दोनों को ऐसी सजा दी कि उन्हें उनकी पहले वाली हालत में लौटा दिया। और जिसने अल्लाह तआला का शुक्र अदा किया और मिली हुई नैमत (सेहत) को अल्लाह तआला की तरफ मनसूब किया तो अल्लाह तआला ने उसे बेहतरीन बदला दिया और उसे हमेशा रहने वाली नैमत से नवाजा। यह अल्लाह तआला का फजल है, वो जिसके लिए चाहे अपनी नैमत को हमेशा के लिए कर देता है और जिसे चाहे महरूम कर देता है। जो शख्स अपने रब की इज्जत करे, उसकी नैमतों पर उसका शुक्रिया बजा लाये और यह अकीदा रखे कि यह तमाम नैमतें अल्लाह तआला की दी हुई हैं तो उसके नतीजे में अल्लाह की नैमतों से वो हमेशा सरफराज और मालामाल रहता है।

एक मवहि्हद (तौहीद परस्त) मुसलमान का फर्ज है कि वो यह अकीदा रखे कि मैं हर चीज के बारे में अल्लाह तआला का मोहताज हूँ। और किसी भी चीज के बारे में मेरा अल्लाह तआला पर कोई हक नहीं। वही मेरा रब है और वही मेरी बन्दगी का हकदार है। और वो इस लायक है कि बन्दे उसकी नैमतों पर उसका शुक्रिया अदा करें, उसे याद रखें और हर नैमत को उसका फजल समझते हुए उसकी की तरफ मनसूब करें।}

मसाईल

1. इस बाब से सूरह फुस्सिलत की आयत 50 की तफसीर साफ हुई, जिसमें नाशुक्रे इन्सान को फटकार सुनायी गयी है।
2. "लयकु लन्ना हाजा लि" (कि यह तो मेरा हक था) की तफसीर वाजेह हुई।
3. निज "इन्नमा उतितुहु अला इलमिन इनदी" (कि यह माल तो मुझे मेरे इल्म और कारोबारी तजुर्बे की बदौलत मिला है।) की तफसीर भी मालूम हुई।
4. हदीस में मजकूरा तीन आदमियों के इस नसीहत लेने वाले वाक्ये में जो बड़ी नसीहतें छुपी हुई हैं, इस बाब में उनका बयान भी है।

बाबः 49

औलाद मिलने पर अल्लाह तआला के साथ शिर्क करना

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُمَا صَٰلِحًا جَعَلَا لَهُۥ شُرَكَآءَ فِيمَآ ءَاتَىٰهُمَا ۚ فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٩٠﴾﴾ (الأعراف/٧: ١٩٠)

''जब अल्लाह ने उन्हें सही व तन्दुरुस्त बच्चा दिया तो उन्होंने उस दी हुई चीज में दूसरों को अल्लाह का शरीक ठहराया। पस अल्लाह इन शिर्किया बातों से जो यह करते हैं, बहुत ऊँचा है।''(सूरह आराफ, पारा 9 आयत 190)

इब्ने हज्म रह. कहते हैं: अहले इल्म का इस बात पर इत्तेफाक है कि जिस नाम में गैर अल्लाह की अब्दीयत का इजहार हो, वो हराम है, मसलन अब्द अम्र और अब्दुल काबा वगैरह। अलबत्ता ''अब्दुल मुत्तलिब'' नाम में अलग अलग राय है।

{गैर अल्लाह की तरफ अब्दीयत का ताल्लुक तमाम अम्बिया की शरीअतों में हराम रहा है, क्योंकि इससे नैमतों का ताल्लुक गैर अल्लाह की तरफ हो जाता है। जबकि नैमतों का ताल्लुक सिर्फ अल्लाह तआला ही की तरफ जाइज है। रबूबीयत व उलूहियत का हक गैर अल्लाह को देने में हद दर्जा बे-अदबी भी है। निज गैर अल्लाह का बन्दा कहलाना या किसी को गैर अल्लाह का बन्दा कहना मायने के लिहाज से भी गलत है।

अब्दुल मुत्तलिबः यानी अहले इल्म कहते हैं कि अब्दुल मुत्तलिब नाम रखना हराम नहीं, सिर्फ मकरूह (नापसन्द) है, जबकि कौल दुरुस्त नहीं। इनका इस्तदलाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस

फरमान से है जो आपने गजवा-ए-हुनैन के मौके पर फरमाया था "अन्ननबीयु ला-कजिबु अना-अबनु अब्दिल मुततलिब" "इसमें कोई शक नहीं कि मैं अल्लाह तआला का नबी हूँ और मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा (पोता) हूं।" उनका कहना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दादा का नाम "अब्दुल मुत्तलिब" बोलकर अपनी निस्बत उनकी तरफ की है, इससे मालूम हुआ कि अब्दुल मुत्तलिब नाम रखना सही है। मगर उनका इससे दलील लेना गलत है। क्योंकि आपने अपने दादा की निस्बत गैर अल्लाह की तरफ की है। ना उनको गैर अल्लाह का बन्दा कहा है बल्कि आपने तो अपने दादा का नाम "अब्दुल मुत्तलिब" सिर्फ इसलिए रखा है कि लोगों में यही नाम मशहूर मारूफ था। बाकी रहा बाज सहाबा का यह (अब्दुल मुत्तलिब) नाम रखना तो इस बारे में सही यह है कि उनका नाम अब्दुल मुत्तलिब नहीं बल्कि सिर्फ "मुत्तलिब" था। बाज रावियों की गलती से वो असल नाम (मुत्तलिब) की बजाये "अब्दुल मुत्तलिब" के नाम से मशहूर हो गये।}

ऊपर वाली आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं कि जब आदम व हवा अलैहि. आपस में मिले और हवा हामिला (पेट से) हुई तो इबलीस उनके पास आया और कहने लगा: मैं वही हूँ जिसने तुम्हें जन्नत से निकाला था। तुम मेरी एक बात मान लो, तुम बच्चे का नाम अब्दुल हारिस रखना। वरना मैं उसके सर पर बारहसिंगे के दो सींग बना दूंगा, जिसकी वजह से यह बच्चा तुम्हारा पेट चीरकर निकलेगा। मैं ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। ऐसी बातें करके उसने उनको खूब डराया धमकाया मगर आदम व हवा अलैहि. ने उसकी बात ना मानी और बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। हवा दोबारा हामिला (पेट से) हुई तो शैतान ने आकर फिर वही बात कही। मगर आदम हवा अलैहि. ने उसकी बात ना मानी और बच्चा मुर्दा पैदा हुआ। फिर जब हवा तीसरी बार हामिला (पेट से) हुई तो शैतान फिर आया और वही बातें करने लगा। उनके दिल में बच्चे की मुहब्बत पैदा हुई और उन्होंने बच्चा पैदा होने पर उसका नाम अब्दुल

हारिस रखा। इब्ने अब्बास रजि. कहते हैं "ज-अ-ल लहु शु-र-क-अ फिमा आताहुमा" (उन्होंने इस इनायत में दूसरों को अल्लाह का शरीक ठहरा दिया) की यही तफसीर है।

{इस वाक्ये को हाफिज इब्ने कसीर और अल्लामा नसरूद्दीन अलबानी रह. ने कमजोर कहा है। तफसील के लिए देखे तफसीर इब्ने कसीर 2/264 और अस्सिलसिलातुज जईफाः रकम 342

आदम हवा अलैहि. के बच्चे की अता में अल्लाह तआला के साथ शरीक ठहराने का मतलब यही है कि उन्होंने उसका नाम "अब्दुल हारिस" रखा और हारिस इब्लीस का नाम है। आदम व हवा अलैहि की यह पहली गलती ना थी बल्कि उससे पहले भी एक बार गलती कर चुके थे। एक हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः शैतान ने दो बार आदम व हवा अलैहि. को धोका दिया और यह औलमा-ए-किराम के यहां मशहूर है।

इसलिए इस आयत में "शुरकाअ" से "शिर्क फिल इबादत" नहीं बल्कि "शिर्क इताअत" मुराद हैं और यह भी मालूम हुआ कि हर गुनाहगार शैतान की इताअत करता है और बन्दे से जो भी गुनाह सादिर होता है वो शिर्क फिइताअत की वजह से होता है। इस वाक्ये से उनकी शान और मर्तबे में कोई कमी नहीं आती और ना उससे यह साबित होता है कि उन्होंने अल्लाह तआला के साथ शिर्क किया था। अहले इल्म के यहां यह बात मशहूर है कि अम्बिया किराम से छोटे गुनाहों का वाकेअ होना मुमकिन होता है। अलबत्ता वो उस पर हमेशगी नहीं करते। बल्कि वो उससे जल्दी ही माफी मांग लेते हैं। और अल्लाह तआला की तरफ तौबा करते हैं। बल्कि ऐसे वाक्या के बाद उनका अल्लाह तआला के साथ ताल्लुक पहले की निस्बत ज्यादा ही होता है। लिहाजा यहां शिर्क से "शिर्क फिइताअत" मुराद है ना कि "शिर्क फिल इबादत"}

इब्ने अबी हातिम ही ने कतादा रह. से सही सनद के साथ बयान किया है कि वो इस आयत के मुताल्लिक फरमाते हैं, आदम

व हवा अलैहि. ने शैतान का सिर्फ कहा माना था, उसकी इबादत नहीं की थी, यानी उनका यह शिर्क ''शिर्क फिइताअत'' था ना कि ''शिर्क फिल इबादत''

निज इब्ने अबी हातिम ही ने सही सनद के साथ मुजाहिद रह. से ''ल-इन आतयतना सालेहन'' की तफसीर में बयान किया है कि ''आदम व हवा को खतरा था कि शायद हमारा बच्चा इन्सान ना हो।'' हसन बसरी और सईद रह. वगैरह अहले इल्म से इसी किस्म की बातें आयी हुई हैं।

मसाईल

1. इस बहस से साबित हुआ कि हर वो नाम जिसमें गैर अल्लाह की तरफ अब्दीयत की निस्बत हो, हराम है।
2. सूरह आराफ की आयत 190 की तफसीर भी वाजेह हुई कि शिर्किया नाम रखना मना है।
3. इस किस्से में आदम व हवा अलैहि. के जिस शिर्क का जिक्र है, वो सिर्फ बच्चे का नाम रखने की हद तक था। हकीकी शिर्क ना था।
4. किसी के यहां सही व तन्दुरूस्त बेटी की पैदाईश भी अल्लाह तआला की बहुत बड़ी नैमत है।
5. उम्मत के औलमा-ए-किराम शिर्क फिइताअत और शिर्क फिल इबादत के बीच फर्क रखते थे।

बाब: 50

असमा-ए-हुस्ना (अच्छे नामों) का बयान

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا ۖ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ ۚ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٨٠﴾﴾ (الأعراف/٧ ١٨٠)

और अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम हैं, पस तुम उसे उन्हीं नामों से पुकारो और उन लोगों से दूर रहो जो उसके नामों में इल्हाद (कजी, टेढ़ापन) करते हैं, उन लोगों को उनके कामों की सजा जरूर मिलेगी। (सूरह आराफ, पारा 9 आयत 180)

{तमाम अच्छे अच्छे नाम अल्लाह तआला की शान के लायक हैं। लिहाजा अल्लाह तआला का हुक्म है कि उसे उन्हीं नामों से पुकारा और याद किया जाये। "फदअुहु बिहा" का मायना तफसीर करने वालों ने सना और इबादत का किया है। "यानी अल्लाह तआला के उन नामों के साथ उसकी तारीफ व बड़ाई की जाये और उसके दूसरे मायने दुआ और पुकार के भी हैं, यानी जब तुम अल्लाह तआला को पुकारो और उससे कोई चीज मांगो तो उसके नामों और बुलन्द सिफात का वसीला और वास्ता बनाकर उसे पुकारो। इसी आयत में दूसरा हुक्म यह है कि मुसलमानों पर वाजिब है कि अल्लाह तआला के नामों में टेढ़ापन करने वालों से अलग थलग रहें। अल्लाह तआला के नामों का ऐसा मतलब लेना जो हकीकत के उल्टे और अल्लाह तआला के हक में नामुनासिब हो, इल्हाद फिल असमा कहलाता है और उसकी अलग-अलग सूरते हैं।}

इस आयत की तफसीर में इब्ने अब्बास रजि. ने इल्हाद का

मायना शिर्क किया है। निज उन्होंने फरमाया कि मुश्रिकीन ने "अल्लाह" इस्मुल जलाला से "अल्लात" और अलअजीज" से अलउज्जा" मुशतक किया (बना लिया) था। (तफसीर इब्ने अबी हातिम)

आमश का कौल है कि असमा-ए-इलाहिया में टेढेपन का मतलब यह है कि दीन को बिगाड़ने वाले अल्लाह तआला के अच्छे नामों में अपनी तरफ से घड़कर बाज ऐसे नामों का इजाफा करते हैं जो हकीकत में उसके नाम नहीं हैं।

{इलहाद फिल असमा की अलग अलग सूरते हैं:

(अ) झूठे खुदाओं के नाम अल्लाह तआला के नामों जैसे रखना "अल-इला" से "अललात" और "अलअजीज" से "अलउज्जा" वगैरह।

(ब) यूं कहना कि अल्लाह तआला भी औलाद वाला है जैसा कि ईसाईयों ने ईसा अलैहि. को अल्लाह तआला का बेटा करार दिया है।

(स) अल्लाह तआला के तमाम नाम व सिफात का या उनमें से बाज का इनकार करना जैसा कि गाली (फिरका) जहमीया, अल्लाह के किसी भी नाम या खूबी को तो नहीं मानते, अलबत्ता यह कहते हैं कि अल्लाह मौजूद है और उसका वजूद बरहक है, लेकिन बगैर किसी नाम और खूबी के।

(द) अल्लाह तआला के नाम व खूबी के बारे में सही रास्ते से मुंह मोड़ कर उनका ऐसा मतलब मुराद लेना जिसकी शरई तोर पर बिलकुल इजाजत नहीं, बल्कि सलफ का सही अकीदा यह है कि अल्लाह तआला के तमाम नाम व सिफात को कबूल किया जाये और उन पर ईमान रखा जाये। उनकी ताविल करना या उनके मजाजी मायने मुराद लेना जाइज नहीं, जैसा कि मुअतजिला, अशाइरा, मातिरिदीया वगैरह ने किया।

इस तफसील से वाजेह हुआ कि इलहाद फिल असमा के मुख्तलिफ मरतबे और दर्जे हैं, इलहाद फिल असमा की बाज सूरतें कुफ्र हैं और बाज बिदअत, मजकूरा बाला सूरतों में से सबसे आखिरी सूरत बिलखसूस,

बिदअत के जुमरे में आती है, ना कि कुफ्र के जुमरे में। लिहाजा इस सूरत के इल्हाद के इतरकाब करने वाले काफिर नहीं, बल्कि बिदअतीं ठहरेंगे। अल्लाह तआला के नाम व सिफात के मसले के बारे में बहुत सी बहसें हैं, जिन्हें अकाईद की मुफस्सल किताबों में मुलाहजा किया जा सकता है।

ताअलीक अज मुतरजिमः सही बुखारी, किताबुद्दावात, बाबुन लिल्लाहि मिअतो इसमिन गैरावाहिदा, हदीसः 6410 में अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है कि अल्लाह तआला के निन्यानवें नाम हैं। जो उन्हें याद कर लेगा वो जन्नत में जायेगा, निज अल्लाह वितर (एक) है और वो वितर (ताक अदद) को पसन्द करता है। जामेअ तिरमजी की एक रिवायत में अल्लाह तआला के "99" नाम बयान हुए हैं। किताबुद्दावात, बाबो हदीसे फि असमा इल्लाहिलहुसना मअ जिकरिहा तमामन, हदीस : 3507}

मसाईल

1. इस बाब में अल्लाह तआला के लिए नामों को साबित करने का जिक्र है।
2. निज मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के सब नाम अच्छे हैं।
3. आयते करीमा असमा-ए-हुस्ना के जरीये से अल्लाह तआला को पुकारने और दुआ करने का हुक्म दिया गया है।
4. आयते मुबारका में यह हुक्म भी है कि जो जुहला और दीन को बिगाड़ने वाले, अल्लाह तआला के नामों व खूबियों का इनकार करे उनसे अलग थलग और दूर रहना चाहिए और उनसे छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए।
5. इब्ने अब्बास रजि. और आमश रजि. की बातों से इलहाद फिल असमा की तफसीर भी वाजेह हुई है।
6. निज इस तफसील से पता चला कि अल्लाह तआला के नामों में टेढ़ापन करने वालों के बारे में सख्त फटकार है।

बाब: 51

अस्सलामु अलल्लाह कहने की मनाही

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. कहते हैं: जब हम नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते तो हम

«اَلسَّلَامُ عَلَى اللهِ مِنْ عِبَادِهِ، السَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ وَّفُلَانٍ»

"अल्लाह तआला पर उसके बन्दों की तरफ से सलाम हो। फलां फलां शख्स पर भी सलाम हो।" कहते, इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ تَقُولُوا: السَّلَامُ عَلَى اللهِ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ السَّلَامُ»(صحيح البخاري، الأذان، باب التشهد في الاخرة، ٨٣١، ٨٣٥، ١٢٠٢، ٦٢٣٠ وصحيح مسلم، الصلاة، باب التشهد في الصلوة، ح:٤٠٢)

"अस्सलामु अलल्लाह" न कहा करो, क्योंकि अल्लाह तो खुद "अस्सलामु" (सलामती अता करने वाला) है।" (हदीस सही मुस्लिम 402)

{"अस्सलामु अलल्लाह" (अल्लाह तआला पर सलाम हो) कहना तौहीद के खिलाफ है। अल्लाह तआला का इरशाद है: "याअय्युहन्नासु अनतुमुल फुकराउ इलल्लाहि वल्लाहु हुवलगनियुल हमिद" (अल फातिर 15/35)

"लोगों! तुम अल्लाह तआला के मुहजात हो। जबकि अल्लाह तआला सबसे मुसतगनी (और) काबिले तारीफ है।" (सूरह फातिर, पा. 22 आ. 15)

इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआला अपने बन्दों का और उनके दुआईया कलमात का मुहजात नहीं। लिहाजा तौहीद का तकाजा यह है कि "अस्सलामु अलल्लाह" वगैरह अल्फाज ना कहे जायें क्योंकि इससे देखने में यह दिमाग में आता है कि शायद अल्लाह तआला बन्दों की तरफ से इस किस्म की दुआओं और कलमात का मुहताज और

चाहतमन्द है। हालांकि बन्दे तो खुद अल्लाह तआला की सलामती के मुहजात है। इस किस्म के अल्फाज तौहीद के खिलाफ हैं और इनसे तौहीद में कमी पैदा होती है। इसलिए ऐसे अल्फाज से बचना जरूरी है।}

{सहाबा किराम रजि. अल्लाह तआला के लिए तौहीद के तौर पर यह जुमला कहा करते थे। उनका कसद व इरादा अगरचे ठीक था लेकिन इस तारीफी अल्फाज, चूंकि अल्लाह तआला के शायां शान नहीं थे। बल्कि इनमें बे-अदबी थी जो कि अल्लाह तआला की रबूबियत और उसके नाम व खूबी के खिलाफ है। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया और ऐसा कलमा कहने को हराम करार दिया}

मसाईल

1. इस तफसील से सलाम की तफसीर हुई।
2. यह कलमा मुसलमानों का आपस में एक दूसरे के लिए तोहफा है।
3. "अस्सलामु अलल्लाह" कहना अल्लाह तआला की शान के लायक नहीं।
4. और "अस्स्लामु अलल्लाह" कहने की मनाही का सबब भी साफ हुआ कि अल्लाह तआला तो खुद "अस्सलाम" यानी सलामती बख्शने वाला है। उसे सलामती की दुआ की कोई जरूरत नहीं।
5. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को "अस्सलामु अलल्लाह" की बजाये "अत्तहय्यातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु के अल्फाज के साथ अल्लाह तआला के दरबार में तहिय्य-ए-ताजीम व तहनियत (इज्जत, अजमत की मुबारकबादी) की तालीम दी है जो अल्लाह तआला की जाते अकदस के लायक है।

बाबः 52

"या अल्लाह! अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे।" कहना सही नहीं।

{इस किस्म के अल्फाज में अल्लाह तआला की माफी से बेपरवाही और इस्तिगना (बेताल्लुकी) का इजहार होता है ताकि कहने वाले को अल्लाह तआला की माफी और बख्शीश की जरूरत नहीं। और वो अल्लाह के आगे झुकना नहीं चाहता। गोया वो अल्लाह का मुहताज नहीं बल्कि उससे अलग और लापरवाह है। चूंकि यह बात तौहीद के खिलाफ है, इसलिए इससे मना किया गया है।

तौहीद का तकाजा तो यह है कि इन्सान अपने रब के आगे अपनी जरूरतों का इजहार करता रहे, क्योंकि बन्दा एक पल के लिए भी उससे बेपरवाह नहीं रह सकता। बल्कि वो हरदम उसकी मगफिरत, माफी और उसके फजल का मोहताज है।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: اَللَّهُمَّ اغفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، اَللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللهَ لاَ مُكْرِهَ لَهُ»(صحيح البخاري، الدعوات، باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له، ح:٦٣٣٩، ٧٤٦٤ وصحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

"तुम में से कोई यूं दुआ ना करे कि या अल्लाह! अगर तू चाहता है तो मुझे बख्श दे, या अल्लाह! तू चाहता है तो मुझ पर रहम फरमा, बल्कि अल्लाह तआला से पूरे भरोसे से सवाल व दुआ करे,

क्योंकि कोई अल्लाह तआला को मजबूर करने वाला और उस पर दबाव डालने वाला नहीं।" (हदीस सही बुखारी 6339)

{यानी वो जब दुआ करे और अल्लाह तआला से माफी मांगे तो बेनियाजी, बेपरवाही और घमण्ड दिखाने की बजाये मोहताजी जाहिर करे।}

और सही मुस्लिम में है:

«وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللهَ لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ»(صحيح مسلم، الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ح:٢٦٧٩)

"और चाहिए कि वो खूब उम्मीद और ध्यान के साथ दुआयें करे, क्योंकि कोई चीज अता करना अल्लाह तआला के लिए कुछ मुश्किल नहीं।"

{इन्सान को चाहिए कि जब भी अल्लाह तआला से सवाल करे तो बेपरवाही और घमण्ड दिखाने के बजाये मुहताज व फकीर बन कर, पक्के इरादे और बहुत बेबस बनकर सवाल करे, क्योंकि यह तो इन्सान के खुद अपने यकीन की पुख्तगी की निशानी है वरना अल्लाह तआला को तो कोई भी मजबूर नहीं कर सकता। वो सारे जहां से गनी, कहहार (कहर ढ़ाने वाला) और बेहद गलबा व कुदरत रखने वाला है और यही उसके नामों और खूबियों का तकाजा है। इसलिए कोई चीज अता करना कुछ मुश्किल नहीं।

याद रहे! मरीज की बीमारी पूछने के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो यह साबित है कि आप "ल बा सा तुहुरून इन्शा अल्लाह" कहा करते थे तो इसका मतलब हरगिज बेयकीनी नहीं था, क्योंकि यह कलमात तो सिरे से दुआ ही नहीं बल्कि खबर और इत्लाअ है कि अगर अल्लाह तआला ने चाहा तो यह बीमारी गुनाहों से पाक कर देने का जरीया होगी। गौया दुआ में पुख्तगी और यकीन के साथ इस

बात का कोई ताल्लुक नहीं है।}

मसाईल

1. इस खुलासे से मालूम हुआ कि दुआ में इस्तिसना की मनाही है। यानी यूं नहीं कहना चाहिए कि "या अल्लाह! तू चाहता है तो मुझे बख्श दे।"
2. इसकी वजह यह है कि ऐसा कहने से इन्सान की बेपरवाही और घमण्ड का इजहार होता है।
3. पूरे वसूक (भरोसे) के साथ दुआ करनी चाहिए।
4. और दुआ में उम्मीद और दिली तव्वजुह भी बहुत ज्यादा होना चाहिए।
5. इसकी वजह यह है कि इन्सान बेबस और मोहताज है, जबकि अल्लाह तआला गनी और साहिबे कुदरत है, उसे कोई मजबूर नहीं कर सकता और ना ही उसके लिए कोई चीज अता करना कुछ मुश्किल है।

बाब: 53

किसी को "मेरा बन्दा" और "मेरी बन्दी" कहना मना है

{चूंकि अल्लाह तआला ही बन्दों का रब और उन पर कब्जा रखने वाला है। लोग उसे माने या ना मानें, दरहकीकत सब उसी के बन्दे है। इसलिए गुलाम और लौण्डी को अपना बन्दा या अपनी बन्दी कहने से मना किया गया है। क्योंकि इस तरह बन्दगी का ताल्लुक अपनी तरफ हो जाता है। जो कि अल्लाह तआला के अदब और इज्जते रबूबीयत के खिलाफ है, इसलिए अकसर अहले इल्म का कौल है कि मेरा बन्दा और मेरी बन्दी वगैरह अल्फाज जाइज नहीं। अलबत्ता बाज अहले इल्म ने ऐसे अल्फाज को महज नापसन्द लिखा है।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ، وَضِّىءْ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي وَمَوْلاَيَ وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي وَأَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي»(صحيح البخاري، العتق، باب كراهية التطاول على الرقيق، ح:٢٥٥٢ وصحيح مسلم، الألفاظ من الأدب وغيرها، باب حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولى والسيد، ح:٢٢٤٩)

"कोई शख्स यूं ना कहे, अपने रब को खाना खिला, अपने रब को वजू करा, बल्कि यूं कहना चाहिए, मेरा आका और मेरा मौला। और कोई यूं ना कहे, मेरा बन्दा और मेरी बन्दी, बल्कि यूं कहना चाहिए, मेरा गुलाम, मेरा खादिम, मेरी खादिमा।" (हदीस सही बुखारी 2552)

{इस हदीस में जो मनाही बयान हुई है, उसके बारे में अहले इल्म की अलग अलग राय है कि आया यह मजकूरा कलमात कहना हराम हैं या मकरूह? क्योंकि दरअसल इनका ताल्लुक, अदब से है। सही बात यह है कि किसी को "अबदी" (मेरा बन्दा) "अमती" (मेरी बन्दी) या "अतिइम रब्बका" (अपने रब को खाना खिला) कहना जाइज नहीं। अलबत्ता लफ्जे "रब" की निस्बत व इज़ाफत, बेजान चीज की तरफ की जा सकती है जैसे "रब्बुद्दार" (घर का मालिक) है, क्योंकि इस इस्तेमाल में उबूदियत का ख्याल ही नहीं है।

इस हदीस में यह भी बयान हुआ कि आका को सईद और "मौला" कहना चाहिए, क्योंकि इजाफत और निसबत के साथ लफ्ज "सईद" किसी इन्सान के लिए बोले जा सकते हैं। लफ्ज "सईद" अल्लाह तआला का नाम भी है और मखलूक के लिए भी बोला जाता है। लेकिन दोनों के मतलब में बहुत ज्यादा फर्क है। अल्लाह तआला के लिए इसका मतलब वही होगा जो उसके शायाने शान है। और मख्लूक के लिए वो जो इसकी कुदरत व ताकत के मुताबिक है। इसी तरह लफ्ज "मौला" के भी कई मायने हैं। और लफ्ज "सईद" की तरह लफ्ज "मौला" भी अल्लाह तआला का नाम हैं और यह लफ्ज किसी इन्सान के लिए भी बोला जा सकता है। लेकिन अल्लाह तआला के लिए बोले जाने में और मख्लूक के लिए बोले जाने में बहुत फर्क है। मखलूक के लिए इसका इस्तेमाल, एक हद तक और उसकी कुदरत और मकाम के लिहाज से होगा और अल्लाह तआला के लिए उसका मफहूम उसकी अजीम बादशाहत और सल्तनत के मुताबिक होगा।}

मसाईल

1. इस बहस से साबित हुआ कि गुलाम और लौण्डी को "अबदी" और "अमती" (मेरा बन्दा और मेरी बन्दी) कहना मना है।
2. और कोई गुलाम अपने आका को "रब्बी" (मेरा रब) ना कहे और ना किसी गुलाम से यूं कहा जाये "अतइम रब्बका" (कि

अपने रब को खाना खिलाओ।)

3. निज इस हदीस में आका और मालिक को तालीम दी गयी है कि वो अपने गुलाम और लौण्डी के लिए "अबदी" और "अमती" (मेरा बन्दा-मेरी बन्दी) की बजाये "फताया, फताति" और "गुलामि" के अल्फाज इस्तेमाल करें।
4. और गुलाम को तालीम दी गयी है कि वो अपने आका को "सय्यिदी" और "मौलाया" के अल्फाज से पुकारे।
5. इन हिदायत से असल मकसद यह है कि इन्सान का अकीदा-ए-तौहीद पूरे तौर पर पुख्ता हो, यहां तक कि अल्फाज इस्तेमाल में भी तोहीद के तकाजों को सामने रखते हुए इन्तेहाई अहतयात से काम लेना चाहिए।

बाबः 54

अल्लाह तआला के नाम पर सवाल करने वाले को खाली हाथ ना लौटाया जाये।

अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ سَأَلَ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوهُ لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»(سنن ابي داود، الزكاة، باب عطية من سأل بالله، ح: ١٦٧٢ وسنن النسائي، الزكاة، باب من سأل بالله عزوجل، ح: ٢٥٦٨)

"जो शख्स अल्लाह के नाम पर सवाल करे, उसे (कुछ ना कुछ) दो। और जो शख्स अल्लाह का वास्ता देकर पनाह मांगे, उसे पनाह दो। और जो शख्स तुम्हें दावत दे, उसकी दावत कबूल करो। और जो शख्स तुम्हारे साथ नैकी और अच्छा सलूक करे, तुम भी उसे उसका बदला दो। अगर तुम बदला ना दे सको तो उसके हक में इस कद्र दुआ करो कि तुम्हें यकीन हो जाये कि तुमने उसका बदला चुका दिया है।" (हदीस सुनन अबी दाउद 1672)

{जब कोई सवाल करने वाला अल्लाह तआला का नाम लेकर और उसका वास्ता देकर सवाल करे या कोई चीज मांगे तो अल्लाह तआला की इज्जत ध्यान में रखते हुए ऐसे सवाल करने वाले को खाली हाथ लौटाना नहीं चाहिए। शैखुल इस्लाम इमाम इब्ने तैमिया रह. और बहुत

से तहकीक करने वाले अहले इल्म का कौल है कि जब कोई शख्स अल्लाह तआला का नाम लेकर और उसका वास्ता देकर किसी एक मुतईयन इन्सान के सामने हाथ फैलाये और वो इन्सान उसकी जरूरत पूरी करने पर कादिर हो तो उसे खाली हाथ वापिस करना हराम है। अलबत्ता अगर वो किसी शख्स को मुतईन किये बगैर यूं ही आम तौर पर आवाज़ लगाये तो उसकी जरूरत पूरी करना सिर्फ जाइज है, जरूरी नहीं। और अगर यह मालूम हो कि सवाल करने वाला झूट बोलता है तो ऐसी सूरत में जबकि वो अल्लाह तआला के नाम पर सवाल करे तो उसकी जरूरत पूरी करना सिर्फ जाइज है और ना वाजिब है, ना मुस्तहब।}

{पनाह मांगने वाला चूंकि अल्लाह तआला की बहुत बड़ी जात का नाम लेकर पनाह मांगता है, इसलिए उसे पनाह देनी चाहिए। दावत के बारे में अकसर अहले इल्म का ख्याल है कि पैशे नजर हदीस में दावत के कबूल करने का हुक्म है। इससे शादी की दावत (वलीमा) मुराद है। आम दावतों को कबूल करना जरूरी नहीं, बल्कि महज मुस्तहब है। निज हदीस मजकूर में यह हुक्म भी है कि अहसानमन्द शख्स को अहसास कमतरी का शिकार होने और अहसान करने वाले के सामने अपनी बेबसी और बेकसी का इजहार करने के बजाये उसके अहसान का पूरा पूरा बदला देने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो उसके लिए इस कद्र दुआ जरूर करनी चाहिए कि इन्सान को यकीन हो जाये कि मैंने उसका बदला चुका दिया है। यकीनन यह तकवा अल्लाह के लिए ऐसा बुलन्द तरीन मुकाम है, जिसपर सच्चे मौमिन और मुकम्मल तौहिद परस्त ही अमल करने वाले होते हैं। अल्लाह तआला हमें भी उनमें से करें। आमीन!}

मसाईल

1. इस हदीस से मालूम हुआ कि जब कोई शख्स अल्लाह तआला का वास्ता देकर पनाह मांगे तो उसे पनाह दी जाये।

2. और जो शख्स अल्लाह तआला के नाम पर सवाल करे, उसे भी कुछ ना कुछ देना चाहिए।
3. और दावत देने वाले की दावत जरूर कबूल करनी चाहिए।
4. निज जो शख्स अच्छा सलूक करे, उसे उसका बदला भी देना चाहिए।
5. और जो शख्स अहसान का बदला ना दे सकता हो, उसे चाहिए कि वो अपने अहसान करने वाले के हक में दुआ ही कर दे।
6. और दुआ भी इस कद्र करे कि उसे यकीन हो जाये कि अब बदला चुकाया जा चुका है।

बाब : 55

अल्लाह तआला का वास्ता देकर सिर्फ जन्नत ही मांगी जाये।

{चूंकि अल्लाह तआला की जात बहुत पाक, मुबारक और बहुत बड़ी है। उसके नाम व खूबियाँ भी बहुत ज्यादा इज्जत के काबिल हैं और उनकी इज्जत उसी तरह करनी जरूरी है, जिस तरह उसकी शान के लायक है। यानी हम इन नाम व खूबियों के असल मायने जान लेने के बाद उनकी हालत (कंडिशन) अल्लाह तआला ही के हवाले कर दें और किसी की तरह करार दिये बगैर, और मिसाल बयान किये बगैर और रद्द किये बगैर उन पर ईमान रखें, और उसकी अजमत का यह तकाजा भी है कि उसके नाम व खूबियाँ, उसकी जात और उसके मुबारक चेहरे का वास्ता देकर उससे जन्नत जैसी अजीम नैमत ही मांगी जाये, और दुनिया की कोई भी हकीर (कमतर) चीज उसका वास्ता देकर ना मांगी जाये। गोया इस बाब में अल्लाह तआला के नाम व खूबियों की इज्जत करने से खबरदार किया गया है।}

जाबिर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ»(سنن أبي داود، الزكاة، باب كراهية المسألة بوجه الله عزوجل، ح:١٦٧١)

"अल्लाह तआला के चेहरे का वास्ता देकर जन्नत के सिवा कुछ ना मांगा जाये।" (हदीस सुनन अबी दाउद 1671)

मसाईल

1. इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह तआला का वास्ता देकर सबसे बड़े और अहम मकसद के अलावा और कोई चीज ना मांगी जाये।
2. निज इस हदीस में अल्लाह तआला के लिए ''वजहि'' (चेहरा) का सबूत है।

बाब: 56

किसी परेशानी या हादसे के बाद "अगर" और "काश" वगैरह अल्फाज के साथ अफसोस बयान करना मना है।

{बाज लोग लाइल्मी या कम इल्मी की बिना पर बेख्याली तौर पर तकदीर के शिकवे करने वाले होते हैं। जब कोई नापसन्द वाक्या या हादसा पैश आ जाये तो कहने लगते हैं कि अगर हम यूं कर लेते तो यूं हो जाता। अगर हम फलां तदबीर इख्तेयार कर लेते तो उस नुकसान और परेशानी से बच जाते, हालांकि जो कुछ पैश हो चुका है, अल्लाह को वही मंजूर था। इसलिए किसी पैश आने वाले वाक्ये, या परेशानी के बाद अगर मगर की बातें नहीं करनी चाहिए और अल्लाह तआला के फैसलों पर दिलो जान से राजी रहना चाहिए। अगर मगर की बातें करना हराम और निफाक (मुनाफिक) की निशानी है।}

अल्लाह तआला का इरशाद है:

﴿ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا ﴾ (آل عمران۳/ ۱۵٤)

"यह लोग (मुनाफिक) कहते हैं अगर हमारे बस में कुछ होता तो हम यहां कत्ल ना होते।" (सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 154)

निज इरशाद है:

﴿ الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا ﴾ (آل عمران۳/ ۱٦۸)

"यह (मुनाफिक) वो लोग हैं जो खुद तो (घरों में) बैठे रहे और

अपने (उन) भाईयों के बारे में (जिन्होंने अपनी जाने अल्लाह तआला की राह में कुर्बान कर दी) कहने लगे कि अगर वो हमारी बात मान लेते तो मारे ना जाते।" (सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 168)

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ، وَاسْتَعِنْ بِاللهِ، وَلاَ تَعْجزَنْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فلاَ تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا، وَلٰكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ، فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ»(صحيح مسلم، القدر، باب الإيمان بالقدر والإذعان له ح:٢٦٦٤ ومسند أحمد:٢/٣٦٦، ٣٧٠)

"उस चीज की लालच कर जो तेरे लिए फायदेमन्द हो। और सिर्फ अल्लाह तआला से मदद मांग। और आजिज व काहिल (थक जाने वाले और सुस्त हो जाने वाले) होकर ना बैठा रह। और अगर तुझे कोई परेशानी पहुंचे तो यूं ना कह, अगर मैं यह कर लेता तो यूं हो जाता। बल्कि यूं कह, यह अल्लाह तआला का फैसला है, उसने जो चाहा सो किया। इसलिए कि "अगर" कहना शैतानी अमल-दखल का सबब बनता है।" (हदीस सही मुस्लिम 2664)

{किसी गुजरे हुए काम के बारे में हसरत और अफसोस के इजहार के लिए "अगर" और "काश" जैसे अल्फाज इस्तेमाल करना हराम है। अलबत्ता आने वाले जमाने में होने वाले खैरो भलाई के किसी काम के लिए, रहमते इलाही की उम्मीद रखते हुए "अगर" का लफ्ज बोलना जाइज है। और अगर आने वाले वक्त में होने वाले किसी काम पर अपने तकबुर व गुरूर का इजहार करते हुए "अगर" का लफ्ज इस्तेमाल किया जाये तो हरगिज जाइज नहीं। यह तो गोया तकदीरे इलाही को चैलेंज है।}

मसाईल

1. इस बाब में सूरह आले इमरान की ऊपर वाली दो आयतें (154 और 168) की तफसीर है। जिनमें "अगर" कहने वाले मुनाफिकीन का बयान है।
2. और मालूम हुआ कि नुकसान होने पर अगर मगर कहना मना है।
3. और इसकी वजह यह है कि "अगर" कहने से शैतानी अमल दखल का दरवाजा खुलता है।
4. निज इस बयान की हुई हदीस में अच्छी बातचीत की रहनुमाई की गयी है।
5. और फायदेमन्द चीज को पाने की चाहत और इस सिलसिले में अल्लाह तआला से मदद मांगने का हुक्म भी किया गया है।
6. निज इस हदीस में बेबस, बेकार, और सुस्त होकर बैठे रहने की मनाही भी है।

बाबः 57

हवा और आंधी को गाली देने और बुरा-भला कहने की मनाही

{हवा और आंधी को गाली देना या बुरा-भला कहना, जमाने को बुरा भला कहने की तरह है जो कि अल्लाह तआला को तकलीफ पहुंचाने की तरह है। क्योंकि हवायें और आंधियां उसी के हुक्म से चलती हैं। अलबत्ता यूं कहने में कोई हर्ज नहीं कि हवा तेज है, हवा ठण्डी है, हवा गर्म है, वगैरह।}

उबै बिन कअब रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः "हवा को गाली ना दो, जब तुम नापसन्दीदा (हवा) देखो तो यह दुआ पढ़ोः

«اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيحِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيحِ وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ»(جامع الترمذي، الفتن، باب ما جاء في النهي عن سب الرياح، ح:٢٢٥٢)

"ऐ अल्लाह! हम तुझसे इस हवा और जो इसमें है, और जिसका इसे हुक्म दिया गया है, इसकी बेहतरी और भलाई का सवाल करते हैं और (ऐ अल्लाह!) हम इस हवा की बुराई और जो इसके अन्दर बुराई है और जिस बुराई का इसे हुक्म दिया गया है, उससे तेरी पनाह मांगते हैं।' (हदीस जामेअ तिरमजी 2252)

{यह हदीस दलील है कि हवाओं पर कब्जा अल्लाह तआला का है और यह उसी के हुक्म से चलती हैं वो इन्हें जैसे और जिधर चाहे चलाता है और जिधर चाहे मोड़ता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी कि जब नापसन्द हवा (आंधी) देखो तो यह दुआ (बयान की हुई) पढ़ा करो।}

मसाईल

1. इस हदीस से मालूम हुआ कि हवा को गाली देना या बुरा-भला कहना मना है।
2. इसमें यह तालीम दी गयी है कि जब इन्सान को कोई नापसन्दीदा और नाखुश गवार चीज नजर आये तो फायदेमन्द चीज की दुआ करनी चाहिए।
3. और यह भी मालूम हुआ कि हवा खुद-ब-खुद नहीं चलती, बल्कि यह अल्लाह तआला के हुक्म से चलती है और उसी की की पाबन्द है।
4. निज हवा को कभी भलाई का और कभी नुकसान का हुक्म भी होता है।

बाब : 58

अल्लाह तआला के फैसलों के बारे में बद-गुमानी (गलत सोच) करने की मनाही

{रब होने में और नामों और खूबियों में अल्लाह तआला की यह भी अजमत है कि वो कोई काम हिकमते बालिगा (बेहतरीन फायदे) के बगैर नहीं करता। इसलिए वाजेह है कि अल्लाह तआला के बारे में अच्छा ख्याल रखा जाये। उसकी कमाल हिकमत, रहमत, और इन्साफ का यह भी तकाजा है कि कुफ्फार की तरह उसके बारे में कोई बदगुमानी ना की जाये। यह तोहीद के खिलाफ है। शिर्क करने के साथ साथ कुफ्फार यह भी समझते हैं कि अल्लाह तआला के काम सही नहीं। उनके इस अकीदे में अल्लाह तआला की रहमत और तकदीर का इनकार है। कुफ्फार के इन अकाईद (ख्यालात) को बयान करके अल्लाह तआला ने उनका रद्द किया है।}

इरशादे इलाही है:

﴿ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الْأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾ ﴾ (آل عمران٣/ ١٥٤)

"यह (मुनाफिकीन) अल्लाह के बारे में (अय्याम) जाहिलीयत के से बेवकूफी के ख्यालात करते हैं, कहते हैं कि (इस हुक्म में) हमें भी

कुछ इख्तेयार है? आप फरमा दें कि (इन कामों में किसी का कुछ हिस्सा नहीं) सारे इख्तेयारात अल्लाह के कब्जे में हैं। यह लोग अपने दिलों में (बहुत सी बातें) छुपाकर रखते हैं जो आप पर जाहिर नहीं करते, कहते हैं कि अगर हमारे बस में होता तो हम यहां मारे ना जाते। आप उनसे कह दें कि अगर तुम अपने घरों में भी होते तो जिनकी मौत लिखी थी, वो जरूर अपनी कत्ल होने की जगह तक निकल आते और (यह सारा माजरा) इसलिए (पेश आया) कि अल्लाह तुम्हारे सीनों को आजमाईश और तुम्हारे दिलों में जो कुछ है, उसे खालिस कर दे और निखार दे। यकीनन अल्लाह दिलों का हाल खूब जानता है।"(सूरह आले इमरान, पारा 4 आयत 154)

निज फरमाया:

﴿ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ﴾ (الفتح٤٨/٦)

"जो लोग अल्लाह के बारे में बुरे ख्याल रखते हैं, बुराई का वबाल उन्हीं पर पड़ेगा।"(सूरह फत्ह, पारा 26 आयत 6)

इमाम इब्ने कईय्यम रह. पहले बयान की गयी आयत के बारे में फरमाते हैं कि इस आयत में लोगों के जिस जाहिलाना नाहक ख्यालात का जिक्र है, वो यह है कि वो लोग गुमान करने लगे थे कि अल्लाह सुब्हान व तआला अपने रसूल की मदद नहीं करेगा, और उसकी दावत और मिशन जल्दी ही खत्म हो जायेगा। और उसकी एक तफसीर यह भी है कि वो गुमान करने लगे थे कि मुसलमानों पर जो मुसीबत आयी है, वो अल्लाह तआला की तकदीर और हिकमत से नहीं थी। गोया वो लोग अल्लाह तआला की हिकमत, तकदीर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबी का इनकार करने और समझने लगे थे, कि यह दीन बाकी दीनों पर गालिब (ऊँचा) नहीं आयेगा।

मुनाफिकीन और मुश्रिकीन का यही वो गलत गुमान है, जिसका जिक्र सूरह फत्ह की आयत में हुआ है।

﴿ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوْءِۚ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ ٱلسَّوْءِۖ﴾ (الفتح٤٨/٦)

"जो लोग अल्लाह तआला के बारे में गलत गुमान रखते हैं, उसका वबाल उन्हीं पर आयेगा।"

क्योंकि ऐसा गुमान अल्लाह तआला की शान, मर्तबा, उसकी हिकमत, तारीफ व बुजुर्गी और सच्चे वादे के खिलाफ है। पस जो शख्स समझे कि अल्लाह तआला झूठ को हक पर गालिब रखेगा और उसके नतीजे में हक मिट जायेगा, या जो शख्स यह समझे कि फलां फैसला अल्लाह तआला के फैसले से नहीं हुआ, या जो इन्सान यह समझे कि अल्लाह तआला की तकदीर, पूरी हिकमत पर मब्नी और काबिले तारीफ नहीं, बल्कि यह सिर्फ मर्जी है तो ऐसा अकीदा रखने ओर ऐसी बातें करने वाले काफिर हैं, उनके लिए जहन्नम का अजाब है। बहुत से लोग अपने और दूसरों से मुताल्लिक कामों में अल्लाह तआला के बारे में बुरे ख्याल रखते हैं। इस बदगुमानी से वही लोग महफूज रहते हैं जो अल्लाह तआला की जात, उसके नाम और खूबियों और उसकी हिकमत व तारीफ की वजह को पहचानते हैं। पस जो अकलमन्द शख्स अपनी भलाई चाहता है, उसे चाहिए कि इन सब कामों का ख्याल रखे और अल्लाह तआला के सामने अपनी गलत सोच और गलत ख्यालात की शिकायत पैश करके तौबा व इस्तगफार करे।

अगर आप गौर करें तो पता चलेगा कि ज्यादातर लोग तकदीर की शिकायत और सही रास्ते से हटे हुए हैं। वो तकदीर का शिकवा करते नजर आते हैं कि फलां काम यूं होना चाहिए था और फलां यूं। किसी शख्स में यह कमी थोड़ी है और किसी में ज्यादा। आप भी अपना जायजा लें कि आप की क्या सूरते हाल है? क्या आप ऐसी बुरी सोच से बचे हुए हैं?

فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيْمَةٍ

وَإِلاَّ فَإِنِّي لاَ إِخَالُكَ نَاجِيًا

"अगर आप इससे बचे हुए हैं तो आप एक बहुत बड़ी मुसीबत से बच चुके हैं। वरना मैं नहीं समझता कि आप के लिए कोई बचाव का रास्ता हो।"

{इसकी असल वजह यह है कि लोग आम तौर पर अल्लाह तआला के मुकाम व मर्तबे से अंजान है और बहुत से लोग ऐसी बदगुमानी से बजाहिर मजफूँज होते हैं मगर छुपे तौर पर उनके दिलों में भी बदगुमानी और बदअकीदगी पायी जाती है। इसलिए जरूरी है कि मौमिन अपने दिल को अल्लाह के बारे में हर किस्म की बदगुमानी से साफ रखे और अल्लाह तआला के असमा व सिफात और कायनात में उनके असरात पर गौरो फिक्र करता रहे, ताकि उसके दिल में अल्लाह तआला के बारे में यह अकीदा जमा रहे कि अल्लाह तआला की जात, हक है और उसका हर काम और फैसला बरहक है, अगरचे बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ पहुंचे।}

मसाईल

1. इस बाब से सूरह आले इमरान की आयत 154 की तफसीर हुई, जिसमें अल्लाह तआला के बारे में बदगुमानी रखने का बयान है।
2. सूरह फतह की तफसीर भी मालूम हुई कि जो लोग अल्लाह तआला के बारे में बदगुमानी रखते हैं, उनका वबाल उन्हीं पर पड़ेगा।
3. बदगुमानी की सूरतें बहुतसी हैं।
4. अल्लाह तआला के बारे में बदगुमानी से वही महफूज रह सकता है, जो उसके नामों और खूबियों की हकीकत पहचानने और जानने के साथ साथ दिली इल्म से भी जानकार हो।

❖❖❖

बाब :59

मुनकिरीने तकदीर (तकदीर के इनकार करने वालों) का बयान

{तकदीरः तकदीर का मतलब यह है कि अल्लाह तआला को हर चीज के बारे में पहले से पूरा इल्म है, उसने वो सब कुछ अपने यहां ''लोहे महफूज'' में लिख रखा है और हर हुक्म में उसकी चाहत ही चलती है। वही हर चीज का और हर चीज की तमाम अच्छाईयों का पैदा करने वाला हैं यहां तक कि वही अपने बन्दों के कामों का भी खालिक है।

जैसा कि उसने फरमायाः
''अल्लाहु खालिकु कुल्लि शय्यइन'' (अर्रअद, 16) ''अल्लाह तआला हर शय का खालिक है।'' यानी बन्दों का भी और उनके कामों का भी।

जब तक तकदीर पर ईमान का जुबान से इकरार और उसे दिली तौर पर माना न जाये, उस वक्त तक तकदीर पर ईमान पूरा नहीं हो सकता।

अल्लाह तआला के इल्म और लोहे महफूज में उसकी लिखावट का इनकार करना कुफ्र हैं तकदीर की बाज सूरतें ऐसी हें जिनका इनकार कुफ्र से कम दर्जे का है और चीजों के बारें में अल्लाह तआला की नाफरमानी और उसकी पैदाईश का इनकार बिदअत और तौहीद के खिलाफ है।}

अब्दुल्लाह बिन उमर रजि. ने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में अब्दुल्लाह बिन उमर की जान है! अगर किसी के पास उहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च कर दे, तो उसका यह काम अल्लाह के यहां उस वक्त तक कबूल नहीं होगा, जब तक कि वो तकदीर पर ईमान ना लाये। फिर उन्होंने अपनी इस बात पर सबूत के तौर पर, नबी सल्लल्लाहु

अलैहि वसल्लम का यह इरशाद पैश कियाः

«الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»(صحيح مسلم، الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، ح:٨)

''ईमान यह है कि तू अल्लाह तआला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, कयामत के दिन और तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान लाये।'' (हदीस सही मुस्लिम 8)

{इब्ने उमर रजि. ने यह बात इसलिए कही कि अल्लाह तआला सिर्फ मुसलमान शख्स के अच्छे कामों को कबूल करता है और जिस शख्स का तकदीर पर ईमान ना हो, बल्कि वो तकदीर का इनकार करने वाला हो तो वो मुसलमान ही नहीं, इसलिए उसका कोई भी काम कबूल नहीं हो सकता, चाहे वो उहद पहाड़ के बराबर सोना ही अल्लाह तआला की राह में खर्च क्यों ना कर दे।

याद रहे! तकदीर की भलाई और बुराई का ताल्लुक इन्सान के साथ है। वरना तकदीर तो अल्लाह तआला का काम है और अल्लाह तआला के तमाम काम खेर ही पर टिके हुए हैं। क्योंकि उनमें उसकी बहुत बड़ी समझ होती है।}

उबादा बिन सामित रजि. ने अपने बेटे से फरमायाः बेटा! तू उस वक्त तक ईमान का मजा नहीं पा सकता, जब तक यह यकीन ना कर ले कि जो (तकलीफ) तुझे पहुंचने वाली है, वो तुझसे कभी टल नहीं सकती और जो नहीं पहुंची, वो कभी तुम तक पहुंच नहीं सकती।

{इसलिए कि तकदीर में यह सब कुछ लिखा जा चुका है। तकदीर पर ईमान का मतलब यह है कि इन्सान यह अकीदा रखे कि वो कामों को

करने में सिर्फ मजबूर नहीं, बल्कि अल्लाह तआला की तरफ से उसे आजादी दी गयी है। वो अपनी मर्जी और इख्तेयार से अच्छा या बुरा जो करना चाहे, कर सकता है। इसी लिए तो उसे नेकी करने और बुराई से बचने का हुक्म दिया गया है। अगर सिर्फ मजबूर हो तो हुक्म देने की जरूरत ही नहीं थी।}

मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुनाः

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَقَالَ: رَبِّ! وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ»

"अल्लाह तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे लिखने का हुक्म दिया। उसने कहाः ऐ मेरे रब! क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमायाः कयामत तक आने वाली हर चीज की तकदीर लिख दे।"

बेटा! मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते सुनाः

«مَنْ مَّاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّي»(سنن أبي داود، السنة، باب في القدر، ح:٤٧٠٠)

"जो शख्स इस अकीदे के अलावा दूसरे अकीदे पर मरा, वो मेरी उम्मत से नहीं।" (हदीस सुनन अबी दाउद 4700)

और मुसनद अहमद की एक रिवायत में हैः

«إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ تَعَالَى الْقَلَمُ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، فَجَرٰى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ مَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»(مسند أحمد:٥/ ٣١٧)

"अल्लाह तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया, और उसे लिखने का हुक्म दिया, चूनांचे उसने उसी वक्त कयामत तक होने

वाली हर बात लिख दी।"

और इब्ने वहब की एक रिवायत में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«فَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللهُ بِالنَّارِ»(أخرجه ابن وهب في "القدر" رقم(٢٦) وابن أبي عاصم في "كتاب السنة"، ح:١١١ والآجري في "الشريعة": ١٨٦)

"जो शख्स तकदीर की भलाई और बुराई पर ईमान ना रखे, अल्लाह उसे दोजख में जलायेगा।"

इब्ने दैलमी से रिवायत है, कहते हैं कि मैं उबै बिन कअब रजि. की खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा: मेरे दिल में तकदीर के बारे में कुछ शक हैं, आप कोई हदीस बयान फरमायें, ताकि अल्लाह तआला मेरे दिल से उन शक-शुबों को खत्म कर दे। उबै बिन कअब रजि. ने फरमाया:

«لَوْ أَنْفَقْتَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَّا قَبِلَهُ اللهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ، وَتَعْلَمَ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، وَلَوْ مُتَّ عَلَى غَيْرِ هٰذَا لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ»(سنن أبي داود، السنة، باب في القدر، ح:٤٦٩٩ ومسند أحمد:٥/١٨٢، ١٨٥، ١٨٩)

"अगर तुम उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च कर दो तो तुम्हारा यह अमल उस वक्त तक कबूल ना होगा, जब तक तुम तकदीर पर ईमान ना लाओ और साथ यह यकीन ना रखो कि जो तकलीफ तुम्हें पहुंचने वाली है, वो तुमसे टल नहीं सकती और जो मुसीबत आने वाली नहीं, वो कभी तुम तक पहुंच नहीं सकती। अगर तुम्हारा अकीदा इसके खिलाफ हो और तुम इसी तरह मर गये तो तुम जहन्नमियों में से होगे।"

इब्ने दैलमी कहते हैं: मैं उसके बाद अब्दुल्लाह बिन मसऊद,

हुजैफा बिन यमान और जैद बिन साबित रजि. के पास गया, (और उनको अपने शुब्हात से खबरदार किया) तो उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस सुनायी।''

मसाईल

1. इस तफसील से साबित हुआ कि तकदीर पर ईमान लाना फर्ज (बहुत जरूरी) हैं
2. तकदीर पर ईमान लाने की सूरत और हालत भी साफ हुई।
3. तकदीर पर ईमान ना लाने वाले के तमाम काम बर्बाद हो जाते हैं।
4. तकदीर पर ईमान लाने के बगैर ईमान के मजे से फायदा नहीं उठाया जा सकता।
5. अल्लाह तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया।
6. तो कलम ने अल्लाह तआला के हुक्म से उसी वक्त कयामत तक होने वाले तमाम काम लिख डाले।
7. तकदीर पर ईमान ना लाने वालों से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेजारी और लाताल्लुकी का इजहार फरमाया है।
8. निज सल्फे सालेहिन शक पैदा होने की सूरत में आलिमों की खिदमत में हाजिर होकर अपनी तसल्ली किया करते थे।
9. सहाबा किराम रजि. ने उस (इब्ने दैलमी) के शुब्हात को खत्म करने के लिए जवाब दिया और अपने दलाईल को सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मनसूब किया।

❖❖❖

बाब: 60

तस्वीरें खींचने-बनाने वालों का हुक्म

{हाथ से किसी चीज की असल सूरत जैसी शक्ल बनाने वाले को पेन्टर या फोटोग्राफर और उस पैशे को पेन्टिंग या फोटोग्राफी कहते है। किसी जानदार की तस्वीर बनाना दो तरह से हराम है।

एक तो इसलिए कि उसमें अल्लाह तआला की तकलीख (पैदाईश) से मुशाबहत (बराबरी) है कि जैसे अल्लाह तआला ने वो चीज बनायी, पेन्टर या फोटोग्राफर भी उसी जैसी चीज बनाने की कोशिश करता है। दूसरे, यह कि तस्वीर और मुजस्समा साजी अल्लाह तआला के साथ शिर्क का सबब और जरीया भी बनती है। बहुत से मुश्रिकीन तस्वीरें और मूर्तियों की वजह से शिर्क में फंसे हुए। इसीलिए तौहीद का तकाजा यह है कि तस्वीर को बाकी ना रहने दिया जाये।}

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«قَالَ اللهُ تَعَالٰى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً»(صحيح البخاري، اللباس، باب نقض الصور، ح:٥٩٥٣، ٧٥٥٩ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان . . .، ح:٢١١١)

"अल्लाह तआला फरमाता है: उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी पैदा की हुई जैसी बनाने की कोशिश करता है। ऐसे लोग एक जर्रा, एक दाना या एक जौ ही बनाकर दिखायें।" (हदीस सही मुस्लिम 2111)

{तस्वीर साजी और तस्वीरकशी का अमल गोया इस बात का इजहार होता है कि पेन्टर, अल्लाह तआला की तख्लीक जैसी तख्लीक करना चाहता है जबकि दरहकीकत, अल्लाह तआला की तख्लीक जैसी तख्लीक कोई कर ही नहीं सकता। यही वजह है कि पेन्टर का यह अमल अपने आपको अल्लाह तआला के बराबर बनाने की बराबर है। इसीलिए वो मखलूक में सबसे बड़ा जालिम है।

तस्वीरकशी (फोटोग्राफी) ओर तस्वीरसाजी करने वालों को उनकी बेबसी और बेकसी का अहसास और ख्याल दिलाने के लिए अल्लाह तआला उन्हें चैलेंज कर रहा है कि यह लोग अगर मेरी मख्लूक जैसी तख्लीक करने की कोशिश में हैं तो फिर जरा एक जर्रा, एक दाना या एक जौ तो बनाकर दिखायें ताकि उन्हें अपनी कुदरत व इख्तेयार का अन्दाजा हो सके।}

सैयदा आईशा रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللهِ» (صحيح البخاري، اللباس، باب ما وطىء من التصاوير، ح:٥٩٥٤ وصحيح مسلم، اللباس، تحريم تصوير صورة الحيوان...، ح:٢١٠٧)

''कयामत के दिन सबसे सख्त अजाब उन लोगों को होगा जो (चीजों को बनाने और पैदा करने में) अल्लाह तआला की तख्लीक (बनाई हुई) की बराबरी करते हैं।'' (हदीस सही मुस्लिम 2107)

{तस्वीर और मुजस्समा साज़ी में अल्लाह तआला की तख्लीक के साथ बराबरी की एक सूरत तो यह है कि पेन्टिंग या मुजस्समा साज इस इरादे से कोई बूत, मुजस्समा या तस्वीर बनाये कि लोग उसकी पूजा करें। ऐसा करना कुफ्र है। दूसरी सूरत यह है कि पेन्टर कोई तस्वीर बनाये

और यह समझे कि मेरी बनायी हुई फलां चीज की तस्वीर पर अल्लाह तआला की बनायी हुई चीज से ज्यादा बेहतर और खूबसूरत हैं यह भी कुफ्र है। इन दोनों सूरतों के सिवा बाकी सूरतों में हाथ से तस्वीर या मुजस्समा बनाना ऐसा कुफ्र तो नहीं, जिससे इन्सान इस्लाम के दायरे से बाहर निकल जाये, अलबत्ता बड़ा गुनाह जरूर है। ऐसा करने वाले पर लानत और उसे जहन्नम की फटकार है।}

अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजि. कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना:

«كُلُّ مُصَوِّرٍ فِي النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا فِي جَهَنَّمَ» (صحيح البخاري، البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح ...، ح:٢٢٢٥، ٥٩٦٣، ٧٠٤٢ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان...، ح:٢١١٠)

"हर पेन्टर जहन्नम में जायेगा। उसकी बनायी हुई तस्वीर के बदले में एक जान बनायी जायेगी जिसके जरीये उससे (पेन्टर) को जहन्नम में अजाब दिया जायेगा।" (हदीस सही बुखारी 2225)

{इस हदीस से यह इशारा मिलता है कि जिन अहादीस में तस्वीरें बनाने पर फटकार आयी है, उनसे जानदार और रूह वाली चीजों की तस्वीर बनाना मुराद है।}

इब्ने अब्बास रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ، وَلَيْسَ

بِنَافِخٍ»(صحيح البخاري، اللباس، باب من صور صورة كلف يوم القيامة. ح:٥٩٦٣ وصحيح مسلم، اللباس، باب تحريم تصوير صورة الحيوان. ح:٢١١٠)

"जिसने दुनिया में कोई तस्वीर बनायी, उसे कयामत के दिन उस तस्वीर में रूह फूंकने का हुक्म दिया जायेगा, मगर वो उसमें रूह हरगिज ना फूंक सकेगा।" (हदीस सही बुखारी 5963)

{रूह फूंकना अल्लाह तआला का काम है। कोई इन्सान ना तो रूह बना सकता है और ना किसी में रूह डाल सकता है।}

अबूल हयाज असदी कहते हैं अली रजि. ने मुझसे फरमाया:

«أَلاَ أَبْعَثُكَ عَلٰى مَا بَعَثَنِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ: أَنْ لاَ تَدَعْ صُورَةً إِلاَّ طَمَسْتَهَا، وَلاَ قَبْرًا مُّشْرِفًا إِلاَّ سَوَّيْتَهُ»(صحيح مسلم، الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر، ح:٩٦٩)

"क्या मैं तुम्हें उस काम पर ना भेजूं जिस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भेजा था। वो यह कि तुम किसी तस्वीर को मिटाये बगैर और किसी बुलन्द कब्र को जमीन के बराबर किये बगैर ना छोड़ना।" (हदीस सही मुस्लिम 969)

{चूंकि तस्वीर शिर्क के जरियों में से एक जरिया है, इसलिए इन अहादीस में इस पर ज्यादा जोर दिया गया है। पैशे नजर हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊँची कब्र और तस्वीर को बराबर हैसियत से जिक्र किया है। क्योंकि जिस तरह बुलन्द कब्र शिर्क का सबब बनती है, उसी तरह तस्वीर भी शिर्क का सबब बनती है। इसलिए यह हुक्म दिया कि कोई तस्वीर बाकी रहने दी जाये ना कोई ऊँची कब्र।}

मसाईल

1. मजकूरा अहादीस में तस्वीर बनाने वालों के लिए बहुत बड़ी फटकार बयान हुई है।
2. इस फटकार का सबब और बुरी और हराम होने की वजह यह है कि यह अमल, अल्लाह तआला के सामने बहुत बड़ी बेअदबी और गुस्ताखी है। जैसाकि हदीसे कुदसी है कि अल्लाह तआला ने फरमायाः ''उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो मेरी तरह पैदा करने और बनाने की कोशिश करता है।''
3. अल्लाह तआला की अजीम कुदरत और मख्लूक की कमजोरी और बहुत आजजी का भी यही बयान है कि यह लोग एक जर्रा, एक दाना या एक जौ भी बनाने पर कादिर नहीं हैं।
4. वो इस तरह कि अल्लाह तआला हर तस्वीर के बदले एक जान पैदा करेगा, जिसके जरीये से तस्वीर बनाने वाले को जहन्नम में अजाब दिया जायेगा।
5. और पेन्टर को उसकी बनायी हुई तस्वीरों में रूह फूंकने का हुक्म दिया जायेगा, मगर वो उसमें रूह ना फूंक सकेगा।
7. यह भी मालूम हुआ कि तस्वीर जहां भी हो, उसे मिटा देने का हुक्म है।

बाबः 61

कसरत से (बहुत ज्यादा) कसम उठाना मजमूम (तौहीद के खिलाफ) है

{बहुत ज्यादा कसमें उठाना तौहीद के खिलाफ है। जिस शख्स का अकीदा-ए-तौहीद पुख्ता और मजबूत हो, वो कसम उठाते वक्त अल्लाह तआला को बीच में नहीं लाता। गलत कसम अगरचे माफ है और उस पर कोई पकड़ नहीं, फिर भी सही यह है कि तौहीद परस्त आदमी अपनी जुबान और दिल को कसम की ज्यादती से बचाए रखे।}

अल्लाह तआला का इरशाद हैः

﴿وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ﴾ (المائدة:٥/٨٩)

"और तुम अपनी कसमों की हिफाजत करो। "यानी जब कसम उठाओ तो उसे पूरा करो।" (सूरह माइदह, पारा 7 आयत 89)

अबू हुरैरा रजि. से रिवायत है, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनाः

«الْحِلْفُ مُنْفِقَةٌ لِّلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِّلْكَسْبِ» (صحيح البخاري، البيوع، باب "يمحق الله الربوا ويربي الصدقٰت"، ح:٢٠٨٧ وصحيح مسلم، المساقاة، باب النهي عن الحلف في البيع، ح:١٦٠٦)

"कसम, चीजों को बेचने का जरीया तो है, मगर उससे बरकत उठ जाती है।" (हदीस सही बुखारी 2078)

{यह गौया एक कसम की सजा है, क्योंकि चीजों को बेचने में कसमें उठाना और अल्लाह तआला के नाम को बीच में लाना उसकी शान के

खिलाफ है।}

सलमान रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ، وَلاَ يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: أُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللهَ بِضَاعَتَهُ، لاَ يَشْتَرِي إِلاَّ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَبِيعُ إِلاَّ بِيَمِينِهِ»(معجم الكبير للطبراني، رقم:٦١١١)

"तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, जिनसे (कयामत के दिन) अल्लाह तआला ना तो बात करेगा, और ना उन्हें (गुनाहों से) पाक करेगा और उनके लिए दर्दनाक अजाब होगा।:
(1) जिना करने वाला बूढ़ा (2) मुतकब्बिर फकीर (घमण्ड करने वाला फकीर) (3) और वो शख्स जिसने अल्लाह तआला को अपनी तिजारत (व्यापार) का सामान समझा हुआ है कि उसकी कसम ही से खरीदता है और उसकी कसम ही से बेचता है।" (हदीस मोअजम कबीर तिबरानी)

{इस हदीस से मालूम हुआ कि लेन-देन के वक्त बिना जरूरत अल्लाह की कसमें उठाते रहना बड़ा गुनाह है।}

इमरान बिन हुसैन रजि. कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«خَيْرُ أُمَّتِي قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ قَالَ عِمْرَانُ: فَلاَ أَدْرِي أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»(صحيح

البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي ﷺ . . .، ح: ٣٦٥٠ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم، ح: ٢٥٣٥)

''मेरी उम्मत का सब से बेहतर जमाना, मेरा जमाना है। फिर वो जो उसके बाद होगा, फिर वो जो उसके बाद होगा।'' (हजरत इमरान रजि. कहते हैं, मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने अपने जमाने के बाद दो जमानों का जिक्र किया था, या तीन का?) फिर आपने फरमाया ''तुम्हारे बाद ऐसे लोग होंगे जो बिना मांगे गवाही देंगे, ख्यानत करने वाले होंगे, अमानतदार नहीं होंगे, नजर मानेंगे तो पूरी नहीं करेंगे और उनमें मोटापा जाहिर होगा।'' (हदीस सही बुखारी 3650)

अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ»(صحيح البخاري، فضائل أصحاب النبي ﷺ، باب فضائل أصحاب النبي ﷺ ومن صحب النبي. . .، ح: ٣٦٥١ وصحيح مسلم، فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ح: ٢٥٣٣)

''सब से बेहतर लोग मेरे जमाने के हैं, फिर वो जो उनके बाद होंगे, फिर वो जो उनके बाद आयेंगे, फिर ऐसे लोग आयेंगे जिनकी गवाही, कसम पर और उनकी कसम, गवाही पर आगे बढ़ जायेगी।''
(यानी वो लोग गवाही और कसम के बारे में बहुत ज्यादा बेपरवाह होंगे और वो आनन फानन बगैर सोचे समझे कसम और गवाही के लिए तैयार हो जायेंगे।) (हदीस सही बुखारी 3651)

इब्राहिम नखई रह. फरमाते हैं कि हमारे बचपन में हमारे बुजुर्ग गवाही और वादे पर कायम रहने की तरबीयत की खातिर हमें सजा

दिया करते थे।

{यानी असलाफ, अल्लाह तआला की ताजीम दिलों में मजबूत करने के लिए अपनी औलाद की इस अन्दाज से तरबीयत किया करते थे}

मसाईल

1. बाब के शुरू में सूरह मायदा की मजकूरा आयते करीमा 89 में कसमों की हिफाजत और उन्हें पूरा करने का पक्का हुक्म है।
2. हदीस से साबित हुआ कि कसम चीजों की बेचने का एक जरीया तो है, मगर उससे बरकत खत्म हो जाती है।
3. दूसरी हदीस से यह भी मालूम हुआ कि जो शख्स माल खरीदते और बचते वक्त ख्वाम-ख्वाह कसमें उठाये, उसके लिए सख्त फटकार है।
4. यह आगाह करना भी है कि अगरचे वजह छोटे गुनाहों की हों, मगर ज्यादा झुकाव के सबब छोटे गुनाह भी बड़े बन जाते हैं।
5. हदीस में उन लोगों की बुराई की गयी है जो कसम उठाये बगैर, अपने आप ही ख्वाम-ख्वाह कसमें उठाते हैं।
6. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीन जमानों या कुरूने अरबाआ (तीन या चार जमाने) की मदह (तारीफ, अच्छाई) फरमायी है और उनके बाद जो हालात पैदा होने वाले थे, आपने उनकी पेशगोयी भी फरमायी। (पहले ही खबर दे दी)
7. और उन लोगों की बुराई भी फरमायी जो गवाही मांगे बगैर गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
8. इब्राहिम नखई रह. के असर से साबित हुआ कि उम्मत के असलाफ (बुजुर्ग), औलाद की इस्लामी तरबीयत की खातिर उन्हें गवाही और वादे पर कायम रखने के लिए सजा दिया करते थे।

बाबः 62

अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिम्मा और अमान देने की मनाही

इरशादे इलाही हैः

﴿وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾﴾

(النحل١٦/ ٩١)

"और जब तुम अल्लाह से अहदे (वासिक, मजबूत वादे) करो तो उसको पूरा करो और कसमें पुख्ता करने के बाद उनको मत तोड़ो, हालांकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर जिम्मेदार बना चुके हो, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से बाखबर है।"(सूरह नहल, पा 14 आ. 91)

{इस आयते मुबारका में अहद से मुराद कसम है और पुख्ता की हुई कसमों से मुराद लोगों के आपसी वो अहदो पैमान हैं जिन्हें मजबूत करने के लिए कसमें खाई गयी हों। लिहाजा हक बारी तआला की इज्जत करते हुए कसम और आपसी अहदो-पैमान को पूरा करना वाजिब है, क्योंकि किसी काम पर कसम खाने का मतलब यही है कि इन्सान उस काम को अल्लाह तआला की खातिर पूरा करने की ताकिद कर रहा है, और उसे अपने जिम्मे ले रहा है। जब वो अपनी कसम के खिलाफ करेगा या अल्लाह तआला के साथ किए हुए उस वादे को तोड़ेगा तो गोया उसने अल्लाह तआला की इज्जत उस तरह नहीं की, जिस तरह उसे करनी चाहिए थी कि उस इज्जत का ख्याल करते हुए कसम खाते

वक्त ही इस बात से डर जाता कि कसम को पूरा करने में अल्लाह का यह वाजिबी हक अदा नहीं कर सकेगा।}

बुरैदा रजि. से रिवायत है, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी फौज या दस्ते पर किसी को अमीर तय फरमाते तो अल्लाह तआला से डरने और अपने सफर के साथियों के साथ अच्छे सलूक की खुसूसी तौर पर वसीयत करते और फरमातेः

«اُغْزُوا بِسْمِ اللهِ فِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا وَلاَ تَمْثُلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلٰى ثَلٰثِ خِصَالٍ أَوْ خِلاَلٍ، فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلٰى دَارِالْمُهَاجِرِينَ، وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَّا لِلْمُهَاجِرِينَ، وَعَلَيْهِمْ مَّا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَّتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ، يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللهِ تَعَالٰى، وَلاَ يَكُونُ لَهُمْ فِي الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ شَيْءٌ، إِلاَّ أَنْ يُّجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ، فَإِنْ هُمْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ، فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنْ بِاللهِ وَقَاتِلْهُمْ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَلٰكِنِ اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ، فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَمَكُمْ وَذِمَمَ أَصْحَابِكُمْ أَهْوَنُ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهِ، وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوكَ أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللهِ، فَلاَ تُنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللهِ، وَلٰكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمَ اللهِ أَمْ لاَ»(صحيح مسلم، الجهاد، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، ح:١٧٣١)

"अल्लाह तआला की राह में उसका नाम लेकर लड़ाई करना और हर उस शख्स से लड़ना जो अल्लाह तआला के साथ कुफ्र करता है। लड़ाई करना और ख्यानत ना करना। बद अहदी ना करना। मुसला ना करना (यानी किसी मरे हुए आदमी के शरीर के हिस्से ना काटना) और ना बच्चों को कत्ल करना। जब मुश्रिक दुश्मन से तुम्हारा सामना हो तो उन्हें तीन बातों की पेशकश करना, अगर वो उनमें से कोई एक बात भी मान लें तो मंजूर कर लेना और जंग से रूक जाना:

(1) सबसे पहले इस्लाम की दावत देना, अगर वो उसे कबूल कर ले तो उसे मंजूर कर लेना और उन्हें इलाका-ए-कुफ्र से इलाका-ए- मुहाजरीन की तरफ हिजरत की दावत देना। और उन्हें बताना कि अगर वो हिजरत करेंगे तो उन्हें वो सब हक हासिल होंगे जो मुहाजिरीन को हासिल हैं और जो परेशानियां मुहाजिरीन को बर्दाश्त करना पड़ती है, उन्हें भी बर्दाश्त करनी होगी। और अगर वो हिजरत करने से इनकार करें तो फिर उन्हें बता देना कि वो उन बदवी मुसलमानों की तरह होंगे जिन पर अल्लाह का हुक्म जारी है। उन्हें माले गनीमत या माले फय से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, इस शर्त पर कि वो मुसलमानों के साथ जिहाद में शरीक हों।

(2) अगर वो इस्लाम कबूल करने से इनकार कर दें तो फिर उनसे टैक्स मांगना। अगर वो टैक्स देने पर राजी हो जायें तो कबूल कर लेना और जंग से रूक जाना।

(3) अगर वो टैक्स देने से भी इनकार करें तो अल्लाह तआला से मदद मांगकर उनसे लड़ाई करना। और जब तुम किला बन्द दुश्मन का घेराव करो और दुश्मन चाहें कि तुम उन्हें अल्लाह तआला और उसके रसूल की अमान और हिफाजत दे दो तो ऐसा हरगिज ना करना, बल्कि अपनी और अपने साथियों की तरफ से अमान और हिफाजत देना, इसलिए कि अगर तुम

(किसी सूरत में) अपना या अपने साथियों का जिम्मा (जमानत) तोड़ दो तो यह अल्लाह तआला और उसके रसूल के जिम्मे को तोड़ने से कमतर होगा और जब किले में बन्द किसी दुश्मन का घेराव करो और वो चाहे कि अल्लाह तआला की जिम्मेदारी पर उससे राजीनामा कर लो तो ऐसा हरगिज ना करना, बल्कि तुम अपनी जिम्मेदारी पर उससे सुल्ह करना, क्योंकि मालूम नहीं उनके बारे में अल्लाह तआला की मर्जी और फैसले को पा सकोगे या नहीं?'' (हदीस सही मुस्लिम 1731)

{इस हदीस से मालूम हुआ कि मुसलमानों को हर मामले में अल्लाह तआला की बड़ाई सामने रखनी चाहिए। कोई शख्स लोगों को अल्लाह तआला या उसके रसूल की तरफ से अमान और हिफाजत ना दे बल्कि अपनी तरफ से अमान और हिफाजत देना चाहिए।

अहले तौहीद और दीन के पढ़ने वाले जो दीन के हवाले से शोहरत रखते हैं, उन्हें खास तौर पर इन बातों का ख्याल रखना चाहिए, उनसे कोई ऐसा लफ्ज या बात या काम सरजद नहीं होना चाहिए, जो उनके मुकाम व मर्तबे के खिलाफ हो। क्योंकि फितनों से भरपूर मौजूदा जमाने में लोग अहले इल्म, असहाबे दीन और तौहद व किताबो सुन्नत के पासदारों (हिफाजत करने वालों) पर खास नजर रखते हैं। इसलिए लोगों के साथ मामलात, ताल्लुकात, और मेलजोल में ऐसा अन्दाज अपनाना चाहिए जिससे जाहिर हो कि यह लोग अल्लाह तआला की खूब इज्जत करने वाले हैं।

उन्हें देखकर दूसरे लोग भी अहतयात करेंगे और अल्लाह तआला की इज्जत उसके हक की तरह बजा लायेंगे।

कसम उठाने, गवाही देने और लोगों के साथ आम मामलात में बड़ी अहतयात की जरूरत है। क्योंकि मामूली सी बेअहतयाती और बद मामलगी, अहले इल्म व दीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है}

मसाईल

1. इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह तआला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के जिम्मे व अमान में साफ फर्क है।
2. हदीस में यह हिदायत भी है कि जब कहीं दो अलग अलग सूरतें सामने हों तो उनमें से जो सूरत आसान हो, बेहतर और जिसमें नुकसान कम से कम हो, उसे पसन्द कर लेना चाहिए।
3. यह भी साबित हुआ कि अल्लाह तआला की राह में अल्लाह तआला का नाम लेकर जिहाद किया जाये।
4. और जो शख्स अल्लाह तआला के साथ कुफ्र का करने वाला हो, उससे लड़ायी की जाये।
5. निज कुफ्फार से जिहाद और लड़ाई में भी अल्लाह तआला से मदद मांगनी चाहिए।
6. अहले इल्म और अल्लाह तआला के फैसलों में खुला फर्क है। अहले इल्म का फैसला गलत हो सकता है। मगर अल्लाह तआला का कोई फैसला गलत नहीं हो सकता।
7. निज यह भी साबित हुआ कि जरूरत के वक्त, सहाबी कोई फैसला करे तो कोई भी पूरे तौर पर नहीं जानता कि उसका यह फैसला अल्लाह तआला के हुक्म के मुताबिक है या नहीं।

बाब: 63

घमण्ड करते हुए अल्लाह तआला की कसम खाने का अंजाम

{तअल्ला, तकब्बुर और गुरूर के तौर पर अल्लाह की कसम खाना, अल्लाह तआला पर किसी किस्म का हक साबित करना और यह समझना कि अल्लाह तआला वही फैसला करेगा जो मेरा है, यह सब तौहीद के खिलाफ है। लेकिन अगर आजजी की हालत में और इनकसार अल्लाह तआला पर कसम डाली जाये तो यह जाइज है, क्योंकि ऐसी सूरत में अल्लाह तआला पर हुसनेजन (अच्छा गुमान) किया जाता है। जैसाकि एक हदीस में आया है, आपने फरमाया:

"अल्लाह तआला के बाज महबूब व मकबूल बन्दे ऐसे भी हैं जो अल्लाह तआला पर कसम डालें तो अल्लाह तआला उनकी कसम को पूरा फरमाता है।" (सही बुखारी, अल जिहाद वजसैअर, बाबो कौलिल्लाहे तआला मिनल मौमिनीनर रिजाल... हदीस 2806)}

जुनदुब बिन अब्दुल्लाह अलबजली रजि. से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«قَالَ رَجُلٌ: وَاللهِ لاَ يَغْفِرُ اللهُ لِفُلاَنٍ فَقَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ، فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ»(صحيح مسلم، البر والصلة، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله، ح:٢٦٢١)

"एक आदमी ने कहा: अल्लाह तआला की कसम! अल्लाह तआला

फलां शख्स को माफ नहीं करेगा। तो अल्लाह तआला ने फरमाया: यह कौन होता है जो मेरी कसम खा रहा है कि मैं फलां की मगफिरत नहीं करूंगा। मैनें उसकी मगफिरत कर दी और तेरे (यानी कसम उठाने वाले के) काम जाया कर दिये हैं।'' (हदीस सही मुस्लिम 2621)

{यह फलां शख्स, फासिक था और कसम खाने वाला, आबिद व जाहिद। इस आबिद व जाहिद ने खुद को बड़ा जाना और यह समझ बैठा कि बहुत लम्बे जमाने तक अल्लाह तआला की इबादत में गुजार कर वो इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि अल्लाह तआला के कामों में भी अपना हुक्म चला सकता है और वो जिस चीज की भी तमन्ना व आरजू करे, उसे मिल कर ही रहेगी, जबकि यह बात सरासर मकामें बन्दगी के खिलाफ है, इसलिए अल्लाह तआला ने उस बहुत इबादत करने वाले की पकड़ कर ली और फरमाया: कौन है जो घमण्ड करते हुए मेरी कसम खा रहा है कि मैं फलां को माफ नहीं करूंगा। मैंने उसे तो माफ कर दिया और (ऐ तकब्बुर व गुरूर और पारशाई जाहिर करने वाले आबिद!) तेरे आमाल बेकार कर दिये।

इससे पता चलता है कि अल्लाह तआला की उसके हक की तरह इज्जत ना करने और तौहीद के खिलाफ और मना किये हुए काम करने का नतीजा क्या होता है।

याद रहे! लफ्ज ''यतअल्ला ईला और अलियाह से निकला है। जिसका मतलब अजराहे तकब्बुर व गुरूर की हालत में कसम खाना है।}

अबू हुरैरा रजि. से मरवी हदीस में है कि यह बात कहने वाला आबिद व जाहिद आदमी था।

अबू हुरैरा रजि. कहते हैं कि उसने यह एक ऐसी बात कह दी जिसने उसकी दुनिया और आखिरत को तबाह कर के रख दिया।'' {(सुन्न अबी दाउद, अलअदब, बाबो फिन्नहिये अनिल बगीये, हदीस 4901, मुसनद अहमद 2/323)}

मसाईल

1. इस बहस से साबित हुआ कि घमण्ड के तौर पर अल्लाह तआला की कसम खाने का अंजाम इन्तेहाई खौफनाक और भयानक है।
2. दोजख इन्सान के जूते के तस्में (फितों) से भी ज्यादा करीब है कि कई बार जाहिरी तौर पर किसी मामूली सी बात की बिना पर इन्सान दोजख में जा पहुंचता है।
3. इसी तरह जन्नत भी इन्सान के बिलकुल करीब है और इन्सान जाहिरी तौर पर किसी मामूली और छोटे से काम की बिना पर जन्नत का हकदार बन जाता है।
4. इस हदीस से रसूले अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की ताईद होती है:
   ''इन्नर्रजुला लयतकल्लमु बिलकलिमा ला युलकी लहा बालन... अलख'' ''कई बार इन्सान कोई ऐसा कलमा कह जाता है कि इन्सान को तो उसकी खतरनाकी का अहसास नहीं होता, मगर उससे उसके सब काम बर्बाद हो जाते हैं।''
5. पीछे गुजरी हुई तफसील से यह भी मालूम हुआ कि कई बार किसी इन्तेहाई नापसन्दीदा बात या काम, किसी दूसरे की माफी की वजह बन जाता है।

बाबः 64

अल्लाह तआला को मख्लूक के सामने सिफारशी के तौर पर पैश करना गुस्ताखी और इन्तेहाई बेवकूफी है।

जुबैर बिन मुतईम रजि. कहते हैं, एक बदवी (गांव वाले) ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर शिकायत की कि या रसूलुल्लाह! जानें तबाह हो गयीं, बच्चे भूक से बिलकने लगे और जानवर मरने लगे, आप हमारे लिए अपने रब से बारिश की दुआ फरमाइए। हम अल्लाह तआला को आपके पास और आपको अल्लाह तआला के सामने सिफारशी के तौर पर पैश करते हैं। आपने (उसकी बात सुनकर) बार बार सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह पढ़ा। आप लगातार सुब्हान अल्लाह पढ़ते रहे, यहां तक कि उसका असर सहाबा किराम के चेहरों पर जाहिर होने लगा। फिर आपने फरमायाः

«وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا اللهُ؟ إِنَّ شَأْنَ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بِاللهِ عَلَى أَحَدٍ»(سنن أبي داود، السنة، باب في الجهمية، ح:٤٧٢٦)

''तुझ पर अफसोस! क्या तू जानता है कि अल्लाह क्या है? (यानी उसका क्या मुकाम और क्या शान है?) अल्लाह तआला की शान इससे कहीं बुलन्दतर है। उसे किसी के सामने सिफारशी के तौर पर पैश नहीं किया जा सकता।''(हदीस सुनन अबी दाउद 4726)

{यानी अल्लाह तआला को मखलूक के सामने बतौरे वास्ता और वसीला पैश करना ठीक नहीं। क्योंकि अल्लाह तआला की शान इससे कहीं बुलन्द तर है। जबकि मख्लूक, रब तआला के सामने वजीअ व

हकीर (कमजोर) है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बदवी की बात को सुनकर बार बार, सुब्हान अल्लाह कहा कि अल्लाह तआला ऐसे कामों और खूबियों से बल्कि हर शायबा-ए-नक्स और बुरे ख्याल से पाक और ऊंचा है।}

मसाईल

1. इस हदीस से साबित हुआ कि अल्लाह तआला को मख्लूक के सामने बतौरे सिफारशी पैश करना तौहीद के खिलाफ और अल्लाह तआला के हक में बे-अदबी और गुस्ताखी है। इसलिए जब बदवी (गांव वाले) ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि "हम अल्लाह तआला को आपकी खिदमत में बतौरे सिफारशी पैश करते हैं।" तो आपने इस बात पर नागवारी और नापसन्दगी का इजहार फरमाया।
2. बदवी की बात से आपके चेहरा मुबारक का रंग इस कद्र बदला कि उसके असरात सहाबा किराम रजि. के चेहरों पर भी जाहिर हुए।
3. आपने आराबी की बात के दूसरे हिस्से "कि हम आपको अल्लाह तआला के यहां बतौरे सिफारशी पैश करते हैं" पर इनकार नहीं किया। गोया मख्लूक को तो अल्लाह तआला के यहां बतौरे सिफारशी पैश किया जा सकता है, मगर अल्लाह तआला को मखलूक के सामने नहीं।
4. इस हदीस से "सुब्हान अल्लाह" के बारे में यह खुलासा हो गया कि बतौरे इनकार व ताज्जुब के तौर पर यह कलमा कहा जा सकता है।
5. और यह भी साबित हुआ कि सहाबा किराम रजि. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्दगी में आपकी खिदमत में हाजिर होकर आपसे बारिश की दुआ कराया करते थे।

❖❖❖

बाब: 65

तौहीद के बाग की हिफाजत के सिलसिले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिर्क के तमाम जरीयों और रास्तों को पूरे तौर पर बन्द कर दिया

अब्दुल्लाह बिन शिख़्खीर रजि. कहते हैं:

«اِنْطَلَقْتُ فِي وَفْدِ بَنِي عَامِرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا: أَنْتَ سَيِّدُنَا فَقَالَ: السَّيِّدُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قُلْنَا: وَأَفْضَلُنَا فَضْلاً، وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً، فَقَالَ: قُولُوا بِقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلاَ يَسْتَجْرِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ»(سنن أبي داود، الأدب، باب في كراهية التمادح، ح:٤٨٠٦ ومسند أحمد:٤/ ٢٤، ٢٥)

"मैं बनू आमिर के एक वफद (गिरोह) के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो हमने कहा: आप हमारे "सय्यिद" हैं। आपने फ़रमाया: "अस्सय्यिद" तो सिर्फ अल्लाह तआला है। फिर हमने कहा: मुकाम व मर्तबे के लिहाज से आप हम सबसे बरतर, अफजल और बहुत ज्यादा अहसान करने वाले हैं। आपने फ़रमाया: यह और इस किस्म की जाइज व मुनासिब बात कह सकते हो। ख्याल रखना कि कहीं शैतान तुम्हें अपने जाल में ना फंसा ले।" (हदीस़ सुनन अबी दाउद 4806)

{रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान कि "अस्सय्यिद"

अल्लाह तआला ही है। जबकि आप तमाम आदम की औलाद के सय्यिद व सरदार हैं, इस बात की दलील है कि आपने तौहीद के बाग की खूब हिफाजत फरमायी और शिर्क के तमामतर जराया और वसाईल को अच्छी तरह बन्द किया, क्योंकि शिर्क का एक जरीया यह भी है कि इन्सान किसी काबिले कद्र लायक तकरीम हस्ती की मदद व सताईश के लिए अल्फाज में गुलू करे और हद से आगे बढ़ जाये।

याद रहे! किसी काबिले कद्र शख्सीयत को, मुखातब करके उसे सय्यिद कहना या किसी की सरदारी की निस्बत सारी कायनात की तरफ करना मना है। इसी तरह किसी को ''अस्सय्यिद'' कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसके मायने भी सारी कायनात के सरदार के हैं, लिहाजा अमूमन मुश्रिकीन अपने बड़ों की इज्जत के लिए जो कलमा ''अस्सय्यिद'' बोलते हैं, यह शरअन नाजाइज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः मेरी तारीफ में जाइज व मुनासिब कलमात कह सकते हो। इसलिए आपकी बल्कि किसी भी इन्सान की इज्जत के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिनमें गुलू हो, दुरूस्त नहीं क्योंकि इससे मुखातब के दिल में गुरूरे पारसाई आ सकता है और वो अल्लाह के सामने इजजो इनकसार छोड़ करके उसकी तौफिके खास से महरूम हो सकता है। लिहाजा इससे बहुत ज्यादा बचना जरूरी है।}

हजरत अनस रजि. कहते हैं कि बाज लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! हम सबसे बेहतर व अफजल! और सबसे बेहतर के बेटे! ऐ हमारे सरदार! और हमारे सरदार के बेटे! तो आपने फरमायाः

«يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُاللهِ وَرَسُولُهُ، مَا أُحِبُّ أَنْ تَرْفَعُونِي فَوْقَ مَنْزِلَتِي الَّتِي أَنْزَلَنِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ»(عمل اليوم والليلة للنسائي، ح:٢٤٨، ٢٤٩. ومسند أحمد:٣/١٥٣، ٢٤١، ٢٤٩)

"ऐ लोगों! इस किस्म के अल्फाज कह लिया करो। ख्याल रखना कि कहीं शैतान तुम्हें बहका ना दे। मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम) अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे मेरे उस मकाम व मर्तबे से बढ़ा दो जो अल्लाह तआला ने मुझे दिया है।" (हदीस मुसनद अहमद)

{उन लोगों ने आपकी जो खुबियाँ बयान की वो वाकई आपमें मौजूद थी, लेकिन आपने शिर्क के दरवाजे को बन्द करने के लिए फरमाया कि मैं मुहम्मद, अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूं। मैं बिलकुल यह पसन्द नहीं करता कि तुम मुझे मेरे उस मुकाम व मर्तबे से बढ़ाओ जो अल्लाह तआला ने मुझे दे रखा है और यह मामला सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही खास नहीं, बल्कि हर काबिले इज्जत हस्ती के बारे में यही हुक्म है कि उसकी शान में इस कद्र गुलू ना किया जाये कि इज्जत करने वाले और उस हस्ती के बीच शैतानी अमल घूस जाये। यानी इस तरह से इज्जत न की जाये कि इन्सान शिर्क का करने वाला हो बैठे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बयान किये हुए फरमान शिर्क के तमामतर वसाईल व जराया को बन्द करने के लिए गोया एक जामेअ दरवाजे की हैसियत रखते हैं।}

मसाईल

1. आपने उम्मत को गुलू, और मुबालगा आमिजी से मौका-ब-मौका डराया और मना फरमाया है।
2. जब लोग किसी को "अपना सरदार" करार दें तो जवाबन में उसे क्या कहना चाहिए? उसे मगरूर व मुतकब्बीर होने की बजाये बताना चाहिए कि हकीकी सरदार तो अल्लाह तआला है।
3. मौके व वक्त की मुनासिबत से लोगों को गुलू से रोकते रहना

चाहिए। जैसाकि लोगों ने अगरचे सही बातें की थीं, मगर उसके बावजूद आपने फरमायाः "कहीं शैतान तुम्हें अपने जाल में ना फांस ले।"

4. आपके इरशादः

"मा उहिब्बु अन तरफउनि फवका मनजिलती" "मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे अल्लाह के अता किए हुए मेरे मर्तबे व मुकाम से बढ़ा दो।" से मालूम हुआ कि आपको अपने हक में गुलू और मुबालगा आमिजी से हद दर्जा नफरत थी।

बाबः 66

अल्लाह तआला की बड़ाई और शान की बुलन्दी का बयान

इरशादे इलाही हैः

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

(الزمر ٣٩/ ٦٧)

"और उन्होंने अल्लाह के हक की तरह अल्लाह की कद्र नहीं की, कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे आसमान उसके दायें हाथ में लिपटे होंगे। अल्लाह उन लोगों के शिर्क से पाक और बुलन्द है।"(सूरह जुमर, पारा 24 आयत 67)

हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रजि. फरमाते हैं, एक यहूदी आलिम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहने लगाः "ऐ मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम)! हमारी किताब में लिखा हुआ है कि अल्लाह तआला कयामत के दिन आसमानों को एक उंगली पर, जमीनों को एक उंगली पर, दरख्तों को एक उगंली पर, पानी को एक उंगली पर, नमनाक मिट्टी को एक उंगली पर और बाकी तमाम मखलूकात को एक उंगली पर रखकर फरमायेगाः मैं ही बादशाह हूँ। आप उसकी बात सुनकर बतौरे तस्दीक (सच करने पर) हंस पड़े, यहां तक कि आप की दाढ़ें दिखने लग गयी। फिर आपने यह आयत तिलावत फरमायीः

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٦٧﴾ ﴾

(الزمر ٣٩/ ٦٧)

"और उन्होंने अल्लाह तआला की उसके हक की तरह कद्र नहीं की, हालांकि कयामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और सारे आसमान उसके दायें हाथ में लिपटे होंगें।"

{सही बुखारी, अत्तफसीर, बाबो कौले हि तआला वमा कदरूल्लाह हक्का कदरिही, हदीस 4811 व सही मुस्लिम, सिफातुल मुनाफिकीन व हकामिहिम, बाबो सिफ्तिल कयामती वलजन्नती वन्नार, हदीस 2786}

और सही मुस्लिम की रिवायत में है (कयामत के रोज अल्लाह तआला) तमाम पहाड़ों और दरख्तों को एक उंगली पर (रखेगा), फिर (उंगलियों पर रखी हुई) उन (तमाम मख्लूकात) को हिला हिलाकर कहेगा, "मैं ही बादशाह हूँ और मैं ही अल्लाह हूँ।" {सही मुस्लिम, हवाला मजकूर}

और सही बुखारी की एक दूसरी रिवायत में है, अल्लाह तआला कयामत के दिन आसमानों को एक उंगली पर, पानी और नमनाक मिट्टी को एक उंगली पर और बाकी सारी मख्लूकात को एक उंगली पर रखेगा।" {सही बुखारी, हवाला मजकूरा}

और सही मुस्लिम में इब्ने उमर रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«يَطْوِي اللهُ عَزَّوَجَلَّ السَّمَاوَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟ ثُمَّ يَطْوِي الْأَرَضِينَ السَّبْعَ ثُمَّ يَأْخُذُهُنَّ بِشِمَالِهِ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا

الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ؟»(صحيح مسلم، صفات المنافقين وأحكامهم، باب صفة القيامة والجنة والنار، ح:٢٧٨٨)

''अल्लाह कयामत के दिन आसमानों को लपेट कर अपने सीधे हाथ में पकड़ेगा और फरमायेगा, मैं बादशाह हूँ। कहां हैं जिन्होंने दुनिया में खुद को सरकश और मुतकब्बिर समझा? फिर सातों जमीनों को लपेट कर अपने बायें हाथ में ले लेगा और फरमायेगाः मैं बादशाह हूँ। कहां हैं जिन्होंने दुनिया में खुद को सरकश और मुतकब्बिर समझा?''

इब्ने अब्बास रजि. फरमाते हैं:

«مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السَّبْعُ فِي كَفِّ الرَّحْمٰنِ إِلاَّ كَخَرْدَلَةٍ فِي يَدِ أَحَدِكُمْ»(تفسير ابن جرير للطبري: ٢٤/ ٣٢)

''कयामत के दिन सातों आसमानों और सातों जमीनें अल्लाह तआला की मुट्ठी में ऐसे होंगी जैसे तुममें से किसी के हाथ में राई का दाना।''

इमाम इब्ने जरीर रह. सनद के साथ रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायाः

«مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلاَّ كَدَرَاهِمَ سَبْعَةٍ أُلْقِيَتْ فِي تُرْسٍ قَالَ: وَقَالَ أَبُوذَرٍّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَا الْكُرْسِيُّ فِي الْعَرْشِ إِلاَّ كَحَلْقَةٍ مِّنْ حَدِيدٍ أُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَيْ فَلاَةٍ مِّنَ الأَرْضِ»

(تفسير ابن جرير للطبري، ح:٤٥٢٢ والأسماء والصفات للبيهقي، ح:٥١٠)

''अल्लाह तआला की कुरसी के साथ सात आसमानों को यूं निस्बत है, जैसे सात दिरहम किसी ढ़ाल में रखे हों। और अबूजर गफ्फारी रजि. कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुनाः अल्लाह तआला की कुर्सी उसके अर्श के मुकाबले

में यूं है, जैसे लोहे का छल्ला किसी वसीअ व अरीज (लम्बे-चौड़े) मैदान में रखा हो।''

इब्ने मसऊद रजि. कहते हैं:

«بَيْنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالَّتِي تَلِيهَا خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ كُلِّ سَمَاءٍ وَسَمَاءٍ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْكُرْسِيِّ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَبَيْنَ الْكُرْسِيِّ وَالْمَاءِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ، وَالْعَرْشُ فَوْقَ الْمَاءِ، وَاللهُ فَوْقَ الْعَرْشِ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَعْمَالِكُمْ» (أخرجه الدارمي في الرد على الجهمية، ح: ٢٦، وابن خزيمة في كتاب التوحيد، ح: ٥٩٤، والطبراني في المعجم الكبير، ح: ٨٩٨٧)

''आसमाने दुनिया से दूसरे आसमान तक पांच सौ साल की दूरी है और हर दो आसमानों के बीच पांच सौ साल की दूरी है। इसी तहर सातों आसमानों ओर कुर्सी के बीच, कुर्सी और पानी के बीच भी पांच पांच सौ साल की दूरी है। पानी के ऊपर अल्लाह तआला का अर्श है। और अल्लाह तआला अर्श के ऊपर है। याद रखो! तुम्हारा कोई भी काम अल्लाह तआला से छिपा हुआ नहीं।

इस रिवायत को इब्ने महदी, हम्माद बिन सलमा से, वो आसिम से, वो जर से और वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान करते हैं। और इसी तरह उसे मसऊदी, आसिम से, वो अबू वाईल से और वो अब्दुल्लाह बिन मसऊद से बयान करते हैं

अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजि. से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया:

«هَلْ تَدْرُونَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ،

وَبَيْنَ السَّمَآءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَآءِ وَالأَرْضِ، وَاللهُ عَزَّوَجَلَّ فَوْقَ ذٰلِكَ، وَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّنْ أَعْمَالِ بَنِي آدَمَ»(سنن أبي داود، السنة، باب في الجهمية، ح:٤٧٢٣ ومسند أحمد:١/٢٠٦، ٢٠٧)

''क्या तुम जानते हो कि जमीन और आसमान के बीच कितना फासला है, हमने कहा: अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया: ''उनके बीच पांच सौ साल की दूरी है, और हर आसमान से दूसरे आसमान तक पांच सौ साल की दूरी हैं और हर आसमान की मौटाई पांच सौ साल की दूरी के बराबर है। सातों आसमान और अर्शे इलाही के बीच एक समन्दर है। उसके नीचे और ऊपर वाले हिस्से के बीच भी इतना ही फासला है। जितना जमीन और आसमान के बीच है (यानी पांच सौ साल की दूरी) और अल्लाह तआला उसके ऊपर है। बनी आदम (आदम की औलाद) के आमाल में से कोई अमल उससे छिपा और मख्फी नहीं।''

{दावते तौहीद व सुन्नत के इमाम, शैखुल इस्लाम मुहम्मद रह. ने अपनी इस अजीम किताब को इस जरूरी और बड़े बाब पर खत्म और पूरा किया है और इसकी वजह यह है कि जो शख्स अल्लाह तआला की खूबियों को सही मायनों में समझ और जान लेता है, वो रब्बुल इज्जत के यहां बहुत आजजी, बेबसी, कमजोरी, लाचारी का इजहार करता है। इस बाब के शुरू में बयान की गयी आयते मुबारका में इसी बात को यूं बयान किया गया है: ''वमाकद रूल्लाहा हक्का कदरीहि'' (अज्जुमर 67/39)

कि लोगों ने अल्लाह तआला के हक की तरह अल्लाह तआला की इज्जत नहीं की। अगर करते तो कभी उसे छोड़कर गैरों की पूजा ना करते। आप जरा अल्लाह तआला की सिफात में गौर फिक्र तो करें कि वो किस कद्र गलबा व कुदरत रखने वाला, हकीम व दाना, सिफाते

जलाल से मुतस्सिफ और अर्श पर बराबर है। इस वसीअ व अरीज कायनात में उसकी फरमां रवायी है। वो जिसे चाहता है अपनी बेबहा नैमतों और खुसूसी रहमत से नवाजता है और जिससे चाहता है मुसीबतें और परेशानियां टाल देता है। इनाम व फजल का मौला व वाली वही है... आपको मालूम हो जाये कि आसमानों में भी उसकी कुदरते कामिला कार फरमान है, और फरिश्ते भी उसकी बन्दगी में लगे हैं, उसी की तरफ झुकते और मुतवज्जह होते हैं।

ऐ इन्सान! जरा सोच लो सही कि इस कद्र जलील और अजीमुश्शान बादशाह हकीकी तुझ कमजोर व वजीअ से मुखातिब होकर तुझे अपनी इबादत का हुक्म दे रहा है, अगर तुझे कुछ ख्याल हो तो तेरी इज्जत इसी में है। वो तुझे अपनी इताअत व फरमान बरदारी का हुक्म दे रहा है। अगर तुझे कुछ समझ हो तो इसमें तेरी ही इज्जत है। अगर तू अल्लाह तआला के हक को पहचान ले और तुझे उसकी जबरदस्त खूबियों का इल्म हो जाये और उसकी जात व सिफात के बुलन्द होने की जानकारी हासिल हो जाये तो उसके सामने कमजोरी और बेबसी का इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। तू उसकी इताअत व फरमान बरदारी के लिए बेकरार और उसकी प्यारी चीजों के जरीये से उससे नजदीक होने के लिए बेचैन होगा। तू उसके कलाम की तिलावत करेगा तो तुझे यूं महसूस होगा, जैसे तू उससे बातें कर रहा है। वो तुझे हुक्म भी दे रहा है और कुछ चीजों से मना भी कर रहा है, तब तेरे दिल में इस आली कद्र जात की इज्जत और ताजीम कुछ और ही होगी। लिहाजा दिल में ईमान और अल्लाह तआला की इज्जत रासिख करने के लिए जरूरी है कि इन्सान, जमीन व आसमान में मौजूद उसकी कुदरत के अजायब में गोरो फिक्र करे, क्योंकि यह उसका हुक्म है।}

मसाईल

1. इस बाब से आयते करीमा:
   "वलअरजु जमीअन कब्जतुहु" (जुमर 67/39) की तफसीर खूब वाजेह हुई।

2. गुजर चुकी बहस से साबित हुआ कि तौरात में बहुत सी सही बातें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक मौजूद व महफूज थी। यहूद ने ना तो उनका इनकार किया और ना उनकी कोई ताविल की।
3. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब यहूदी आलिम ने इन बातों का जिक्र किया तो आपने उसको सच बताया और कुरआन मजीद ने भी उसकी ताईद फरमायी।
4. आपका मुस्कुराना उस यहूदी आलिम की इन बड़ी आलिमाना बातों की बिना पर था।
5. इस बाब में मजकूर हदीस में अल्लाह तआला के लिए दो हाथों की वजाहत है कि कयामत के दिन तमाम आसमान उसके दायें हाथ में और जमीनें उसके दूसरे हाथ में होंगी।
6. बल्कि हदीस में अल्लाह तआला के दूसरे हाथ को बायां कहने की वजाहत भी है।
7. अल्लाह उस वक्त इन्तेहाई जलाल के साथ बड़े बड़े सरकश और घमण्डियों को पुकारेगा।
8. और सारे आसमान और जमीनें अल्लाह तआला के हाथ में यूं होगी जैसे किसी के हाथ में राई का दाना।
9. अल्लाह तआला की कुर्सी आसमानों के मुकाबले बहुत बड़ी है।
10. और कुर्सी के मुकाबले अल्लाह तआला का अर्श बहुत ही बड़ा है।
11. निज अल्लाह तआला का अर्श, कुर्सी और पानी सब अलग अलग चीजें हैं।
12. हर दो आसमानों के बीच की दूरी पांच सौ साल की दूरी है।
13. सातवें आसमान और कुर्सी के बीच भी यही दूरी है।
14. कुर्सी और पानी के बीच भी इसी कद्र फासला है।
15. अल्लाह तआला का अर्श पानी पर है।
16. अल्लाह तआला अर्श के ऊपर है।

17. निज जमीन और आसमान के बीच पांच सौ साल की दूरी है।
18. और हर आसमान की मोटाई भी पांच सौ साल की दूरी के बराबर है।
19. और आसमान के ऊपर वाले समन्दर की तह और सतह के बीच भी पांच सौ साल की दूरी है।

अल्लाहु सुब्हनहु वतआला आलमु वलहम्दुलिल्लाही रब्बील आलमिन, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिव वअला आलिही वसाहिबिही अजमईन।